राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 17

गुरुवार,

21 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश के गोस्वामी समाज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। यह प्रश्न काल है, इसमें इस तरह की इजाजत नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा में बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित ग्राम/कस्बे

396. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की क्या योजना है और उक्त योजना के तहत किन-किन ग्रामों/कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत जनवरी, 2013 तक किन-किन ग्रामों/कस्बों को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है और बाकी ग्राम/कस्बों को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका, जोबनेर और नगरपालिका, किशनगढ़-रेनवाल के क्षेत्र को उपरोक्त योजना से पेयजल उपलब्ध कराने से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(4) क्या सरकार उक्त दोनों नगरपालिका क्षेत्रों में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित कुल 718 ग्रामों एवं 7 कस्बों को लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 678.87 करोड़ की स्वीकृत परियोजना में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के समस्त 151 गांवों एवं फुलेरा व सांभर कस्बे को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया था। उक्त परियोजना से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना से माह जनवरी, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बे सांभर एवं फुलेरा को लाभान्वित किया जाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 151 ग्रामों में से 45 गांवों को मुख्य पाइप लाइन (टी.एम.-प्रथम) के नरैना आफटेक से एवं 106 गांवों को सांभर पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। नरैना आफटेक से उक्तानुसार लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों हेतु योजना की तकनीकी स्वीकृति माह जनवरी, 2013 में जारी की जाकर योजना के कार्यों हेतु निविदाएं दिनांक 5 मार्च, 2013 को प्राप्त कर ली गई हैं तथा अनुमोदन की कार्यवाही में प्रक्रियाधीन हैं। कार्यादेश-उपरांत योजना के कार्य 18 माह में पूर्ण किये जायेंगे।

क्षेत्र के शेष रहे 106 ग्रामों की योजना हेतु तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव तैयार करने के लिये सर्वेक्षण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। योजना की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(3) प्रथम चरण की उक्त परियोजना के निर्माण के समय किशनगढ़-रेनवाल एवं जोबनेर कस्बों में समुचित मात्रा में पीने योग्य भू-जल उपलब्ध होने के कारण इन्हें उक्त परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(4) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र, जोबनेर एवं किशनगढ़-रेनवाल को बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध सुनिश्चित कर सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 7 मार्च, 2013 को जारी की

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जा चुकी है। सर्वे एवं तकनीकी स्वीकृति उपरांत योजना के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में निविदा आमंत्रित की जाकर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से मंत्री महोदय, लगातार इतनी बड़ी फाइल विधान सभा की बन गयी, हर बार एक ही जवाब दे रहे हैं। मैं मेरे स्पेसिफिक चार ही प्रश्न मंत्रीजी से करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, जब यह स्कीम बनी थी फुलेरा और दूदू के गांवों के लिये, प्रथम फेज में 718 गांव व सात कस्बों को लाभ पहुंचाने की बात की गई थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि उनमें से कितने गांवों को लाभ आज तक पहुंच चुका है? क्या यह सही है कि उपरोक्त फर्स्ट फेज कम्प्लीट हुए बिना सरकार द्वितीय फेज का काम अपने हाथ में ले चुकी है और उसका कार्य प्रगति पर है? क्या यह प्रथम फेज वालों के साथ अन्याय नहीं है? जिनको आपने पहले फेज में स्वीकृत कर रखा था, उनको पानी अभी तक पहुंचा नहीं और द्वितीय फेज का आपने काम शुरू कर दिया।

दूसरा मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि जो 45 गांवों की बात आप कह रहे हैं कि स्वीकृति हमने निकालकर प्रक्रियाधीन कर दी, इनकी वित्तीय स्वीकृति कब निकली, यह जानकारी दे दें व इन गांवों को पानी कब तक मिलेगा, यह जानकारी दे दें। मेरे इन दो प्रश्नों का जवाब आ जाएगा, इसके बाद में मैं दो दूसरे प्रश्न और पूछूंगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परियोजना, बीसलपुर-दूदू परियोजना, 04/06/2002 में 216 करोड़ इसका बजट रखा गया था, स्वीकृत हुई थी। मुख्य मंत्रीजी ने 17 सितम्बर, 2003 को दूदू में इसका शिलान्यास किया था। अध्यक्ष महोदय, ओवर-आल यह योजना 678 करोड़ की है। इसके अन्दर, जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनको अगवत कराना चाहूंगा कि इसके अन्दर फर्स्ट फेज में आपके फुलेरा और सांभर, वे दोनों कस्बे इससे आलरैडी लाभान्वित हो रहे हैं। 151 गांव, जिनके बारे में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, 151 गांवों को मैं स्पलिट कर रहा हूं, जो 45 गांव हैं, इनकी निविदाएं प्राप्त की जा चुकी हैं, 11.09... में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। इसके लिये 50 करोड़ अलग से उसी में पैसा रखा

(डा. जितेन्द्र सिंह)

है। इन 45 गांवों का कार्य अगले माह प्रारम्भ कर दिया जाएगा और 18 महीने में यह कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। जो 106 गांव हैं, 2013-14 में उनका कार्य प्रारम्भ करने का ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न ही दो पूछे हैं, माननीय मंत्रीजी वापस यही जवाब दे रहे हैं। मैंने केवल पूछा कि प्रथम फेज के कितने गांव स्वीकृत थे? क्या उनको पानी मिलने के बाद आपने द्वितीय फेज का काम चालू किया या पहले ही कर दिया? मैंने केवल एक ही बात पूछी थी। प्रथम फेज पूरा होने से पहले आपने द्वितीय फेज का काम चालू कर दिया, आगे की योजना का शिलान्यास कर दिया। मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि प्रथम फेज के गांवों को कब तक पानी मिलेगा? उसके अलावा जो 45 गांवों का आपने कहा, निविदाएं प्राप्त हो गईं, उनका कार्यादेश कब तक दिया जाएगा? केवल दो प्रश्नों का स्पेसिफिकली जवाब दे दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने फर्स्ट फेज के लिये आपको कहा है कि प्रथम फेज में हमने, इनकी दो सिटीज थीं, फुलेरा और सांभर, इनमें तो कम्प्लीट हो गया। बाकी फर्स्ट फेज के ये 151 गांव थे, उनमें जो फाइनेंशल इम्प्लिकेशन हुआ और उसके लिये जो बजट आबंटित हुआ, उसके लिये मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें आपके जो फर्स्ट फेज के, फर्स्ट फेज में तो आपके फुलेरा टाउन था और सांभर था, ये विलेजेज थे, ये सारे उसमें स्पलिट हो रहे हैं। टोटल बजट इन सभी का 678 करोड़ था। वह मैं बताना चाहूंगा, जो आप पूछ रहे हैं, उन्हीं 151 गांवों को स्पलिट कर रहे हैं, 45 गांवों की निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं और 18 महीने में पूर्ण हो जाएगा; बाकी जो 106 गांव हैं, 106 गांवों में यह कार्य 3 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा।

जो आपने बताया, फुलेरा, वहां तो 2010 में आलरैडी पानी पहुंच गया था और 2009 में सांभर में पहुंच गया था।

इसके अलावा आप फरमायें, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी समझ नहीं पा रहे हैं, 45 का कार्यादेश कब देंगे, मैं यह पूछ रहा हूं। कब इन 45 गांवों को पानी मिल जाएगा? इतना ही तो पूछ रहा हूं आपसे कि कब तो आप वर्क आर्डर देंगे और कब पानी मिल जाएगा? सिम्पल सी बात है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि अगले माह में कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इसकी हमने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। अगले माह ही, अप्रैल में, I would like to say, और 18 माह में कार्य 45 गांवों का पूर्ण कर दिया जाएगा। यही मैं बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मेरा एक प्रश्न और रह गया। बाकी 106 गांव आपने बताये कि प्रस्तावित हैं जिनका कार्य अभी प्रगति पर है, इन गांवों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितने बजट का प्रोविजन किया है? इनके अन्दर कब काम शुरू होगा और किस प्रकार का काम शुरू होगा? यह भी बता दें एक बार।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बाकी के 106 विलेजेज हैं, उनमें वर्ष 2013-14 में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा, जिसके लिये बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 175 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। इसमें 106 गांव आपके स्वयं के विधान सभा क्षेत्र के हैं और 68 गांव झोटवाड़ा के हैं। तीन वर्षों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं इसमें आश्वस्त करना चाहूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम फेज आपने 2002 में स्वीकृत किया, 2003 में इसका भूमि पूजन किया। प्रथम फेज में कुल कितने गांव और ढाणियां थीं और इनमें कितना आपने स्वीकृत किया? उनके अगेंस्ट में जब आपने कार्य प्रारम्भ करने की तारीख दी होगी, वह प्रथम फेज कब शुरू होना था और कितने गांवों का प्रथम फेज में आपको काम कम्प्लीट करना था, उनमें से कितना तो आपने कर लिया और कितना आज भी, दस साल के बाद भी पेंडिंग है? सैकण्ड फेज कब प्रारम्भ किया? सेकण्ड फेज की फाइनेंशल स्वीकृति या उसका टेण्डरिंग होकर के आपने वर्क आर्डर कब दिया? और सैकण्ड फेज में कितने गांव कवर होने थे, उनमें से कितने कवर हो गये?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय लीडर आफ अपोजिशन ने कहा है कि फर्स्ट फेज में कितने गांव और ढाणियां ली गईं, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, फर्स्ट फेज में सात टाउन थे और 718 विलेजेज थे। इस परियोजना का प्रारम्भ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया था। मैं लीडर आफ अपोजिशन से अर्ज करना चाहूंगा, जो बीच का

(डा. जितेन्द्र सिंह)

पांच वर्ष का समय था, उन पांच वर्ष के समय के अन्दर the progress was slow, Sir. उस पांच वर्ष के समय में प्रोग्रेस स्लो थी। उसमें हमारे, उसी के ये बाकी के बचे हुए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स फुलेरा और सांभर के...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जब से आप आ गए, तब से आप बता दो। आपको आए हुए भी चार-साढ़े चार साल हो गए हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आनरेबल लीडर आफ अपोजिशन ने पूछा है कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके अन्दर क्या प्रोग्रेस हुई, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आलरैडी मैंने कह दिया कि जो बड़े टाउंस थे, फुलेरा और सांभर, फुलेरा में अप्रैल, 2010 में पानी पहुंच गया था और सांभर के अन्दर मार्च सितम्बर, 2009 में पानी पहुंच गया था। और जो बचे हुए हैं, 151 विलेजेज हैं, उनको मैंने स्पलिट कर दिया। यह आलरैडी मैंने आपको बता दिया है कि 45 गांव जो बचे थे, उनका तो अगले माह अप्रैल में वर्क स्टार्ट होगा और 18 महीने में कम्प्लीट होगा और जो 106 गांव बचे हैं, उनमें 2013-14 में कार्य शुरू होगा और it will be completed by 16.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप मेरे प्रश्न का जवाब दें। मैं यह कह रहा हूं कि जब आपने 2002 में शुरू की, 2003 में इसका भूमि पूजन कर दिया तो वर्क आर्डर 2003 के पहले दे ही दिया होगा, उस समय क्या कंडिशन थी इन गांवों में? कब तक अपने को पानी उपलब्ध करवाना था? वर्क आर्डर में क्या समय था? और उसके बाद क्या फाइनेंशल स्वीकृति, जिस दिन आपने भूमि पूजन किया था, उस दिन पैसे की व्यवस्था हो गई, फाइनेंशल स्वीकृति हो गई, टेंडरिंग हो गया था क्या? और टेंडरिंग स्वीकृत होकर किसी कम्पनी को दे दिया था क्या?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002 में 216 करोड़ रुपए का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा था इस सारी परियोजना का और यह समय-समय पर बढ़ता रहा, इसमें रिविजन होते रहे। 2004 में 283 हुआ, 2007 में 678 हुआ, लेकिन उस वक्त में प्रोग्रेस बहुत ही धीमी थी, लीडर आफ अपोजिशन महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं प्रोग्रेस नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जिस दिन आपने भूमि पूजन किया था, उस दिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपका वर्क आर्डर हो गया था तो वह कितने का हुआ था? कितना काम करना था और कितना समय उसमें लगने वाला था?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उसमें 216.55 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, जिस वक्त यह योजना प्रथम बार बनी थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों घुमा रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो यह बता दो कि जिस दिन आपने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, क्या उस समय प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद किया? या यूं ही कर दिया?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): बिलकुल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करके किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको किसने इजाजत दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने ही इशारा किया था।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने कोई इशारा नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गलती हुई।

श्री अध्यक्ष: आप तो सीधे ही चालू हो गए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने सोचा कि आज आप मुस्करा रहे थे मेरी तरफ देखकर।

श्री अध्यक्ष: आपकी गलती को मैं समझ गया।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी परियोजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी के आने के बाद वे पूरी सिस्टेमेटिकली होती हैं। पहले प्रशासनिक जारी होती है, फिर इसके लिए हमारे बाकायदा उसका यह कांट्रेक्टर्स को जारी किया जाता है, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति जारी होती है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने कहा कि वित्तीय स्वीकृति जिस दिन आपने भूमि पूजन किया उस दिन, किस तारीख को आपने फाइनेंशल स्वीकृति जारी की, वह तारीख पढ़ दो कि कितने रुपए का आपने किया, किसको इसका टेंडर किया और कितने समय में पूरा करना था, यह बता दो बस, बात खतम। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 4.6.2002

(डा. जितेन्द्र सिंह)

को वित्तीय स्वीकृति जारी हुई इसकी और इसका जो समय था, अब समय तो ज्यों ही गवर्नमेंट चेंज हुई और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह यूजअली थ्री यीअर्स का, 36 मंथ का, जस्ट ए मिनट, 36 मंथ का समय होता है उसका। अब मैं तो यह कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, उस वक्त प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमारी सरकार तो जिम्मेदार है नहीं उस बात के लिए कि उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आप जिम्मेदार इसलिए थे कि बिना स्वीकृति के, बिना टेंडरिंग किए, बिना कोई एजेंसी के आपने भूमि पूजन किया। यह मेरा आरोप है। बताइए आप।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): बिलकुल नहीं किया। यह बिलकुल, निश्चित रूप से हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वे बिना हमारी वित्तीय स्वीकृति जारी के कभी नहीं होते हैं, यह मैं आपको बता दूं; कभी नहीं होते, यह मैं आपको बता रहा हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बता क्यों नहीं रहे हो? आप अमाउंट क्यों नहीं बता रहे हो? तारीख क्यों नहीं बता रहे हो? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 हजार करोड़ के...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहले आप तारीख तो बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): वित्तीय स्वीकृति की तारीख बता दीजिए। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): 9 हजार करोड़ के, बगैर किसी फाइनेंशल मैनेजमेंट के, सारे के सारे आपने प्रोग्राम्स बना दिए, प्रोजेक्ट्स बना दिए। तो हमें तीन साल भुगतना पड़ा उस राज का, माननीय अध्यक्ष महोदय। और हमने आनर किया, आपके नौ हजार करोड़ के सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हनुमान बेनीवाल।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उन सारों को हमने स्वीकृत किया। तब जाकर हमारा यह मामला, यह सब डिले हुआ। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर दो दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो आपने वर्क आर्डर दिया था, वह कब दिया था और कितने समय में पूरा होना था? कितने पैसे की सैंक्शन दी थी? और कितने गांवों को उस प्रथम दिन, जिस दिन भूमि पूजन किया, उस दिन से पहले वर्क आर्डर का, सब का, वह कब कर चुके थे, उसकी तारीख बता दो तो काम खतम हो जाएगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): वित्तीय स्वीकृति की कापी आप सदन के पटल पर रख दें, वित्तीय स्वीकृति का पत्र।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, How many times I should repeat this? I have replied well. आप तो इतने सीनियर मेम्बर हैं। ऐसा है, ज्यादा भी ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कमाल है।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी, अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूछ रहे हैं होली का और ये गा रहे हैं दीवाली का। अब हालत यह हो रही है। अब होली आ रही है, मंत्रीजी, ये होली के बारे में पूछ रहे हैं और आप दीवाली के बारे में गा रहे हो। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): नहीं, मैं बात होली की ही कर रहा हूं।

प्रश्न संख्या-397

श्री अध्यक्ष: श्री फतेह सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्री हनुमान बेनीवाल।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

398. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु गत 2 वर्षों में कितना बजट किस-किस मद में आबंटित हुआ एवं उसमें से कितना व्यय हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(2) वर्तमान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत व कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): एक सैकण्ड, उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं, दे रहे हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आगे वाला पुकार लो, साहब। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए मैं माफी चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मामला साइंस एंड टेक्नोलोजी का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कभी शून्य नहीं रहता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, शून्य है भी नहीं। आप खड़े हो गए न, शून्य कहां है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलोजी। यह सरकार चल रही है जुगाड़ टेक्नोलोजी पर। यह जुगाड़ के कारण मंत्री महोदय जी को जवाब ही नहीं मिला। इसको कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलोजी, जुगाड़ टेक्नोलोजी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जवाब दे रहे हैं न। (व्यवधान)

राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डा. राजकुमार शर्मा): (1) विभाग में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में आबंटित बजट व व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 144 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 41 पद रिक्त हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) जी हां। परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी के कुल 19 पद एक्स-काडर के रिक्त हैं। इन एक्स-काडर पदों के स्थान पर विभाग में स्थायी संवर्ग का गठन प्रक्रियाधीन है। विभाग में बनाए जाने वाले स्थायी संवर्ग के नियम तैयार कर प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत पत्रावली कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है। अन्य पदों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पिछली साल भी इतने ही पद रिक्त बताए; एक तो, मंत्रीजी, यह बता दें कि 2010-11 एवं 2011-12 का बजट का आपने बताया कि बजट आबंटित हुआ और वह खर्च हुआ, 2012-13 के भी अब लगभग 10 दिन बचे हैं, 31 मार्च को यह वित्तीय वर्ष खतम हो जाएगा, 2012-13 में विभाग ने कुल कितना खर्च किया?

दूसरा, जो रिक्त पदों की बात थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, निदेशक एक स्वीकृत पद और एक रिक्त और वह भी 2006 से, यानी 7 साल से; परियोजना निदेशक 3 स्वीकृत पद और 3 रिक्त, 2000 से; परियोजना अधिकारी 7 में से 5 रिक्त, 2005 से; अनुसंधान अधिकारी 23 में से 11 रिक्त; क्यूरेटर 2 में से 2 रिक्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या फिर चपरासी चला रहे हैं इस विभाग को? करीब-करीब सारे पद रिक्त हैं। पिछले साल भी यही जवाब आया था और इस साल भी यह सेम जवाब आया है। तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ये रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे?

दूसरा, वर्ष 2012-13 के अन्दर बजट का जो आबंटन हुआ, उसका कितना खर्चा कहां-कहां राजस्थान के अन्दर हुआ? यह कृपया बतायें।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी माननीय सदस्य ने यही सवाल पूछा था और इस बार भी वही सवाल पूछा है। इस एक वर्ष में हम लोगों ने 8 पदों को भरा है लेकिन 8 पद भरने के बाद में 10 पद सरकार ने नए सृजित कर दिए, इसलिए वापस वे दो पद रिक्त और ज्यादा हो गए।

यह पूरा का पूरा विभाग हमारा डेपुटेशन के ऊपर चलता है क्योंकि हमने, पहले तो इस विभाग को कोई जानता ही नहीं था। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य व...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब तो हनुमानजी बेनीवाल भी जानने लग गए।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कागज नीचे गिर गया था तो साइंस एंड टेक्नोलोजी पर कितने सवाल उठाने लग गए। इनको पता रहना चाहिये कि इस सरकार के अन्दर कम से कम इस विभाग को कोई जानने तो लगा है, कम से कम इस विभाग के कोई सवाल तो पूछने लगा है, कम से कम हम खारा पानी को मीठा करने के लिये आर.ओ. प्लांट तो लगाने लगे हैं। लेकिन सिर्फ कि आपका साइंस एण्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, अगर कोई कागज गुम हो गया तो? चिन्ता मत करो, पूरा का पूरा कम्प्यूटर में फीड है। क्योंकि सदन में बोल रहा हूं, आंकड़े सही जाने चाहिये, इसलिये उस पत्र को मैं ढूंढ रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा, 8 पद हमने भर दिये हैं, फिर भी 41 पद रिक्त हैं। जिस आयोजना निदेशक की बात कर रहे हैं, हमारे यहां पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कई विभागों से हमने डेपुटेशन पर लोग ले रखे हैं, वे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को हमने प्रार्थना पत्र भेज रखा है, जो फाइनेंस में है, कि इस विभाग का काडर बनाना चाहिये। कुल मिलाकर इसमें 111 तो काडर पद हैं और 33 पद एक्स-काडर के हैं और एक्स-काडर में ज्यादातर लोग हमारे काम कर रहे हैं। कुछ जैसे पुस्तकालयाध्यक्ष का मामला था, तो हमने शिक्षा विभाग को लिखकर भेजा। शिक्षा विभाग ने अनुमति नहीं दी, इसलिये हम उसको भर नहीं पाये हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को हमने लिखित में दे रखा है, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में विभाग, वह अपने दम पर ही आगे रन करेगा।

जो इन्होंने पूछा है हमारे अनुमानित बजट के बारे में, 2010-11, 2011-12 और 2012-13, इन्होंने पूछा तो 2 साल का है, लेकिन ये जो जानकारी लेना चाहते हैं, वे 2012-13 की लेना चाहते हैं। 2012-13 के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कई प्रकार के हमारे फण्ड आते हैं, जैसे एक तो आयोजना-भिन्न का आता है, नान-प्लान का, एक प्लानिंग का आता है और एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग इस विभाग के अन्दर सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हमने जयपुर के अन्दर राजस्थान का सबसे खूबसूरत रीजनल साइंस सेंटर अभी माननीय कल्चर मिनिस्टर और माननीय श्री अशोक गहलोतजी के हाथों से शास्त्री नगर के अन्दर उसका उद्‌घाटन

(डा. राजकुमार शर्मा)

करवाया, उसका शुभारम्भ करवाया, जिसके अन्दर कई प्रकार की विज्ञान को बढ़ावा देने वाली तकनीकी उसमें शामिल की हैं।

यहां पर 2012-13 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमान था हमारे आय-व्ययक का, वह 438.80 लाख था और संशोधित अनुमान था 465.45 लाख और फरवरी माह तक, फरवरी, 2013 तक का आपको बताना चाह रहा हूं, हमने आयोजना, क्योंकि सिर्फ इसमें तनख्वाह देते हैं आयोजना भिन्न में, तो उसमें 455.31 दिया गया, खर्च किया गया, जो सारा का सारा तनख्वाह में गया; आयोजना के अन्दर, प्लान के अन्दर हम लोग अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। जैसे, मुझे सदन को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान के अन्दर साइंस-डे पर एक कार्यक्रम हुआ करता था हमारे जयपुर के अन्दर और उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते थे, हम उस साइंस मेले को, उस साइंस एग्जिबिशन को गांव की तरफ लेकर गये। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस विभाग में काम करने का मौका मिला, हम नवलगढ़ के अन्दर पिछले दो साल से विज्ञान मेला आयोजित करवा रहे हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी के साथ में, पिछली बार लगभग 34 हजार बच्चों ने उस मेले में विजिट की और इस बार 65 हजार शेखावाटी के बच्चे साइंस मेले को देखने के लिये आये। इतना ज्यादा लोगों में उत्साह था कि पूरे शेखावाटी के लोग उस मेले के अन्दर आये। देश-विदेश से लोगों को अपनी एग्जिबिशन लगाने के लिये आमन्त्रित किया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उसमें लगभग, जो कि इनका मुझे लगता है कि विशेष उसी बात को लेकर है, तो जहां-जहां जो भी खर्चा हुआ है, हमारे विभाग ने किया है, अगर सदस्य चाहेंगे तो पूरा का पूरा खर्चा इनके पास भिजवा दूंगा और जो-जो विभाग की उपलब्धियां हुईं, वह इनके पास भिजवा दूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी की यहां इसी सदन में घोषणा थी कि प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने बजट के 3 प्रतिशत का प्रोविजन आई टी इनेबल करने के लिये निवेश करेगा। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि पालिसी मैटर पर आप ओपन सोर्स सोफ्टवेयर को बढ़ावा दे रहे हैं या प्रोपराइटरी सोफ्टवेयर को दे रहे हैं? जो हम सोफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं आई टी इनेबल करने के लिये भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट...

श्री अध्यक्ष: यह आई टी का प्रश्न नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आई टी का ही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, साइंस एण्ड टेक्नोलोजी का है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, उसी में आयेगा, सोफ्टवेयर उसी में ही आयेगा; आदरणीय, साइंस में ही आयेगा।

श्री अध्यक्ष: साइंस एण्ड टेक्नोलोजी विभाग अलग है, इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी विभाग अलग है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप ही देंगे ना उसका? सोफ्टवेयर और आई टी का आप ही देंगे या कोई और देगा?

श्री अध्यक्ष: और देंगे, इनका विषय नहीं है। श्री टीकाराम जूली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, दो छोटे-छोटे सवाल और हैं मेरे।

श्री अध्यक्ष: ऐसे तो पूरा क्वेश्चन आवर चला जायेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बड़ी मुश्किल से हमारे सवाल लाटरी में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, दो मिनट, दो सप्लीमेंटरीज हैं मेरी।

अध्यक्ष महोदय, एक तो प्रगति प्रतिवेदन में यह बताया कि 2012-13 में समुदाय द्वारा संचालित रिवर्स ओस्मोसिस तकनीक पर आधारित 50 संयंत्रों की स्थापना चूरू, झुन्झुनूं, नागौर, सीकर, पाली, सवाई माधोपुर, जोधपुर जिलों के चिह्नित गांवों में की जायेगी, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कितनी जगह इन संयंत्रों की स्थापना हो गयी? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, योजना के विस्तार हेतु राज्य के 250 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आर ओ टी की स्थापना की जा रही है, स्थापना कितनी हुई? मेरे ये दो सप्लीमेंटरी बता दें।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.ओ. प्लांट हमने, माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के अनुसार 50 संयंत्र लगाने का निर्णय सरकार ने लिया और हमने 50 जगह चिह्नित कर ली हैं और वे जगह, चिह्नित के स्थान भी तय कर लिये गये हैं और सूची व्यक्तिगत, क्योंकि 50 के नाम पढ़कर बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन नागौर, झुन्झुनूं, सवाई माधोपुर, कई जिले ऐसे हैं जिनको हमने उसमें शामिल किया है, जहां पर फ्लोराइड ज्यादा है।

इसके अलावा, माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल पूछा है एस आई टी और आर ओ टी के बारे में, तो हमारा लक्ष्य है, जो राजीव गांधी विज्ञान

(डा. राजकुमार शर्मा)

क्लब हमने स्थापित किये हैं 10 हजार पूरे राजस्थान में, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों स्कूलें शामिल हैं, वहां तक हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान के अन्दर सभी तहसीलों को और सभी जिला परिषद, सभी जिला हैडक्वार्टर्स को हमने जोड़ दिया है, जिसमें चित्तौड़गढ़, जोधपुर और एक जगह और है, तीन जगह हमारी जो एस आई टी है, वह खराब पड़ी है, वह संचालित नहीं है, लेकिन बाकी पूरे जिलों के अन्दर और सब जगह संचालित है।

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्री टीकाराम जूली।

अलवर ग्रामीण के जनता जल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/अपूर्ण कार्य

399. श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में वर्ष 2012-13 तक कुल कितने सिंगल फेज/बोरिंग/हैण्डपम्प व जल योजना में कार्य स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों के कार्यादेश जारी होने शेष हैं तथा उक्त आदेश जारी नहीं होने के क्या कारण रहे? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से जनवरी, 2013 तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं? तथा अपूर्ण कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे?

जल संसाधन मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाये रखने के लिये उल्लिखित अवधि में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप काहे पर बोल रहे हैं? आप किसका जवाब दे रहे हैं?

डा. जितेन्द्र सिंह (जल संसाधन मंत्री): यह नम्बर 4, अलवर।

श्री अध्यक्ष: ग्रामीण जनता जल वाला?

डा. जितेन्द्र सिंह (जल संसाधन मंत्री): यस, सर, वही वाला।

श्री अध्यक्ष: यह तो पंचायती राज मंत्री से पूछ रखा है इन्होंने।

डा. जितेन्द्र सिंह (जल संसाधन मंत्री): It has been transferred to me, sir.

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

जल संसाधन मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाये रखने के लिये उल्लिखित अवधि में 508 सिंगल फेज नलकूप, 23 थ्री फेज नलकूप, 555 हैण्डपम्प एवं 58 जल योजनाएं, इस प्रकार पेयजल सम्बन्धी कुल 1,144 कार्यों की स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार जारी की गईं। पेयजल सम्बन्धी उक्त स्वीकृत कार्यों/योजनाओं के सम्बन्ध में वांछित विस्तृत सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से क्रमश: 171 सिंगल फेज नलकूप एवं 5 पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी करना शेष है। उक्त वर्णित अधिकांश कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह दिसम्बर, 2012 में जारी हुई है। उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं, जो इसी माह में प्राप्त की जायेंगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त इन कार्यों हेतु कार्यादेश माह अप्रैल, 2013 में जारी किया जावेगा।

(3) उक्त स्वीकृत 1,144 कार्यों/योजनाओं में से 855 कार्य/योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। शेष कार्यों/योजनाओं को संलग्न परिशिष्ट-अ में उल्लेखित अवधि तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो 1,144 कार्य योजनाएं स्वीकृत थीं, अभी उनमें से 855 ही पूर्ण हुई हैं। यह आपने जो टाइम दिया है, उसके आधार पर अगर आप पूरी करायेंगे तो आने वाले बजट में हमारे जो प्रपोजल हैं, वे कब तक स्वीकृत होंगे?

नम्बर दो, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े कस्बे हैं, एक बहादरपुर है जो कि उप तहसील है, दूसरा मालाखेड़ा है जो अब तहसील बन गया है, इन दोनों में आप योजना बनाकर, क्योंकि बड़े कस्बे हैं, ग्राम पंचायत इनको संचालित करने में सक्षम नहीं हैं, पी एच ई डी अपने खुद के द्वारा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अलवर रूरल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्वेरीज की हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, आउट आफ 1,144, टोटल वर्क्स थे, उनमें से 855 का कार्य कम्प्लीट हो गया है; जो इन्कम्प्लीट वर्क्स हैं, अण्डर-प्रोग्रेस वर्क्स 289 हैं। मैं उनको बाइफरकेट करता हूं, उनमें से 113 का वर्क आर्डर दिया जा चुका है, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि it will be completed by April, 2013, ये 113 कार्य, बचे हुए 176 कार्यों का वर्क आर्डर अप्रैल में जारी कर दिया जायेगा और it will be completed by July, 2013.

माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर रूरल से आने वाले माननीय सदस्य के दो बड़े-बड़े गांव हैं, जिनमें से एक तो टाउन है मालाखेड़ा, मैं बताना चाहूंगा कि वहां की 2001 की पापुलेशन 9,500 थी, now it is 12000, वहां आलरैडी एक पाइप स्कीम चल रही है जिसमें एस आर है, जी एल आर है और आलरैडी 1,198 कनेक्शंस डिस्ट्रिब्यूटेड हैं। इसके बावजूद भी, उस गांव की जो पापुलेशन बढ़ गयी, वह एक चैलेंज हो गया। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने अलग से मालाखेड़ा की दो करोड़ रुपये की योजना बना ली है जिसको स्वीकृत करके तुरन्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

दूसरा बहादरपुर, इनके विधान सभा क्षेत्र का दूसरा बड़ा टाउन है। उसके दो अलग-अलग हिस्से हैं, बहादरपुर कानूगो। बहादुरपुर कानूगो में एक कटला मीरान भी है, इसमें 116 लाख रुपये का प्रोजेक्ट 2009 में अप्रूव्ड करके हमने प्रारम्भ कर दिया and it will be completed, यह पैसा स्वीकृत है and it will completed by October, 2013.

मैं आपको बताना चाहूंगा, नम्बर 2 जो आपने बताया, उसी का स्पलिट, बहादुर जोड़िया पट्टी में आलरैडी 30.45 लाख रुपये का वर्क अण्डर-प्रोग्रेस है and it will be completed by May, 2013.

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: आपसे सम्बन्धित है, अलवर ग्रामीण से सम्बन्धित है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अलवर का ही है, साहब। केवल एक।

श्री अध्यक्ष: अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र तक सीमित है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): बहुत महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न है, एक की अनुमति दे दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं दे पायेंगे मंत्रीजी। ठीक है, सम्भव हो तो जवाब देना, नहीं तो नहीं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): हां, यह ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में किशनगढ़ बास, बम्बोरा, किशनगढ़, घासोली...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किशनगढ़ बास से सम्बन्धित, इनके पास अभी तत्काल उत्तर सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जल योजना जो आप स्वीकृत करते हैं, ग्रेवल सड़क या सी सी रोड, जिनको ये खोद देते हैं पाइप डालने के लिए, उसको ठीक करने या रिपेयर की जिम्मेदारी पी एच ई डी या अन्य विभाग की है? क्या प्रोविजन है?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा I would like to explain, Sir, आपके विधान सभा क्षेत्र में 25 स्कीम्स आलरैडी एग्जिस्टिंग हैं, 36 पी एम टी स्कीम्स हैं और रीजनल प्रोजेक्ट्स चार हैं तथा हैण्डपम्प्स 161 हैं; टोटल 221 गांव हैं, करीब-करीब सारा कम्प्लीटेड है। हमारे ये प्रोजेक्ट्स पानी के सक्सेसफुल हैं। किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे, यह बड़ा चैलेंज है, हमारे विभाग और पी डब्ल्यू डी को मिलकर पूर्ण करना पड़ेगा। यदि किसी सड़क पर हम लाइन डालते हैं, it will take a lot of time but we will do it.

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब पूरा नहीं आया था। माननीय मंत्रीजी, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो योजनाएं हम मालाखेड़ा और बहादरपुर की बना रहे हैं, उन योजनाओं के संधारण के लिए ग्राम पंचायतें सक्षम नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि उन दोनों योजनाओं का पी एच ई डी ही संधारण करे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारी रीजनल स्कीम्स होती हैं, वे हमारा डिपार्टमेंट ही संधारित करता है, इसका पेमेन्ट एण्ड मेंटीनेंस, सारा काम हमारा महकमा करेगा। उसके लिए आप चिन्तित नहीं हों।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक पींचा।

सरदारशहर खण्ड कार्यालय के अधीन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

400. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर खण्ड कार्यालय के अधीन आने वाला राज्य राजमार्ग नम्बर 6 पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार इसके पुनर्निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राज्य उच्च मार्ग के लिए गत छह वर्षों में कब-कब, कितना-कितना बजट आबंटित किया गया एवं उसमें से कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जी नहीं। सरदारशहर खण्ड कार्यालय के अधीन आने वाला राज्य राजमार्ग संख्या 6 की लम्बाई 110 किलोमीटर में से 40.750 किलोमीटर लम्बाई संतोषजनक स्थिति में है व क्षतिग्रस्त लम्बाई में से 55.25 किलोमीटर राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत है। शेष 14.00 किलोमीटर लम्बाई में पेच मरम्मत कार्य प्रगतिरत है। इसमें नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) उक्त राज्य राजमार्ग के लिए गत छह वर्षों में बजट आबंटन व व्यय का विवरण निम्न है:-

वर्ष	**योजना**	**बजट आबंटन (रु. लाख)**	**व्यय राशि (रु. लाख)**
2006-07	केन्द्रीय सड़क निधि	34.20	34.20
2007-08	केन्द्रीय सड़क निधि	305.00	305.00
2008-09	केन्द्रीय सड़क निधि	130.80	130.80
2009-10	केन्द्रीय सड़क निधि	142.20	142.20
2009-10	राज्य सड़क निधि	8.77	8.77
2009-10	स्टेट प्लान	313.30	313.30

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

वर्ष	योजना	बजट आबंटन (रु. लाख)	व्यय राशि (रु. लाख)
2010-11	राज्य सड़क निधि	3.73	3.73
2010-11	स्टेट प्लान	29.42	29.42
2011-12	स्टेट प्लान	20.21	20.21

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस उप-खण्ड में सरदारशहर और तारानगर, दो विधान सभा क्षेत्र आते हैं, 110 किलोमीटर यह सड़क है, उसमें से 69 किलोमीटर सड़क आज भी ये खराब मान रहे हैं। उससे ऐसा मालूम पड़ता है इस स्टेट हाईवे की स्थिति क्या है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में इस सड़क को बी ओ टी से बनाने की यहां घोषणा की थी, उसको वापस ले लिया गया है या नहीं? लिया गया है तो उसके पीछे कारण क्या हैं?

वर्तमान में जो स्थिति बता रहे हैं कि 40.750 की स्थिति सही है, उस सड़क की हालत ऐसी है, पीछे का इसमें विवरण भी दिया हुआ है कि इस-इस समय इस रोड पर इतनी-इतनी राशि खर्च की गई। पिछले तीन सालों में मात्र 58 लाख के आसपास, पता नहीं, कितना रुपया खर्च किया गया है। उससे पहले लगातार 300, 130, 142 लाखों की स्वीकृति होकर यह राशि इस रोड पर लगी थी। तो क्या इतनी राशि में आप इस रोड को ठीक कर पाओगे? इस रोड की, पूरी की हालत ऐसी है, इतनी भयंकर स्थिति है कि आवागमन के साधन भी बन्द हो गये। हम लोगों को भी कच्चे रास्ते से या ग्रामीण सड़क जो है, एप्रोच रोड, उस रास्ते से तारानगर या राजगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली की रोड पर जाना पड़ता है। यह बीकानेर-दिल्ली हाइवे को जोड़ता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप और राशि दें और इसका कारण बतायें कि इसको वापस क्यों लिया गया? इसके पीछे क्या कारण हैं? कितने और बजट आबंटन से इसकी स्थिति सुधारने की मंशा रखते हैं?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया, इस 40 किलोमीटर सड़क की स्थिति बिलकुल सही है और इनके उप-खण्ड में 110 किलोमीटर

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

लम्बाई है, उसमें 55.25 किलोमीटर सड़क जो खराब है उसके लिए राशि आबंटित हो चुकी है, कार्य आदेश दिये जा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये, जवाब सुनें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसकी निर्धारित अवधि जो है, नवम्बर तक इस कार्य को पूरा कर दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल बी.ओ.टी. में इसकी घोषणा की थी, यह सही है कि इसकी घोषणा की थी और इस सड़क का पिछले सितम्बर में मैंने जाकर अवलोकन किया था। इसमें जो आवेदन आये थे, जो वी.जी.एफ. सरकार को देना था, उससे ज्यादा राशि के लोगों ने टेण्डर दिये थे और सिंगल टेण्डर आये थे। यह राज हित में नहीं था कि इसको, क्योंकि बी.ओ.टी. रोड थी, लोगों को टोल देना पड़ता, सड़क का मैंने स्वयं अवलोकन किया था और यह महसूस किया कि जितनी राशि हम ठेकेदार को ठीक करके लोगों को टैक्स लगाने पर देंगे, उसके बजाय उस राशि का उपयोग सड़क को ठीक करें ताकि लोगों को टैक्स नहीं देना पड़े और सड़क सही हो जाए। इस दृष्टि से इस राशि का उपयोग करने के लिए हमने, इसको बी.ओ.टी. के होने के बाद भी मैंने जन हित के अन्दर इस सड़क को ठीक कराने का निर्णय लिया।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि कार्य स्वीकृत होंगे, सड़क ठीक होगी। यह महत्वपूर्ण सड़क है, चार विधान सभा क्षेत्रों से क्योंकि यह सड़क निकलती है, दिल्ली को जोड़ती है, निश्चित रूप से इसको सही हालत में करके हम देंगे। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलाराम।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बीकानेर-दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है, यह सही कह रहे हैं मंत्रीजी, यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि बीकानेर-दिल्ली को जोड़ने वाली है, जो गाड़ियां हैं वे भी झुन्झुनूं होकर जयपुर हाइवे पकड़ कर जाती हैं।

इसमें मेरा यह निवेदन है कि मेरे यहां डूंगरगढ़-सरदारशहर 74 से 83, 9 किलोमीटर; 88 से 90, 2 किलोमीटर; 90 से 97, सात किलोमीटर; 97 से 100 यह तीन किलोमीटर; यह कुल 21 किलोमीटर सड़क की स्थिति खराब

(श्री मंगलाराम गोदारा)

है। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड को आप इसी बजट में ठीक करायें, क्योंकि पहले बी.ओ.टी. में ली थी इसलिए इसका काम नहीं हुआ। बीच में टेण्डर हुआ था, उसमें सिंगल टेण्डर आया था और मंत्रीजी वहां गये थे। तो यह अच्छा किया कि यह सड़क बी.ओ.टी. में नहीं ली क्योंकि बी.ओ.टी. में लेने से जनता का पैसा लगता और पैसे भी बहुत ज्यादा थे। मैं इसके लिए तो मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अच्छा काम किया, बाकी मेरा निवेदन है कि यह 21 किलोमीटर सड़क भी इसके साथ लेकर काम करवाएं।

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंहजी।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नकारा/अनुपयोगी निर्माण सामग्री

401. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में काम आने वाला करोड़ों रुपये का सामान श्रीगंगानगर से जैसलमेर तक सड़क किनारे लावारिस अवस्था में पड़े होने का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार द्वारा करोड़ों रुपये मूल्य के सामान को लावारिस अवस्था में पड़े रखने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का नाकारा, अधिशेष सामान परियोजना के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में चौकीदारों की निगरानी में है।

(2) प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जिस सामान का और जिन मशीनों का हम जिक्र कर रहे हैं, यह मशीन इन्दिरा गांधी कैनाल के निर्माण हेतु क्रय की हुई, राजस्थान की सरकार के पैसे से क्रय किया हुआ यह सामान है?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण को पूर्ण हुए दस वर्ष से ज्यादा हो गये हैं और सामान आज भी डिस्पोज नहीं किया हुआ है?

क्या यह सही है कि छतरगढ़, अनूपगढ़, बीकमपुर, रायसिंहनगर, नाचना, मोहनगढ़, पूंगल बांध, फलौदी, बाप में गजनेर लिफ्ट, पोकरण लिफ्ट पर आज भी सामान पड़ा हुआ है?

क्या यह भी सही है कि सामान में पाइप, मोटर पम्प, जीप, ट्रक, मिक्सिंग प्लांट, सीमेंट मिक्सिंग प्लांट, लकड़ियां, पाइपलाइनें सात से आठ वर्षों से खुले में, ओपन वेयरहाउस में पड़ी हैं? अगर पड़ी हुई हैं तो मुझे यह बताइये कि आपके विभाग में इसकी बुक वेल्यू कितनी है? इसकी क्रय वेल्यू कितनी थी और आज की तारीख में बुक वेल्यू कितनी है?

इसमें से कितना सामान आपने दूसरे विभाग को दिया? अगर दूसरे विभाग को दिया तो इन्वेंटरी स्टाक के अन्दर वह दर्ज हुआ या नहीं हुआ? इन्वेंटरी स्टाक में अगर दर्ज हुआ तो जिस कनिष्ठ अभियंता के अधीनस्थ भिन्न-भिन्न जगह यह सारा सामान पड़ा हुआ है, उन कनिष्ठ अभियंताओं के इन्वेंटरी स्टाक में वह डिलीट हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो जिन अभियंताओं का रिटायरमेंट हो गया, आपने कहा कि हमने विरुद्ध कार्यवाही नहीं की, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, उनसे आपने रिकवरी के नोटिस दिये हैं, तो क्या यह विरुद्ध कार्यवाही है या वे कार्यवाही में नहीं आते?

पहले तो आप इनका जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: और भी बाकी हैं क्या? और भी बाकी हैं अभी?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): बाकी तो हैं। इन्होंने तो हर चीज का ना कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: चौकीदारों की संख्या पूछो, चौकीदार कितने हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, और जवाब आयेगा, वे जब तक सप्लीमेंटरीज पूछेंगे तब तक तो रिटायर होने की एज आ जायेगी इनकी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, निश्चित रूप से यह सामान नहर के निर्माण के समय क्रय किया गया और उसके बाद भी क्रय किया गया। मैं इस बात को कोंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं।

जो सामान आपने बताया है, नट-बोल्ट से लेकर और मशीनरी तक है, वह भी सामान है पर हमने पिछले चार साल में जो सामान नीलाम किया है, उसका विवरण मैं आपको बता देता हूं। 2009-10 में 819.17 लाख की बुक वेल्यू के सामान को हमने नीलाम किया और उसके पेटे हमको 501 लाख रुपये प्राप्त हुए। 2010-11 में 370.27 लाख रुपये की बुक वेल्यू के सामान को नीलाम किया और इससे 172.52 लाख रुपये प्राप्त हुए। 2011-12 में 177.24 कीमत का, बुक वेल्यू का सामान नीलाम किया और 125.48 लाख रुपये हम को प्राप्त हुए। 2012-13 में, आज फरवरी तक, हमने 96.40 लाख बुक वेल्यू के सामान को नीलाम किया और उसके पेटे हमको 93.89 लाख रुपये प्राप्त हुए। इस तरह से कुल 1463.8 लाख की बुक वेल्यू के सामान को हमने नीलाम किया जिसके विरुद्ध हमको 892.89 लाख रुपये प्राप्त हुए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, राधेश्यामजी, आप विराज जाएं। मैं इसको जहां लेकर जाना चाहता हूं, क्या यह सही है कि इस पूरे सामान के क्रय की राशि 20 करोड़ से ऊपर की थी? अब मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, आपकी बुक वेल्यू इसे 10 करोड़ से कम नहीं आक रही। आप यह कहते हैं कि सामान सुरक्षित है, आप मुझे यह बताइये कि जिस जीप का, आप कहोगे तो मैं जीप का नम्बर भी दे दूंगा, एक नहीं, दो या तीन जीपों के नम्बर दे दूंगा, डिफरेन्शल और चेसिस तक गायब हो जाए, वह जीप आप कबाड़ में मानते हो? या चोरी हो गया, उसको मानते हो?

जिन-जिन पाइपों का आप इस्तेमाल कर रहे थे, यह आपने स्वयं ने 2011 में मुझे लिखित उत्तर में दिया है, 'हमने कुछ पाइप पी.एच.ई.डी. को ट्रांसफर कर दिये', तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि पी.एच.ई.डी. के इन्वेंटरी में स्टाक के अन्दर उसकी वेल्यू लेकर, आपके इसमें तो पी.एच.ई.डी. को ट्रांसफर किया हुआ कोई माल का आपने हवाला नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: वह हवाला तो पिछली बार आपको दे दिया था।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वह नहीं दिया है, सर।

अगर ट्रांसफर किया है तो इनके यहां स्टाक इन्वेंटरी के अन्दर वह वैल्यू इनके यहां तो एड होगी और वह ट्रांसफर, पी.एच.ई.डी. के स्टाक इन्वेंटरी के अन्दर डेबिट होगी।

आदरणीय, अगर आप चाहें तो मेरे पास में फोटोग्राफ्स हैं, आप देखिये कि क्या हालत है इन पाइपों की। पाइप तो पड़ा हुआ है लेकिन इन जीपों का चेसिस और डिफरेन्शल तक गायब है। आपको मैं बता दूं, आर.जे.एस. 7344, इस जीप के बारे में पता करिये, इस जीप का हुआ क्या? इसकी सीट तो सुरक्षित है, इसके डिफरेन्शल और रिम गायब हैं। अब या तो कबाड़ होता तो पहले तो कपड़ा होता, उसके बाद में लोहा होता। इसके बाद पम्प सेट्स हैं, पम्प सेट्स में आप लोगों ने जो हश्र किया है।

दूसरी आपकी आर.जे.एस. 8212 है, इस जीप का पूरा का पूरा पिछला हिस्सा गायब है, आगे का वह खोखा खड़ा है। अब आप इसको वेयरहाउस की इन्वेंटरी के अन्दर सुरक्षित बतायेंगे? या आप यह कहेंगे कि माल कोई ले जाए, हमारे पास में तो खोखा पड़ा है? तो कल को रजिस्ट्रेशन बता देना कि यह रजिस्ट्रेशन सुरक्षित है, बाकी चीजें कहां गयीं, हमें क्या मालूम। और यह आपका काम में आने वाला सामान है। आप इस कैनाल को जैसलमेर, बाड़मेर तक ले जा रहे हैं।

मैं दूसरी बात निवेदन करता हूं, इस कैनाल पर आपके पन बिजली घर भी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पी.ए.सी. की आडिट टीम गयी थी मौके पर, आपके जे.ईएन. आपको बार-बार लिख रहे हैं कि आप इन सामानों की नीलामी करिये अन्यथा यह सामान सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपने कम से कम रेलवे का तो वह नियम देखा होता कि जब वे रेलवे लाइन डालते हैं और जब कम्प्लीट हो जाती है तो दो महीने के भीतर-भीतर या तो उस सामान को नीलाम कर देते हैं या अपने सेंट्रल वेयरहाउस में ट्रांसफर कर देते हैं।

पन्द्रह-पन्द्रह साल से, बीस-बीस करोड़ की लागत का सामान सड़क पर बिखरा पड़ा रहे, ऐसा नहीं लगता कि जनता की खरी कमाई का पैसा आपने सड़क पर बिखेर कर छोड़ दिया हो? जितनी बिल्डिंगें आपकी खड़ी हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उनकी खिड़कियां, दरवाजे तक लोग ले गये हैं। आपने वहां और कुछ नहीं, तो रेगिस्तान के अन्दर पूरा कबाड़ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्षजी, कितना सामान चोरी हुआ है, कितनी एफ आई आर दर्ज कीं, इनके चौकीदार कितने हैं, इनको यह तो पता ही होगा। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सामान के साथ-साथ वहां की जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी कार्यालय हैं ...(व्यवधान) आवासीय कालोनी हैं, वे भी जर्जर हालात में हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि बुक वेल्यू चौदह करोड़ ही बताई है, बुक वेल्यू इस सामान की 19 करोड़ 30 लाख है, हमारे पास 504.22 लाख का सामान और है....

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 504.22 लाख तो पांच करोड़ ही हुआ, आदरणीय।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): उसके अलावा है, जो कर दिया चौदह करोड़ का ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माफ करना, मैं गलती से खड़ा हुआ, मेरे को ध्यान नहीं रहा।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): मेरा निवेदन तो सुन लें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): छह गुना रेट बढ़ गया है सामान का। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): लोहे का सामान और स्टील का ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): करोड़ों रुपये का सामान चोरी हो गया। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इनके पास चौकीदार ही नहीं है ...(व्यवधान) माल पूरा का पूरा लावारिस पड़ा है। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप यह बता दीजिए कि ये एफ आई आर कितनी दर्ज हुई हैं? (व्यवधान) यह तो मानते हैं ना कि चोरी हुई है?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) जवाब आने दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सामान की सही कीमत कोई बता सकता है तो राधेश्यामजी बता सकते हैं, कबाड़ी का धंधा करते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, धारीवालजी जो फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट का, पब्लिक का जो पैसा है, वेस्ट हुआ है। (व्यवधान) मैं कौनसा काम करता हूं, यह आपको पूरी तरह मालूम है। (व्यवधान) वही करता हूं, जो आप करते हो।

श्री पेमाराम (धोद): कितने चौकीदार हैं आपके पास, अभी जवाब दें जिनके भरोसे आपने सामान छोड़ दिया।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): जो सामान बचा हुआ है पांच करोड़ आठ लाख का...

श्री अध्यक्ष: जीपों का भी बता दें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): इसको हम जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, उसमें सारे को डिस्पोज-आफ करवा देंगे।

माननीय सदस्य ने जो जीप के प्रकरण का मुझे और हाउस को बताया है, मुझे लिख दें, मैं उसकी जांच करा दूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपको नहीं लिखूंगा। आपके कनिष्ठ अधिकारी ने आपके अधिशासी अभियन्ता को सितम्बर और जून, 2012 में इनके बारे में उल्लेख किया है और अगले व्यक्ति ने एक बार नहीं किया है, बारह बार किया है। पी ए सी के चेयरमैन जब प्रैक्टिकल आडिट, साइट आडिट पर गये थे, तब भी यह चीज आयी थी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आप पर आरोप नहीं है, you are a Minister responsible to answer here, बात यह है कि आज रैक रेट स्टील की टेन टाइम्स बढ़ गयी है, बीस करोड़ की लागत वाले माल की कीमत 200 करोड़ से ऊपर हो गयी है। आप 5.5 करोड़ में क्यों नीलाम कर रहे हो? कम से कम इसका उपयोग करो और सारे पाइप जो पड़े हैं, वे पी एच ई डी को ट्रांसफर करो। यह कम से कम पानी तो पिलायेंगे उससे।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): अध्यक्ष महोदय, हमने पी एच ई डी को सौ किलोमीटर पाइपलाइन ट्रांसफर कर दी और अगर पी एच ई डी लेना चाहेगी...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उनको सारी दे दीजिए, ये पानी पिलाएंगे लोगों को।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): सुनो तो सही। जितने पाइप हमारे पास हैं पी एच ई डी को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कृषि प्रयोगशाला में रिक्त पद

402. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कृषि से जुड़ी सुविधाओं के अन्तर्गत किसानों को उनकी जमीन की मिट्टी/पानी, आदि की जांच करने हेतु एक परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है? यदि हां, तो उक्त प्रयोगशाला कब स्थापित की गई तथा इसके उद्देश्य क्या हैं?

(2) उक्त प्रयोगशाला में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रयोगशाला में बढ़ते नमूनों की संख्या और नमूनों की जांच समय पर करवाने की दृष्टि से प्रयोगशाला में कार्मिकों की बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): (1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वर्ष 2005-06 में स्थापित की गई। इसके मुख्य उद्देश्य; कृषकों के खेतों से प्राप्त होने वाले मिट्टी/पानी के नमूनों की जांच कर फसलों हेतु संतुलित खाद एवं उर्वरक उपयोग की सिफारिश देना, लवणीय व क्षारीय समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर भूमि सुधार हेतु सिफारिश करना एवं भू-उर्वरता स्तर के मानचित्र तैयार करना हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष: आप व्यवधान नहीं करेंगे तो सुनेंगे, व्यवधान करेंगे तो नहीं सुन पायेंगे। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। समाप्त हो जाएगा अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप सुन पा रहे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: हां, मैं सुन रहा हूं, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सुन पा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप सुनने देंगे तब ना।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): (2) इस प्रयोगशाला में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) का एक पद एवं सहायक कर्मचारी का एक पद स्वीकृत है। सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) का पद दिनांक 1.3.2011 से रिक्त है। प्रयोगशाला का कार्य ग्राह्य परीक्षण केन्द्र, हनुमानगढ़ पर इसी विषय के पदस्थापित सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) द्वारा किया जा रहा है।

(3) जी हां। प्रयोगशालाओं में स्टाफ के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013-14 में 171 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी स्थितप्रज्ञ हैं। वे जो बोल रहे हैं, हमको नहीं सुन रहा है और हम जो बोल रहे हैं, उनको नहीं सुन रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह तो विधि की विडम्बना है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने सुना और समझने की कोशिश की, उसके अनुसार हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर प्रयोगशाला और कृषि विभाग कार्यालय में कृषि उप निदेशक का एक पद खाली है। कृषि से सम्बन्धित अधिकांश पद खाली हैं। जैसे कि सहायक निदेशक के तीन में से दो, कृषि अधिकारी के छब्बीस में से चौदह, कृषि अन्वेषक के दोनों पद खाली हैं। अगर कोई भरे हुए पद की मंत्रीजी ने कोई बात की हो तो वह मुझे सुनाई नहीं दिया।

इसलिए मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है, क्या आप इन रिक्त पदों को हनुमानगढ़ में मुख्यालय पर और प्रयोगशाला में जल्द से जल्द भरेंगे जिससे कि किसानों को जो अपनी मिट्टी, पानी की जांच कराने के लिए, आपसे राय लेने के लिए, आपके विभाग की सहायता लेने के लिए आते हैं, उनको सहूलियत मिल सके?

दूसरा पाइन्टेड क्वेश्चन यह है कि विगत एक वर्ष में आपके पास कितने मिट्टी और पानी के नमूने आएं, किस-किस प्रकार के आएं और आए हुए काश्तकारों को आपके विभाग द्वारा क्या राय दी गयी, उनका क्या लाभ हुआ? इन दो प्रश्नों का आप जवाब दे दें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह सरकार तो केवल मंत्रियों के पद भरती है, सरकारी कर्मचारियों के सब पद खाली हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य ने पूछा है, उसमें मैंने बताया कि केवल एक पद 2011 से खाली है, उसमें दूसरा अधिकारी उसी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अभी जो मैंने बताया, इस साल में 171 पद जो स्वीकृत कर रहे हैं, हनुमानगढ़ प्रयोगशाला में कृषि अनुसंधान अधिकारी का एक पद, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-एक पद, प्रयोशाला सहायक–एक पद; पहले दो पद स्वीकृत हैं, तीन पद और स्वीकृत कर दिये।

जैसा कि आपने पूछा, नमूनों की संख्या 2007-08 में, 2008-09 में 12,737, 2009-10 में 11,175, 2010-11 में 12,325, 2011-12 में 17,233, जनवरी 2013 तक 9,352...

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मंत्रीजी, ये जो नमूने आपके पास आएं, इन नमूनों में से कितने, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि विभाग ने इन नमूनों की जांच के बाद रिजल्ट क्या पाया? और कितने काश्तकारों को आपके विभाग द्वारा यह सिफारिश की गयी कि यह मिट्टी उपयुक्त है कि नहीं है, एन पी के की वेल्यू कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है, लवणीय, क्षारियता समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कितनी है? मैं यह जानना चाहता हूं, बस, नमूनों के बाद।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): वर्ष 2007-08 में 11,145 काश्तकारों को कार्ड बांटे गये, 2008-09 में 12,369, 2009-10 में 10,975, 2010-11 में 11,036, 2011-12 में 9,518, जनवरी 2013 तक 9,255 कार्ड बांटे गये। उन कार्डों के द्वारा...

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): मंत्रीजी मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि रिकमण्डेशन कितनी थी, जमीन की सिफारिश कितनी थी कि जमीन की मिट्टी उपयुक्त है कि नहीं? नमूने नहीं, सिफारिश।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): क्या?

(12.00 बजे)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): रिकमण्डेशन, सिफारिश कितनी की इन काश्तकारों की कि किसकी मिट्टी जमीन की खेती हेतु कितनी उपयुक्त है?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): बता दिया ना आपको। यह तो बता दिया, और क्या पूछ रहे हो ?

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। प्रश्न काल समाप्त। (व्यवधान) देखिये,

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, इसमें आप लोग बीच में नहीं पड़ें। सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक उम्र के, दोनों के बीच की चर्चा थी। (व्यवधान) कृपया शांति रखें।

अनुपस्थिति अनुमति

मलखान सिंह, श्री, सदस्य को 21 फरवरी, 2013 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री मलखान सिंह ने न्यायिक अभिरक्षा में होने के फलस्वरूप दिनांक 21 फरवरी, 2013 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अनुमति नहीं दें तो क्या हो, अध्यक्ष महोदय? अगर सदन अनुमति नहीं दे तो क्या हो?

श्री अध्यक्ष: यह परम्पराएं मत डालिये आप।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी। दिनांक 21 मार्च को अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती अनिता भदेल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में दौराई बाइपास पर आर ओ बी निर्माण की स्वीकृति नहीं होने से नागरिकों के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य की ओर से वागड़ मेवाड़ पुजारी सेवक समाज, बांवाड़ा-डूंगरपुर-उदयपुर की देव मूर्ति के साथ पुजारी का नाम पुन: जोड़कर काश्तकारी लाभ नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से तहसील बहरोड़ के ग्राम गूंती की कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी हक नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री बंशीधर खण्डेला एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर, विशेषकर ग्राम रेला, कोटड़ी एवं लुहारवास में निरन्तर हो रहे अवैध खनन से आमजन को जान-माल का खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

5. श्री अशोक डोगरा एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से बूंदी का लतारिया बांध (गरड़दा) निर्माण के एक माह पश्चात् ही टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के जिलों में आमजन, विशेषकर महिलाओं पर पुलिस अधिकारियों द्वारा किये जा रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल में कार्मिकों के कथित ऐतिहासिक स्थानान्तरण करने के उपरान्त 70 प्रतिशत स्थानान्तरण भ्रष्टाचार कर निरस्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर की पंचायत समिति धोद के बी ई ओ द्वारा सेवानिवृत्त अध्यापक का वेतन उठाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के कस्बा हलैना में पीने के पानी की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री रामहेत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से कोटकासिम कस्बे को नगरपालिका घोषित नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

11. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही की जिला एवं शहर की वर्तमान वक्फ कमेटियों को कलक्टर द्वारा भंग करने की सिफारिश राज्य सरकार को करने के उपरान्त भी भंग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय को तहसील का दर्जा देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

13. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से लाखों किसानों एवं उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत कम्पनियों की मनमानी से जनता में आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त बैंक खाते सीज कर देने से बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

15. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर के थाना हलैना में एक फरियादी किशोर योगी की पुलिस पिटाई से मौत होने तथा उसकी डैड बाडी भरतपुर मोर्चरी में आज तक पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

16. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में गेहूं को खरीदने एवं सुरक्षित रखने के लिये बारदाना व भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री फूलचन्द भिण्डा, श्री वासुदेव देवनानी, श्री अमराराम एवं श्री ओम बिरला को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अधिकांश बांधों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में वर्ष 2011 की जनसंख्या में एस आर निर्माण व उससे नल कनेक्शन के लिये न्यूनतम जनसंख्या शर्त 4,000 होने के बावजूद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ऐसे गांवों में एस आर निर्माण पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री सूरजभान धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ की क्षतिग्रस्त कतिपय सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में।

4. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से हरमाड़ा-चौमूं के बीच ग्राम टाटियावास में प्रस्तावित टोल टैक्स को निरस्त कर जे डी ए सीमा से बाहर बनाने के सम्बन्ध में।

5. श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से एन आर एच एम में संविदा पर कार्यरत 40 कार्मिकों की सेवाएं नियमित करने के सम्बन्ध में।

7. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से पंचायत मुख्यालयों को बस सुविधा से जोड़ने की घोषणा के उपरान्त भी परबतसर विधान सभा की कतिपय ग्राम पंचायतों को बस सुविधा से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से आदिवासी अंचल में स्थित मानगढ़ धाम के शहीदों के 235 आदिवासी परिवारों को बेदखल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री गोपाल मीणा, सदस्य की ओर से जमवारामगढ़ अभयारण्य ब्लाक, डिगोता-61 व रेन्ज रायसर को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री कमल बैरवा, सदस्य की ओर से निवाई में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करने के सम्बन्ध में।

11. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों में अकाल की स्थिति पैदा होने के सम्बन्ध में।

12. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से मकराना विधान सभा क्षेत्र में ए डी जे कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री फूलचन्द भिण्डा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विद्युत कम्पनियों की मनमानी से किसानों व उपभोक्ताओं में आक्रोश

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष जी, कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन कर 5 कम्पनीज बनायी गयी थीं और कम्पनीज का उद्देश्य यह था कि कार्य कुशलता से काम किया जायेगा, जनता को राहत दी जायेगी, घाटा खतम होगा लेकिन पिछले वर्षों में लगातार घाटा बढ़ रहा है। 4 वर्ष पूर्व 17 हजार तक घाटा पहुंचा था, अब वह 60 हजार

(12.06 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करोड़ को छूने की स्थिति में है। इतना ही नहीं, उदाहरण के तौर पर अजमेर डिस्काम अब तक 84 संस्थाओं से ऋण ले चुका है। पिछले वर्ष तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को रिजर्व बैंक के अधिकारियों को यह कहना पड़ा कि आप राजस्थान पर मेहरबानी करके किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण दिलाइये, ऐसी स्थिति बनी है।

कार्य कुशलता बढ़ने के स्थान पर घाटा बढ़ता रहा। कार्य कुशलता यहां तक आ गयी कि किसानों को पहले मांग जमा कराने के बाद 90 दिन में कृषि कनेक्शन दे दिया जाता था, आज उसका अता-पता नहीं है; 15-15 महीने तक कनेक्शन नहीं मिलता। ट्रांसफार्मर 72 घण्टे में मिल जाता था, अब कोई पता नहीं है; 15 दिन का भी पता नहीं है, 10 दिन का पता नहीं है, महीने का पता नहीं है। इस कारण से यह कार्य कुशलता इस प्रकार की हो गयी। 1993 से लेकर 2007 तक के कृषि कनेक्शन जो लम्बित थे, उनको वसुन्धरा राजेजी की सरकार ने पूरा किया लेकिन यह सरकार इन बिजली कम्पनीज के माध्यम से 2008 की जो पेंडेंसी थी, उसको भी पूरा नहीं कर पायी।

इतना ही नहीं, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल एक अभियान चला रखा है, किसानों को, गांव के उपभोक्ताओं को लूटने का, वी सी आर के नाम पर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से, जब भी किसान बिजली लेता है, उसको एक 'एल' फार्म देना होता है। एल फार्म में यह लिखा रहता है, कौनसी क्वालिटी की मोटर है; आई एस आई मार्का की है; कितनी एच पी की मोटर है; किस प्रकार के पाइप हैं; कितनी गहराई है। इतना होते हुए भी किसान कोई चेंज नहीं करता। वर्षों बाद

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

में बिजली बोर्ड की वी सी आर कम्पनी जाती है, कम्पनी मानता हूं मैं उसको, वसूली कम्पनी, वह जाती है और मशीन लगाकर कहती है, आपके तो 5 हार्स पावर की नहीं है मोटर, आपके तो 15 हार्स पावर की मोटर का लोड है; वह गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, मेरे तो वही मोटर है, जली नहीं, इसलिये छेड़ी नहीं। इसको नहीं मानते, 'एल' फार्म को नहीं मानते, आज की तारीख में जो लोड हमारी मशीन बता रही है, बिजली बोर्ड की मशीन बता रही है, उतना वसूल करेंगे और मनमाने तय करते हैं।

अब तो और ताज्जुब की बात है, हमारी सरकार एक नया नियम लायी है, सिविल लायबिलिटी और वह सोलह गुणा ज्यादा; जितना वी सी आर भरते हैं, उससे सोलह गुणा सिविल लायबिलिटी! आपके माध्यम से मैं सदन के सारे सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार का अत्याचार सिविल लायबिलिटी के नाम पर किसानों पर पिछले महीने शुरू हुआ है। यह हम सबको साफ कर देगा, हम कोई जवाब नहीं दे पायेंगे गांव में जाकर।

एक घरेलू महिला, जो विडो है, उसके मीटर लगा दिया, बी पी एल में थी वह; हम बड़े-बड़े वायदे करते हैं कि बी पी एल को हम नि:शुल्क दे रहे हैं; उस विधवा महिला के मीटर लगा दिया, कनेक्शन नहीं दिया और उसके अब वी सी आर भर दी गयी। वी सी आर भी कितनी भरी गयी, 7,900 की। एक कमरा है उसके। अगर उसने, मान लो, फर्जी जलाया भी होगा तो एक बल्ब जलाया होगा। उसकी वी सी आर भर दी और 4 दिन बाद जाकर मीटर उतार लाये। पहले मीटर लगाया था, अब उसको चोर ठहराने के लिये, बी पी एल की विधवा को चोर ठहराने के लिये मीटर उतार लिया गया। कितना बड़ा अन्याय है!

इतना ही नहीं, महाराज, आपके माध्यम से मैं...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, खड़े-खड़े बात नहीं करें; खड़े-खड़े बात नहीं, यहां विराजिये आप। आप ही से कह रहा हूं, बैठकर बात करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह उड़नदस्तों की जो स्थिति है, पैसे मांगते हैं। बी पी एल के नाम पर ट्रांसफार्मर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के रख दिया जाता है और उसके नाम से बिल आता है।

इतना ही नहीं, लाइन घट गयी, कनेक्शन किया नहीं और बिल आ रहा है! इतना ही नहीं, घरेलू ढाणियों में जब वी सी आर भरी जाती है, कूलर एक

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

नहीं, दो कूलर, दो फ्रीज, दो चक्की, दो हीटर, इस-इस प्रकार की बेइमानी करके बिजली बोर्ड बना रहा है और बिजली मंत्रीजी बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, सीकर जिले का एक केस है जिसमें बी पी एल के व्यक्ति की वी सी आर भरी गयी, उस वी सी आर में यह कहा गया कि अगर आपने वी सी आर के पैसे नहीं जमा कराये तो आपके खिलाफ पुलिस केस होगा। उस व्यक्ति ने डर के मारे पैसे जमा करा दिये। उसके बाद वह उपभोक्ता मंच में गया। उपभोक्ता मंच ने बिजली कंपनी से पूछा कि आप फोटो लाओ, यह व्यक्ति बी पी एल का व्यक्ति है, इसके कुआं नहीं है, इसके कुएं का कनेक्शन कहां से आ गया? वह फोटो नहीं लाये तो ब्याज सहित लौटाने की बात कही। वह डेढ़ महीने तक चक्कर लगाता रहा, उसको पैसे नहीं मिले। वह व्यक्ति सदन में आया, यहां रिक्वेस्ट की याचिका लगाकर के, अर्जेन्ट सदन की मीटिंग हुई और एस.ई. को सस्पेंड किया गया। वह गरीब आदमी कहां जायेगा? इस प्रकार की स्थिति है। याचिका लगाकर के दंडित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत हो गया, थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): संक्षेप नहीं, यह तो अन्याय है। आपका समर्थन चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको नहीं बोलना है क्या? (व्यवधान) आपको मौका नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): किसानों के साथ लूट हो रही है...(व्यवधान) किसानों के साथ लूट-खसोट हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका नहीं मिलेगा बोलने का। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक महिला का 65 हजार का बिल; बी पी एल महिला है, कहां से 65 हजार का बिल पे करेगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री वासुदेव देवनानी। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पूरी बात बोलने दीजिये उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री वासुदेव देवनानी का ही अंकित होगा केवल। (व्यवधान) केवल वासुदेव देवनानी। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वासुदेव देवनानी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना यह है कि यह जो मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, आपकी वी सी आर जिस ढंग से भरी जा रही हैं, अधिकारी जिस ढंग से भर रहे हैं, उसकी मोटर ही 5 की है, उसको चाहो तो बाहर निकालकर देख लो। उसके बाद उसका अधिक लोड दिखाकर के, जिस प्रकार से बिल उसके ऊपर थोपा जा रहा है, इस विषय को दिखवाना चाहिए। जिनको कनेक्शन ही नहीं हैं, उनको आपने बिल पकड़ा दिया और उसकी वी सी आर आप भर आये।

कम से कम कोई तो इस बात को देखे। न्याय तो करोगे कि नहीं करोगे? चाहे जिस तरह से बनाकर के, आप बिल पकड़ाकर आ जाओगे तो वह बिल भरेगा कैसे? उसका कमरा ही एक है, एक कमरा और एक किचन है बाहर, उसका बिल आपने 12 हजार का पकड़ा दिया। वह लायेगा कहां से?

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हो? हां, बोलिये, क्या कहना चाहते हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा आपको देखना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): 1 लाख 39 हजार की वी सी आर भरी है सीकर में घरेलू ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) हां, हां, बोलिये।

श्री पेमाराम (धोद): यह ठीक कह रहे हैं विपक्ष के नेता... (व्यवधान) इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। (व्यवधान) 1 लाख 39 हजार की घरेलू उपभोक्ता के वी सी आर भर दें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, जिस किसान के एक-एक बीघा जमीन है, उसके वी सी आर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, राव साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) केवल राव राजेन्द्र सिंहजी का अंकित होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई विशेष बात हो तो बतायें। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने सिविल लाइबिलिटी बिल से यह राइट दे दिया आपके फील्ड आफिसर्स को, मुझे आप यह बताइये कि आपकी ऐसी-ऐसी वी सी आर भरी हुई हैं, जहां साढ़े 11 हार्स पावर, 17 हार्स पावर, 22 हार्स पावर, इन हार्स पावर की मोटरों का तो निर्माण ही नहीं होता। उनकी पेनल्टी की रिकवरी आ रही है। उनको कम्पाउंड करना है। वे वहां जाते हैं, मीटर से आपका भार, उनको जो, मोटर का डिस्चार्ज वे देखते हैं। आप यह तो इंश्योर करिये, प्रोपर वोल्टेज आयेगा तो ही एम्पीयर वह कम लेगी; अगर प्रोपर वोल्टेज नहीं आया तो एम्पीयर ज्यादा लेगी। जिन हार्स पावर की मोटरों का निर्माण ही नहीं होता, अब 11 हार्स पावर की मोटर का निर्माण होता है क्या? 13 हार्स पावर की मोटर का कोई निर्माण होता है क्या? 17 हार्स पावर की मोटर का कोई निर्माण होता है क्या? 22 हार्स पावर की मोटर का कोई निर्माण होता है क्या? कम्पाउंड करके दस-दस गुणा उनको बिल पकड़ा देते हैं। अगर वह काश्तकार नहीं जमा कराये तो बिजली कट जाये, जिससे फसल चौपट हो जाये। अगर बिल जमा कराये तो कर्जा लेकर बिल जमा कराये।

कम से कम इस स्तर का, स्थानीय स्तर पर फील्ड इंस्पेक्शन आपको कराना चाहिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान बिल नहीं जमा करा पा रहा है तो उसको जेल भेजा जा रहा है। (व्यवधान) 3 महीने की जेल हो रही है किसान को। (व्यवधान) यह कौनसा न्याय है? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सीकर के नीमकाथाना में मुकदमे दर्ज हो गये वी सी आर के सवाल को लेकर। (व्यवधान) जिसके वी सी आर भरी, वह राजस्थान पुलिस का सिपाही है, उसके वी सी आर भरकर चले गये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस पीछे पड़ी है किसान के। (व्यवधान) किसान छुपा-छुपा फिर रहा है। किसान ने ऐसा कौनसा अन्याय कर दिया? (व्यवधान) 5-5 लाख का जुर्माना! 3 बीघा जमीन है ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है... (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, अजीतगढ़ का एक केस है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): पैसे जमा हो गये, वी सी आर भर दी, उसके अगले दिन फिर वी सी आर भर दी। उसने कनेक्शन कटाने के लिए एप्लिकेशन दे दी, फिर कनेक्शन कर दिया। कालेज के नाम से बना दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, अनिलजी, क्या कहना चाहते हो आप? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कालेज चलता नहीं है। इस प्रकार की असत्य वी सी आर भरी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वे आप ही की बात कह रहे हैं, आप ही की बात कह रहे हैं। (व्यवधान) क्या कहना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर ओलावृष्टि से शत-प्रतिशत फसलें खतम हो चुकी हैं, वहां पर विजिलेंस को तुरन्त प्रभाव से रोका जावे। वे जाकर के डिब्बियां उतार रहे हैं, उन किसानों की वी सी आर भर रहे हैं। कम से कम मानवता रखते हुए मंत्री महोदय को निर्देश देना चाहिए कि जहां ओलावृष्टि से किसानों की शत-प्रतिशत फसलें खतम हो चुकी हैं, झालावाड़ जिले में और समूचे हाड़ौती में, वहां के लिए तो कम से कम मंत्रीजी निर्देशित करें अधिकारियों को, विजिलेंस बंद करें और फर्जी वी सी आर भरना बंद करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी सदन को आश्वस्त करें। (व्यवधान) एक्स.ईएन. को इतने केस बनाने हैं ...(व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): जिनके पास पैसा नहीं है, ...(व्यवधान)

(श्री अनिल जैन)

जीवन-यापन करने के लिए पैसा नहीं है, सड़क पर आ चुके हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनको बोलने दो ना...(व्यवधान) आप बोलने देना नहीं चाहते हैं क्या अनिलजी को? (व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम ऐसे जिलों में तो निर्देशित किया जाना चाहिए। किसानों के ऊपर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, आपको कुछ कहना है, मंत्रीजी ...(व्यवधान), अब आप विराजिये, मंत्रीजी कह रहे हैं। (व्यवधान) हां, आप। माननीय घनश्याम जी कुछ बोलेंगे, एक मिनट, मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना सब जगह की है, सब स्थानों पर हो रही है। मेरे यहां भी भांकरोटा और उस सारे क्षेत्र में इस प्रकार की वी सी आर भरी गयीं। इसके साथ-साथ ही, जहां पर बहुत वर्षों से फ्लैट रेट के कनेक्शन चालू हैं, वहां भी जबरदस्ती अब मीटर लगाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। वहां पानी वैसे ही समाप्त हो चुका है। मैंने मंत्रीजी से व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया था।

इस सारी समस्या का मंत्रीजी जवाब दें और कम से कम इस बात की जांच करायें और जो वी सी आर भरने का काम है, इस काम को वैज्ञानिक करें। यह बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, आपको इसको समझना चाहिए और इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: हां, मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य, हाड़ौती से आने वाले, कोटा साउथ से आने वाले, विराट नगर से आने वाले, दांतारामगढ़ से आने वाले, धोद से आने वाले माननीय सदस्य और कई जगह से यह कम्प्लेंट आयी वी सी आर से रिलेटेड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो कम्प्लेंट्स आयी हैं और जो वर्चअली मेरी नालेज में आयी हैं, माननीय दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य, धोद से आने वाले सदस्य, अगर कोई स्पेसिफिक बिल्स इस तरह के आये हों, मैं मेरे अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि किसी भी तरह से जो ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र हैं, वैसे ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां 4 माह के बिल में छूट

(डा. जितेन्द्र सिंह)

दी है जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है, फिर भी उसके अन्दर कोई ज्यादती हो रही है तो मैं हाउस को एश्योर करता हूं, मैं स्वयं एक दिन अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूं रिलेटेड वी सी आर से, माननीय सदस्यगण जो उससे रिलेटेड हैं उनको आमंत्रित करूंगा; पहले मैं स्वयं मीटिंग लेकर के उनको अवगत कराता हूं जिससे कि किसानों के साथ कोईज्यादती नहीं हो। किसी भी कीमत पर ज्यादती मैं नहीं होने दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वासुदेव देवनानीजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): किसानों से लूट-खसोट की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह उनका मामला है। (व्यवधान) माननीय देवनानीजी। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पूरे राजस्थान के किसानों के साथ लूट-खसोट हो रही है। (व्यवधान) चाहे राजस्थान का कोई सा कोना हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वासुदेव देवनानीजी का ही अंकित होगा। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल आपका अंकित हो रहा है। (व्यवधान) केवल वासुदेव देवनानीजी का। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के खाते सीज कर देने से उत्पन्न कठिनाई

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बोर्ड की देश भर में विश्वसनीयता, रेपुटेशन नम्बर एक पर रही है, लगभग 18 से 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा भी ले रहा है लेकिन बोर्ड जो प्रश्न पत्र बनवाता है, कापियां जंचवाता है...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): और मार्कशीट इश्यू करता है, निजी स्कूलों से सम्बद्धता देता है, टैट की परीक्षा करवाता है, उन सबमें नियमित करोड़ों रुपयों का लेनदेन होता है। इस लेनदेन में, पिछले 3 वर्षों के बोर्ड के कार्य-कलापों के कारण आज इसकी साख निम्न स्तर पर चली गयी है। बोर्ड के वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखाधिकारी गम्भीर अनियमितताओं व बोर्ड की करोड़ों की राशि खुर्द-बुर्द कर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के कारण आज ए सी बी की गिरफ्त में हैं। उसके घर पर जो मिला है, 55 करोड़ रुपये की बोर्ड की एफ डी आर, जो कोई भी अधिकारी अपने घर पर नहीं ले जा सकता, जिसकी बोर्ड के सेक्रेटरी तक को जानकारी नहीं है, वह एफ डी आर उनके घर पर मिली है। उसकी सम्पत्तियों की जांच की गई है, सम्पत्तियों में अजमेर में आलीशान मकान, जयपुर में आलीशान मकान और उसके बैंक खाते में 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी मिली है।

इस प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता थी, उनकी जो एफ डी आर होती है, यह सचिव के नाम से होती है; उनमें से व्यक्तिगत सचिव, जो बोर्ड का सचिव है, उनके नाम से एफ डी आर टूट गई; वह पैसा उनके व्यक्तिगत खाते में चला गया। वह एफ डी आर कैसे टूटी, यह समझ से बाहर है।

इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो जो पुराने अध्यक्ष थे, तत्कालीन, +++ वे अध्यक्ष जो हैं...

श्री उपाध्यक्ष: नाम नहीं, नाम नहीं; ऐसे नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उनके तीन साल के कार्यकाल के दौरान उनकी सिफारिश पर यह व्यक्ति आया और उनकी मिलीभगत के कारण नगरा के अन्दर जो बैंक है, उसमें एक स्पेशल खाता खुलवाया गया और नगरा के जो बैंक मैनेजर हैं, वे पुराने जो अध्यक्ष थे उनके शिष्य हैं और उनके यहां जब भी कोई 50 लाख की एफ डी आर जाती थी तो 10 हजार रुपये नकद उनको प्राप्त होते थे। इस प्रकार की मिलीभगत से करोड़ों रुपयों का लेनदेन हुआ। जो वित्तीय सलाहकार हैं, उन्होंने डेढ़ साल से अपने वेतन में से एक पैसा भी नहीं उठाया। उनका घर कैसे चला, इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन यह जो सारा खेल हुआ है, यह खेल केवल वित्तीय सलाहकार का नहीं हो सकता, इस खेल के अन्दर निश्चित रूप से उस समय के बोर्ड के अध्यक्ष और अभी जो सेक्रेटरी हैं, उनकी मिलीभगत के बिना यह खेल नहीं हो सकता। उसके

(श्री वासुदेव देवनानी)

अन्दर इस प्रकार की बड़ी राशि किस प्रकार से हजम हुई। ये जो सारे घोटाले हुए हैं, इसके कारण से आज अकाउण्ट सीज हो गये हैं।

यह घोटाला कोई पहली बार सामने नहीं आया है, पहले बोर्ड की रद्दी बेचने की बात आई। वह इस प्रकार से बेची गई कि वह गीली है, इसलिए आधी रेट पर चली गई। जब जांच हुई, वह रद्दी सूखी थी। इसमें लाखों के वारे-न्यारे रद्दी के अन्दर हुए। फिर भवन निर्माण, जितना पिछले तीन साल के अन्दर कराये गये, उतने आज तक नहीं कराये गये; जयपुर के अन्दर कराया गया, अजमेर में बिना आवश्यकता के कराया गया। चाहे निर्माण का काम हो, उसमें पैसे की हेराफेरी, मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में ही बोल रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की स्वयं की अनुमति से हुई और यह वित्तीय सलाहकार था जिसके नेतृत्व में यह सारे पैसे का लेनदेन किया गया। बोर्ड के द्वारा फर्नीचर की खरीद में अनियमितता हुई। उसका पैसा यह किसको देते थे और सेल्फ चैक इश्यू करते थे, सेल्फ चैक का कितना पैसा आया, कितना खर्च किया, किसी दूसरे व्यक्ति को पता तक नहीं लगता था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके जितने क्रियाकलापों पर मैं बोलूं, उतना ही कम है। यहां तक कि पुस्तकों की रायल्टी में भी किस प्रकार से गड़बड़ करते थे। यह मेरे पास पुस्तक है, 'सूचना प्रौद्योगिकी का आधार', इसमें एक लेखक को रायल्टी न मिले और अपने शिष्य को मिले, इसके लिये 'सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, नम्बर वन' करके, उसका नाम हटाकर स्वयं ने, इसमें एक अक्षर का भी कोई अन्तर नहीं है, इस प्रकार से अपने चहेतों को उन्होंने लाभ पहुंचाने के लिए ये सारे काम किये।

कई बार उड़न-दस्ते गये, परीक्षक गये, उन परीक्षकों की व्यवस्था में जिस प्रकार के घोटाले हुए...।

मैं यहां इस बात को कहूंगा कि जयपुर में एक प्रकाशन फर्म को इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इन्हीं के काल में हुआ है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) वापस उसके आर्डर हो गये; उस ब्लैकलिस्ट आर्डर को पलट दिया 21 दिन के अन्दर।

तो यह जो सारी मिलीभगत हो रही है, जिसके कारण से वहां फर्नीचर

(श्री वासुदेव देवनानी)

खरीद पर रोक लगी, इसके कारण से परीक्षाओं में बैठे परीक्षार्थियों पर संकट आ गया है। परीक्षाएं हो रही हैं और बोर्ड के अकाउण्ट सारे सीज हैं। एक पैसे का लेनदेन नहीं हो सकता, परीक्षाओं पर सारा विघ्न आ चुका है और यहां तक कि कर्मचारियों को वेतन कैसे मिलेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात सरकार के ध्यान में आ गई है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बोर्ड के अन्दर तुरन्त नया फाइनेंशल एडवाइजर लगायें; पुराने बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका और उनकी सम्पत्तियों की ए सी बी से जांच हो, ताकि छात्रों की परीक्षाएं निर्विघ्न हो सकें, बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन मिल सके और बोर्ड की विश्वसनीयता बनी रह सके। आज इसकी आवश्यकता है। आज सारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संदेह के घेरे में आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अमराराम। (व्यवधान) बैठे-बैठे बात नहीं करते, नेता प्रतिपक्ष। आप खड़े हों तो आपकी बात का नोटिस लिया जाता है, आसन भी इस बात का सम्मान करता है। (व्यवधान)

भरतपुर के थाना हलैना में फरियादी की पुलिस पिटाई से मौत

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस किस तरह से माफियाओं के कब्जे में है, भू-माफियाओं के कब्जे में है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी, आप बड़े धीरे बोलकर सदन में गरमाहट ला देते हो। आज गरमाहट मत लाना कम से कम, यह ध्यान रखना। आज गरमाहट मत लाना सदन में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सदन में गरमाहट क्या, इतना सीरियस, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात राजस्थान में नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष: बस, बस, चालू हो गये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पुलिस थानों में मौतें होती रहती हैं, पुलिस जिस तरह का व्यवहार करती है, चाहे वह उस्मान खां का कुचामन में हो, रामेश्वर भाकर का मौलासर में हो, सैनी का रींगस में हो, दर्जनों। आज तक यह बात तो देखी है कि राजस्थान में

(श्री अमराराम)

मुलजिमों को पुलिस पीट-पीट कर मौत के घाट उतार रही है और राजस्थान के गृह विभाग ने यह भी निर्णय, स्टैंडिंग आर्डर कर रखा है कि जिस भी थाने में किसी भी व्यक्ति की अगर मौत हो जायेगी तो पूरा थाना, कांस्टेबल से लेकर पूरा का पूरा थाना बदला जायेगा, उसके बाद उसकी जांच होगी। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अफसोस की बात है कि यहां फरियादी की पहली बार मौत हो रही है।

यह हलैना थाने में किशोर जोगी की किस तरह से मौत होती है। इसकी 5 बीघा जमीन, जो इसका गांव है महुवा विधान सभा क्षेत्र के खेड़ली नारायणसिंह, इसमें मात्र 5 बीघा है; सीमान्त काश्तकार है, जिसकी 5 बीघा जमीन पर 5 साल से माफिया ने कब्जा कर रखा है। जब उसकी आजीविका की 5 बीघा जमीन पर भू-माफिया ने कब्जा कर लिया, इसके पश्चात् जीविका का कोई आधार नहीं बचा तो प्राइवेट फाइनेंस कम्पनी से ट्रैक्टर लेकर वह बजरी निकालकर, भरतपुर बेचकर, अपने ट्रैक्टर से बजरी बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। उसके ड्राइवर को उन भू-माफियाओं ने डराया तो वह छोड़कर चला गया। उसके बाद वह खुद ट्रैक्टर से बजरी भर कर भरतपुर बेचने के लिए जा रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी समय, दिनदहाड़े उस माफिया ने उसे इस बात के लिए बुलाया कि तुमने यह ट्रैक्टर कैसे ले लिया? उसने कहा कि उस जमीन पर नहीं लिया जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, मैंने प्राइवेट फाइनेंस कम्पनी से लिया है, उसका मैं अधिक ब्याज चुकाऊंगा। लेकिन इसके बाद में भी उसको किसी तरह से तहस–नहस करने वाले उस माफिया ने दिनदहाड़े 8 तारीख को उसके ट्रैक्टर को उन्होंने छीन लिया और उसको मारपीट करके छोड़ दिया।

9 तारीख को यह मुकदमा दर्ज कराता है, एफ आई आर नम्बर 37/2013, अन्तर्गत धारा 384, थाना हलैना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ और 18 तारीख तक नामजद मुलजिम होने के बावजूद, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसका ट्रैक्टर छीन कर, डकैती करके ले जाये, उसके बाद भी थाना उन भू-माफिया को पकड़ने के बजाय, जब 13 तारीख को उसको बैठाया जाता है, उन्होंने अपराधियों ने ...(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (वैर): ...(व्यवधान) उस जोगी ने वह ट्रैक्टर बेच दिया था, फाइनेंस से ट्रैक्टर लेकर और उसके बाद ...(व्यवधान) चोरी गया है,

(श्री बहादुर सिंह)

वह चोरी नहीं हुआ था। हलैना थाने का कोई कसूर नहीं है; हलैना थाने का कोई कसूर नहीं है। (व्यवधान) न तो थानेदार ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है बिलकुल। यह जो बता रहे हैं अमरारामजी, बिलकुल गलत बता रहे हैं। थाने का कोई भी कसूर नहीं है, कहीं कसूर नहीं है। न तो थाने में मुकदमा दर्ज था और न हुआ। उसने तो, थानेदार ने ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह उत्तर देने के लिए तैयार हैं क्या? उत्तर तो मंत्री देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमरारामजी का अंकित होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह कितने वर्षों से दी जा रही है नौकरी? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: उससे पहले भी दी है, जब आप मंत्री थे। बहादुरसिंहजी, आप विराजिये। केवल अमरारामजी का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इन माफियाओं ने पुलिस थाने में जाकर के, कैसे इस किशोर जोगी की, जिस तरह से मार-मार कर, पीट-पीट कर थाने के अन्दर मौत हो जाती है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप संक्षिप्त करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आपने एक दफा आब्जेक्शन दर्ज करा दिया है, आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) यह तरीका नहीं है। बहादुर सिंहजी, आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) केवल अमरारामजी का ही अंकित होगा। (व्यवधान) माननीय बहादुर सिंहजी, आप तो सीजंड व्यक्ति हो; आपको थाने में गवाही देनी हैं, जो देना है, वह दीजिए। यह सदन है, सदन को इसके तरीके से, आपका एक दफा आब्जेक्शन हो गया। आप हाउस को इग्नोर करने की कोशिश मत करिए। इनको अपनी बात कहने दीजिए। आपका आब्जेक्शन नोट करवा दिया। आप ही आपकी बात नोट हो, माननीय सदस्य की नहीं हो। यह भी, माननीय सदस्य, आपका नोट आब्जेक्शन

(श्री उपाध्यक्ष)

हो गया। थाने की बात है, मंत्रीजी जानें, आप बात कर लीजिए। अब आप अपनी बात संक्षिप्त में करें, साहब। इसमें डिस्प्यूट हो ...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो एक तरफ बैठते हो, आप तो कम से कम साथ हों सब। बैठिए अब आप। अब संक्षिप्त में बात कर लीजिए अपनी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो संक्षिप्त में ही कह रहा था लेकिन कुछ जो माफियाओं की पैरवी करने वाले भी तो चुन कर आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वे भी आ जाते हैं यहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उसमें कोई नाम होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसमें उत्तर देने के लिए गृह मंत्रीजी सक्षम हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह जानने का, जानकारी करने का अधिकार अकेले आपको नहीं है। आप तो अपनी बात करिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, मैं तो जो हो रहा है, वह कह रहा हूं, बाकी...

श्री उपाध्यक्ष: अभी रख देंगे, मंत्रीजी सत्य सामने रख देंगे, क्या हो रहा है आज।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या हालत हो रही है, आज लगातार....

श्री उपाध्यक्ष: आप वहां तक सीमित रहिए, थाने में मौत हो गई कि नहीं हुई। बस, इस तरह का ज्यादा .....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): थाने में तो मौत हुई है, सरकार ही मान रही है, एफ आई आर 302 में दर्ज है, नामजद है, लेकिन 8 दिन के बाद आज तक एक भी मुलजिम को नहीं पकड़ा गया है। क्यों बचाया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, 8 दिन से, राजस्थान में पहली दफा होगा कि 8 दिन से उस किशोर जोगी की डैड बाडी आज भी

(श्री अमराराम)

पड़ी हुई है। उनके परिवार जन न केवल 7 दिन का इस महात्मा गांधीजी का, मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि मैं दूसरा महात्मा गांधी का शिष्य हूं...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, उन्होंने नहीं कहा। आज सदन में नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी हों, तब आप मर्जी आए, जितना बताइए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मुख्य मंत्रीजी ही सरकार चला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब वे आएंगे, तब उनके सामने मर्जी आए, जो बोलना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वे तो नहीं आएं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिए आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 7 दिन लगातार इस बात की गुहार करने के लिए कि उन अपराधियों ने जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है...

श्री उपाध्यक्ष: अब मंत्रीजी की बात सुन लीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसके ट्रैक्टर की डकैती की है...

श्री उपाध्यक्ष: आपको नहीं लेना?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसकी हत्या थाने के अन्दर हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब नहीं लेना?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उन फरियादियों के साथ वहां की विधायक गोलमा देवी उनको साथ लेकर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको जवाब लेना है कि नहीं लेना है, बता दें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। माननीय श्री ओम बिरला। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्योंकि मारने में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के बड़े नेता हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। केवल ओम बिरला का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, केवल ओम बिरला। आपने अपनी बात कह दी, यह बहस का सब्जेक्ट नहीं है, आप विराजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ये सुनना नहीं चाहें मंत्रीजी को तो...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, केवल ओम बिरला।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओम बिरला। आपने बोल लिया। (व्यवधान) आप बोलिए, केवल ओम बिरला। (व्यवधान) नहीं, आपको, मंत्रीजी, आसन से तो इजाजत लेनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): आपने दी, हुकुम।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने दी थी, मैंने हाथ की हाथ कहा था, आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूं, मैं अनुरोध करूं, एक ही पक्ष के दो माननीय सदस्य भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त करेंगे तो आसन के सामने, देखिए, अब वह आपकी बात ध्यान में है, आसन के सामने आगे के सब्जेक्ट पर, आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। क्योंकि सदन की बात अख़बार में आती है, बाहर जाती है। फिर जब उसी के आधार पर यह वह नहीं है। इसलिए ओम जी का नाम पुकारा था। मैंने बहुत अनुरोध किया माननीय अमरारामजी से कि भाई, मंत्रीजी का जवाब सुनें, इन्होंने सुनना नहीं चाहा। सदन की इच्छा है, तो माननीय मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9-3-2013 को पुलिस थाना हलैना पर परिवादी श्री किशोर पुत्र सुरजा जाति जोगी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका ट्रैक्टर नम्बर आर जे 29 आर ए 7127 स्वराज को, नामजद दो अभियुक्तों के उन्होंने नाम दिये कि खिलाड़ी पुत्र जवान सिंह गुर्जर एवं अत्तर सिंह पुत्र जवाबन सिंह निवासी खेड़ली नारायण सिंह, जाजिया का बास, थाना मण्डावर, जिला दौसा व दो अंजान व्यक्तियों द्वारा छीन लिया गया। रिपोर्ट पर थाना हलैना में प्रकरण संख्या 37/2013 दर्ज किया गया और तफतीश सहायक निरीक्षक को दी गई।

10-3 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गुजरने की सी सी टी वी कैमरे फुटेज की सीडी तैयार करने हेतु लिखा गया। 11-3 को बजरी की रायल्टी के ठेकेदार से मालूमात किया, उस स्वराज ट्रैक्टर की ट्रोली की बजरी जो भरी गई, 11-3 को मुस्तगीस किशोर थाने पर स्वयं उपस्थित हुआ लेकिन अनुसंधान अधिकारी के ट्रैक्टर की तलाशी में बाहर होने के कारण उसे दिनांक 12-3 को थाने पर आने हेतु कहा गया। मुस्तगीस किशोर 12-3 को दोपहर करीब 12 बजे अपने परिजन के साथ आया। इसी दिन 8 बजे शाम के करीब मुस्तगीस किशोर थाने पर अपने रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस के कागजात की फोटो प्रति के साथ उपस्थित हुआ और बताया कि यदि सुबह चार बजे मेरे घर वालों की सूचना के अनुसार मुलजिमों पर दबिश दी जावे तो मेरा ट्रैक्टर व मुलजिम मिल सकते हैं तथा मुस्तगीस किशोर जोगी ने थाने पर ही रुकने व खाना खाने का निवेदन किया। इस पर मुस्तगीस किशोर जोगी थाने की मेस में खाना खाकर आरक्षीगण कक्ष में विश्राम के लिए चला गया।

रात्रि करीब 3 बजकर 20 मिनट पर थाना हलैना के एच एम धर्मपाल ने थानाधिकारी को सरकारी निवास पर जाकर बताया कि किशोर जोगी ने थाने के आरक्षीगण वर्क स्टेशन कक्ष में स्थित पर्दे के कुंदे से अपनी साफी से लटक कर फांसी लगा ली है। इस पर थानाधिकारी तुरन्त वहां पहुंचे तथा किशोर जोगी थाने पर उपस्थित जाप्ते की सहायता से कुंदी से उतार कर देखा गया तो उसकी नब्ज चल रही थी, जिसे इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलैना ले जाया गया, जहां पर डाक्टर द्वारा चैक-अप करने के बाद उसको भरतपुर रेफर किया गया। इस पर थानाधिकारी, हलैना मय जाप्ते के आर बी एम अस्पताल, भरतपुर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान किशोर जोगी की मृत्यु हो गई। किशोर की मृत्यु की सूचना उसके परिजन को टेलीफोन द्वारा दी गई।

घटना के सम्बन्ध में थाना मथुरा गेट पर मर्ग 4/2013 दर्ज कर मजिस्ट्रेट जांच हेतु सी जे एम साहब को प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया गया।

जांच अधिकारी अर्थात् न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर, जिला भरतपुर द्वारा दिनांक 14-3-2013 को प्रकरण के सम्बन्ध में यह आदेश पारित किया कि ''धारा 176 (एक)(ए) सी आर पी सी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हो जाती है तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अनुसार अपराध किया गया है, मृत्यु के कारणों की जांच की जाएगी। इस प्रकरण में मुस्तगीस किशोर जोगी ने पुलिस

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

थाना हलैना में फंदे पर लटक कर स्वयं की मृत्यु अर्थात् आत्महत्या का प्रयत्न किया था किन्तु उसको तत्पश्चात् पुलिस द्वारा बचा लिया गया एवं उसे इलाज हेतु हलैना व भरतपुर के अस्पतालों में लाये। भरतपुर में किशोर जोगी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर में एफ आई आर संख्या 4/2013 धारा 176 (एक)(ए) दर्ज की गई। पत्रावली के अवलोकन से कहीं भी नहीं पाया जाता है कि पुलिस ने मृतक किशोर जोगी को किसी प्रकरण में फर्द गिरफ्तारी के द्वारा गिरफ्तार किया हो या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किशोर जोगी को अपनी अभिरक्षा में रखा हो। इस प्रकरण में किशोर जोगी किसी भी प्रकार पुलिस अभिरक्षा में नहीं रहा। पुलिस अभिरक्षा में किशोर जोगी के नहीं रहने के कारण धारा 176 (1) (ए) सीआर पी सी के प्रावधान लागू नहीं होते। इसके अतिरिक्त, पुलिस थाना हलैना में अभी तक इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई एफ आई आर दर्ज होना नहीं पाया गया है। अत: किशोर जोगी की मृत्यु के कारणों की जांच मुझे पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि ऐसी जांच धारा 174 सीआर पी सी के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जानी चाहिए। अत: उक्त परिस्थितियों में दरख्वास्त खारिज की जाती है, मूल लिखित एफ आई आर थानाधिकारी मथुरा गेट, भरतपुर, श्री वीरेन्द्र को लौटाई।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद उस आदेश की पालना में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट वास्ते जांच उपखण्ड अधिकारी, वैर को जांच अधिकारी नियुक्त किया।

दिनांक 13.3.2013 को वृत्ताधिकारी द्वारा भुसावर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यह इसके बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बीच में, इस सूचना के साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भरतपुर, पुलिस अधीक्षक, भरतपुर; महानिरीक्षक, पुलिस रेंज भरतपुर; इन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार, राजस्थान, जयपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया; जिलाधीश, भरतपुर ने भी मौके का निरीक्षण किया।

मृतक किशोर जोगी का शव राजकीय राज बहादुर मेमोरियल अस्पताल, भरतपुर में पोस्टमार्टम हेतु डीप फ्रिज में रखा हुआ है। मुस्तगीस पोस्टमार्टम कराने हेतु उपस्थित न होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। थानाधिकारी, हलैना, मथुरा गेट एवं पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय से नोटिस भी भिजवाये गये लेकिन उपस्थित, न आने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

तत्पश्चात् दिनांक 18.3.2013 को मृतक के भाई नरेन्द्र कुमार जोगी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 40/2013 दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान खींवसिंह भाटी, वृताधिकारी, भुसावर द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में जो नामजद अभियुक्त हैं, जिनके सम्बन्ध में दर्ज एफ आई आर के क्रम में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।

साथ ही साथ, दिनांक 20.3.2013 को, क्योंकि बार-बार उनके परिजनों को पोस्टमार्टम कराये जाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा, अधिकारीगण द्वारा निवेदन किया गया, दिनांक 20.3.2013 को मृतक किशोर पुत्र सुरजा जोगी निवासी खेड़ली नारायणसिंह के पोस्टमार्टम कराने हेतु उपस्थित आने के लिए थानाधिकारी, मण्डावर के मार्फत् मृतक के परिवारजन को नोटिस भिजवाये गये। 20.3.2013 को उपस्थित आने पर मुस्तगीस श्री नरेन्द्र कुमार जोगी, तेज सिंह पुत्र खूबी राम, राजेन्द्र पुत्र किशोर योगी, मुरारीलाल पुत्र ग्यारसा राम योगी, ग्यारसा नाथ पुत्र भोला नाथ योगी, भगवान सहाय पुत्र बृजमोहन योगी, ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम मीणा, रामकिशन पुत्र जंगली बैरवा, रामफूल पुत्र रामस्वरूप योगी, कल्लूराम पुत्र मन्नूराम योगी, रामखिलाड़ी पुत्र मूल्याराम मीणा के बयान लेखबद्ध किये गये और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रकरण में मृतक श्री किशोर पुत्र सुरजा जोगी के पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु नोटिस क्रमांक 582 दिनांक 20.3.2013, मुस्तगीस श्री नरेन्द्र कुमार एवं उनके भाई राजेन्द्र जोगी जो दोनों मृतक के पुत्र हैं, को दिया गया जिन्होंने नोटिस की एक प्रति प्राप्त की और हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। आज पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही करने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह मुलजिम नहीं था, थाने में वह अकेला नहीं था और थाने में जाकर आत्महत्या करेगा, यह कोई मान सकता है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उन्होंने स्वआग्रह किया था वहां रुकने के लिए और वह थाना परिसर स्थित आरक्षी कक्ष में भोजन करने के उपरांत आराम कर रहे थे। उसके बाद में 3 बजकर 20 मिनट पर जैसे ही उन्होंने आत्महत्या का अपना प्रयास किया, उसकी तत्काल सूचना दी गई और

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

थानाधिकारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उनको अस्पताल ले जाया गया। जब उनको उतारा गया, तब भी उनकी नब्ज चल रही थी।

श्री उपाध्यक्ष: वह सब आ गया, मंत्रीजी। एक मिनट, हनुमानजी, एक मिनट। मंत्रीजी, थाने में कोई भी अपनी इच्छा से नहीं रुकता है, थाने वाले अपनी इच्छा से उसको खाना नहीं खिलाते हैं। इसलिए कृपया इस पाइंट को आप देखिये कि किस अधिकारी के कहने से रुका है। इसलिए कृपा करके, इस पर अब आगे चर्चा नहीं होगी।

माननीय श्री ओमजी बिरला। केवल ओमजी बिरला। (व्यवधान) यह सारी बात हो गई। ओमजी बिरला का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। केवल ओमजी बिरला। आप विराजें। (व्यवधान) आप विराजें, सब कह दिया उन्होंने। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार का जवाब आ गया, सरकार के ध्यान में आ गया, आप विराजें। (व्यवधान) बात हो गई।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओम बिरला। केवल ओम बिरला का अंकित हो रहा है।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। केवल ओम बिरला, और कोई नहीं। अब इस बात पर डिस्कशन नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई इन्फार्मेशन नहीं आती जीरो आवर में। माननीय ओमजी बिरला। केवल ओमजी बिरला।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह जो कहना था, वह कह दिया, अब आप विराजिये। आप विराजो। मंत्रीजी आप भी विराजो; बात हो गई है, आप बैठिये। ओम जी बिरला, बोलो न। केवल ओमजी बिरला।

राज्य में गेहूं को खरीदने व सुरक्षित रखने के लिए बारदाने व भण्डारण की अपर्याप्त व्यवस्था

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा उत्पादन गेहूं और लहसुन का हुआ है। विशेष रूप से हाड़ौती सम्भाग, बीकानेर सम्भाग और अलवर के अन्दर गेहूं का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो गेहूं का उत्पादन हुआ है, वह एग्रीकल्चर विभाग के अनुसार अनुमानित 115 लाख मैट्रिक टन हुआ है एवं राज्य सरकार द्वारा जो लक्ष्य अभी गेहूं खरीद के रखे गये हैं, वे 25 लाख मैट्रिक टन के रखे गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता इसलिए भी है कि पूर्व में भी इस हाड़ौती सम्भाग में गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादन हुआ था, हमने सदन में भी यह बात उठाई थी और माननीय मंत्री महोदय यहां सदन में भी आश्वस्त करके गये कि किसान के गेहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा लेकिन पिछली बार भी जितने गेहूं का उत्पादन हुआ, उसका केवल 20 प्रतिशत गेहूं खरीदा गया। आज भी जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य के अनुसार 20 से 24 प्रतिशत से ज्यादा गेहूं खरीदने की सरकार की नीयत नहीं है।

इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे सम्भाग के किसानों की चिंता यह है कि सरकार का जब कानून यह है कि जो एफ सी आई का क्वालिटी कंट्रोल है, उसके अनुसार अगर गेहूं पास होता है तो जितना गेहूं आयेगा, वह सम्पूर्ण गेहूं सरकार खरीदेगी। केन्द्र की यह योजना है और केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा बिल भी इस बार लेकर आई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार भी गेहूं खरीदने की सरकार की नीयत नहीं है। केन्द्र सरकार ने गेहूं का अनुमानित मूल्य 1,350 रुपये और राज्य सरकार ने 150 रुपये का बोनस रखा है। सरकार के समर्थन मूल्य की रेट और बाजार रेट, इन दोनों रेटों के अन्दर बहुत ज्यादा अन्तर होने के कारण किसान को उस गेहूं को सस्ती दर पर बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी 1,285 रुपये और 100 रुपये बोनस के बाद भी किसान को 1,000 से 1,100 रुपये तक...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप थोड़ा संक्षेप में। देखो, दो मिनट की इजाजत थी, पांच मिनट हो गये हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं मानता हूं, आपकी भावना की कद्र करता हूं, आसन आपकी भावना की कद्र करता है लेकिन इसमें संक्षेप में कहें। आगे पांच बजे तक आज का सारा बिजनेस निपटाना है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी 1,100 रुपये के अन्दर किसान को गेहूं बेचना पड़ा। समर्थन मूल्य पर सरकार ने गेहूं नहीं खरीदा जिसके कारण किसान बरबाद हो चुका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आप खुद गवाह हैं, जब यह गेहूं किसानों से खरीदा गया, तब 1,385 रुपये, 1,100 रुपये और उसके 15 दिन बाद, जब भारत सरकार ने एक्सपोर्ट खोला, जिसके लिए आप स्वयं भी दिल्ली गये थे, उस समय रेट हुई 1,600 रुपये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान का माल तो खरीदा जाये...

श्री उपाध्यक्ष: आप सजेशन दीजिये, आप सजेशन दीजिये कि इसमें क्या किया जाये, सरकार को क्या करना चाहिये। बस, तंत की बात यह है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...हम अपनी बात तो रखेंगे ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: सी.एल. प्रेमीजी, आप एक मिनट, आपको मौका मिलेगा लेकिन तथ्यात्मक बात करने पर। आपको मौका मिलेगा लेकिन तथ्यात्मक बात करोगे, उसी को मौका मिलेगा। (व्यवधान) मिलेगा; हां, सबको मौका मिलेगा, आप चिंता मत करो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी चिंता यही है...

श्री उपाध्यक्ष: पिनपाइंटेड क्वेश्चन होंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, पिनपाइंटेड क्वेश्चन ही बोल रहा हूं।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय उपाध्यक्षजी...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमारी भी चिंता यही है कि सरकार ने इस बार लक्ष्य रखा है, वह लक्ष्य रखा गया है, हाड़ौती के अन्दर, छह लाख मीट्रिक टन, जिसमें कोटा में 3.50 मीट्रिक टन...

श्री उपाध्यक्ष: भाषण नहीं, क्या करना चाहिए? गेहूं का उत्पादन है, भण्डारण नहीं है, आपका कहना है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, विषय तो पूरा रखूंगा ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह कहना है कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, वह उत्पादन का 20 प्रतिशत रखा गया है, जबकि मध्य प्रदेश के अन्दर जितना गेहूं उत्पादित हुआ है, उसका 85 प्रतिशत लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। हमारा संदेह है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आरोप भी है कि सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदेगी और किसानों को सस्ती दर पर गेहूं बेचना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास न तो समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए बारदाना है, न भण्डारण की व्यवस्था है और एक अप्रैल से गेहूं की खरीद होने जा रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय मंत्री महोदय कोटा में आये थे, उन्होंने कहा था, हम जी एस एस को खरीद का केन्द्र बनायेंगे, राजस्थान का किसान आन्दोलन करता गया लेकिन केवल चार केन्द्र बनाये गये हैं। जी एस एस को समर्थन मूल्य का केन्द्र बनाना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ताकि किसानों का, उसका समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक सके।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। सबको मौका मिलेगा। मेरी इजाजत से, आसन की इजाजत से।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, लहसुन दो बार हाड़ौती में होता है, उस लहसुन को भी...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये, विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात तो सुनो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय बिरलाजी, आप इस मामले को डाइल्यूट करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैंने कह दिया है, लेकिन...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मत बोलने दो लेकिन बात तो रखेंगे सदन में।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार असत्य बोलती है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं चाहते हो क्या? आप नहीं चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्रीजी असत्य बोलते हैं यहां सदन में। पिछली बार भी मंत्रीजी ने असत्य बोला था सदन में।

श्री उपाध्यक्ष: केवल सी.एल. प्रेमी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सी.एल. प्रेमीजी, आप क्या कहना चाहते हो?

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भवानी सिंहजी, आपको इनके बाद मौका देंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल सी.एल. प्रेमी जी। केवल सी.एल. प्रेमी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये सी.एल. प्रेमी साहब।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): बूंदी जिले में गेहूं का जो लक्ष्य रखा गया है, उसका लक्ष्य बढ़ाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: केवल सी.एल. प्रेमी। आप विराजिये, बैठिये। केवल सी.एल. प्रेमी। (व्यवधान) उनके बाद में मैं लूंगा, ऐसे नहीं।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ओम बिरला जी...

श्री उपाध्यक्ष: यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। (व्यवधान) आप विराजिये। केवल सी.एल. प्रेमी। आपका अंकित नहीं हो रहा है। केवल सी.एल. प्रेमी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा तो यह निवेदन है, बिरला जी ने तो बहुत सारी बातें कर दीं...

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात करिये, आप सजेशन दीजिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): लेकिन मैं मेरे बूंदी जिले की बात करूंगा, मात्र बूंदी जिले की बात करूंगा। अभी एक दिन पेपर में आया था कि बूंदी जिले का उत्पादन लक्ष्य है 6.39 लाख मीट्रिक टन और उसमें आया था कि हम खरीद 90,000 मीट्रिक टन की करेंगे, एक तो यह कम है। यहां मंत्रीजी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका लक्ष्य बढ़ाया जाये क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी 100 रुपये की जगह 150 रुपये किया है, यह बहुत अच्छी बात है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कांटों की संख्या बढ़ाई जाये और बूंदी जिले में जो उत्पादन हुआ है, उसका कम से कम 70 प्रतिशत अनाज तौला जाये। इस बात की मैं आपसे पुष्टि चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: भवानी सिंह जी के बाद आप बोलना, भवानी सिंहजी के बाद आपको मौका मिलेगा। एक मिनट, भवानी सिंहजी, आप विराजिये तो सही।

मेरा अनुरोध है, गये साल का एक्सपीरियंस माननीय सदस्यों का इस मामले में अच्छा नहीं रहा था और यह सही है कि कुछ घटनाएं हुई हैं। इसलिए इस साल चूंकि समय पर सदन है, किसानों से सम्बन्धित मामला है, लेकिन मेरा यह भी अनुरोध है कि कोई भी माननीय सदस्य किसानों का मसीहा बनने की कोशिश नहीं करें। हम भी किसान हैं, वे भी किसान हैं। केवल व्यवस्था सुधरे और सरकार को अपन कहें, सरकार भी यह कोशिश करे कि इस साल गये साल वाला एक्सपीरियंस नहीं हो और अच्छा काम हो ताकि गेहूं उठे। (व्यवधान)

माननीय भवानी सिंहजी।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर है और इसीलिए हम किसानों की पीड़ा को इस सर्वोच्च सदन में यहां पर रख रहे हैं। क्योंकि पिछले साल का जो अनुभव है, सरकार ने जो टार्गेट दिया, वह टार्गेट पूरा नहीं हुआ और किसान को अपने खून-पसीने की कमाई को कौडियों में बेचना पड़ा, 1,100-1,150 रुपये में बेचना पड़ा। जैसे आज हाड़ौती में 25 लाख टन गेहूं हो रहा है और आप खरीदेंगे केवल 6 लाख टन। 19 लाख टन गेहूं बाजार में किसान को मजबूरी में बेचना पड़ेगा, 1,100-1,200 रुपये में। इसीलिए सरकार को अभी से तय करना चाहिए। अप्रैल से समर्थन मूल्य पर तुलाई शुरु होगी, बोनस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कांटे बढ़ाना और समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य बढ़ाना, जब तक खरीद का लक्ष्य नहीं बढ़ेगा, तब तक किसान का भला नहीं होगा। किसान पिछली बार भी तबाह हो गया।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

वैसे जैसे लहसुन का, लहसुन का समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। साल भर पहले लहसुन 10,000 रुपये क्विंटल बिका था और आज लहसुन है केवल आठ रुपये किलो। लहसुन के उत्पादन से किसान तबाह हो रहा है, गेहूं के उत्पादन से किसान तबाह हो रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, सरकार को चिंता नहीं है, बारदाने की नहीं है, भण्डारण की नहीं है और खरीद की नहीं है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि इससे पहले इंतजाम पूरे करे, प्रबंधन करे और जिस तरह गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं का टार्गेट ज्यादा खरीद का...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...तो टोंक का भी, कोटा-बूंदी का भी, अलवर का भी और दूसरे जिलों का भी लक्ष्य ज्यादा रखा जाये। यही हमारा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये। धन्यवाद।

माननीय अमराराम जी । एक-एक मिनट मैं सबको दे दूंगा। देखिये, गये साल एक्सपोर्ट करवाया अपन सबने, मैं भी शामिल था, तब जाकर हुआ था लेकिन लेट हो गया था। इस साल सरकार टाइम पर व्यवस्था करेगी, यही तो बात है ना?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: देंगे, आपको भी मौका देंगे बाद में।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...अब तक नहीं लग रहा है और तीन-तीन रुपये किलो लहसुन बिक रहा है किसानों का...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। अंकित नहीं होगा आपका।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। इसको पोलिटिकली मत लीजिये। आप अकेली किसान नहीं हो, सदन के सभी लोग किसी न किसी तरह से किसानों से जुड़े हुए हैं।

माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: इजाजत मांगोगे तो इजाजत मिलेगी, ऐसे नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल कोई सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का नहीं है, राजस्थान के उन तमाम लोगों का...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में। देखिये, सुनिये, अमराराम जी, जो बात आ गई, माननीय सदस्य ने कह दी, वह बात रिपीट नहीं होगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह नहीं बोलूंगा, वह रिपीट नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि राजस्थान के किसान को जो देश की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। कम से कम तय करती है। उसमें राजस्थान की सरकार ने पिछली साल 100 रुपये और इस साल 150

(13.00 बजे)

रुपये दिया है। गेहूं कहीं भी दुकानदार के यहां पैदा नहीं होता, छत पर कम्पनी में नहीं होता, किसानों के खेत में पैदा होता है और समर्थन मूल्य से, चाहे एक्सपोर्ट के कारण आया, आज वह पन्द्रह सौ रुपये, हमारे अनुदान देने के बाद में भी पन्द्रह सौ रुपये क्विंटल है। लेकिन आज बाजार में उससे ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। वह जो शर्त लगाई है इन्होंने कि ये-ये डाक्यूमेंट्स लेकर आयेंगे, फिर किसानों से खरीदेंगे; इसका मतलब कोई भी व्यापारी आज जो सत्तरह सौ में गेहूं बिक रहा है, उसको गेहूं को रख करके पन्द्रह सौ रुपये में आपके खरीद केन्द्र पर वह बेचने के लिए आयेगा? कोई भी नहीं आयेगा। क्योंकि राजस्थान में जहां भी सिंचित इलाका है वहां सत्तर प्रतिशत किसान जो खातेदार हैं, वे खुद काश्त नहीं करते हैं, वहां हिस्सेदार करता है। उसके पास कोई डाक्यूमेंट नहीं है, चाहे वह कोटा सम्भाग हो, चाहे शेखावाटी हो, चाहे गंगानगर, बीकानेर सम्भाग हो। वह कहां से डाक्यूमेंट लेकर आयेगा? क्योंकि व्यापारी जब आप समय पर खरीद शुरू नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जब कीमत बाजार में पन्द्रह सौ रुपये से ऊपर होगी तब विक्रय केन्द्र पर बेचने के लिए नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये आप, विराजिये। माननीय श्री अशोकजी डोगरा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछले साल केवल एक श्रीमाधोपुर में केन्द्र खोला गया...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये आप, अभी आ जायेगा जवाब सरकार का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक क्विंटल भी नहीं खरीदा गया। बारदाने की व्यवस्था नहीं है। बारदाना, एक-एक, डेढ़-डेढ़ महीने तक इंतजार करते रहे, बरसात से पूरा भीग गया।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, सरकार कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी। अब आप विराजिये। अब यह गेहूं की बात है केवल।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सजेशन है कि एक तो यह जो शर्त लगाई गई है, निश्चित रूप से इसको हटायें।

श्री उपाध्यक्ष: हां, वह सारी बात आ गई; अब बात आ गई।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शर्त को हटायें; बारदाने की व्यवस्था पहले से करें; और न केवल कांटे पर तुलाने की क्योंकि मण्डी में जब सैकड़ों कांटे लगे हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये, विराजिये। विराजिये, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उनसे तौल करके आप पेमेंट करें। लाइन, आप टोकन देंगे, किस बात के लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिस तरह से हरियाणा, पंजाब और गंगानगर में एफ सी आई के माध्यम से जो प्रोक्योरमेंट होता है, तमाम वहां आढ़तियों के माध्यम से हो रहा है। तो आप अगर एक मण्डी में एक कांटा लगायेंगे तो निश्चित रूप से दो हजार लोगों की लाइन लगेगी, पन्द्रह दिन बाद में उसका आयेगा, तो वह मजबूरी में उससे कम कीमत पर बाजार में बेचेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो यह शर्त जिस तरह डाक्यूमेंट की लगाई गई है, वह नहीं लगायें; एक तमाम आढ़तियों से खरीदने का काम करें;...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय अशोकजी डोगरा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर भाव ज्यादा है तो कोई आपके पास नहीं आयेगा बेचने के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज, अब आप तो वक्ता हो, विराजिये। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अशोक डोगरा। अब आप उनको बोलने दो। (व्यवधान) आपको मौका मिलेगा एक-एक लाइन का, आप उनको बोलने दें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार बूंदी जिले में किसानों का माल नहीं तुल करके व्यापारियों का माल मण्डी में तुला। जिनको एजेंसी दी गई, व्यापारियों ने जो हजार रुपये, बारह सौ, ग्यारह सौ, एक हजार पचास में माल खरीदा, वह सब उनका तो तुल गया और किसान बेचारे बाहर पड़े रहे, एक-एक महीने तक किसान पड़े रहे, उनको बारदाना नहीं मिला और कह दिया, कट्टे ही नहीं है।

मेरा यह आपसे अनुरोध है कि छह लाख चालीस हजार मीट्रिक टन का बूंदी का हमारा उत्पादन है, कम से कम चार लाख मीट्रिक टन खरीदने की गवर्नमेंट व्यवस्था करे और उसके लिए ग्राम सेवा सहकारी स्तर पर ही उनके माल की खरीद हो। जिन लोगों को पिछली बार एजेंसी मिली थी, उन्होंने पैसे ले-लेकर के ट्रोलियां खाली कराई हैं वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये। अब विराजिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मेरा यह अनुरोध है, या तो इस तरह का सरकार कानून बना दे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों में से कौन बोलेगा? (व्यवधान)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): एक मिनट, साहब, एक मिनट। इस तरह का कानून बना दे जिससे समर्थन मूल्य से नीचे खरीदना और बेचना अपराध हो जाय ताकि कोई व्यापारी उससे नीचे यह माल खरीद ही नहीं पाये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

पहलवान साहब, एक लाइन में। आप तो गम्भीर व्यक्ति हो, एक लाइन में आप गम्भीरता से बात करें, ज्यादा नहीं क्योंकि यह मामला बहुत लम्बा चला दिया अपन ने, इसलिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए समस्त किसान बराबर हैं लेकिन जिन किसानों को फ्री में नहर का पानी मिल रहा है, एक तो उस किसान की फसल का भाव; एक जो डीजल-पैट्रोल फूंक कर फिर उस फसल को पैदा करता है, उसकी फसल का भाव बराबर; किसान के साथ अन्याय है। जिस भी किसान के पास पानी नहीं है, उनको औसत, एवरेज दस साल में तीन बार फसल होती है, सात वर्ष अकाल गिरता है। उसकी फसल को उस अनुपात में खरीदा जाय।

नम्बर दो, मेरी प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं, किसान की फसल का मुआवजा जो है, वह सत्तर प्रतिशत तहसील की तबाह होने के बाद

(श्री रणवीर पहलवान)

मिलता है; शहर में एक गाड़ी चोरी होते ही मुआवजा मिल जाता है। कहां लिख रखा है कि सत्तर प्रतिशत शहर की गाड़ियां चोरी होंगी, तब उसको मुआवजा मिलेगा? यहां इसका एक मकान गिरता है तो मुआवजा मिल जाता है और प्राकृतिक आपदा का क्या...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप, इसके मामले में मत आओ।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्षमा करें, साहब, प्राकृतिक आपदा का कोई भरोसा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रोक्योरमेंट केवल, वहां तक सीमित है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं तो काम की बात किसान से हट कर करूं तो बैठा देना न, साहब। यह तो दोनों ही, पक्ष-विपक्ष के लिए बराबर है, साहब; किसान तो इनके भी हैं और इन सबके।

दूसरी मेरी प्रार्थना है, प्राकृतिक आपदा का पता नहीं होता। इसकी स्ट्रीमलाइन कोई तो होती नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष: मदन जी, आप बोलेंगे क्या? नहीं, आप बीच में खड़े हुए थे, इसलिए कह रहा हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इस गांव तक बारिश आ गई, फिर नहीं आई; इस गांव तक ओले गिर गये, फिर नहीं गिर गये। कई बार ओले इस तरह गिरते हैं कि चार-पांच तहसील के....

श्री उपाध्यक्ष: यह गेहूं की प्रोक्योरमेंट का है, यह प्राकृतिक आपदा का नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उसको गेहूं को बेचेगा तो तब ना, साहब, जब पैदा हो। मैं तो पैदा करने पर जा रहा हूं, पहले पैदा कैसे होता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांताजी, संक्षेप में, एक बात आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तो फिर मेरी चीजें तो सुनोगे, साहब। अभी तक दस परसेंट से ज्यादा कहीं फसल नहीं खरीदी है इन्होंने, आगे खरीदने का क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, पूरी हाड़ौती में जो छह लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है, पिछली बार भी...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो यह कहिये, क्या सजेशन देना चाहती हैं सरकार को, वह आपका बतायें; वह आ गया, पिछली बार अव्यवस्था हुई। पिनपाइंटेड।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बिलकुल, बिलकुल, मेरी बात रख रही हूं, वही बात। मैं यह कहना चाह रही हूं...

श्री उपाध्यक्ष: यह बहस नहीं है, फिर भी बहस हो रही है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पिछली बार किसानों के चैक तक रिटर्न हो गये। बारदाने की व्यवस्था नहीं, पूरे रामगंजमण्डी के अन्दर आज तक समर्थन मूल्य का एक कांटा तक नहीं लग पा रहा, क्या गेहूं पैदा नहीं होता रामगंजमण्डी के अन्दर? यह बड़ी विचित्र स्थिति रामगंजमण्डी की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार जो गेहूं का रकबा है, उनके पटवारियों के द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा उसका पता तो कराये कि गेहूं का कितना रकबा है, क्यों नहीं समर्थन मूल्य का कांटा लग पा रहा है रामगंजमण्डी के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): और जो किसानों का लहसुन तीन-तीन रुपये किलो कोटा के अन्दर बिक रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले इसको देखिये, क्या नियम हैं गेहूं प्रोक्योरमेंट के, फिर कहें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बिलकुल, मुझे मालूम है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि किसान इस तरह बरबाद होता रहेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रभुलालजी सैनी। धन्यवाद, धन्यवाद। विराजिये आप।

प्रभुलाल सैनी। देखिए, प्रभुलालजी, एक-दो लाइन से ज्यादा नहीं। यह आपकी गम्भीरता है, आप कृषि मंत्री रहे हो। (व्यवधान) आपका आ रहा है, आगे आ रहा है, सगीर खांजी, आपका आगे आ रहा है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपका निर्देश है वैसे ही मैं पालना करूंगा। लेकिन इतना निवेदन करूंगा, दो विषय हैं, पहला विषय है, समर्थन मूल्य पर गेहूं एक अप्रैल से जो खरीदने वाले हैं, उसकी बात; दूसरी लहसुन की बात चली है। लहसुन में इंटरवेंशन आफ द मार्केट, यानी बाजार में हस्तक्षेप योजना लागू होनी चाहिए। आज दिन तक भी सरकार ने एम आई एस की घोषणा नहीं की है, जहां पर आठ से दस रुपये किलो लहसुन को बेचना पड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि एम आई एस स्कीम की तत्काल घोषणा मंत्री महोदय करें।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

दूसरा मेरा निवेदन है, गत वर्षों में राजफेड, नैफेड और तिलम संघ के माध्यम से गेहूं का परचेज हुआ। मंत्री महोदय से हम लोग भी मिले थे, वास्तव में क्या होता है कि जो आपका तिलम संघ है, यह स्वयं गेहूं नहीं खरीद कर यह सबलेट, सबलेट, यानी तीन-तीन जगह सबलेट करते हैं। सबलेट करने की स्थिति यह होती है, यह तय करना चाहिए सदन को, हमको कि जिस दिन परमिट जारी कर दिया आपने, किसी भी किसान का परमिट जारी कर दिया कि भई, तुम्हारा इतने दिन में हम तौलेंगे, तो यह सुनिश्चितता होनी चाहिए। गत वर्षों में परमिट तो जारी किये आप लोगों ने लेकिन परमिट जारी होने के बाद बरसात हुई और हजारों टन गेहूं मण्डियों में सड़ गया। इसलिए इस बात को एन्श्योर करें कि जिनको परमिट दें, उसका गेहूं भी सरकार खरीदे।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक, साहब।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): दूसरा, एफ.ए. की क्वालिटी की जो बात है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आहूजा जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं तो अच्छी बात कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप किसान हैं, इसलिए कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप, आपकी बात आ गई।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): एवरेज क्वालिटी की बात कहकर किसानों को इस प्रकार ये नैफेड, तिलम संघ के लोग उसको जिस प्रकार परेशान करते हैं, इसको भी थोड़ा आप ठीक करिये। यह सुझाव है मेरा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरा तो इस सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो यह बताइये, एक मिनट, सरकार ने सपोर्ट प्राइस कर दी तो सपोर्ट प्राइस पर पूरा गेहूं सरकार को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? (व्यवधान) अब सुनिये बात, एक; एक। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप अभी मत बोलो, आप एक मिनट, साहब। जब खरीदना चाहिए तो उतनी व्यवस्था है कि नहीं है, यह मंत्रीजी कहेंगे या क्या आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आहूजाजी। (व्यवधान) अब विराजिये न आप। (व्यवधान) इसमें पालिटिक्स मत करिये, आप विराजें। (व्यवधान) केवल आहूजाजी। केवल आहूजाजी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, शत-प्रतिशत खरीदना चाहिए, सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है। यदि यह भावना है, शत-प्रतिशत आर्डर की, सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रजातंत्र है यह तो। बोलिये, आहूजाजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैंने कृषि और पशुपालन की मांग पर निवेदन किया था...

श्री उपाध्यक्ष: वह तो कुछ भी किया, आप तो इस पर बता दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कुल चौदह प्रतिशत राजस्थान में पिछली बार समर्थन मूल्य पर खरीद हुई, इस बार सौ प्रतिशत हो। एक बात।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नौगावां और गोविन्दगढ़ में पिछली बार खरीद केन्द्र थे, इस बार नहीं बनाये हैं। उनको बनाने का कष्ट करें। बस।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। यह आरोप-प्रत्यारोप नहीं, यह सरकार यह कर गई, वगैरह; अपन को सजेशन देना है ताकि सरकार के ध्यान में सजेशन आयें, इस साल व्यवस्था ठीक रहे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, डिसेंट्रलाइज यह तौला सिस्टम हो, जैसा हरियाणा और पंजाब में है। वह जब तक नहीं करेंगे तो यह जो लेट प्रोड्यूसिंग एरिया है, गंगानगर-हनुमानगढ़ उसमें पिछली बार भी नुकसान हुआ, बूंदी में नुकसान हुआ। सिर्फ गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें एक महीने पहले गेहूं की कटाई हो जाती है और पहले तुलाई हो जाती है। यहां पर एक महीने बाद होगी और तब तक बादल भी सामने आ जाते हैं। इसलिए अगर डिसेंट्रलाइज करेंगे आढ़तियों के माध्यम से, आढ़तिये की हिम्मत है क्या कि तौल कम दे दे?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वह तो कटाई चालू हो गई न। माननीय वासुदेव देवनानी जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? आप तो, एक ही बात आ गई, मेरा जहां तक ख्याल है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): दूसरी बात है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आज बहुत ज्यादा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने कहा, आज बारह लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं संकट में हैं। शिक्षा मंत्रीजी उस समय नहीं थे, अब आ गये, इनसे प्रश्न का उत्तर तो दिलायें। विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे होगी, उसका जवाब बतायें।

श्री उपाध्यक्ष: आप आखिरी होंगे, राधेश्यामजी श्रीगंगानगर।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): फाइनेंशल एडवाइजर नहीं है, बैंक अकाउंट सीज हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: केवल राधेश्यामजी गंगानगर का अंकित होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन में एक ऐसी चीज लाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, और नहीं होगा, इसके बाद लाना।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ठीक है, गेहूं पर बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद में। माननीय मंत्रीजी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के नेतृत्व में जो आयोग बना, उसमें बैकग्राउण्ड में लिखा हुआ है "procurement price for surplus produce," इस सरप्लस प्रोडक्ट में बीस परसेंट की सीमा कहां से आ गई? उसमें साफ-साफ लिखा है, "procurement price for agricultural produce.", इसलिए सारा खरीद लो।

श्री उपाध्यक्ष: आसन पर बैठने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं था कि नाथूराम जी से ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां थे, पहली रिपोर्ट उसकी छपी है।

श्री उपाध्यक्ष: शांति से, इजाजत लेकर के आप बोलना। आप सीधे ही क्वेश्चन पूछना।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल चैक नहीं दिये गये थे, उनका काफी लेट पेमेंट किया गया था और बहुत कम मात्रा में खरीदा गया। सवाई माधोपुर और करौली में 13 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन है इस बार और उस दृष्टि से इन्होंने योजना बनाई है या नहीं बनाई है?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने गेहूं के प्रोक्योरमेंट पर चिंता व्यक्त की है...

श्री उपाध्यक्ष: इन एडवांस।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): और मैं आपको सबको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस मामले में बहुत गम्भीर है। कई सदस्यों ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश पैटर्न पर हमको खरीद करनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत वर्ष पहली बार राजस्थान में पहली बार गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की। इसके लिए तो हम सबको मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने इस साल समर्थन मूल्य का जो बोनस था, वह भी 100 रुपये से बढ़ाकर, मध्य प्रदेश जो हमारे हाड़ौती से लगता हुआ इलाका है, माननीय सदस्यों की सबकी मांग थी, हमने 100 किया और उन्होंने बढ़ाकर 150 किया; मुख्य मंत्रीजी ने फिर उसी बात को ध्यान में रखते हुए 150 कर दिया।

खरीद की जहां तक बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस साल...

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। इतना मौका देने के बाद आप उद्वेलित न हों।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब 2012-13 का बजट पेश किया, तब 15 लाख मीट्रिक टन खरीद का उन्होंने अनाउंस किया। सदन की भावना को देखते हुए गत वर्ष उन्होंने 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा और इस साल उन्होंने, 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं हम खरीदेंगे। बोनस भी, हमारे मध्य प्रदेश, हाड़ौती में हमारा इधर का उधर जाता था गेहूं, वह भी हमने 150 रुपये किया।

हम चाहते हैं, कहीं भी सरकार इस साल, आपकी सदस्यों की भावना है कि जी एस एस स्तर पर ही होना चाहिए; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार बहुत पहले से इस काम को कर रही है, नीचे के लेवल पर। वहां गेहूं की बुआई की बात, एडवांस एक महीने, जैसे अभी कहा आपने, वहां किसानों को पर्ची दे दी जाती है कि आप इतना बीघा गेहूं पटवारी, वगैरह से लेकर और वह अपने सीधा मण्डी में ले जाकर गेहूं की खरीद करवाता है। यहां भी इस साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलवर जिले को लेकर इसका पायलट प्रोजेक्ट बनाया है। वहां भी स्थानीय स्तर पर, जी एस एस लेवल पर, हमारे मार्केटिंग लेवल पर हमने यह खरीद शुरू की है; जितनी वहां पर लायेगा, अलवर ज़िले में, सारी की सारी सरकार समर्थन मूल्य पर करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: पूरी की पूरी होगी। अब इस पर कोई डिस्कसन नहीं होगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मुख्य मंत्रीजी की जो भावना है, अगले साल हम भी पूरे प्रदेश में, पायलट प्रोजेक्ट के बाद, हमको एक बार अनुभव तो हो कि किस तरह से नीचे से, अभी हम अनाउंस कर दें कि नीचे के लेवल से खरीद करेंगे, हमारे पास संसाधन नहीं हैं।

अभी हम 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे और मुख्य मंत्रीजी का बजट भी आपने पढ़ा होगा, 450 करोड़ रुपये बोनस के लिए रखे हैं। और भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी से आप और हम सब निवेदन करेंगे, और बढ़ाएंगे और किसान को समर्थन मूल्य का फायदा मिले।

जहां भी केन्द्रों की बात है, बूंदी हो, चाहे कोटा हो, मैं आपको...

श्री उपाध्यक्ष: अब सुनिये आप, बीच में बोलने से वह सब्जेक्ट और बिगड़ जाता है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय बिरला जी और दूसरे सदस्य जो कोटा, बूंदी से आये हैं, आज ही हमने, गत वर्ष यह समस्या आई थी, वहां गेहूं को रखने की जगह नहीं थी, हमने आज ही हमारे फूड कमिश्नर को और एडिशनल फूड कमिश्नर को कोटा भेजा है, उनसे कहा है कि आप पूरे इंतजाम करें। बारदाने का हो, चाहे रख-रखाव का हो, गोदाम का हो, यह सारी व्यवस्था के लिए उनको हमने कोटा भेजा है। कोटा, बूंदी, सब जगह पूरी व्यवस्था देखेंगे। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि गेहूं की खरीद जितना भी किसान लायेगा उसको सरकार खरीदेगी। आपकी भावनाओं से, माननीय मुख्य मंत्रीजी को, अपने आप ही उनको मालूम है कि किसान को गेहूं का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और आप सबको मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहिए। आप भी पांच साल राज में रहे थे, आपने एक दाना नहीं खरीदा, हम खरीद तो रहे हैं अभी।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। माननीय ज्ञानदेव आहूजा। केवल माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा का अंकित होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रामगढ़ के बांधों पर अतिक्रमण

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में बांधों के ऊपर अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जे किये जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अधिकांश बांधों पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किये हुए हैं। ऐसे अतिक्रमणों पर जिला प्रशासन का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुबारिकापुर एवं नीकच के मध्य स्थित अतरिया बांध पर काफी समय से अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमणकारियों द्वारा अतरिया बांध पर भारी संख्या में सफेदे के पौधे लगाकर जमीन को हथियाने एवं कब्जा करने का प्रयास किया गया है। बांध की अधिकांश भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिसको शीघ्रातिशीघ्र मुक्त नहीं करवाया गया तो अतिक्रमणकारियों द्वारा अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर आवास भी बनाये जा सकते हैं। प्रशासन को इस बारे में जानकारी होते हुए भी अधिकारी आंख मूंद, बंद किए बैठे हैं। इसके अलावा, रामगढ़ के अन्य बांध एवं सरोवर भी अतिक्रमण से ग्रस्त हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त संदर्भ में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करवाई जाकर अतरिया बांध को अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री छोटूसिंह जी भाटी।

जैसलमेर जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर गांवों में एस.आर. निर्माण व नल कनेक्शन

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार एस.आर. निर्माण व उससे नल कनेक्शन के लिए न्यूनतम जनसंख्या शर्त 4,000 की पूर्ति होने के बावजूद भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ऐसे गांवों में एस आर निर्माण पूर्ण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है।

मान्यवर जी, जैसलमेर जिला अत्यन्त ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। यहां के अधिकतर लोग दूरदराज के क्षेत्रों में निवास

(श्री छोटू सिंह भाटी)

करते हैं। चूंकि अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन रहा है, अत: पशुधन की सुविधा के हिसाब से लोग दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, अत: ज़िले में स्थित अधिकांश गांवों और कस्बों में जनसंख्या घनत्व राज्य के अन्य जिलों के ऐसे क्षेत्रों से बहुत ही कम है।

राज्य सरकार की सभी योजनाओं की भांति जलदाय विभाग द्वारा भी जल की बनाई गई योजनाएं पूरे राज्य के जनसंख्या घनत्व के औसत को देखते हुए बनाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों और बड़े गांवों में लोगों को घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई पेयजल योजना, एस आर निर्माण और घरेलू नल कनेक्शन के लिए प्रथम शर्त के तौर पर ऐसे गांवों की जनसंख्या 4,000 से अधिक होने पर ही ऐसे गांवों में नल कनेक्शन के प्रावधान किये गये हैं। पूर्व में मैंने राज्य सरकार से नियमों में संशोधन हेतु निवेदन किया था परन्तु राज्य सरकार ने इस पर गौर नहीं किया।

महोदय, इतनी विषम एवं भीषण परिस्थितियों के बावजूद जैसलमेर जिले के साथ ऐसा दुर्भाग्य है कि नियमों में संशोधन तो दूर, जो गांव नियमों में आ रहे हैं, उनके लिए भी एस आर और उनसे नल कनेक्शन स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिले में काफी कस्बे, पूनमनगर, सम, म्यांजलार, खुहड़ी, बड़ोड़ा गांव, चांधन, मूलाना सहित अनेक ऐसे गांव हैं जो कि निर्धारित मापदण्ड, जनसंख्या घनत्व चार हजार आबादी को पूर्ण करते हैं परन्तु इसके बावजूद भी विभाग ऐसे गांवों को पेयजल हेतु एस आर स्वीकृति एवं नल कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, जो कि विभाग और साथ ही सरकार की घोर असफलता दिखती है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही इन गांवों में एस आर निर्माण कर आमजन को नल कनेक्शन जारी किये जावें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सूरजभान धानका।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री भगवान सहाय सैनी।

टाटियावास ग्राम (चौमूं) में प्रस्तावित टोल नाके का स्थानान्तरण

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे नं. 11 पर हरमाड़ा से चौमूं के बीच प्रस्तावित टोल बूथ को निरस्त

(श्री भगवान सहाय सैनी)

करवाने के सम्बन्ध में विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, नेशनल हाइवे आथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा नेशनल हाइवे नं. 11 पर हरमाड़ा से चौमूं के बीच गांव टाटियावास में टोल बूथ प्रस्तावित है। यह टोल बूथ जन हित में नहीं है। यह टोल बूथ नगर निगम की सीमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर जे डी ए सीमा के अन्दर तथा चौमूं नगरपालिका सीमा से भी 7 किलोमीटर दूरी पर प्रस्तावित है। सामोद रोड पर पहले से ही टोल बूथ चालू है। सामोद से जयपुर आने वाले वाहन को केवल 15 किलोमीटर दूरी पर दुबारा टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, जयपुर से चौमूं अनेक लोगों को दो-दो बार आना-जाना पड़ता है। इसी प्रकार, चौमूं से जयपुर सब्जियां-दूध वाहनों द्वारा लाये जाते हैं, जिनसे बार-बार टोल टैक्स वसूला जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तावित टोल बूथ के पास जे डी ए द्वारा हजारों भूखण्ड आबंटित किये गये हैं, उन्हें जयपुर से अपने गन्तव्य स्थान तक आने-जाने में टोल टैक्स देना पड़ेगा।

प्रस्तावित टोल बूथ जे डी ए सीमा में ग्राम टाटियावास में लगाया जाना कतई वाजिब नहीं है। प्रस्तावित टोल बूथ के खिलाफ अनेक सामाजिक संस्थाओं व आम जनता द्वारा अनेक बार जन आंदोलन भी किये गये हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि हरमाड़ा-चौमूं के बीच ग्राम टाटियावास में प्रस्तावित टोल को निरस्त कर जे डी ए सीमा से बाहर जयपुर-सीकर जिला सीमा पर लगवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मदनजी प्रजापत (पचपदरा)।

पचपदरा की शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के क्रम में।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में मेवा नगर, जसोल, असाड़ा एवं शहरी क्षेत्र बालोतरा में कई शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनके तहत बी.एड. एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। विभागीय

(श्री मदन प्रजापत)

मानदण्ड एवं निर्देशानुसार उक्त प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों में भवन, स्टाफ एवं अन्य प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का होना नितान्त आवश्यक है। किसी भी संस्थान द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों एवं मानदण्डों की पालना करने पर ही राज्य सरकार द्वारा उनको सशर्त मान्यता प्रदान की जाती है, जिनकी पालना संचालक संस्था को करनी होती है। स्थानीय अभिभावकों एवं प्रशिक्षणार्थियों की प्राय: यह शिकायत रहती है कि उनको संस्थाओं द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। मेरे स्वयं के द्वारा भी यह महसूस किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को मूलभूत आवश्यकता, जैसे प्रशिक्षित एवं योग्यताधारी प्रधानाचार्य, अनुदेशक नियुक्त करना, भवन में सुविधायुक्त कक्षा कक्ष, महिलाओं के लिए कामन रूम, प्रयोगशाला, प्रसाधन हेतु पर्याप्त शौचालय, आदि की सुविधाएं भी नहीं हैं। कई संस्थाओं की तो स्थिति यह है कि उनका स्वयं का भवन भी नहीं है और चार-पांच वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी भवन का निर्माण नहीं करवाया गया है। प्रशिक्षणार्थियों से सभी सुविधाओं एवं उनके रखरखाव के नाम पर पूरा शुल्क वसूला जा रहा है। स्थिति यह है कि राज्य सरकार के बार-बार दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी अतिरिक्त शुल्क वसूलना, सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाना, समय पर योग्यताधारी स्टाफ नहीं लगाना इन संस्थाओं के मालिकों की आदत में आ गया है जिससे आम व्यक्ति परेशान है, जो मानवीयता के विरुद्ध ही नहीं, अपितु नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन एवं अन्याय की श्रेणी में आता है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन यह है कि मानदण्डों की पूर्ति के अभाव में इनको मान्यता किस प्रकार मिली, मान्यता देने के लिए कौन दोषी हैं, सशर्त मान्यता के प्रकरण में शर्तों को पूरा करवाने का दायित्व किसका है? प्रशिक्षणार्थियों को सही, गुणवत्तापूर्ण एवं समस्त सुविधाएं प्राप्त हों, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर न्याय प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)।

एन आर एच एम में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का नियमन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, राजस्थान राज्य में कार्यरत प्रयोगशालाओं में एन आर एच

(श्रीमती अनिता भदेल)

एम के अन्तर्गत संविदा पर कार्मिकों की नियुक्ति की गई थी, जिनके द्वारा प्रयोगशालाओं में अति महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। ये कार्मिक काफी लम्बे समय से इन प्रयोगशालाओं में कार्यरत हैं। सरकार द्वारा चलाये गये अशुद्ध के विरुद्ध अभियान का सफलतापूर्वक संचालन इन प्रयोगशालाओं में कार्यरत कार्मिकों के कारण ही सम्भव हो पाया है। लम्बे समय से काम करने के कारण ये काफी अनुभवी हो चुके हैं। सम्पूर्ण राज्य की समस्त प्रयोगशालाएं इन कार्मिकों के कारण ही संचालित हो पा रही हैं, जबकि इनमें सृजित सभी पद रिक्त पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, अजमेर में लेखा प्रबन्धक के पद पर उर्वशी डीडवानिया, लेब अटेंडेंट के पद पर विष्णु देव शर्मा व आशा सैनी, इन्स्ट्रूमेंट मेकेनिक के पद पर बहादुर मोहम्मद, सुरक्षा प्रहरी/हैल्पर के पद पर इकबाल खान, अनिल कुमार, राजेन्द्र कुमार व भगवान दास गुरु कार्यरत हैं। इस प्रकार 9 कार्मिक अजमेर की इस प्रयोगशाला को संचालित कर रहे हैं। जयपुर पब्लिक हैल्थ प्रयोगशाला में भी इसी प्रकार लेखा प्रबन्धक के पद पर एक कार्मिक, कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर दो कार्मिक, इन्स्ट्रूमेंट मेकेनिक के पद पर एक कार्मिक, लेब अटेंडेंट के पद पर चार कार्मिक व हैल्पर के पद पर एक कार्मिक, इस प्रकार कुल आठ कार्मिक जयपुर प्रयोगशाला में कार्यरत हैं। जोधपुर प्रयोगशाला में उपरोक्त विभिन्न पदों पर पांच कार्मिक, अलवर में छह कार्मिक, कोटा में चार कार्मिक, उदयपुर में आठ कार्मिक; इस प्रकार सम्पूर्ण राजस्थान की प्रयोगशालाओं में कुल 40 कार्मिक संविदा पर लगातार कार्यरत हैं।

सरकार की ओर से बार-बार घोषणा की जा रही है कि एन आर एच एम में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित किया जाएगा, उपरोक्त कर्मचारी भी लम्बे समय से कार्य करते हुए स्वयं के सरकारी सेवा में नियमित होने के इंतजार में हैं।

मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि सरकार उपरोक्त राजस्थान भर के कुल चालीस कार्मिकों को भी यदि नियमित करती है तो न केवल प्रयोगशालाओं का संचालन ठीक प्रकार से हो पाएगा, वरन इतने अनुभवी कार्मिक भी सरकार को नियमित रूप में उपलब्ध हो सकेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मानसिंह (परबतसर)।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर)।

मानगढ़ धाम के शहीदों के 235 आदिवासी परिवारों की बेदखली

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, आदिवासी अंचल में स्थित मानगढ़ धाम में 27 वर्षों से काबिज 235 आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में।

महोदय, आदिवासी अंचल में स्थित मानगढ़ धाम के शहीदों के 235 आदिवासी परिवारों को बड़े मार्बल व्यवसायी ने सरकार से सांठ-गांठ कर मानगढ़ में विगत 27 वर्षों से काबिज शहीद आदिवासियों के परिवार को बेदखल कर दिया है। ग्राम कोठारा में पूर्व के 27 वर्षों से आदिवासियों के वन क्षेत्र में दिनांक 23.5.1989 को आवेदित मार्बल एग्रीमेंट व खातेदारी हक के लिए नीचे से लेकर भारत सरकार तक कार्यवाही चल रही है और उक्त जमीन पर आदिवासियों के कब्जे जारी हैं। गांव कोठारा में अभी-अभी आर.के. ग्रेमी मार्मो प्रा.लि. व अन्य पन्द्रह मार्बल खदानों का एग्रीमेंट हुआ है। उसको निरस्त कर 27 वर्षों से काबिज आदिवासियों को वन क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी हक देकर 623 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 235 आदिवासी मार्बल खदान आवेदकों को मार्बल खदानों का एग्रीमेंट दिलवाने की प्रार्थना है। गांव कोठारा में अभी-अभी उद्योगपति आर.के. मार्बल द्वारा वहां के आदिवासियों के द्वारा बनाये गये देवस्थान धूणिया, अपने परिवारों के श्मशान घाट, समाधि स्थल, पूजित देवताओं की मूर्तियां, पूजित झण्डे, सिरा बावजी, देव वन के पूजन के वृक्ष एवं झोंपड़ियों को रातों-रात बड़ी-बड़ी मशीनों से नष्ट कर दिया गया है।

उक्त अवैध कार्यवाही से आदिवासियों में भारी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है और वे धरने-प्रदर्शन पर उतारू हो गये हैं जिससे कभी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और भारी आगजनी हो सकती है।

अत: आपसे निवेदन है कि आदिवासी अंचल में स्थित मानगढ़ धाम के शहीदों के 235 परिवारों को त्वरित न्याय दिलाने के व्यापक जन हित मुद्दे पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गोपाल मीणा।

जमवारामगढ़ अभयारण्य ब्लाक, डिगोता-61 व रेंज रायसर को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जमवारामगढ़ अभयारण्य, ब्लाक डिगोता-61 व रेंज रायसर को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति तथा इसके कारण से अधिकांश गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जमवारामगढ़ अभयारण्य, ब्लाक डिगोता-61 व रेंज रायसर को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित अधिकांश गांवों की ज़मीनों पर सरकार द्वारा रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वन मंत्रीजी एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा कि सर्वविदित है, मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ का काफी बड़ा एरिया वन क्षेत्र में आता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत नीमला, हींगवाला, नाभावाला, काली-बरकड़ी, खानिया, बस्सी, डिगोता, कीलचपुरी, रायवाला, नेतावाला, राम्यावाला, सानकोटड़ा व ग्राम पंचायत थली के ग्राम थली, गुवाड़ा व रासावाला क्षेत्रों को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र में सम्मिलित करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में उक्त सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा तथा वहां की स्थानीय आम जनता द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है।

इसके साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ स्थित विठलपुर, सुरेठी बिशनपुरा, केलनवास, गोपालगढ़, नवपुरा, भिवास, घाटी घनश्यामपुरा, साहू, साहू शीरा, जमवाघाट, रासावाला, बस्सी, काली बरकड़ी, डगोता, काणीखोर, दांतली, पावटा, महंगी, गुढ़ा-हरूका, बामनवाटी, महंगौर, नांगल तेजसिंह, रायसर, रामजीखुरा, कुशलपुरा, डारोलाई, चैनपुरा, इत्यादि गांवों में सरकार द्वारा उनकी जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इस कारण से उक्त सभी गांवों की जनता में भारी रोष व्याप्त हो गया है। रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने के लिए आये

(श्री गोपाल मीणा)

दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं तथा भविष्य में जन आंदोलन और तेज होने की संभावना है।

इस सम्बन्ध में सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सभी क्षेत्रों को सरिस्का बाघ परियोजना के बफर क्षेत्र से हटाकर पुन: रेंज जमवारामगढ़ अभयारण्य में परिवर्तित करने के साथ-साथ मेरे क्षेत्र के जिन गांवों में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है, उन गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता में आक्रोश नहीं फैले एवं उनको राहत मिल सके।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जन हित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय वन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जन हित में उक्त दोनों प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका निशकरण शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कमल बैरवा।

निवाई में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री कमल बैरवा (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि निवाई शहर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व घनी आबादी वाला शहर है। यहां अधिकतर छात्र-छात्राएं कक्षा 12वीं के बाद विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि यहां राजकीय महाविद्यालय नहीं है। अत: निम्न कारणों को ध्यान में रखते हुए मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करावें।

निवाई क्षेत्र की जनता के आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अग्रिम अध्ययन हेतु कुछ छात्र-छात्राएं ही टोंक, जयपुर अथवा अन्य शहरों में जा पाते हैं; शेष को ना चाहते हुए भी अध्ययन सुविधा के अभाव में बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। निवाई में वर्तमान में लगभग तीनों संकायों को मिलाकर 3,123 छात्र-छात्राएं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं जिनमें 2,131 छात्र तथा 992 छात्राएं हैं। निवाई शहर में राजकीय महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण हेतु नगरपालिका, निवाई द्वारा पूर्व में भूमि आबंटित की हुई है तथा चारदीवारी भी निर्मित की जा चुकी है। टोंक जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं।

(श्री कमल बैरवा)

वर्तमान में निवाई क्षेत्र के आमजन, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, संगठन से जुडे हर वर्ग का महाविद्यालय खुलवाने को लेकर भारी दवाब है तथा चुनावी वर्ष के बजट को लेकर सभी वर्ग पूर्ण आशान्वित हैं।

अत: निवाई क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की अग्रिम अध्ययन हेतु महाविद्यालय की महती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि निवाई की जनता, संगठन, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं छात्र-छात्राओं के हित में इसी बजट सत्र में महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित करने की कृपा करें, जिससे वर्षो से चली आ रही मांग और आवश्यकता पूर्ण हो सके, निवाई तहसील के छात्र-छात्राएं आगे पढ़ाई से वंचित न हो सकें और तहसील एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

डेगाना के गांवों में अकाल की स्थिति

श्री अजय सिंह (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं डेगाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों में अकाल की स्थिति को सदन के सामने लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में नागौर जिले में कम वर्षा हुई। सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नागौर जिले के सभी गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। नागौर जिले के डेगाना विधान सभा क्षेत्र में औसत से भी कम वर्षा हुई। कम वर्षा एवं खराब मौसम के कारण खरीफ की सभी फसलें, मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, मूंगफली, आदि पूर्णत: नष्ट हो गईं। क्षेत्र की गिरदावरी रिपोर्ट से भी अकाल की पुष्टि हो चुकी है। क्षेत्र के 122 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत फसलें नष्ट हो गईं तथा 75 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत फसलें नष्ट हो गईं। सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया था कि गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी लेकिन सरकार को गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त हुए चार माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है।

अत: सरकार से मेरी मांग है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र के किसानों को उचित एवं जायज मुआवजा दिया जाए; एक वर्ष के फसली ऋणों एवं विद्युत बिलों को माफ किया जाए; क्षेत्र की सभी गौशालाओं को शीघ्र अनुदान दिया जाए; एवं सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चारा डिपो खोले जाएं।

(श्री अजय सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, डेगाना विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जिन किसानों ने खरीफ फसल पर फसली ऋण लिया था, उन पर बीमा राशि का प्रीमियम काटा गया लेकिन उस बीमा राशि पर बीमा क्लेम नहीं के बराबर दिया गया, जो क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय एवं हितों के साथ कुठाराघात है। मौसम आधारित केन्द्र, बरना के अधीन आने वाली सहकारी समितियां, चांदनी, बरना, खुड़ीकलां, सांजु, चान्दारूण, गुणसली, मांझी, जाखेड़ा, लंगौड़, हिरणी, ढाणी, सावलियास, आकेली बी, बुटाटी, ढाढ़रियां कलां, चौलियास, चुई, मोगास, डावोली मीठी के किसानों को मूंग, ग्वार एवं बाजरा पर बीमा कंपनी ने प्रति हेक्टेयर बीमा क्लेम नहीं दिया। खुड़ीकलां एवं बरना मौसम आधारित केन्द्रों के अधीन आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के किसानों से बीमा प्रीमियम 870 रुपए काटा गया मगर उनको बीमा क्लेम 9 रुपये से दिया गया। इसी प्रकार, क्षेत्र के ईड़वा मौसम आधारित केन्द्र के अधीन आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों, ईड़वा, बंवरला, सिरासना, सारसण्डा, पालियास, जालसू कलां, डेगाना गांव, पुन्दलौता, गौरेड़ी चांचा के किसानों को मौसम आधारित फसली बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ फसल का बीमा क्लेम फसलों की बीमित राशि की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है। यहां तक कि प्रति वर्ष दिये जाने वाले प्रीमियम मूल्य से भी कम क्लेम ही स्वीकृत किया गया है। डेगाना विधान सभा क्षेत्र में बरना मौसम आधारित केन्द्र के अधीन आने वाली सहकारी समितियों के किसानों को बीमा क्लेम वर्ष 2012 में बीमा शुल्क के अनुपात में 0.36 प्रतिशत दिया गया।

क्षेत्र के किसानों को फसलों का बीमा क्लेम बीमा राशि के अनुपात में स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

मकराना में ए डी जे कोर्ट की स्थापना

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेड़ता जजशिप के नीचे मकराना में नियमित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय (ए डी जे कोर्ट) खोले जाने की घोषणा निम्न समस्याओं को देखते हुए करवाएंः-

1. जिला मुख्यालय नागौर की आबादी में लगभग बराबर होकर मेरा विधान सभा क्षेत्र मकराना दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा कस्बा है;

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

2. उपखण्ड मकराना में उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के साथ पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, आयकर कार्यालय, सेल्स टैक्स कार्यालय, बिजली विभाग, जलदाय विभाग के कई राजकीय कार्यालय हैं, जो अन्य कस्बों से अधिक हैं;

3. बजट 2013-14 में मेरे क्षेत्र की नगरपालिका, मकराना भी क्रमोन्नत होकर नगर परिषद बन गई है;

4. इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन है जो मकराना सब-डिविजन का मध्य बिन्दु है व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, दोनों के ठहराव से यातायात की अच्छी सुविधा है;

5. मकराना न्यायालय परिसर में ए डी जे कोर्ट के लिए भवन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है;

6. विधान सभा क्षेत्र मकराना भौगोलिक दृष्टि से बड़ा तथा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर अन्य न्यायालयों से मुकदमे भी ज्यादा पेश होते हैं तथा लम्बित प्रकरण भी सबसे ज्यादा हैं; एवं

7. वर्तमान में परबतसर ए डी जे कोर्ट में 60 से 70 प्रतिशत सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरण लम्बित चल रहे हैं जिनमें मकराना के 80 प्रतिशत मामलात लम्बित हैं।

मान्यवर, कई वर्षों से बारम्बार निवेदन किया जा रहा है, इसलिये उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए मकराना विधान सभा क्षेत्र में ए डी जे कोर्ट की अति आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए मकराना में ए डी जे कोर्ट खोला जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सुखराम। पर्ची ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बसेड़ी में अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के कार्य में अनियमितताएं

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान बसेड़ी विधान सभा में अनैतिक रूप से, नियम विरुद्ध और गरीबों का अहित करने वाली अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के कुकृत्यों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महिला सहकारी समिति, उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं कि महिलाओं को एकत्रित करना, उनसे

(श्री सुखराम)

अंशदान इकट्ठा करना और फिर उसको महिलाओं के उत्थान के लिए ऋण लेकर या विभिन्न योजनाएं संचालित करके महिलाओं का उत्थान करना, परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने उद्देश्यों से बिलकुल विपरीत चलते हुए इस महिला सहकारी समिति ने उन गरीब महिलाओं का शोषण किया; शोषण ही नहीं किया, अपितु उन्हें विविध प्रकार से परेशान किया। उन महिलाओं के नाम इस संस्था में लिखे जिन महिलाओं को यही पता नहीं है कि हम इस संस्था की सदस्या हैं या दस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नौकरी करने वाली हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संस्था का वास्तविक संचालक राजस्व विभाग का एक पटवारी है जिसका नाम हरिओम गर्ग है। उसने अपनी धर्मपत्नी के नाम से, धर्मपत्नी को इसमें अध्यक्ष बनाया है व उन विविध गरीब महिलाओं को इसमें जोड़ा है जिनमें, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, उसमें मेरी भी एक रिश्तेदार, जो अनपढ़ है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे शामिल हुए, तो कहा कि हमें पता नहीं, हमें तो यह रोज दस रुपये रोटी बनाने के लिए देता था और उसी को उसमें सदस्य बनाया गया।

यही नहीं, उन्होंने अपने एफिडेविट दिए हैं; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उन महिलाओं के सम्पूर्ण एफिडेविट मेरे पास हैं जिन महिलाओं ने यह कहा कि हमें पता ही नहीं कि हम इस संस्था में सदस्या हैं।

यही नहीं, यह फर्जी संस्था, मैं तो कहूं, करीबन-करीबन 25-30 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील का भी वितरण करती थी, मिड-डे मील का वितरण तत्कालीन एस डी एम की मिलीभगत से। मिड-डे मील के नाम पर सिर्फ पानी जैसी दाल, जली हुई रोटियां, वह भी एक-एक या दो-दो। बैन लगा हुआ है कि प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी कोई भोज्य या खाद्य सामग्री स्कूल तक नहीं पहुंचाई जाए, मेरे पास सी डी रखी हुई है, अगर विभाग के अधिकारी यहां बैठे हुए हों तो मेरे पास सी डी रखी हुई है, उसमें आप देखें कि किस तरह से उन नैनिहाल बच्चों के साथ इस संस्था ने, पांच साल से रजिस्ट्रेशन हुआ है, 17.10.2005 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उस समय के बाद से यह संस्था लास्ट यीयर तक मिड-डे मील का वितरण करती रही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि उन नौनिहालों की जांच की जाए, करीबन कई लाख किलो गेहूं, इत्यादि का उसने भोज किया है।

इसके साथ-साथ, इसी संस्था द्वारा दो राशन की दुकानें संचालित की

(श्री सुखराम)

जाती हैं। इसकी दादागिरी इतनी है कि इसमें भी मेरी खास मौसी का लड़का, मुकेश, जो बी पी एल में है, दो साल से उसे गेहूं नहीं दिया। मैं रिकार्ड कराना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: कौन है?

श्री सुखराम (बसेड़ी): मेरी मौसी का लड़का।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने परिवार के सदस्यों के मामले में सदन में बात नहीं...

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं यह नहीं कह रहा।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा आपसे अनुरोध है, आपको ज्ञान नहीं हो, यदि रूल्स पढ़ने में थोड़ी...

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका ओवरसाइट हो गया हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे शब्द नहीं बोलें। यह, माननीय सदस्य, आप जानते हों, व्यक्तिगत बात, रिश्तेदारों के बारे में, उनको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, नहीं बोलना चाहिए। इसको अवाइड करिये, अवाइड करिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): क्षमा प्रार्थी हूं। आगे के जो बी पी एल के लोग हैं जिनको दो साल से सिर्फ तीन लीटर केरोसीन देता है, दो साल से इनको गेहूं नहीं मिला, जिनमें राजू सन आफ गणेशी, बी पी एल क्रमांक 556/30; नत्थी सन आफ वसीद, बी पी एल क्रमांक 276/16; गोपाल, गणेशी, नत्थी सन आफ बंशी बी पी एल क्रमांक 437/24; लाखण, ननकाराम बी पी एल क्रमांक 345/147....

श्री उपाध्यक्ष: वह सब ठीक है, अनियमितता है, आपने कह दिया, अब समाप्त कीजिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो संस्था चल रही है, इन्होंने घोटाले किए, एक तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें एक एफ आई आर दर्ज हुई इसके लिए, 372/12 धारा 420, 467, 468, 469, 120 बी और 471, थाना बसेड़ी में परन्तु इसने पैसे देकर, जिन्होंने एफिडेविट देकर यह एफ आई आर दर्ज कराई थी कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, इसमें जो इन्होंने अपने संचालक मण्डल की लिस्ट दी है...

श्री उपाध्यक्ष: क्या चाहते हो आप इसमें ?

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि मंत्री महोदय या विभाग के अधिकारी तत्काल रूप से इसकी जो राशन के डीलर की दुकान है, उसको निरस्त किया जाए और मिड-डे मील के रूप में जो घोटाला किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)।

मारवाड़ में जल योजनाओं का रख-रखाव

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मारवाड़ में वृहत् जलप्रदाय योजनाएं, हिमालय पर 11 स्वीकृत की गईं, उनमें से 9 योजनाओं में एक हजार करोड़ रुपये का कार्य हो गया, टेण्डर के अनुसार कम्पनी/ठेकेदारों ने कर दिया, अब बजट के अभाव में वे योजनाएं रुक गई हैं।

ऐसे ही, हमारे यहां जोधपुर की प्यास बुझाने के लिए राजीव गांधी लिफ्ट योजना चल रही है और उस लिफ्ट योजना में 20 वर्षों से 27 पम्प और वाल्व लगे हुए हैं। उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए एस पी एम एल, दिल्ली की कम्पनी को टेण्डर दिया हुआ है लेकिन वह समय पर कार्य नहीं करने से वहां 17 पम्प हट गए हैं।

आने वाले समय में जोधपुर के लिए पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो जाएगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारी नौ पेयजल योजनाएं बजट के अभाव में रुक गईं। उसी मारवाड़ के गृह जिले से, उसी मारवाड़ का, मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला होने के बाद भी हमारे यहां पेयजल की समस्या बनी हुई है।

मारवाड़ में रेगिस्तान है, वहां मरुस्थल बसता है, वहां पर आंधी भी ज्यादा चलती है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है और तापमान ज्यादा होने की वजह से गर्मी ज्यादा पड़ती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए पेयजल का ज्यादा संकट होता है। तावड़ी लाणसून सूख्या नींव लिवाण, नव जो धरती माइने जल री खींचातान। इतनी जबरदस्त खींचातान है।

विशेषकर हमारे मारवाड़ में जो जनता जल योजना चलती है, बरसों से उनको एक हजार रुपये मानदेय मिलता है; 400 रुपये पर हार्स पावर के मरम्मत, रखरखाव और संचालन का पैसा मिलता है। उस वजह से, वे जो योजना चला रहे हैं, उनका मन बहुत उदास है कि एक हजार मात्र में क्या होता

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

है! हाई कोर्ट ने भी निर्देश दे दिये कि उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए, वह भी नहीं मिल रही।

साथ ही, जलदाय विभाग उनके विद्युत के बिल भरता था पहले, उन्होंने सरपंचों को दिये, उन्होंने जमा नहीं कराया; फिर पंचायत समिति को दिए, उन्होंने जमा नहीं कराये। जितने भी जनता जल योजनाओं के विद्युत बिल हैं, उस वजह से कनेक्शन काटे जा रहे हैं और हमारे पेयजल का संकट गहरा गया है।

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जनता जल योजना का मानदेय बढ़ाएं, मरम्मत राशि बढ़ाएं और विद्युत बिल....

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): खास तौर से ये जनता जल योजनाएं स्वीकृत होती हैं, उनमें आप सोलर ऊर्जा के कनेक्शन दें। यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री ओम जोशी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): साहब, मैं तो अभी शुरू ही हुआ हूं, मेरी पेयजल की मांग है। मैं उस दिन भी, बजट पर भी मैं नहीं बोल सका। दो मिनट भी नहीं हुए हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मांग तो रख दूं, चार मांग हैं मेरी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी चार मांग तो रखने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: एक मांग पर होती है पर्ची ...(व्यवधान) चार पर नहीं होती। आप तो नियमों के ज्ञाता हैं, एक ही सब्जेक्ट पर होती है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सिर्फ चार मांग पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: चार मांग काहे की?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरी पेयजल की चार मांगें हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक बात, एक ही बात पर पर्ची होती है या कोई भी बात ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पेयजल की समस्या की पर्ची है मेरी, शेरगढ़ की। पेयजल की समस्या की है। मेरी मांग तो रखने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट बैठ जाओ, साहब। वैसे नाम भी शेर है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): शेरगढ़ की हिमालय पेयजल योजना, आर डी 134, जिसमें डेढ़ साल का समय हो गया और 25 परसेंट काम हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ, इसे आप पूरा करें।

उसके साथ, इस योजना में ए सी पाइप की जगह यू पी वी सी पाइप की मांग की, वह भी निर्णय नहीं होने से काम रुका हुआ है। साथ ही आर डी 169 का काम भी पूरा नहीं हुआ है, उसके टेण्डर का समय पूरा हो गया लेकिन काम 25 परसेंट बाकी है, उसको भी पूरा करें।

साथ ही, मंत्री महोदय, मैंने आपको कई पत्र लिखे हैं, पेयजल की समस्या के लिए, आपने उनके ऊपर अधिकारियों को स्वीकृत करने के लिए निर्देश जारी कर दिए लेकिन अधिकारी ये स्वीकृतियां नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी बड़े हो गए और सरकार के निर्देशों की पालना नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, बात नहीं करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं यह कहना चाहूंगा कि बार-बार मंत्री जी के, स्वीकृति के निर्देश दिए हुए हैं, उसके बाद भी इनकी स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही हैं। आप अधिकारियों को निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी, अपनी सीट पर जाएं; आप अपने आसन पर पधारें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने बजट में 20 हजार हैण्ड-पम्प देने की घोषणा की है, हमारे क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट है, वहां भी करें।

शेरगढ़ में जे.ईएन. और ए.ईएन. के पद रिक्त हैं। कोई है ही नहीं, तो सारी योजनाओं को कौन सम्भालेगा? इसका समाधान भी आप करें।

साथ ही जो पेयजल की योजनाएं आप स्वीकृत कर रहे हैं, उनका भी अगर ओ. एण्ड एम. आप साथ देंगे तो पेयजल योजनाओं का संचालन सही ढंग से हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। विराजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह भी मेरा आपसे खास तौर से निवेदन है। मंत्री महोदय, प्लीज, आप थोड़ा सा इसमें मुझे बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका पूरा शेरगढ़ का हो गया। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय कहना चाहते हैं, हुकुम। मंत्री महोदय बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओम प्रकाशजी जोशी। (व्यवधान) मैंने मना नहीं किया; वे बोलें तो बोल सकते हैं, यह सरकार के ऊपर है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय फरमाना चाहते हैं, हुकुम। थोड़ा फरमा दें आप। (व्यवधान) थोड़ा मंत्री महोदय फरमा दें, हुकुम।

श्री उपाध्यक्ष: वे बोलना चाहेंगे तो खड़े हो जाएंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश जोशी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ): मंत्री महोदय फरमा रहे हैं, हुकुम।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये, ओम प्रकाशजी जोशी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, यह बड़ी योजना है। मंत्री महोदय विराजे हैं, हुकुम।

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओम प्रकाशजी जोशी। अब आप विराज जाएं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये। केवल ओम प्रकाश जोशी।

दुर्घटनाओं की अधिकता के मद्देनजर फलौदी के राजमार्गों की तकनीकी जांच

श्री ओम जोशी (फलौदी): उपाध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि फलौदी से...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री ओम जोशी (फलौदी): फलौदी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, स्टेट हाइवे नम्बर 61, स्टेट हाइवे नम्बर 19, मेगा हाइवे फलौदी विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): इन राजमार्गों से गुजरने वाले हजारों की संख्या में वाहन उनका उपयोग करते हैं। चूंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग सुविधाओं से पूर्ण हैं, इसलिये इनके क्षेत्र में आने वाले जो चौराहे हैं वहां पर कुछ दुर्घटनाओं की दिक्कत आ रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर बाप में चौराहा है, जहां से एक ग्रेफ रोड विक्रमपुर की तरफ जाती है, उस चौराहे पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। चौराहे की तकनीकी रूप से जांच करवाकर ठीक कराने की आवश्यकता है। उसके पश्चात् नागौर हाइवे पर, जो स्ट्रेट नागौर, फलौदी से जयपुर आता है, 19 नम्बर, वहां पर भी चौराहा है। उस चौराहे पर भी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन दुर्घटनाओं की वजह से, हजारों की संख्या में जो अमृतसर से काण्डला वाहन निकलते हैं और रामदेवरा मेले के समय जो हजारों की संख्या में यात्री जाते हैं, उनको कठिनाई होती है और कई लोगों की मौत हो जाती है। उसके आगे जोधपुर-औसियां एक चौराहा है, उस चौराहे पर भी वर्तमान में अतिक्रमण होने और अन्य सुविधाएं नहीं होने की वजह से उस चौराहे से गुजरने वाले वाहन कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व वहां पर हमारे फलौदी के तत्कालीन एस.डी.एम., श्री सारस्वत की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। उन चौराहों की तकनीकी रूप से जांच करवाकर और वहां निर्माण कराने की आवश्यकता है। अन्तिम जो एका चौराहा है, जो मेगा हाइवे रिडकोर के द्वारा संचालित किया जाता है, उस चौराहे पर जो मोड़ बीकानेर की तरफ जाता है, उस रोड पर सदैव महीने में आये-दिन 5-7 दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रक उलटते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चारों चौराहों की तकनीकी जांच करवाकर इन पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे कि आने वाले समय में दुर्घटनाएं नहीं हों और जनहानि नहीं हो। मैं हमारे पी.डबल्यू.डी. मंत्री साहब की गम्भीरता से परिचित हूं, वे स्वयं फलौदी पधारे थे, इस सम्बन्ध में उन्होंने वहां इनका अवलोकन भी किया है। मैं आशा करता हूं कि यह सरकारी अधिकारियों के कागजों में नहीं रह जाए और इन चौराहों की तकनीकी जांच करवाकर तत्काल इन पर सुविधाजनक स्थिति पैदा की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर)।

राजस्व मण्डल सदस्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध जांच का प्रकरण

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राजस्व मण्डल, राजस्थान के राजस्व मामलों की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है। एक ऐसे गम्भीर मामले की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आई.ए.एस., आर.ए.एस., जुडिशरी और वकील, इन चार कोटों से सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। जैसी कि मुझे पुख्ता जानकारी है, जब आर.ए.एस. अधिकारी को इसमें सदस्य नियुक्त करने की बातचीत आती है तो आर.ए.एस. अधिकारी से इस प्रकार का एक बाण्ड लिया जाता है कि वह आजीवन, अपने रिटायरमेंट तक बोर्ड का ही मेम्बर रहेगा। इस प्रकार से वहां अनियमितताओं की...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। कांस्टिट्यूशनल स्टेट्यूटरी बाडी है, इस पर थोड़ी अपनी भाषा में संयम रखें। आ गया, इसलिये मैं तो बुलवा रहा हूं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री उपाध्यक्ष: वह है, लेकिन अपन नियमों से बंधे हुए हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इसके बाद, यदि कोई भी आर.ए.एस. अधिकारी जो वहां मेम्बर के रूप में काम कर रहा है, वह किसी भी प्रकार के, अगर ऐसा कोई निर्णय करे जो किसी भी प्रकार के आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पूर्व में भी इस प्रकार का एक निर्णय एक आर.ए.एस. अधिकारी के द्वारा किया गया। जब राजस्थान सरकार के द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की गई तो राजस्थान के उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए राजस्थान सरकार के उस आदेश को अपास्त किया कि आपकी गवर्निंग बाडी राजस्थान सरकार नहीं है, केवल मात्र रेवेन्यू बोर्ड है। इस प्रकार से वह अधिकारी आज तक भी रेवेन्यू बोर्ड में लगातार काम कर रहे हैं।

मेरा यह मानना है कि राजस्थान सरकार के जिस प्रकार से आर.ए.एस. अधिकारियों को एक अलग तरह की कैटेगरी वहां दी हुई है, तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार के निर्णय पारित करके सरकार को और आमजन को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, इस पर गम्भीर चिंतन करने की आवश्यकता है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एक फैसला 22.09.2008 को रेवेन्यू बोर्ड में हुआ, जिसमें तत्कालीन चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड ने तुरन्त प्रसंज्ञान लेते हुए उस फैसले को स्टे किया। स्टे करने के बाद तत्कालीन अधिकारी, जिन मेम्बर, जिन्होंने इस फैसले को किया था, उनको ए.पी.ओ. या सस्पेंड करने की राज्य के मुख्य सचिव से उन्होंने सिफारिश की। इन अधिकारी महोदय का, जिसमें उन्होंने लिखा है, अपने तीन पेज के पत्र में, अंत में, ''Since the integrity of Shri... अधिकारी का नाम .... has been openly questioned in the above cases. I would request that a regular inquiry under the Rules may be initiated against +++ The allegations against him are serious and to consider removing the Officer immediately from the Board by either suspending him or making him APO. Although, there is considerable shortage of Members in the Board, I am of the opinion that it is preferable to have pendency of cases rather than mala-fide disposal of the cases. Pending further directions from the state, no judicial work is being allotted to +++ for the present."

इस टिप्पणी के बाद राजस्थान की सरकार ने इस अधिकारी का इस विभाग से, रेवेन्यू बोर्ड से ट्रांसफर किया। ट्रांसफर के पश्चात् लगातार इन अधिकारी महोदय की जांच की कार्यवाही चली। डी.ओ.पी. सेक्रेटरी, तत्कालीन, ने भी 05.10.2008 को इनके खिलाफ गम्भीर अपराध मानते हुए इनके खिलाफ कार्यवाही की अभिशंसा की। इनके खिलाफ जो अपराध था, इन्होंने बोर्ड मेम्बर रहते हुए, कोर्ट साढ़े दस बजे शुरू होती है लेकिन दस बजे ही एक आर्डर को प्रोनाउंस करने का हठधर्मितापूर्वक काम किया। उसके खिलाफ बोर्ड के चेयरमैन ने और डी.ओ.पी. सेक्रेटरी ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, अब समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): विषय तो आने दें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: विषय का, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें, आपने अपनी बात रख दी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): डी.ओ.पी. सेक्रेटरी और बोर्ड के चेयरमैन ने इनके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार कार्यवाही चलाने के बाद, लम्बी कार्यवाही चलने के बाद, इनके खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह चूंकि इस पूरी नोटशीट में भी आई हुई है, प्रकरण गम्भीर दुराचरण का है, भ्रष्टाचार के इस गम्भीर प्रकरण में कार्यवाही की जानी चाहिए। अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील)

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

नियमों के नियम आठ में उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी, जिसको चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड; राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी; राजस्थान के डी.ओ.पी. सेक्रेटरी, इन सब लोगों ने इस प्रकरण में कार्यवाही हेतु अपनी लगातार टिप्पणियां की हैं लेकिन बड़ा गम्भीर विषय है कि इस फाइल को, राजस्थान में सरकार बदली, वर्तमान सरकार आई और 15.11.2009 को इस गम्भीर अपराधी, भ्रष्टाचार के गम्भीर अपराधी की, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने हस्ताक्षर से इस जांच को बंद किया।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करिये। धन्यवाद। आप विराजिये, विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): भ्रष्टाचार में राजस्थान की सरकार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड का निर्णय, न्यायालय का निर्णय है। अब आप विराजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर बात है। आपने एक मिनट में मेरी बात को सुने बिना, मेरी बात पूरी हुए बिना इस गम्भीर अपराध के अपराधी को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें। अब आप विराजिये। अब समाप्त हो गया आपका। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये।

माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर। किसी अन्य का अंकित नहीं होगा। राधेश्याम जी गंगानगर।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हर चीज विधान सभा में नहीं आती है। जितना आना था, आ गया।

सूचना

श्रीगंगानगर में चोरी की बढ़ती वारदातें

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गंगानगर में हर व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित मानता है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: राधेश्याम गंगानगर, केवल।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं अबकी ताजी बात आपको बता रहा हूं। रात को आठ बजकर 20 मिनट पर सिहाग हास्पिटल के पास एक लग्जरी कार में चार व्यक्ति, बच्चे आये। और आकर उन्होंने रिवाल्वर

(14.00 बजे)

रखा और उसकी चाबी और गाड़ी लेकर रवाना हो गए। इस तरह से यह दसवीं-बारहवीं बार घटना घटी है।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि गंगानगर के नागरिक बिलकुल इस मामले में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 12 फरवरी को डाक्टर मंजीत सिंह की लग्जरी कार चोरी हो गई, यह तो मैं पहले रात की घटना बता रहा हूं, 12 फरवरी को हुई। 31 जनवरी को हमारे हेतरामजी बेनीवाल, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। इसी तरह से, 24 जनवरी को डाक्टर दर्शन की कार चोरी हो गई। इसी तरह से, शादी करके एक नया जोड़ा आया और मंदिर में नमस्कार करने के लिए, देवी के यहां पर नमस्कार करने गया तो चोर आए, लड़के, और उनके हाथ से पर्स छीन कर ले गये, सारे के सारे जेवरों को लेकर चले गए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि गंगानगर के लोग बिलकुल अपने आपको असुरक्षित मान रहे हैं। सरकार इस पर स्टेटमेंट दे।

यह जो इतनी चोरियां हुई हैं, इसके साथ-साथ रात में ही, अभी तीन दुकानों में चोरी बड़ी भयंकर, भारी, पीछे से उनको खोद कर, अन्दर घुसकर सारा सामान लेकर चले गए। इसी तरह से मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि चोरों ने स्टेशन रोड पर 13 दुकानों में चोरियां कीं जिनका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। यह 15-20 दिन पहले की बात है।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आये-दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अगर सरकार इस तरह से कोई इंतजाम नहीं करेगी तो व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित फील करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पुलिस करेगी या सरकार करेगी, वहां पर?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पुलिस किसकी है?

श्री उपाध्यक्ष: सरकार की है, तो इसका मतलब सरकार ही होता है। डायरेक्ट मत कहें। आप तो सीनियर मैम्बर हो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सरकार ही करेगी। होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजना तो इस बात पर मत लाओ, शुरू में ही।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हमने पांच-पांच लाख रुपए देकर वहां पर कैमरे लगवाए एम.एल.ए. कोटे से; विधायक गुरमीत सिंहजी ने और मैंने दस लाख, पांच-पांच लाख रुपए प्रत्येक ने दिए कि ये चोरियां बहुत हो रही हैं, कैमरे लग जाएं; कैमरे लग गए लेकिन फिर भी उसमें कोई चीज सामने नहीं आ रही है। पंजाब से लोग आते हैं और बच्चे, क्योंकि इसमें अख़बार में लिखा है, 'भास्कर', 'राजस्थान पत्रिका', 'सीधा-संदेश' में लिखा है कि वे पंजाबी भाषा बोल रहे थे, जब इतना मालूम है कि पंजाबी भाषा बोल रहे थे और जब एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस एक घंटे तक वहां पर नहीं आई।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज से दो साल पहले गंगानगर की गलियों में एक जिप्सी, एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि हर कोने में जो भी घटना होगी तो तीन मिनट में जिप्सी वहां पर पहुंच जाती थी, अब वह सिस्टम वहां पर बंद कर दिया गया और जो आजकल के चोर हैं उनको तो मौज हो गई। पहले सिस्टम ऐसा था जिससे दसों बार चोरियां मौके पर ही पकड़ी गई थीं। उसी तरह की व्यवस्था मैं सरकार से चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस पुलिस की बात आप कर रहे हैं, यह सारी कहानी तो पुलिस की ही है।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पुलिस मिली हुई होती है, तब ही तो ये चोरियां होती हैं। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो ये कैसे रुकेंगी?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप विराजिए।

माननीय हनुमान जी बेनीवाल। किसी सदस्य के बारे में अच्छा नहीं लगता लेकिन चूंकि आपने इसमें यह 'विनम्र निवेदन' लिख दिया है, इसलिए इसको बिलकुल, आप अपनी बात कहकर समाप्त कर दें, लम्बा नहीं करें।

गोलमा देवी, श्रीमती, विधायक का हलैना थाने (भरतपुर) में एक व्यक्ति की मौत को लेकर विधान सभा के बाहर धरना

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): शार्ट में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, अभी सदन के अन्दर पहले इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हुई थी, महुवा से आने वाली विधायका, श्रीमती गोलमा देवी जी, उस किशोर जोगी, जिसकी डैड बोडी पिछले दस दिन से हलैना थाना क्षेत्र में जो घटना हुई, भरतपुर की मोर्चरी में रखी हुई है और उस किशोर जोगी की पत्नी के साथ महुवा की विधायका विधान सभा के बाहर धरना दे रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन चल रहा है और राज्य सरकार को एक गरीब, अगर इसकी जगह पर किसी और बड़े समाज का व्यक्ति मरा होता और उसकी बोडी इस तरह से मोर्चरी में रखी होती तो आग लग जाती राजस्थान के अन्दर। दस दिन से, मानवीय दृष्टिकोण, सारे कहां चले गए? राजस्थान की विधान सभा चल रही है। कम से कम दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें, बात आ गई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विधायका धरने पर बैठी हैं। विधान सभा के अन्दर इस मामले में चर्चा हुई, गृह मंत्रीजी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि थाने के अन्दर रखा ही नहीं; रखा ही नहीं तो फिर थाने को आपने लाइन हाजिर कैसे किया?

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

माननीय श्री अब्दुल सगीर खां। संक्षेप में कहें। अन्य किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। केवल अब्दुल सगीर खां का ही अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को केन्द्र सरकार द्वारा ओ.बी.सी. सूची में शामिल नहीं किया जाना

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर दिलाना चाहूंगा कि... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित ही नहीं हो रहा। आप दोनों का अंकित ही नहीं हो रहा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आल इंडिया जाट महासभा के तत्वावधान में धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के जाटों ने 17 मार्च से धरना और प्रदर्शन कर रखा है कि केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें ओ.बी.सी. का दर्जा देकर रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जबकि राजस्थान में उनको यह रिजर्वेशन प्राप्त है। केन्द्र के अन्दर प्राप्त नहीं है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों और दूसरे ओ.बी.सी. के लोग, उनको केन्द्र सरकार में ओ.बी.सी. का दर्जा नहीं मिल रहा है, जबकि राजस्थान में उनको ओ.बी.सी. का दर्जा मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि उनको भी, राजस्थान में जिस तरह से ओ.बी.सी. का दर्जा मिल रहा है, उसी तरह से केन्द्र सरकार भी उनको ओ.बी.सी. का दर्जा दे, इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार केन्द्र को संकल्प/चिट्ठी भेजे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इनका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय फूलचन्दजी भिण्डा।

स्वामी केशवानन्द विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु कैरियर एडवांसमेंट योजना को लागू नहीं किया जाना

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी केशवानन्दजी, जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, जो शिक्षक हैं... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वे धरने पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उनकी एक ही मांग है कि पिछले ग्यारह साल से प्रमोशन नहीं किए गए, जबकि यू.जी.सी. में लिखा हुआ है कि प्रति वर्ष कैरियर एडवांसमेंट योजना लागू होगी। वह वही वाइस-चांसलर है जो हठधर्मिता से लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिए, प्रमुख शासन सचिव ने भी 24.12 को निर्देश दे दिए लेकिन अभी तक आवेदन ही नहीं मांगें। वह वही वाइस चांसलर है जिसने उनियारा की कालेज में भी विद्यार्थी नहीं दिए, कालेज खाली पड़ा है। एक साल तक जो उनियारा की कालेज में विद्यार्थी पढ़ सकते थे, गरीबों के बच्चे पढ़ सकते थे, उसने बच्चे अलाट नहीं किए। उसी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर की हठधर्मिता के कारण से शिक्षक धरने पर बैठे हैं।

मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी उनको बुलाकर बात करें, दोषी वाइस-चांसलर के खिलाफ कार्यवाही करें और उन शिक्षकों के लिए कैरियर एडवांसमेंट योजना लागू करवाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। श्री बाबूलाल खराड़ी।

याचिका

झाड़ोल में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे। माननीय श्री हरिसिंह रावत।

(अनुपस्थित)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जन लेखा समिति 2012-2013 समिति के 14 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे। माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2012-13) के प्रतिवेदन

(क्रम संख्या 209 से 222)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2012-13 के निम्न 14 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- जन लेखा समिति वर्ष 2010-11 के 64वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2012-13 का 209वां प्रतिवेदन।

2- जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 95वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 210वां प्रतिवेदन।

3- जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 (13वीं विधान सभा) के 104वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 211वां प्रतिवेदन।

4- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.3.5 में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग तथा वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.2.3, 3.2.4 एवं 3.4.3 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 212वां प्रतिवेदन।

5- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.1.6 में समाविष्ट आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 213वां प्रतिवेदन।

6- वर्ष 2007-08 के लिए सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भू-राजस्व एवं विद्युत कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 214वां प्रतिवेदन।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

7- जन लेखा समिति वर्ष 2009-10 के 31वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2012-13 का 215वां प्रतिवेदन।

8- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तत्स्थानीय अध्ययन यात्रा कार्यक्रम के दौरान समिति के ध्यान में आये विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 201 के अन्तर्गत जन लेखा समिति, 2012-13 का 216वां विशेष प्रतिवेदन।

9- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.5.1 में समाविष्ट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 217वां प्रतिवेदन।

10- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.3.7 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 218वां प्रतिवेदन।

11- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.6 में समाविष्ट सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 219वां प्रतिवेदन।

12- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 220वां प्रतिवेदन।

13- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 221वां प्रतिवेदन।

14- सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति, 2012-13 का 222वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 । अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी, 42-उद्योग एवं 43-खनिज विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज 'भास्कर' अख़बार में भी छपा है, इसमें लिखा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, आप विराजिए। वे खड़े हो गए, उसके बाद आप बोलना। आप उनके बाद बोलना। अंकित नहीं होगा, राजेन्द्र जी पारीक के बाद आपको मौका मिलेगा। आप विराजिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। आपकी भावनाओं का भी सम्मान होगा मगर पहले उनकी बात आ जाए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन पर मैंने भी एक पर्ची दे रखी है। मुझे भी एक मिनट के लिए बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: आप चार-चार दफा नहीं बोल सकते, एक ही पाइंट पर। आप बोल लिए उसमें, गेहूं में बोल लिए। (व्यवधान)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): एक गम्भीर मामला है, दूसरा मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 13-आबकारी की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,85,22,000/- (अठासी करोड़ पिच्यासी लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: क्या कह रहे थे आप अभी? हां, एक मिनट।

मांग संख्या 42– उद्योग की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,38,96,88,000/- (एक अरब अड़तीस करोड़ छियानवे लाख अठासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मांग संख्या 43-खनिज की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,05,63,89,000/- (एक अरब पांच करोड़ तिरेसठ लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 43 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सूचना

एस.ए. फारूखी, निलम्बित आर ए एस अधिकारी की बहाली

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था, इसमें चिट्‌ठी में लिखा है मुख्य मंत्रीजी को... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या बात कह रहे हो? कोई ऐसी बात मत करना जो... (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): नहीं, नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं, कोई गलत बात नहीं कह रहा। इसमें लिखा है कि ''प्रदेश के सर्वोच्च नौकरशाह की कार्यशैली के कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थापित सिद्धांतों का एवं शासकीय कार्यपालिका का गम्भीर उल्लंघन हुआ है।'' तो मेरी मांग है जब संसदीय मंत्रीजी ने इसकी मांग की, तो जो हमारे आर. ए. एस. अफसर हैं, एस.ए. फारूखी, उसको बहाल किया जाये। जब उसका गम्भीर मामला बनता ही नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष: यह चर्चा, ठीक है, आप शार्ट में, एक लाइन में बोल दीजिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): बस यही है, उसको वापस नौकरी में लें।

श्री उपाध्यक्ष: क्या, ओटाराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

सिरोही में वक्फ समितियों को लेकर विवाद

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सिरोही की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से सरकार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको कोई इन्फार्मेशन देनी हो तो दो।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): वह मैंने पर्ची भी लगाई थी।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची का तो कोई ऐसा मैटर नहीं होगा, इसलिये पर्ची नहीं आई होगी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): पर्ची के माध्यम से भी मैंने उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची का मतलब है, इमिजिएट कोई बात कहनी हो।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मेरा यह मामला था कि जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम समाज को उपेक्षित रखते हुए सिरोही जिले को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसमें एक मामला मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। महोदय, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को सिरोही जिला एवं शहर की वक्फ कमेटियों के गठन के बाद सिरोही के मुस्लिम समाज की आम सहमति से कमेटियां नहीं बनने तथा बनाई गई कमेटियों में लिये गये सदस्यों के प्रति समाज की नाराजगी दर्ज करवाते हुए पूरे मुस्लिम समाज द्वारा जिला कलक्टर सिरोही को ज्ञापन देकर कमेटियां भंग करने की मांग की गई। जिला कलक्टर द्वारा इसकी जांच उपखण्ड अधिकारी से करवाते हुए, जांच उपखण्ड अधिकारी से करवाते हुए जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौंपी गई, जिसमें वक्फ कमेटियों के सदस्यों के खिलाफ बयानों के आने पर दोनों कमेटियों के कारण मुस्लिम समाज के प्रभावित होने की भी रिपोर्ट हुई। महोदय, यह रिपोर्ट जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं वक्फ बोर्ड को भी भेजी गयी।

महोदय, सरकार की खुफिया एजेन्सियों के द्वारा भी मुस्लिम समाज में हिंसक वारदात होने की रिपोर्ट राज्य सरकार तक पहुंची, परन्तु न तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्तर पर इसे गम्भीरता से लिया गया और न ही वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष द्वारा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो बस।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): एक मिनट, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आपने ध्यान दिला दिया।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): दिनांक 18.3.2013 को मुस्लिम समाज में हिंसक वारदात हुई, जिसमें धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जिसका सीधा प्रभाव शहर वक्फ कमेटी के माध्यम से मुस्लिम समाज की सम्पत्ति,

(श्री ओटाराम देवासी)

इमामबाड़ा की आय से चलने वाले मदरसों को आर्थिक सहायता बंद कर दी गई, जिससे उनमें अध्ययनरत 100 से अधिक अल्पसंख्यक बच्चों का भविष्य अंधकारमय होकर मदरसे बंद होने के कगार पर हैं। जिला कलक्टर सिरोही एवं सरकारी खुफिया एजेन्सियों के द्वारा भेजी रिपोर्टों को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लेते हुए मामला समय पर सुलझाने के प्रयास में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया। इसलिये परिस्थितियां आज जानलेवा तक पहुंच गयीं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, साहब। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...(व्यवधान) लोगों की जान जा रही हैं। उसकी वजह से दंगे होने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय राजेन्द्र राठौड़ का अंकित होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड़।

मांग संख्या 13, 42 व 43 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर मांग संख्या 42-उद्योग, मांग संख्या 43-खनिज और मांग संख्या 13-आबकारी पर चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम उन भाग्यशाली प्रदेशों में हैं जिनकी धरती के गर्भ में अथाह खनिज सम्पदा छुपी है और यह प्रदेश वह प्रदेश है, जिस प्रदेश के उद्यमियों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से, अपनी साख और विश्वसनीयता से इस देश और देश की बाहर की सीमाओं में अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अपना परचम फहरा रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह समय है उदारीकरण का, भूमंडलीकरण का, और ऐसे समय में हम बात करते हैं उद्योग और निवेश की, तो चाहे हम एन आर आई सम्मेलन बुलाकर राज्य सरकार का अथाह धन खर्च करके, और यह कह दें कि हम उद्यमियों से भावनात्मक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, पर सच्चाई यह है कि उद्यमी वही आयेगा जहां उसे निवेश का वातावरण मिलेगा। आज कारण क्या है, इसको हमें सोचना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पड़ेगा कि हमारे यहां उद्यमी, विशेष तौर पर हमारे शेखावाटी का, गांव से निकला हुआ उद्यमी, जो धोती और लोटा लेकर निकलता है, वह अपनी पहचान रंगून तक में बना लेता है। आज मित्तल का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है, उसकी जड़ें भी हमारे चूरू जिले के अन्दर हैं। आज चाहे आर्थिक राजधानी मुम्बई की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे आसाम और वैस्ट बंगाल की बात हो, आज उन सारे राज्यों में औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर राजस्थान के उद्यमियों का परचम है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी नेशनल सैम्पल सर्वे 2011-12 की रिपोर्ट आई थी और उस 2011-12 की रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि राजस्थान में छोटी-बड़ी 3 लाख 67 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं और इनमें से 30 प्रतिशत इकाइयां आज बंद पड़ी हैं। इसके पीछे कारण यही है कि हम चाहे कितनी ही बात करें, एकल खिड़की की बात करें, पिछले दरवाजे की बात करें, हम राजस्थान में औद्योगिक निवेश का वातावरण नहीं बना पाये। जहां उद्योग लगेगा, वहां सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वहां बिजली हो, पानी हो, रा-मैटेरियल हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सरकार ने दो बार लगातार विद्युत दरों में वृद्धि की है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे देश में उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में राजस्थान तीसरे पायदान पर खड़ा है। आज छत्तीसगढ़ में 3 रुपये यूनिट है, मध्य प्रदेश में 4 रुपये 70 पैसे यूनिट है, उत्तर प्रदेश में 4 रुपये 33 पैसे यूनिट है और हमारे यहां 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट है। उसमें भी, उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर 40 पैसा प्रति यूनिट, पानी के सेस के नाम पर 10 पैसा प्रति यूनिट, यू डी टैक्स के नाम पर 15 रुपये प्रति यूनिट और यूजर चार्ज और स्थाई शुल्क की बात दूसरी है।

आज जब कोई उद्यमी उद्योग स्थापित करने के लिये आता है, तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर उसे पोल्यूशन बोर्ड से एन ओ सी, बिजली फिटिंग, एक्साइज में रजिस्ट्रेशन, टिन नम्बर, और इन सबके कारण से वह दम तोड़ देता है और फिर वह राजस्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना प्रारम्भ कर देता है।

आज हमारा औद्योगिक क्षेत्र रीको, जिसको हम कहते हैं कि यह उद्योग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विभाग का एक्सीलरेटिंग एजेंट है, उत्प्रेरक है, वह किस तरह की सुविधाएं दे रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन सबके बावजूद भी उन्होंने सितम्बर, 2012 में सर्विस चार्ज को 200 गुणा बढ़ा दिया। आज आवश्यकता इस बात की है, उपाध्यक्ष महोदय, हमें निजी क्षेत्रों में ये औद्योगिक क्षेत्र कैसे स्थापित हों, उसके बारे में सोचना पड़ेगा।

अभी सरकार ने इसी सदन के अन्दर एफ आर बी एम की रिपोर्ट पेश की है। वह एफ आर बी एम की रिपोर्ट कह रही है, उपाध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों में, जिनकी संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है, 2011-12 में 1.33 प्रतिशत गिरावट आई, 2012-13 में 5.82 प्रतिशत की गिरावट आई और हम रोज नई घोषणा कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने नापासर के अन्दर टैक्सटाइल पार्क की घोषणा की; आपने सिकराय में स्टोन पार्क की घोषणा की; आपने सिकराय में गिरधारीपुरा में 63 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की स्टोन पार्क के नाम पर, धारा 4 और धारा 6 के नोटिस जारी किये, उसके बाद में अचानक न जाने क्या दबाव आया, आपने उसको अवाप्त-मुक्त कर दिया। अब दो साल बाद नये सिरे से जमीन ढूंढ रहे हो।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके यहां आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं, पूर्ववर्ती सरकार पर, एक आदत बन गयी, हम कुछ करें, उस चार-सवा चार साल के बाद हम अपना रिपोर्ट कार्ड दिखायें, राजस्थान के अवाम को इस विधान सभा के माध्यम से बतायें कि हमने यह किया, हमने वह किया उद्योग की दृष्टि से, पर कुछ नहीं; बात घूमकर वहीं आती है कि पूर्ववर्ती सरकार की कमी थी, पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया, वह किया। सरकार लिये बैठे हैं, जनता ने आपकी कलम में ताकत भरी है, आप उस कलम का प्रयोग करें। पिछली सरकार पर आरोप लगाकर हम अपना रिपोर्ट कार्ड छिपा लें, यह उचित बात नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास 140 सीमेंट कम्पनियों के आवेदन पत्र दो वर्षों से लम्बित हैं, 18 हजार करोड़ का निवेश उसमें होना था, आपको चित्तौड़, जैसलमेर, नागौर में लाइमस्टोन के ब्लाक आबंटित करने थे परन्तु आप चाहते थे, बिना नीलामी के आपने लाइमस्टोन के ब्लाक आबंटित कर दिये। पूरे देश के अन्दर कोल माइन्स को लेकर हंगामा हुआ, ए जी की रिपोर्ट आयी, अब आप ऊहापोह में हैं। आप लाइमस्टोन्स के ब्लाक आबंटित करेंगे?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप तब करेंगे जब चुनाव दरवाजा खटखटा देगा। वह समय तीन महीने बाद आयेगा। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों के बारे में आपको सोचना चाहिए।

अभी इसी विधान सभा सत्र में एक प्रश्न लगा था, आपने कहा कि रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम में पिछली सरकार ने जो एम ओ यू किये, उनमें से धरातल पर कोई नहीं आया। हमने वे एम ओ यू किये होंगे और वे धरातल पर नहीं आये होंगे लेकिन इसी विधान सभा में कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल लगाया था, उस सवाल के जवाब में, मंत्री महोदय, आपने खुद ने यह स्वीकार किया था कि पिछली सरकार के मुकाबले आधे प्रस्ताव आपको मिले, 168 प्रस्ताव आपको मिले और उनमें से 10 से 12 प्रतिशत प्रस्ताव ही धरातल पर आये।

आपकी टैक्सटाइल पालिसी कितने वर्षों से चक्कर काट रही है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो रीको है रीको इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित करता है, रीको की भूमि इण्डस्ट्री को दी जाती है, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, रीको के अन्दर आपने इस ओम मेटल को जब आप पहले शासन में थे, 30.03.2001 को 42 हजार 453 वर्ग मीटर जमीन आबंटित की; आबंटित इसलिए की कि ओम मेटल शिक्षण संस्था स्थापित करेगा और 20 हजार वर्ग मीटर में शिक्षण संस्था के लिए होस्टल का निर्माण करेगा और स्टाफ के लिए क्वार्टर बनायेगा। अगर खुली नीलामी में उस समय यह जमीन बेची जाती तो 50 करोड़ रुपये की जमीन थी। 2007-08 में जब हमारी सरकार थी, मैं इसको स्वीकार करूंगा, इसी ओम मेटल ने रियायती दर पर जो जमीन ली थी, उसमें से दो लाख वर्ग फीट पर 260 फ्लैट बनाने प्रारम्भ किये। यह बात सरकार की निगाह में आयी, रीको के तत्कालीन एम डी ने नोटिस जारी किया; काम उस समय रुक गया लेकिन उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब फिर, ओम मेटल के लीगल कंसलटेंट के बारे में आप और मैं जानते हैं, उनका पता 8, सिविल लाइंस भी लिखा हुआ है, आप कहो तो मैं कागज पेश कर दूंगा, यह किसके दबाव में आपने सितम्बर, 2009 में यह भू-परिवर्तन कर दिया? 260 फ्लैट बनाकर विक्रय करने की अनुमति दे दी? आज यक्ष सवाल है कि 42 हजार 453 वर्ग मीटर जमीन जो 2001 में शिक्षण संस्था के नाम से आबंटित थी, आपने सितम्बर, 2009 में अनुमति किस आधार पर दे दी? उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आप इस भूमि का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भू-रूपान्तरण नहीं कर सकते। यह एक अनुत्तरित सवाल है, मंत्री महोदय, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कहने को तो हम बड़े अच्छे जुमले पढ़ते हैं, पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील, यह सरकार कई तरह की बात करे, कोई बात नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जोधपुर किन बातों के लिए चर्चित हो गया है? अगर शराब की तस्करी हो तो जोधपुर में; हथियार की तस्करी हो तो तस्कर जोधपुर में; नकली नोटों के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की बात हो तो जोधपुर में; और आज भूख हड़ताल हो तो जोधुपर में। मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जोधपुर में इण्डस्ट्रियल एरिया के फेज 4 में एग्रो फूड पार्क में बिना नीलामी के आपने चार उद्यमियों को, माहिर अग्रवाल को 16.11.2010 को, एस एन धूत को 16.11.2010 को, पुरुषोत्तम सहारिया को 16.11.2010 को और महेश थोनी को आपने 700 रुपये प्रति वर्ग गज की आरक्षित दर से जमीन आबंटित कर दी। इसी क्षेत्र में पूर्व में 2,700 रुपये पर-गज के हिसाब से नीलामी हुई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 14 आवेदन पत्र लम्बित थे, जब चिह्नित करके आपने इनको जमीन दी, तब आपने उनको कंसिडर क्यों नहीं किया?

आपने रीको के भू-आबंटन, 1979 के नियम 3 (डब्ल्यू) के अन्दर परिवर्तन किया, रातों-रात परिवर्तन हुआ। पहले एन सी आर और जयपुर में 20 करोड़ रुपये का एकमुश्त कोई निवेश करे तो उसको आप भूखण्ड आबंटित कर सकते हो, वह भी अखबार में देकर और आपने इसको किया 28.10.2010 को। यानी बिना आबंटन के आपने जोधपुर के इण्डस्ट्रियल एरिया के फेज 4 के अन्दर एग्रो फूड पार्क, बोरानाड़ा में आपने पहले-आओ-पहले-पाओ की नीति में संशोधन करके किस आधार पर, लम्बित लोगों को छोड़कर किस आधार पर इन चार को किया? खुली नीलामी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस एरिये में 80 परसेंट भूखण्ड बिके हुए हैं और यह सेच्यूरेटेड एरिया है। मैं किसका नाम लूं, किसका नहीं लूं? कौन ये +++ आ जाते हैं? +++ किसके इशारे से, क्यों, कैसे, क्या हुआ? मैं समझता हूं, मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं लेकिन निश्चित तौर पर आपको साफगोई से सदन को इस बारे में बताना चाहिए कि क्या हुआ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, +++ नाम का व्यक्ति इस सदन में मौजूद नहीं है, वह अपनी बात सफाई में कुछ कह नहीं पायेगा। आप नाम नहीं लें। बेहतर होगा, आप नाम नहीं लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाम नहीं लें और इसको डिलीट कर दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए उत्तेजनात्मक दृष्टि से ऐसा नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिलीट करा दो; मुझे कोई एतराज नहीं है। I am sorry. मंत्री महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कितनी दफा गाओगे? यह अंकित नहीं होगा। आपने आज तीन-चार दफा बोल दिया।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पहलवान पहले भी थे और अब भी हो; पहलवान आप शुरू से ही हो। आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कांग्रेस के बुराड़ी सम्मेलन की तरफ दिलाना चाहूंगा। आपको याद है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी ने की, उन्होंने पूरे देश में संदेश दिया कि मुख्य मंत्री हो, चाहे मंत्री हो, अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करें, डिस्क्रीशन का उपयोग नहीं करें। आप सहित मुख्य मंत्रीजी, और भी कई मंत्रियों के बयान आये कि हम यह डिस्क्रीशन नहीं करेंगे, यह डिस्क्रीशन नहीं करेंगे। आपने पारदर्शिता के लिए अपनी बहुत प्रतिष्ठित माइन्स पालिसी 28.01.2011 की बनायी, अच्छा भी लगा। पहले माइन्स पालिसी, एम एम सी आर, 1986 के आधार पर खानें आबंटित होती थीं, पहले-आओ-पहले-पाओ की बात को, उसमें भ्रष्टाचार की बात थी, इसलिए आपने कहा कि नहीं, 50 परसेंट खानों का आबंटन लाटरी से होगा और शेष 50 परसेंट खुली नीलामी से होगा। मैं यह जानना चाहता हूं, मेरी क्यूरिओसिटी है, मैं कोई सनसनी पैदा करने या आरोप लगाने के लिए बात नहीं कह रहा, सिर्फ मेरे को समझा देंगे, माननीय सदस्य समझ जाएंगे तो राजस्थान में एक बात साफ चली जाएगी; मंत्री महोदय, क्या कारण था कि आपने एक क्लाज डाल दिया कि ग्राम बड़ा कोटेचा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जो विचाराधीन 87 आवेदन हैं, जो सितम्बर, 2009 से मार्च, 2010 के बीच में एक हैक्टेयर से लेकर पांच हैक्टेयर के लिए लम्बित थे, आपने उसमें यह कह दिया कि माइन्स एण्ड मिनरल्स कंसेशन रूल्स, 1986 के अनुसार इनको आबंटित किया जाएगा? आपको याद होगा, ये नीतियां नहीं बनतीं फिर क्यों बनायी? 2002 में मार्बल नीति आयी थी और मार्बल नीति के क्लाज 13 में साफ लिख दिया गया था...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम बड़ा कोटेचा के नाम से इस सदन में काफी चर्चा हो गयी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी थे और माननीय सदस्य भी विराजे हुए थे। बार-बार एक विषय को, ऐसा परम्पराओं में भी नहीं है, लेकिन केवल यह साबित करने के लिए, हम यह कहेंगे ही कहेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता। आपको स्वयं को पता है। (व्यवधान) जब एक बार कोई चर्चा हो गयी, उसको बार-बार उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष: नियम रोक सकते हैं, माननीय मंत्री महोदय। कोई कैसे नहीं रोक सकता?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं न तो किसी को कोई आरोपित करने के लिए बात कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष: अब सारी बात आ गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं जिज्ञासु हूं, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, सिर्फ निराकरण आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी जिज्ञासा किसी भी रूप में शांत नहीं हो पाये, तब क्या होगा? यह बताओ आप तो। क्योंकि सदन के नेता ने यहां पर कहा, प्रतिपक्ष के नेता पर छोड़ दिया। आपने अध्यक्ष महोदय को चिट्ठी लिख दी। अब यह मैटर आपके और अध्यक्ष महोदय के बीच में है। इसीलिए उस पर बार-बार ''निवेदन है कि...'' उस विषय पर चर्चा हो चुकी तो फिर उसके ऊपर बार-बार बात करने की जरूरत क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिज्ञासा वास्तव में शमन करने के लिए हो तो जिज्ञासा शांत हो सकती है, कोई आदमी सोये

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हुए को तो उठा सकता है लेकिन जागे हुए को कोई आदमी कैसे जगाए? आप तो पहले से जगे हुए हैं, सोने का आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं कि आप सोये हुए हैं; आप पूरी तरह से जाग्रत हैं। मैं जहां तक समझ पाया, इस सदन में इतने वर्षों में आपसे ज्यादा जागरूक शायद ही कोई हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हे ज्ञानी ब्रह्म पुत्र, आपके ज्ञान से मैं परिचित हूं। मुझे अनुमति देंगे तो मैं मेरी कुछ बात आपके चरणों में रख दूंगा; अगर अनुमति नहीं देंगे मैं बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) वे परशुराम जी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझको एतराज है इस बात का।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा था कि जागे हुए व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप लम्बा करोगे...(व्यवधान) फिर वापस लेना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जो आदमी आलरैडी जागरूक हो, उसकी जिज्ञासा का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा था, आपको याद दिलाना चाह रहा था, मार्बल पालिसी 2002 में आयी थी, उसके क्लाज 13 में स्पष्ट लिखा गया था कि मार्बल पालिसी के एग्जीक्युशन में आने के बाद पुराने आवेदन पत्र स्वत: ही निरस्त माने जायेंगे। यह राजस्थान के अन्दर पहला उदाहरण है कि एक साथ अपनी माइंस पालिसी 2011 और उसके साथ एम.एम.सी. रूल्स 1986, दोनों का उपयोग करें, क्योंकि कुछ लोगों को उपकृत करने की बात आपने की।

मैं पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं बड़े अदब से जानना चाहता हूं कि 21.11.2012 को मंत्रिमण्डल की बैठक हुई, एजेंडा आप लेकर गये और आपने इस एजेंडे में यह कह दिया कि मण्डोर पार्क में जो इकाइयां लगी हैं, उन 37 इकाइयों को आप एक-एक हैक्टेयर की जमीन लीज, सैंड स्टोन की लीज दे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह मालूम नहीं था कि जिन इकाइयों को जमीन आबंटित की जा रही है, उसमें 75 परसेंट इकाइयों के पास पहले ही माइंस थी? आपने जिन 37 कटर मशीनों के आधार पर जमीन आबंटित कीं, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर दें तो बताएं, कागज मेरे पास हैं, सिर्फ आपके पास एन.ओ.सी. थी पोल्यूशन बोर्ड की, आप नियमों के अनुसार उन आवेदन पत्रों पर विचार भी नहीं कर सकते थे, पर सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार उस पर चर्चा कर सकते थे। नियम यह थे, 28.01.2011 को जब हमारी नयी पालिसी आयी तो उस पालिसी में यह प्रावधान था कि पूर्व की जो हैं वे पूर्ण होंगी, ये उसके पूर्व की हैं। 2009 में जिन लोगों ने एप्लाई किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि कैबिनेट यदि चाहती, 65 में तो एक हैक्टेयर से पांच हैक्टेयर कर सकती थी लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को लाभ देना नहीं था; हमारा उद्देश्य सिर्फ यह था कि मण्डोर जो हमारा एक मात्र राजस्थान का स्टोन पार्क है, ...(व्यवधान) उस स्टोन पार्क में पांच हैक्टेयर की बजाय हमने शिथिलता दी है। अपने अधिकारों का उपयोग हमने किया लेकिन पांच हैक्टेयर में नहीं किया, एक हैक्टेयर में किया और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए किया कि राजस्थान का एक मात्र स्टोन पार्क है जहां मूल्य संवर्धन करना अत्यावश्यक है। जिन लोगों को 37 को दीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे 37 नाम आलरैडी रजिस्टर्ड हैं और जिन लोगों को नहीं दीं, उन लोगों का उस क्षेत्र, पर्टिकुलर मण्डोर स्टोन पार्क में उनकी इकाइयां नहीं थीं लेकिन फिर भी उन लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अपनी एप्रोच की तो मुख्य मंत्रीजी ने उसी वक्त निर्देश दिये ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना शुरू करूं ...(व्यवधान) जवाब साथ ही दे दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं, जवाब साथ-साथ दे दें। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री नोट करें ना और अंत में जवाब में इनको शामिल करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उन्होंने जब यह बात कही कि हम लोगों को क्यों नहीं शामिल किया, मुख्य मंत्री महोदय ने तत्काल ये निर्देश फरमाए कि इनको यथास्थिति छोड़ दें और इस पर निर्णय बाद में होगा, जो आज तक न किसी को खान आबंटित हुई है, न किसी को आज तक पट्टा दिया गया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, एक-एक बात का जवाब अभी देंगे क्या आप? आप एक-एक क्वेरीज नोट कर लीजिए, अपने जवाब में सारी बात करें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चर्चाएं हो चुकी हैं। (व्यवधान) एक बार इस सदन में जो विषय बन चुका, सदन में इन सारी बातों पर चर्चा हो चुकी, बार-बार उस बात को उठा कर ये क्या साबित करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह परम्परा रही है, मंत्री महोदय, सदन की यह परम्परा रही है, आपको बाद में जवाब देने का मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह यहां क्यों पैदा कर रहे हैं? एक विषय को बार-बार आप उठा रहे हैं?

एक माननीय सदस्य: तो क्या उठायेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): और बहुत सी बातें हैं आपके पास में कहने के लिए, आप उठाइये। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बार-बार उठायी जायेंगी बात। (व्यवधान) इसको समाप्त क्यों नहीं करते आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपसे निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य। इस मांग पर वाद-विवाद करना है, इस पर डिस्कसन करना है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसी के ऊपर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, सुनिये। तो वे बोलें, माननीय मंत्रीजी; जब जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, वे मुख्य सचेतक हैं; आपको क्या है, पार्टी में आपका स्टेटस क्या है, मैं नहीं अर्ज करना चाहता ...(व्यवधान) ये मुख्य सचेतक हैं, इनकी बात को ये तो नहीं कह पाएं और अपन कर रहे हैं। इसलिए

(श्री उपाध्यक्ष)
इसको डिस्प्यूट में नहीं पटकें, मेरा विनम्र निवेदन है आसन की ओर से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने जो सवाल किये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर, वे नीतिगत सवाल किये हैं, मैंने अनीतिगत कोई बात नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नीति तक रहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह जो आपका पहला इंस्पेक्शन हुआ, जोइंट सर्वे, 27.07.2012, को जिसमें रीको के जोधपुर के सहायक इंजीनियर भी थे और आपके खनन के, माइंस के अधिकारी भी थे, उन्होंने सर्वे करके पहली रिपोर्ट जो दी, मेरे पास है रिपोर्ट, उसमें कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र में 28 इकाइयां स्थापित हैं जो कटर की इकाइयां हैं, पर क्योंकि डोर कहीं और थी, 30.07.2012 को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक बहुत बड़े आदमी सीधा पत्र लिखते हैं आपके शासन सचिव, खान को और जो 27.07.2012 को सर्वे हुआ, उसमें जो 27 कटिंग इकाइयां थीं वे बढ़कर 37 हो जाती हैं और उस पर तत्काल 03.12.2012 को निदेशक, खान व भू-विज्ञान, उदयपुर 27 आवेदकों में से 37 को छांट कर छाप लगा देते हैं और उनको लीज दे देते हैं।

आप जिसका हवाला अभी कर रहे थे, 26.02.1996 के उस सर्कुलर की आप बात कर रहे थे, आप कहो तो मैं पढ़कर सुनाऊं? उस सर्कुलर में साफ लिखा है, “Minor Mineral Concession Rules, 1986, it is hereby notified that where the area available for the grant of mining lease of sand stone is less than 5 hectare, minimum lease may be granted for an area less than 5 hectare but in no case the area, it shall be less than 1 hectare.” मतलब कोई जरूरत ही नहीं थी, ना तो यहां पर पत्रावली मंगाने की जरूरत थी। रूल्स में साफ लिखा हुआ था और अगर यहां पत्रावली नहीं आती, अगर मंत्रिमण्डल फैसला नहीं लेता तो उन 37 को ही कैसे छांटते? मंत्री महोदय, जो आपने खुद ने एजेंडा मूव किया, वह सवाल इस बात का है।

क्या यह भी सही है, इसी के पास जोधपुर के अन्दर जो ओसियां हैं, ओसियां में मंडियाई तहसील है, उसमें सीरियल नम्बर 104/90, प्रेम सिंह का; 304/96, धर्मेन्द्र खेतान का, और यह सारा गिनूं तो समय लगेगा, इन सबके पास एक-एक हेक्टेयर की लीज पहले से थी। तो क्या जरूरत थी आपको कि माइंस पालिसी में क्लाज डालें, फिर आप मंत्रिमण्डल की बैठक करें और फिर सारा मामला बुलाकर आप करें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप बुराड़ी अधिवेशन में क्या कहकर आये हैं? बुराड़ी अधिवेशन के बाद आप और आपके नेता जी ने क्या डिक्लेयर किया था?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लीन गवर्नेंस के नाम पर आपने जो एक सर्कुलर जारी किया, मैं उसका नम्बर आपको लिखाना चाहता हूं, गवर्नमेंट आफ राजस्थान, माइंस (ग्रुप सेकण्ड) डिपार्टमेंट, एन 720 (63) सेकण्ड 2005, 16 नवम्बर, 2011 और उसमें यह कहा कि क्लीन गवर्नेंस तब आयेगी जब माइंस डिपार्टमेंट में जिसने नौकरी कर ली, चाहे वह सेवानिवृत्त हो जाए, उसका भाई-भतीजा कोई भी माइंस नहीं ले सकेगा। यह जो है, इनके लिए तो अपने को, क्लीन गवर्नेंस की बात बहुत ठीक है; यह सारी ब्यूरोक्रेसी, मंत्री महोदय, आप लोगों के नीचे है, लोकतंत्र की यह व्यवस्था है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह क्लीन गवर्नेंस है जिसके अन्दर मैं नाम लूं +++ ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा हो चुकी, इस पर सदन के नेता ने जवाब दे दिया और बार-बार इस तरह की बात कर सदन का समय खराब करना है। (व्यवधान) इसका जवाब दिया जा चुका सदन के नेता के द्वारा और आपके ऊपर जांच छोड़ दी पूरी। आप एक चिट्ठी लिख चुके ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटर यूनिट पर तीन कटर यूनिट ऐसी हैं जिनमें आपने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई भी नाम लें उसका अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बात कर रहे हैं जिज्ञासा की, यह जिज्ञासा नहीं है, यह जिज्ञासा नहीं है; यह तो सीधा-सीधा, आपके मन में, पता नहीं, क्या उमड़-घुमड़ रहा है; इसको क्या शब्द दें और क्या नाम दूं? आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप जान सब-कुछ रहे हो। आपके मन में तो यह हो रही है, आज ही चुनाव हो जाएं और आज ही माइंस ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जिज्ञासा में 2013 के चुनाव हैं, और कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जो आज सम्भव नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वह तो पब्लिक टाइट करेगी इस जिज्ञासा को, वह आप और हम कर नहीं सकते। आपकी जिज्ञासा का जवाब ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण की आवश्यकता है मुझे। मैंने मेरी पूरी बात राजस्थान विधान सभा के रिकार्ड पर दर्ज करा दी और मेरा आरोप है सरकार पर कि आपने जोधपुर के अन्दर अपने निजी लोगों को फायदा देने के लिए, इस शासन में बैठे सबसे बड़े मुखिया मुख्य मंत्रीजी के इशारों पर आपने जो गुनाह किया है, राजस्थान का अवाम आपको कभी माफ नहीं करेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर इस सरकार की नीयत में ...(व्यवधान) तो फिर इनको पांच हैक्टेयर की जमीन ही मिलती, एक हैक्टेयर की जमीन नहीं मिलती। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आप भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और मुख्य मंत्रीजी को खड़े होकर यह नहीं कहना पड़ता कि यह प्रतिपक्ष के नेता जांच कर लें इसकी। प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर डाल दिया उन्होंने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इनका एक मात्र उद्देश्य यह है कि सदन में इस तरह का वातावरण बने और ये बाहर निकलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर इनकी नीयत में खराबी होती ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यहां क्यों समय खराब कर रहे हो? जब आपको बाहर जाना ही है तो पधारो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को दिया, मैंने वह फाइल पूरी देख ली, मुझे उसमें कुछ सन्देह और कुछ बिन्दुओं पर मैं उस रिकार्ड से सन्तुष्ट नहीं हुआ। मैंने स्पीकर साहब को लिखकर अपनी चिट्ठी दे दी, वे निर्णय करेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ठीक है, अब इसके बाद फैसला स्पीकर साहब को करना है ना, तो फिर यहां सदन में चर्चा में क्यों आ रही है बात?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): Then the matter is closed. स्पीकर साहब फैसला कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह ओपन है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह ओपन नहीं है, यह आपने चिट्ठी लिखी ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...सजेस्ट किया कि कमेटी बनाकर के जो तथ्य रखे ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष जी के पाले में है गेंद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि जब कभी कोई मसला आप उठाते हैं, मेरा भी मसला आपने कारतूस का उठाया था और मैंने आपसे कहा था कि आप जांच कर लो, आज तक किया क्या कुछ आपने?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप कागज देते तो ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने कुछ मांगा मुझसे कागज? कागज मांगा? मुझे बुलाया कभी आपने?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कागज देते...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कभी गवाही के लिए बुलाया? (व्यवधान) इसलिए इस तरीके के गलत तथ्य देकर के ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सारे कागज ले आएं। सारी फाइल मैंने देख ली, सारे अधिकारियों ने आपकी जो फाइलें हैं उनको दिखाया और देखने के बाद मैंने अपना नोट बनाकर के स्पीकर साहब को दिया और स्पीकर साहब से कहा, क्योंकि हाउस की मंशा यह थी कि हाउस की कोई कमेटी बनकर के इन सारे तथ्यों को देखे, जो मैंने देखा मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, इसमें मुझे ये-ये कमियां लगती हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इसमें डिसाइड करना अध्यक्ष जी को है, इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है फिर दुबारा? आप नेता प्रतिपक्ष बैठे हो, आपके सामने दुबारा चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने अपनी बात कह दी और स्पीकर साहब तक चली गयी बात। अब उस बात को बार-बार उठाने से मतलब क्या था? बार-बार यह परम्पराएं तोड़ने से मतलब क्या है? नियमों को क्यूं तोड़ रहे हैं आप लोग? (व्यवधान) मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर ...(व्यवधान) मंत्रीजी की नीयत खराब होती तो उनको पांच-पांच हैक्टेयर ही जमीन मिलती। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपने कारतूस की बात क्यों उठायी आज? (व्यवधान) कारतूस कहां से आ गये आज उद्योग की डिमांड पर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान) आधा घंटा हो गया। (व्यवधान) थोड़ी इस पर चर्चा पहले हो गयी और ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) छोड़ो इस बात को...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक-एक तथ्य को सामने लाया जाए। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): प्रतिपक्ष के नेता के हिसाब से तो आरोप साबित हो गया। (व्यवधान) यह इनका वैधानिक अधिकार है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अगर ये आरोप साबित हो गये तो रखो न सदन में रिपोर्ट। क्यों दी अध्यक्ष महोदय को? आप ही ज्यादा समझते हैं क्या रिपोर्ट के बारे में? (व्यवधान) क्यों दी अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट? (व्यवधान) अगर यह फैसला है इनका, तो सदन में रखते ना रिपोर्ट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांति बनाए रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सदन के नेता ने...(व्यवधान) यह बात छोड़ी थी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा अधिकार है बोलने का।

एक माननीय सदस्य: हम बहिर्गमन करें...(व्यवधान) इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कोई रोक नहीं सकता, संवैधानिक अधिकार है इनका।

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं बोलना चाहते? आप नहीं बोलना चाहते तो मैं दूसरा नाम लूं? (व्यवधान) मैं दूसरा नाम पुकारूं...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। केवल राजेन्द्र राठौड़ का अंकित होगा, किसी अन्य का अंकित नहीं होगा। केवल राजेन्द्र राठौड़ का। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा, केवल राजेन्द्र राठौड़ का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करिए, प्लीज। जो चीज यहां चर्चा हो चुकी है, वह नहीं आएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल, केवल राजेन्द्र राठौड़ का अंकित होगा, केवल। केवल राजेन्द्र राठौड़ का। आप उत्तेजित बात करेंगे, क्योंकि आपको आधा घंटा हो गया है, मैं दूसरा नाम पुकारूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। माननीय राजेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके संरक्षण की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष: यह आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है मामला।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपने नेता की बात नहीं मान रहे। (व्यवधान) आप अपने नेता को और पार कर रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजेन्द्र राठौड़ का। किसी का अंकित नहीं होगा। अब आप समाप्त करिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों विराजिए। माननीय कटारियाजी, विराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं चाहते हो क्या कि ये बहस करें? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपका ध्यान...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। मंत्रीजी, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी का अपने नेता पर कितना विश्वास है, मैं...

श्री उपाध्यक्ष: यहां पर डिमांड की बात करो, यह जनरल डिबेट नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं खुद भी अर्ज कर रहा हूं, जनरल डिबेट नहीं है। (व्यवधान) या तो आप समाप्त करो, नहीं तो दूसरा बुलाऊंगा मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आपने इसी चौदह तारीख को...

श्री उपाध्यक्ष: यह डिमांड में नहीं है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक पत्र आपने अपने नेता को लिखा और उसमें लिखा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में...

श्री उपाध्यक्ष: डिमांड तक सीमित रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शासकीय प्रक्रिया का घोर उल्लंघन हुआ है, यह आपने लिखा है फारूखी के मामले में ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ठीक है, मैं तो मजदूर हूं पर उसमें अभियोजन स्वीकृति किसके दस्तखत से जारी हुई? आपके नेता के दस्तखत से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप, राजेन्द्र जी, नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए, आप उत्तेजना मत फैलाइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं दूसरे विषय की ओर आ रहा हूं। विगत सरकार पर एक आरोप बार-बार लगा...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आगे कोई भी खड़ा हुआ, बोलने नहीं दोगे राजेन्द्र जी राठौड़ को तो मैं दूसरा सदस्य पुकार लूंगा। यह अन्तिम मेरा अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब मौका इस सदन में आया, पूर्ववर्ती सरकार के लिए कहा गया कि शराब संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार...

श्री उपाध्यक्ष: इसमें तो नहीं है न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, यह एक्साइज पर बोल रहा हूं मैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गली-गली में शराब की दुकानें खोल दीं...

श्री उपाध्यक्ष: आप कैसे बोल रहे हैं? आप शिक्षा मत दीजिये। आप चाहते हो, नहीं बोलें? शिक्षा दे रहे हो, गाइड कर रहे हो। आप शांत बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आरोप तो इस तरह लगाया गया था, जिस तरह ये गांधीवादी सरकार के मुखिया सरकार में बैठते ही शराबबंदी कर देंगे। मेरा, आबकारी मंत्रीजी, आपसे निवेदन है, क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के अन्दर आज भी 6,632 देशी मदिरा की और एक हजार से ज्यादा भारत-निर्मित-विदेशी- मदिरा की दुकानें चल रही हैं? और भारतीय जनता पार्टी में जो कुल मिलाकर 18 बार थे, आपने उस बार संस्कृति को बढ़ावा दिया, राजस्थान में उनकी संख्या 95 कर दी? क्या यह सही नहीं है कि आपने एक बार 2011 के बंदोबस्त के बाद...

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करो। माननीय राजेन्द्रजी, आप समाप्त करें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, समय, ये पहले वक्ता हैं इसलिये ज्यादा दे दिया। बाकी अब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2012-13...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय आपके पास रखिये। आप बोलिये फिर। नहीं...(व्यवधान) आपने लिस्ट क्यों दी? लिस्ट काट दीजिये। वह कैसे लिस्ट दी है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और तो और, 2013-14, आपने लगातार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

3 साल तक देशी शराब, विदेशी शराब और डोडा-पोस्त का नवीनीकरण नहीं किया। आप कह रहे हैं, आप शराब संस्कृति के खिलाफ हो; मैं पूछना चाहता हूं, इसी सदन में कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि देशी शराब की बिक्री 2010 में आपकी 15 परसेंट बढ़ी, 2011 में 28.9 परसेंट बढ़ी, 2012 में 12.20 परसेंट बढ़ी; भारत-निर्मित-विदेशी-मदिरा की बिक्री 2010 में 16 परसेंट हुई...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब करोगे, मैं नाम पुकार लूंगा। माननीय, आप ऐसे नहीं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2011 के अन्दर...(व्यवधान) हुई और 2012 में 25.16 और यही नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं चाहते हो? मैं नाम पुकारूं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सरकार पहली सरकार है जिसने नोटिफिकेशन जारी करके जो ज्यादा शराब बेचे, उसको 10 परसेंट ड्यूटी में छूट दी। आप कहो तो मैं नोटिफिकेशन नम्बर पढ़कर सुना दूं? मतलब, एक तरफ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ। आपकी शराब की बिक्री बढ़ रही है। आप तो शराब संस्कृति के खिलाफ हैं ना? आप नोटिफिकेशन जारी करके...

श्री उपाध्यक्ष: समय भी बढ़ रहा है; माननीय राजेन्द्र जी, समय भी बढ़ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 110 परसेंट जो शराब बेचेगा, उसको 10 परसेंट की छूट दे रहे हैं। आज हालत क्या है, आज, उपाध्यक्ष महोदय, शराब माफियाओं के चंगुल में सरकार और सरकार का शासन तंत्र है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले से प्रतिदिन आधा दर्जन ट्रक दनदनाते हुए जाते हैं अवैध शराब के; हरियाणा से निकलते हैं और राजस्थान की धरती को रौंदते हुए गुजरात की सीमा तक चले जाते हैं। आपने यदा-कदा किसी को पकड़ा...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये अब आप। प्लीज विराजिये।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री प्रताप सिंहजी खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कम्प्लीट कर रहा हूं, मैं खतम कर रहा हूं, कन्क्लूड। यदा-कदा किसी को पकड़ा तो उसके बाद...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने सिर्फ ड्राइवर पर मुकदमा बनाया। आज तक एक माफिया की गर्दन तक आपका हाथ नहीं पहुंचा।

यहां बड़ी बात होती है, जहरीली शराब, पिछली सरकार, शराब दुखान्तिका; मैं पूछना चाहता हूं, आपके इस शासन काल में 67 जहरीली शराब से मौतें हुईं कि नहीं हुईं? शाहपुरा में हुई, जोधपुर-पाली में हुई, ब्यावर में हुई।

मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या कारण है, मंत्री महोदय, आपके खुद के जिले से एग्रो बायोटेक इण्डस्ट्री, अजीतगढ़; एच एस बी एग्रो इण्डस्ट्री, रींगस; 3 लाख 20 हजार फर्जी परमिट से पांडिचेरी के अन्दर स्प्रिट चली जाये और वह भी मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल से मौत होती है। चाहे पांडिचेरी में जाकर उसकी शराब बने, हिन्दुस्तान में तो है। मौत का सौदागर साबित हो रहा है आपका यह विभाग और आपने क्या किया, 1 लाख 14 हजार की पेनल्टी और 4 नौकरों के खिलाफ कार्यवाही! कौन हैं इसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में? क्यों नहीं आपके हाथ पहुंच रहे? यह पूछना चाहता हूं।

दूसरा मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आपके जोइंट सेक्रेटरी ने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय में 2011 में पत्र लिखकर यह कहा कि राजस्थान के अन्दर जो नेशनल हाइवे पर शराब की दुकानें हैं, ये बन्द करो। उस पत्र में यह भी कहा कि राजस्थान में हर 4 मिनट में एक सड़क दुर्घटना हो रही है। आपने एक दुकान बन्द की है तो बताओ ?

और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं, इससे पहले मैं एक गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अफीम, डोडा-पोस्त, इसकी तस्करी का राजस्थान ट्रांजिट रूट बन गया। आपको मालूम होगा, अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप ने अपने अफीम की खेती को बड़ा प्रोत्साहन दिया, प्रश्रय दिया, उनके कब्जे में है। आज हालत यह बन गयी है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जरिये आज अन्तरराज्यीय मार्केट में आपकी अफीम बिकने जा रही है, हेरोइन बिकने जा रही है, डोडा बिकने जा रहा है। किस तरह का शासन दे रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो आप। आज राजस्थान के कारण पूरे हिन्दुस्तान की अस्मिता की रक्षा का संकट खड़ा हो गया है।

मैं पूछना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेम्बली का सैशन 1998, जिसमें हिन्दुस्तान भी सिग्नेचरी था, उसमें तय हुआ था कि 2008 तक हम अफीम बुवाई व व्यापार को शून्य करेंगे और आपका एन डी पी एस एक्ट...(व्यवधान) मैं आज्ञाकारी हूं, पूरा सदन जानता है, क्योंकि मुझे एक बार इन्होंने आंख दिखायी तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं जल्दी बैठ जाऊंगा, पर मैं एक सवाल करके बैठना चाहता हूं, एन डी पी एस एक्ट, 1985; इसके अन्दर क्या यह प्रावधान नहीं था कि आप हर वर्ष 1/8 परमिटों की संख्या कम करेंगे? और 2014-15 में आप डोडा-पोस्त के व्यापार को बन्द करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, 2011-12 में डोडा-पोस्त के वैध परमिट थे 28 हजार, आज 2013-14 में संख्या रह गयी 16 हजार और आपकी आमदनी इससे बढ़ती जा रही है, 2009-10 में 88 करोड़ थी, 2010-11 में हो गयी 96 करोड़ और 2011-12 में हो गयी 116 करोड़। जब परमिट कम हो रहे हैं तो डोडा-पोस्त की बिक्री और आमदनी बढ़ने के क्या कारण हैं? क्या यह सही नहीं है, एक परमिट पर कई-कई बार कई-कई ट्रक पंजाब तक जा रहे हैं? इसके बारे में क्या कभी आपने सोचा?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत कर लिया निवेदन, अब कृपया बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने 2009-10 में डोडा-पोस्त के ठेके की नीलामी की, आपने आबकारी बंदोबस्त जारी किया, टेण्डर की शर्तें निकालीं, उनमें आपने लिखा था कि अर्नेस्ट मनी के रूप में 10 परसेंट नेशनलाइज्ड बैंक का डी डी लगाना होगा; आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सहकारी समिति, वह भी आदर्श क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी, इसके चैक ले लिये और चैक, यही नहीं, 2011-12 में भी आपने यह काम किया, 2012-13 में भी यह किया और 2013-14 में भी यही कहा। मैं समझता हूं, इसके बारे में साफगोई से आपको सारी बात कहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एफ डी आई है, एफ डी आई के माध्यम से, पिछले दरवाजे से जिस तरह मल्टी-नेशनल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कम्पनियां आ रही हैं, ईस्ट इंडिया कम्पनी की तर्ज पर हमें आर्थिक परतन्त्र करने के लिये आ रही हैं। सबसे पहले अगर किसी राज्य ने इसका स्वागत किया, किसी मुख्य मंत्री ने पी सी सी आई के अन्दर अर्थशास्त्रियों की मीटिंग बुलाकर इसको जस्टिफाइड करने का काम किया तो आपकी इस सरकार के मुखिया ने और आपने किया। आज उसी का परिणाम है कि पूरा राजस्थान बन्द हुआ, राजस्थान की 246 मंडियां बन्द हुईं। आज इससे जुड़े हुए राजस्थान के अन्दर 96 लाख परिवार हैं, आप 96 लाख परिवारों पर...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। अब विराजिये। धन्यवाद।

माननीय श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस तरह लागू करके उनके पेट पर लात मारना चाहते हो, उनको बेरोजगार करना चाहते हो। मैं समझता हूं जिस दिन मल्टी-नेशनल कम्पनियां...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये। माननीय खाचरियावास...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वे मल्टी-नेशनल कम्पनियां जिनके बारे में, वालमार्ट के बारे में आज अमेरिका की संसद में जो रिपोर्ट गयी, सवा सौ करोड़ रुपये उन्होंने लाबिंग में खर्च किये। मेरी समझ में नहीं आ रहा...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। अब विराजिये। बोलिये आप। आपका अंकित हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वालमार्ट पर जो आरोप है, कहीं यह आरोप दिल्ली से तैरता हुआ यहां तक तो नहीं आ गया? क्या यह आरोप, 125 करोड़ की वह लाबिंग...

श्री उपाध्यक्ष: खाचरियावास साहब। (व्यवधान) प्रताप सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो अमेरिका की संसद में वालमार्ट की रिपोर्ट में है, ऐसा तो नहीं है, मंत्री महोदय, उसकी छाया कहीं आ पड़ी हो? जिस दिन आह लगेगी ना और आप आज खुदरा मार्केट को खतम कर रहे हो, खुदरा बाजार को खतम कर रहे हो, आप मल्टी-नेशनल्स को इन्वाइट कर रहे हो, इनकी आह और डाह से बड़े-बड़े खतम हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार, इसकी कथनी और करनी में अन्तर है। यह गांधीवादी चेहरा दिखाने का कुछ और है और इसकी आड़ में छिपा हुआ असली चेहरा कुछ और है। इसीलिये कभी जोधपुर विश्वविद्यालय में भर्ती पर प्रश्नचिन्ह लग रहे थे, कभी मण्डोर में खान आबंटन पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं, कभी डोडा-पोस्त के नवीनीकरण पर प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं। अच्छा रहे कि सरकार यह कहे कि हम साफगोई से राजस्थान के अवाम् को अच्छा शासन देना चाहते हैं।

आपने मुझे समय दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। आप बोलिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, खनिज और उद्योग पर चर्चा हो रही है और राजस्थान हिन्दुस्तान के उन प्रदेशों में आता है जहां खनिज का पूरा भण्डार है और अब राजस्थान हिन्दुस्तान के प्रदेशों में सबसे आगे खड़ा हुआ है। जब खनिज पर चर्चा होती है, उद्योग पर चर्चा होती है, जिस स्टेट के खनिज के भण्डार जबरदस्त हों, जहां के उद्योग-धंधे मजबूत हों, वह प्रदेश कभी किसी से पीछे नहीं रह सकता, वह प्रदेश हमेशा निरन्तर तरक्की करता है, उसके आर्थिक संसाधन भी हमेशा मजबूत रहते हैं, उस प्रदेश की जनता भी हमेशा खुशहाल रहती है और उस सरकार को किसी भी तरह की योजना बनाने में कभी इधर-उधर नहीं देखना पड़ता, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

(15.00 बजे)

आज भी जब खनिज पर चर्चा हो रही है तो मैं यह मानता हूं कि सरकार हमारी है, यदि हम खनिज को लेकर तैयारी कर लें, आज खनिज के नाम पर प्रदेश को बहुत कुछ मिल रहा है। हमें यह मानना पड़ेगा कि खनिज को लेकर जो हम माइंस पालिसी लेकर आये, उससे हमें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। पहली बार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और माइंस पालिसी बनायी। उस माइंस पालिसी में एक डिसिजन हो गया कि अब चेजा पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब, जो इस तरह की खानें थीं, पहले सरकार अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को आबंटित करती थी, उसमें यह माना जाता था कि इसमें बड़े अधिकारी, सरकार के बड़े प्रतिनिधि, नेता लोग अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को, पोलिटिकल लोगों को खानों का आबंटन करवाते हैं और उसका जनता में एक गलत संदेश जाता था।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

(15.01 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

लेकिन पहली बार राजस्थान की सरकार ने यह हिम्मत की और फैसला लेकर माइंस पालिसी लागू की। उसमें चेजा पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, इस तरह की खानें, हालांकि उसमें सीमेंट फैक्टरियों को अलग रखा गया है क्योंकि उनकी अपनी शर्ते होती हैं लेकिन फिर भी कहीं से शुरुआत हुई। अब आम आदमी को यह लगने लगा कि मैं ओपन बोली में जाऊंगा, सिफारिश के आधार पर नहीं, कम से कम बोली में यदि मैं सबसे ऊंची बोली लगाऊंगा तो मुझे खान मिल जायेगी और उसका फायदा सबसे बड़ा सरकार को यह होगा कि जनता का खजाना, जो सरकारी खजाना है, उसमें उसका पैसा जमा होगा।

सभापति महोदय, अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आज भी एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहां पर दो नम्बर की खनन होती है; जबरदस्त, बहुत बड़ी तादाद में खनन एरिये का दोहन हो रहा है। यदि हम तैयारी कर लें, यह कोई पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है, यह प्रदेश के हितों का सवाल है, राजस्थान को यदि हम संसाधनों से मजबूत करना चाहते हैं, राजस्थान का खजाना भरना चाहते हैं तो हमें एक स्पष्ट पालिसी बनानी पड़ेगी। हमें यह तय करना पड़ेगा कि राजस्थान में ऐसा एरिया, जहां पर खनन हो सकती है, जहां मार्बल हो, जहां ग्रेनाइट हो, जहां चेजा पत्थर हो, जहां लाइमस्टोन हो, वहां पर हम एक बड़ा अभियान चलायें, हम एक अलग से डिपार्टमेंट डवलप करें, अधिकारियों की डयूटी लगायें और यह फैसला लें। उसमें हम राजस्थान की हर उस पंचायत को, राजस्थान के हर उस एम एल ए को, प्रधान को, सरपंच को, पंच को शामिल करें और उससे राय लें; राय लेकर यह कहें कि राजस्थान का ऐसा कौनसा बड़ा एरिया है जहां पर दो नम्बर में खनन हो रहा है। उस दो नम्बर के खनन के कारण राजस्थान का लॉ एण्ड आर्डर भी डिस्टर्ब हो रहा है, माफिया पनप रहे हैं। माफिया पनप करके वे तो डवलप हो रहे हैं और सरकार का खजाना खाली हो रहा है; हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब आप माइंस पालिसी लेकर के आये हो, वह माइंस पालिसी जब आयी तो मुझे लगा कि हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच अच्छी है, हम फ्यूचर के राजस्थान के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम हमारा खजाना मजबूत करना चाहते हैं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सभापति महोदय, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि राज चाहे उनका रहा, राज चाहे हमारा रहा, इस आजादी के 65 वर्षों में यह बात तय है कि बहुत लोगों ने सिफारिशों से खानें आबंटित करा लीं; कोई बात नहीं, वह एक प्रक्रिया का हिस्सा था। देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद उद्योग-धंधों को बढ़ावा देना था, देश को आगे ले जाना था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू बने, उसके बाद लगातार प्राइम मिनिस्टर बदले, लेकिन बड़े-बड़े सेठों को, बड़े-बड़े बिजनेसमैनों को रिलेक्सेशन दिये गये, उनको यह कहा गया कि आप यहां पर खनन कीजिये, आप यहां पर अपने उद्योग-धंधे लगायें।

सभापति महोदय, मंत्रीजी को कह दें, बाद में मीटिंग कर लें, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जगह पर बैठो, इनको अपनी-अपनी जगह पर भेजो पहले। सभापति महोदय, भेजो, आसन की भी कुछ वैल्यू होती है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर टाइम पर, हर प्राइम मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर, यह उनका अधिकार होता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, कल-कारखाने लगाने के लिए, उद्योग-धंधे लगाने के लिए। जब जवाहर लाल नेहरू जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आगे बढ़कर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को, बिड़ला, टाटा, इनको बड़े-बड़े रिलेक्सेशन दिये, तब यह उम्मीद थी कि इस कंट्री को हमें उन कंट्रियों के मुकाबले खड़ा करना है जो आगे निकल चुके हैं; हमें विकासशील देशों की श्रेणी में आना है, तब रिलेक्सेशन दिये गये। उससे इस देश के उद्योगपतियों को यह लगा कि परमानेंट हम तो सरकार के मालिक बन गये। वे सरकार के मालिक नहीं बने, तब इस देश को आगे बढ़ाना था; इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए जरूरत थी इस बात की कि उनको रिलेक्सेशन दिये जायें।

सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है, पिछली सरकार में क्या हुआ? सरकारें बदलती हैं, नीतियां वैसे ही चलती हैं। राजस्थान का हिन्दुस्तान जिंक, सबसे बड़ा, जिसका नाम पूरे देश में, वह हिन्दुस्तान जिंक उस वक्त 40 हजार करोड़ का था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने सम्माननीय प्रधान मंत्री के वक्त में केन्द्र सरकार ने फैसला ले लिया, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

में, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भाषण का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक, उन्होंने इतना बड़ा गलत डिसिजन ले लिया। मैं आज भी बात करता हूं हिन्दुस्तान जिंक की, 40 हजार करोड़ की हिन्दुस्तान जिंक सिर्फ 400 करोड़ रुपयों में हिन्दुस्तान के, इसी देश के एक सेठ को बेच दी। वह फैसला हो गया और यह कहा गया उस वक्त कि हिन्दुस्तान जिंक तो घाटे में है। उसमें कबाड़ उस वक्त 4 हजार करोड़ का पड़ा था, वह उस वक्त 400 करोड़ में बिक गयी। इस तरह से उस वक्त बहुत फैसले हुए कोई बात नहीं।

सभापति महोदय, अभी मैं बात कर रहा था, मेरे साथी विधूड़ी जी उसी क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने अभी मुझे बताया, मेरी उस पर बहुत नालेज नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे डाक्यूमेंट्स दिखायें। मुझे आश्चर्य हुआ, मंत्रीजी, जब आप जवाब दो तो आपको यह बताना चाहिए कि हिन्दुस्तान जिंक पर आपका कितना बकाया है? आप कितने पैसे उससे मांगते हो? आज किन-किन शर्तों में हमें उससे कितना फायदा हुआ? हम अभी कितने फायदे में हैं? हमें कितना पैसा हिन्दुस्तान जिंक से मिल रहा है? क्योंकि वह पैसा हमारा पैसा है, राजस्थान की जनता का पैसा है।

सभापति महोदय, अभी-अभी मुझे बताया गया कि घोसुण्डा डैम का पानी फोकट में हिन्दुस्तान जिंक ले रहा है। पानी ले रहा है, पैसे दे। अभी मैंने डाक्यूमेंट देखे कि हिन्दुस्तान जिंक ने बिना पर्यावरण की एन ओ सी के, आप एन्वायरनमेंट की एन ओ सी लिये बगैर कभी भी कोई नया प्लांट डवलप नहीं कर सकते, आपने बड़े दिमाग से काम किया। हिन्दुस्तान जिंक ने एक लैटर लिखा कलक्टर को और कहा कि एक ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए, सामान संग्रहण के लिए ग्राम पूठौली की 159.33 हेक्टेयर भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया जाये। पहले तो कह दिया कि यह ग्रीन बेल्ट मैं बनाऊंगा, ये डाक्यूमेंट हैं मेरे पास, पहले तो कहा कि मैं ग्रीन बेल्ट बनाऊंगा; वह बनाना जरुरी था क्योंकि आपको नया प्लांट लगाना था, इसके लिए किसानों ने अपनी जमीनों का कन्वर्जन करा लिया, किसान तैयारी कर रहा था कि 154 करोड़ रुपये हमको मिलेंगे लेकिन बाद में हमारे यहीं से एक अधिकारी ने यह निकाला, वह इसलिए कि, सवाल इस बात का नहीं है कि वह 400 करोड़ में...

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (संसदीय सचिव): यह जो बोला हिन्दुस्तान जिंक के बारे में, ग्रीन बेल्ट की जगह को डि-एक्वायर, प्लांट की परमिशन इसलिए मिली थी कि 2006 में हिन्दुस्तान जिंक में एक सैकण्ड प्लांट लगा

(श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी)

02 के नाम से और पुठौली ग्राम की 159.33 हैक्टेयर जमीन उसके लिए एक्वायर हुई, वह ग्रीन बेल्ट के लिए एक्वायर की गयी लेकिन वहां पर डिप्टी सैक्रेटरी दयानीजी ने अधिसूचना जारी की...(व्यवधान) प्लांट की उत्पादन क्षमता...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कोई ढंग की बात बोलते। क्या हो गया? बोले जा रहे हो लगातार आप। इतने बड़े सीनियर एडवोकेट हो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (संसदीय सचिव): आप वकील हो, हम भी वकील हैं किसानों के। आप बैठिये थोड़ा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप किस बात के लिए बुलवा रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (संसदीय सचिव): किसानों की बात के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप यह बताइये, एक वक्ता बोलता-बोलता, आपने किस नियम के तहत इनको खड़ा कर दिया? (व्यवधान) सदन का कोई कायदा-कानून नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (संसदीय सचिव): आप अटल बिहारीजी वाजपेयी के टाइम के लिए निर्णयों को बचाना चाहते हो। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, यह कोई कायदा-कानून नहीं है क्या? (व्यवधान) सदन चल सकता है ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आप भी चुनकर आये हो, हम भी चुनकर आये हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, ये डाक्यूमेंट्स मैं आपकी टेबल पर ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप कुछ भी रखिये। सभापति महोदय, इन्होंने बिना पूछे बोलना शुरू कर दिया। यह कुछ भी रखें ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मैच फिक्सिंग है क्या, मैच फिक्सिंग? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) इस सदन को तमाशा बना दिया। (व्यवधान) आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए कि आप एम एल ए भी हो। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आपके बोलने पर एतराज नहीं है, तरीके पर एतराज है। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बोलकर ये व्यापार कर लेंगे, 9 बजे से पहले-पहले। (व्यवधान) इस कागज का मतलब है कि लेन-देन होगा, मेरी गारण्टी है इस बात की। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप ऐसे कैसे बैठा सकते हो? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कौन से नियमों के तहत हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): उधर के लोगों, आप क्या कहना चाहते हो?

श्री सभापति: विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप 'विराजो-विराजो' कह रहे हो, उधर भी तो विराजवा दो। उधर तो विराजने नहीं देते हो और इधर विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट आप सुन लें। पहली बार चुनकर आए हैं प्रतापसिंहजी, मेरे छोटे भाई हैं, ... (व्यवधान) मैं इनको कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इन्होंने अटलजी का नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। सिर्फ प्रतापसिंहजी खाचरियावास का अंकित होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: आर्डर में तो आप बैठेंगे तब आयेगा। (व्यवधान) आप बैठ जाओ। (व्यवधान) आसन पांवों पर, आप विराजिये। (व्यवधान) विराजिये। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य, विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनिये, मैं बोल रहा हूं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सभापति: मदनजी, विराजो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप बैठ तो जाओ, मैं बोल रहा हूं। मैं अटलजी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं उनका प्रशंसक हूं भाषण का। बिना सुने रोळां कर रहे हो। मैं माफी चाहता हूं। फिर भी मैंने प्रशंसा में कुछ कह दिया तो मैं माफी चाहता हूं। बस, राजी? (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: सिर्फ प्रतापसिंहजी खाचरियावास का अंकित होगा और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: संसदीय सचिव महोदय, आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (संसदीय सचिव): ×××

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। आप बोले जाओ, बोले जाओ। (व्यवधान) आप विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: ये खुद निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान) अगर अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में ...(व्यवधान) प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने कुछ भी असंसदीय शब्द नहीं बोला है। पूर्व प्रधान मंत्री के सम्मान के अन्दर ...(व्यवधान) आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान) मैं देख लूंगा, असंसदीय होगा तो मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: मैं देख लूंगा, एक्सपंज कर देंगे। (व्यवधान) मैं वह भी देख लूंगा असंसदीय होगा तो। (व्यवधान) आप हाउस को आर्डर में लाना नहीं चाहते। इधर से आठ बोलेंगे तो उधर से अट्ठाइस बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: मैं एक्सपंज कर दूंगा, बात खतम। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) प्रतापसिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सदस्य, बैठो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: बोलो, बोलें। (व्यवधान) बोलने दो जो बोलें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: किस चीज का खेद व्यक्त करें? इन्होंने बोल तो दिया, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, मुझे बोलने दें। (व्यवधान) मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूं, आप बैठ जाइये अब। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप बैठ जाइये, अच्छा रहेगा आपके लिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, बैठ जाओ, अच्छा इसी में रहेगा। (व्यवधान) मैं नहीं निकालूंगा। आप दादा हो बहुत बड़े, बैठ जाओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, आप बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अच्छा, ठीक है, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: छोटे भाई भी कह रहे हो और बोलने भी नहीं दे रहे हो, दोनों बात कर रहे हो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपकी बात बोल दी है, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: फिर वही बात। आप तो विराजो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मैं मूंछ वाले भाई साहब का भी सम्मान करता हूं, हाथ जोड़ कर, यह हमारे बड़े भाई हैं; रोहिताश्वजी भी बड़े भाई हैं; जसवंतजी भी बड़े भाई हैं; बाकी सब बड़े भाई हैं। मैं खेद प्रकट करता हूं, यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। (व्यवधान) मैं एक बार फिर माफी चाहता हूं, क्योंकि अटलजी का मैं वास्तव में सम्मान करता हूं, मैं ही नहीं, पूरा देश सम्मान करता है। आप उसको उस वे में ले गये। उस सरकार के वक्त जो फैसला हुआ, यह मान लो, बस। अटलजी का सम्मान करता हूं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हम भी राजस्थान के हित में उतनी ही बात कर रहे हैं; जितनी बात आप कर रहे हो, उतनी हित में हम कर रहे हैं। हमें वाड्राजी से कोई शिकायत नहीं है, एक गलत काम की शिकायत है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी कुर्सी में कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या? आप बार-बार खड़े हो रहे हो। कितनी बार खड़े हो गये। आप बार-बार क्यों बोल रहे हो? सदन को चलने दें न, आराम से। बार-बार खड़े होते हो, बार-बार। अब मैं अलाउ नहीं करूंगा, विराजो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मैं इसलिए बोल रहा था कि यह सिर्फ पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है, हिन्दुस्तान जिंक, किसी भी वक्त में फैसला हुआ चाहे, यह बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ा पैसा जो राजस्थान को, शायद अब 51 तो उनका शेयर हो गया प्राइवेट का और अभी भी राजस्थान की सरकार का शेयर है। मैं यह चाहता हूं कि इस कम्पनी का, इस तरह के, हिन्दुस्तान जिंक के जैसे जितने भी बड़े उद्योग हैं, उनमें जब, सभापतिजी, मंत्रीजी जवाब दें तो यह बताएं कि राजस्थान के हिन्दुस्तान जिंक जैसे कितने बड़े-बड़े उद्योगों का कितना पैसा टैक्स के रूप में केन्द्र सरकार का और राजस्थान सरकार का बकाया है? वह राजस्थान की जनता के सामने आना चाहिए जिससे पता चले कि हमने कितने उद्योगपतियों को कितने वर्षो से किस-किस राज में आज तक इतने समय से छूट दे रखी है। आज एक गरीब आदमी, बिजली का बिल यदि एक दिन लेट हो जाए, उसका कनेक्शन कट; आज एक गरीब कोई टैक्स नहीं जमा करा पाये तो पूरा सरकारी लवाजमा उसके घर पर; आज कोई छोटा ठेकेदार रायल्टी, सेल्स टैक्स का या कोई भी छोटा ठेका ले ले, गांव में और वह बेचारा जमा नहीं करवा पाए तो उसकी कुर्की। आखिर ऐसे कितने उद्योग हैं जो मल्टीमिलियोनेर हैं और जिनमें करोड़ों की राशि बकाया है, लाखों की बकाया है? वह सदन में आपके जवाब के साथ आनी चाहिए जिससे राजस्थान की जनता को यह पता चल सके कि ये मालिक जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियां बड़े-बड़े उद्योग-धंधे लेकर बैठे हैं, इनमें राजस्थान की सरकार इतना पैसा मांगती है। जब यह सच्चाई सामने आएगी, फिर, सभापतिजी, आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इन उद्योगों से राजस्थान के हित में कितने दिनों में ये वसूली करेंगे और उसका तरीका क्या होगा? क्या उसमें हम सख्ती से उनसे वसूली करने की नीयत रखते हैं? यह आप जब डिमांड का जवाब दें तो आपको बताना चाहिए जिससे ...(व्यवधान) सभापतिजी, माफी चाहता हूं ...(व्यवधान) विधूड़ी जी हमारे मित्र हैं... (व्यवधान) रहने दो, इतना तो अधिकार होता है दोस्तों का। अब ये नाराज हो जाएंगे, मेरे जीव को झगड़ा हो जाएगा। (व्यवधान) हां, तो ये देख रहे हैं, भाई साहब, ये कह रहे थे मुझे कि ये रोहिताश्वजी मेरे मित्र हैं, आप तो मेरे बड़े भाई हो लेकिन इनके मित्र हो, आप देख लेना। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): विधूड़ीजी को तो पहले बोलना चाहिए था, ये तो क्रांतिकारी हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): तो, सभापतिजी, आपके जरिये यह बात मैंने उठाई है, इसमें यह क्लीयर होना चाहिए कि हम कितने पैसे मांगते हैं और कितने दिनों से इन पर बकाया चल रहे हैं? और हमारे यदि बकाया हैं इन पर तो साथ में यह जवाब भी आ जाए कि इसमें मेरा यह नजरिया है कि मैं इस ढंग से इसकी वसूली करूंगा। इससे होगा कुछ नहीं, इससे एक संदेश जाएगा कि यह सरकार ईमानदारी से हम जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम लेकर आए हैं, उसका एक बड़ा संदेश जाएगा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। आप माइंस पालिसी लेकर आए हैं, उसमें भी यह संदेश गया है कि सरकार ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करना चाहती है। आप जो पालिसीज लेकर आए हैं, उनमें सरकार की संवेदनशीलता, पारदर्शिता शो होनी चाहिए। वह शो होगी इससे।

मैं इसके अलावा, सभापतिजी, आपके जरिए एक और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कई फैक्टरियां हैं, कई उद्योग-धंधे हैं जो काफी समय से बंद पड़े हैं। उनको लेकर पिछली सरकार में एक फैसला हुआ है, इतना बड़ा फैसला हो गया, जयपुर की सबसे बड़ी मेटल फैक्टरी, जो मीटर बनाती थी, इतनी बड़ी फैक्टरी, इतना बड़ा नाम, जिसके 280 मजदूर इसलिए मर गये, इंतजारी करते रहे कि कल शुरू होगी, परसों शुरू होगी, अब शुरू होगी; एक बड़ा डिसिजन पिछली सरकार में हो गया, जीनस नाम की कम्पनी से एक कम्प्रोमाइज हुआ। जब वह कम्प्रोमाइज हुआ, मैं खुद उस फैक्टरी पर गया और सारे संगठन, सब इकट्ठे हुए और पहली बार सब संगठन इकट्ठे हुए और झण्डा हटा कर, मैंने कहा उनसे, जोइंट संघर्ष समिति बनाओ। मैं खुद सड़कों पर लड़ा और सबने झण्डे हटा दिये। तब की सरकार को निवेदन किया था, तो उद्योग मंत्री जो थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरी बात समझी भी; मैंने कहा, आप जीनस से कम्प्रोमाइज कर रहे हो, कर लो, समझौता कर लो, जितने में करना है, कर लो लेकिन आप यह जो मजदूर का पैसा है, वन टाइम पेमेंट करवा दो जीनस से, मजदूर तो बरी हो; मजदूर को बरी नहीं किया। जीनस से एक इस तरह का समझौता किया गया, जो समझौता लागू नहीं हुआ। आज भी मेटल फैक्टरी बंद पड़ी है और कोर्ट में मामला सबजुडिस हो गया।

अभी दो महीने की तनख्वाह, हमने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया तो उन्होंने आउटराइट जाकर दो महीने की तनख्वाह वहां के मजदूरों को दी।

आज हम वह फैसला, हमको कोर्ट में खड़े होकर यह कहना है कि

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

राजस्थान की सरकार इस मेटल फैक्टरी की ओपन बोली लगाए, उन्होंने यदि कोई गड़बड़ कर दी, पिछली सरकार ने, हम ईमानदारी दिखाएं और ओपन बोली हो वहां पर जमीन की और बाकायदा बोली लगे कि इतने सौ करोड़ की, इतने सौ करोड़ मजदूर का हिस्सा है, मजदूर के खाते में चली जाए; सरकार का हिस्सा सरकार के खाते में चला जाए; फाइनेंस कम्पनी का हिस्सा फाइनेंस कम्पनी के खाते में चला जाए। जीनस वाले ने वह जो 5-7 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, उसके मुंह पर वापस मार दो कि ले जा तेरा पैसा भी तू, क्योंकि चोरी थोड़े न चलेगी। एक गलत कर गया, आज हमारे वे अधिकारी क्या कर रहे हैं, उस राज में जो थे आज भी वे यहां बैठे हैं, आज भी उनकी कोशिश चल रही है कि जीनस का किसी भी ढंग से वापस...।

कोर्ट ने नहीं माना कि जीनस को दिलवा दिया जाए। यदि हमने यह काम किया तो हमको पाप लगेगा। क्योंकि वह पिछली सरकार का डिसिजन या तो लागू हो जाता, जब लागू नहीं हुआ तो अब तो मजदूर को पूरा अधिकार मिले और ओपन बोली हो। उसमें सरकार को भी फायदा होगा, फाइनेंस कम्पनी को उनका तुरन्त पैसा मिल जाएगा। यदि जीनस को जब कोर्ट ने डिनाई कर दिया, कोर्ट ने भी मना कर दिया कि यह लागू नहीं हो सकता, तो ऐसे में मेटल फैक्टरी की जमीन, मेरा मानना है, उसका कबाड़ चोरी हो रहा है, रोज, जबरदस्त। उसमें नई सारी की सारी मशीनें पड़ी हैं, मीटर यहां पर बनते थे।

आज भी वहां के मजदूरों को, यदि सरकार चाहे, आज भी चला सकती है, आज भी फायदे में आ सकती है लेकिन सरकार की इच्छा-शक्ति चाहिए। सरकार वहां के मजदूरों को कहीं पर और नौकरी दे दे, जो रिटायर हो गया, उसका भी रास्ता, वे बेचारे किसी भी स्तर पर जाकर समझौता करने को तैयार हैं।

उन्होंने इतना भरोसा किया, उस वक्त के लोगों पर, जो वहां लीडरशिप करते हैं, उन्होंने कहा, हम तुम्हारा फैसला करा देंगे, वे मेरे पास आए, वहां मेरे डायरेक्टर जीते हुए थे, सारे, किसी पार्टी के नहीं थे, वे मेरे पास आए, समझौता हो रहा है; मैंने कहा, सारे मजदूर आएं कि हम यह को-आपरेटिव क्या, उस राज के लोग बोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ नेता हमको यह कह रहे हैं कि तुम्हारा फैसला करा देंगे; मैंने कहा कि आपका फैसला होता हो तो आप सरेण्डर कर दो; उन्होंने को-आपरेटिव के सारे अपने शेयर सरेण्डर कर दिये। फिर भी उनका फैसला नहीं हुआ, आज तक फैसला पेंडिंग है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह जो मेटल फैक्टरी का मामला है, इस मेटल फैक्टरी में मंत्रीजी, आप जब जवाब दें, आप बतायें कि मेटल को लेकर हमने अब तक क्या किया? जो मजदूर भूख से मर गया, उसके लिए आगे के लिए हमारी क्या कोई पालिसी है? यदि हम कुछ करने जा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बतायें, क्योंकि आज भी कई परिवार, कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रोज अख़बार में खबर ढूंढते हैं और कभी इतनी भी आ जाए तो देखते हैं। मेरे पास, मेरे घर पर हर संगठन का आदमी चलकर आता है, आकर उम्मीद भरी निगाहों से देखता है और कहता है कि अब राज बदल गया, आप तो कुछ कर दो। उनको कोई मतलब नहीं है, जो भूखा होता है उसको रोटी चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि राज किसके पास है। वह तो उसके साथ खड़ा है जो उसकी भूख मिटा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप अपनी बात जरूर बतायें।

मैं एक बात और कहूंगा, खनिज और उद्योग पर बात चल रही है और मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि पूरे राजस्थान में, हमारा राजस्थान का मजदूर है, उस मजदूर के लिए केन्द्र सरकार बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आती है और कहती है कि मजदूर के लिए हम यह पैसा देना चाहते हैं, अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मजदूरों के बच्चों को हम स्कालरशिप देंगे, पर मुख्य मंत्रीजी की योजना लागू कैसे होगी, इसलिए लागू नहीं होगी क्योंकि राजस्थान का मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे बेरोजगार को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और बेरोजगार का जब रजिस्ट्रेशन होता है, तब उसको बेरोजगार के अधिकार मिलते हैं। ऐसे में आप एक महीने का प्रोग्राम चलाइये और पूरे राजस्थान में पंचायत, तहसील स्तर पर कहिये कि जो मजदूर हैं, वे इस महीने में अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करायें। जैसा प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान चल रहा है, प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान चल रहा है, उसी तरह से मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का अभियान चले, उसमें मजदूर रजिस्टर्ड हों, हमें पता चले कि ये राजस्थान के मजदूर हैं जिससे उनको केन्द्र सरकार की पालिसीज का, स्टेट की पालिसीज का लाभ मिल सके। नहीं तो, हमारी पालिसीज हम बनाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी पालिसीज आती हैं लेकिन मजदूर को उनका लाभ नहीं मिल पाता। मेरे पास बहुत मजदूर आते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं हूं, न मैं कोई ट्रेड यूनियन का लीडर हूं लेकिन मैं लाल झण्डे वालों के बीच में भी जाता हूं, हमारी पार्टी में तो मैं हूं ही, और जितने मजदूर संगठन हैं उनके बीच में भी

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जाता हूं, तो उसमें आम मजदूर को, इवन ट्रेड यूनियन के लीडर्स को हमारी योजनाओं का पता ही नहीं है कि सरकार क्या-क्या लाभ देना चाहती है। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से इसमें कुछ करें।

जो उद्योग की बात आई, तो खनिज को लेकर उद्योग में हम कुछ न कुछ चेंज करेंगे और इसका जवाब मुझे आप नजर आयेगा। जहां तक उद्योग-धंधों की बात आई, तो मैं इसमें आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में, आपने यह तो कहा कि हमारी एकल खिड़की है, अखबार में यह बहुत अच्छा लगता है पर, मंत्रीजी, आप खुद जाकर चैक कीजिये कि एक भी उद्योग कोई लगाना चाहता है, वह एकल खिड़की में अपना डिसिजन करवा सकता है क्या? यह हमें चैक करना चाहिए। हमने योजना बना दी, आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आपका प्रोग्राम अच्छा है, आपने कह दिया कि एकल खिड़की लागू है, आओ और उद्योग-धंधे लगाओ; कितने लगाये? कोई आ रहा है, उसको मौका दो। हमें यह देखना चाहिए कि एकल खिड़की से हम कितने उद्योग-धंधे लगा पाये और यदि हमारी योजना के बावजूद हमें कोई प्राब्लम आ रही है तो हम आगे बढ़कर उस एकल खिड़की को मजबूत करें और हम हमारी नीयत बतायें।

मैं खतम करने जा रहा हूं। माननीय सभापतिजी, मैं आपके जरिये एक बार फिर यह बात कहना चाहूंगा कि सबको पता है कि बीकानेर में बहुत बड़ी तादाद में लाइमस्टोन का अवैध खनन हो रहा है। लाइमस्टोन ही है न, मंत्रीजी? जिप्सम का बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, वहां उसको एक नम्बर में करना है और वे तैयार हैं। वहां पर अधिकतर लोग यह चाहते हैं क्योंकि वहां पर उससे स्थितियां बिगड़ रही हैं। इसलिए उस एरिये को हमें अपने सरकारी नियंत्रण में लेकर, राजस्थान के जितने भी इस तरह के एरिये हैं, उनको सरकारी नियंत्रण में लेकर जो सरकार की पालिसीज हैं, उन पालिसीज को वहां पर लागू करना है।

सभापतिजी, मैं भरोसा कर रहा हूं कि जब मंत्रीजी यह जवाब देंगे, तब मंत्रीजी यह स्पष्ट करेंगे कि इन बड़े उद्योग-धंधों से जितने भी हमारे पैसे आने हैं, वह पता चल जाए; कब तक आएंगे, वह पता चल जाए और अब हम क्या ऐसी कोई पालिसी बनाने जा रहे हैं कि राजस्थान में अवैध माइनिंग बंद हो जाएगी? जितना भी अवैध एरिया है उसको हम वैध करने की तैयारी करेंगे

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

और उसको वैध करके सरकारी नियंत्रण में लेकर हम ऐसी कोई पालिसी बनाएंगे जिससे सरकार को पैसा मिले और राजस्थान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके? बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रणवीर पहलवान।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मैं आ गया। एक सैकण्ड भी नहीं हुआ।

श्री सभापति: अब नहीं, मैंने नाम पुकार दिया, अब आप विराजो। मैं फिर आपको बुला लूंगा। अब आप विराजो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43-खनिज पर चर्चा चल रही है। बड़े-बड़े नेता यहां विराजमान हैं, वे पूरे राजस्थान की बात करेंगे लेकिन मैं अपने जिले तक सीमित रहूंगा।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिला राजस्थान को लगभग ढाई हजार करोड़ की रेवेन्यू देता है। कपड़ा मण्डी के नाम से भीलवाड़ा विख्यात है, एशिया की सबसे बड़ी मण्डी भीलवाड़ा है और लगभग 7 से 8 करोड़ मीटर कपड़े का प्रति माह वहां पर उत्पादन होता है। उसके बावजूद आज तक उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने कोई टैक्सटाइल नीति की घोषणा नहीं की है। महाराष्ट्र सरकार ने, गुजरात सरकार ने वहां कृषक टैक्सटाइल नीति की घोषणा की है, जिससे भीलवाड़ा के लगभग सारे उद्योगपति वहां पलायन करने की स्थिति में हैं। वहां हालात ये हैं कि इस सरकार के द्वारा 'टफ' योजना में जो लाभ दिया जा रहा था, वे भी जो पुरानी लगी हुई यूनिट हैं उनको वह लाभ नहीं मिलने से वे दिवालिया होने के कगार पर हैं और लगभग 30 से 40 फैक्टरियां वहां बंद पड़ी हैं।

सभापति महोदय, आज उद्योग पर चर्चा हो रही है, भीलवाड़ा में जो उद्योग है, वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, तो उस उद्योग को जिन्दा रखना आवश्यक है। उस उद्योग के लिए जो जरूरतें हैं, वे मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक ऐसी टैक्सटाइल नीति बने जिससे जो व्यापारी वहां से पलायन कर रहा है उसका

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पलायन रुके और उसका विश्वास जगे, जिससे पुरानी फैक्टरियां जमी रहें और नई फैक्टरियां और लगें।

'टफ' योजना में राजस्थान में टैक्सटाइल इण्डस्ट्री में 6 प्रतिशत स्टेट सब्सिडी की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी 'टफ' योजना के अन्तर्गत यूनिट आती हैं, उनमें स्टेट सब्सिडी 6 प्रतिशत की जाए।

इसके अलावा, बिजली में प्रति यूनिट एक रुपये की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जानी आवश्यक है, तब तो वह उद्योग वहां जिन्दा रह सकेगा।

वहां प्रोसेस हाउसों ने 300-300, 400-400 मीटर गहरे कुएं खुदा रखे हैं और वे प्रदूषित पानी को वहां इकट्ठा करते हैं, उस प्रदूषित पानी के कारण भूजल में प्रदूषण फैल रहा है। आस-पास के सब गांवों में 300-400 मीटर का प्रदूषित जल भूगर्भ के माध्यम से सारे कुओं में जाकर पेयजल को प्रदूषित कर रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सारे प्रोसेस हाउसों का एक ट्रीटमेंट प्लांट कामन रूप से लग जाए जिसमें व्यापारियों, उद्योगपतियों की भागीदारी हो और कुछ सरकार उसमें सहयोग दे, तो प्रदूषण से हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे भीलवाड़ा में रीको इण्डस्ट्रियल एरिया जितने थे वे लगभग सब आबंटित हो चुके हैं। आज भीलवाड़ा जिले में क्वार्टज, फेल्सपार एवं सोडा का बहुत बड़ा भण्डार है, वहां गैस पाइपलाइन आ रही है। तो उसके माध्यम से क्वार्टज, फेल्सपार और सोडा पर आधारित उद्योग भीलवाड़ा में कई उद्योगपति लगाना चाहते हैं। इसलिए इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार विचार करे जिससे यह हमारा कच्चा माल सारा गुजरात और मोरवी जाता है, वह यहीं रुके और हमारे सारे जो भी सिरेमिक के प्लांट हैं, वे लगें। सभापति महोदय, इसके लिए आवश्यक है कि जितनी भी जमीनें थीं, वे लगभग आक्यूपाई हो चुकी हैं, तो नया औद्योगिक एरिया विकसित किया जाये और यह नियम बनाया जाये कि एक व्यक्ति को एक ही प्लाट आबंटित होगा। अभी भीलवाड़ा का हाल यह है कि एक-एक उद्योगपति 8-8, 10-10 प्लाट लेकर उन जमीनों को डम्प करके रख चुके हैं। यह तो रही उद्योग की बात, सभापति महोदय।

अब मैं खनिज पर कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे भाई आदरणीय रामलालजी जाट साहब भी विराजे हैं, जब भी मैं जिंदल का

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

नाम लेता हूं, इनको गुस्सा आता है लेकिन मैं यह नियम के तहत उठा रहा हूं, पूरे प्रमाण सहित इस खनन के मामले को आपके सामने लाना चाहता हूं। निश्चित रूप से एम ओ यू हमारे राज में हुआ था जिंदल शा लिमिटेड का, लेकिन उस एम ओ यू में यह कहीं नहीं लिखा था कि सारे नियम-कानूनों को ताक में रख देना और इनको खान देनी ही देनी है, ऐसा एम ओ यू में कहीं नहीं लिखा है। सभापति महोदय, इस पूरे खान आबंटन के मामले में अभी एक वाद दायर हुआ है और उसमें आरोप लगा है कि 3.60 लाख करोड़ रुपये का यह घोटाला है जिंदल शा लिमिटेड का। सरकार और जिंदल, दोनों को हाई कोर्ट का नोटिस मिल चुका है कि क्यों न इनके खिलाफ सी बी आई से जांच की जाये और इसको बंद किया जाये।

सभापति महोदय, राजस्व उप शासन सचिव, खान विभाग का पत्र मेरे हाथ में है जिसमें सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को लिखा गया है कि ''आवेदक क्षेत्र पूर्व में जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा आरक्षित खनिज सीसा, जस्ता, ताम्बा के लिए आरक्षित क्षेत्र में आता है,'' जबकि जिंदल ने सरकार के जियोलोजिकल सर्वे के अलावा जब अपना आवेदन दिया तो उस आवेदन में विषय ''खनन पट्टा वास्ते खनिज, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, कापर, आयरन, कोबाल्ट, निकल एण्ड एसोसियेट मिनरल, निकट ग्राम डेडवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में मैसर्स जिंदल शा लिमिटेड द्वारा आवेदित'' यह लिखा हुआ था। जब भारत सरकार ने उस एरिया को सीसा, जस्ता और ताम्बे के लिए आरक्षित कर रखा था तो जिंदल ने किस तरह से सोना, चांदी के खनन के रूप में उसमें आवेदन किया, यह जांच का विषय है। जबकि जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा यह सर्वे किया गया था।

इसके अलावा, इस आवेदन में उप शासन सचिव ने लिखा है कि ''इस प्रकरण में विचाराधीन क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु एम एम डी आर एक्ट, 1957 की धारा 5(1), 6(1)(बी) एवं 11(5) के अन्तर्गत अनुमोदित शिथिलता शीघ्र प्रदान करने का श्रम करें।'' सभापति महोदय, धारा 11(5) में जो शिथिलता प्रदान की जाती है, वह इसलिए की जाती है कि पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उन व्यक्तियों को दरकिनार करते हुए आप इनको आबंटन करें, अगर धारा 11(5) में यह आवेदन मान्य होता है तो। उप शासन सचिव ने केन्द्र सरकार को यही लिखा था कि इसमें शिथिलता प्रदान करें लेकिन,

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

सभापति महोदय, भारत सरकार से जो स्वीकृति का पत्र आया है, उसमें उन्होंने 11(5) के अन्तर्गत इस पट्टे का आबंटन नहीं किया। तो किस कारण से जो पहले आवेदन आये हुए थे, उन आवेदनों को निरस्त किया गया? यह आज भी जांच का विषय है। आज भी सारे लोग भीलवाड़ा में यह आवाज उठाते हैं कि लगभग 8-10 आवेदनकर्त्ता वहां थे और बड़ी-बड़ी कम्पनियां थीं, भारत सरकार की नवरत्न कम्पनियां थीं जिन्हें भेल और सेल कहा जाता है वे उस क्षेत्र में आवेदन करने की इच्छुक थीं, उन्होंने आवेदन किये थे, सारे नियमों को ताक में रखकर इस जिंदल शा लिमिटेड को क्यों ये खनन पट्टे आबंटित किये गये? वन भूमि, पहले जिन्होंने आवेदन किये थे...

श्री सभापति: अब आप थोड़ा सम-अप करो, बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है। आप एक ही विषय पर इतना लम्बा बोल रहे हो तो फिर सभी बोलेंगे।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): जब प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी के नाम से...

श्री सभापति: वे तो प्रथम वक्ता थे। आपके राजेन्द्रजी राठौड़ भी 47 मिनट बोले हैं और प्रतापसिंहजी 25 मिनट बोले हैं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): हिन्दुस्तान जिंक, वह मेरे ही जिले में आता है, सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में ही मेरी बात समाप्त करता हूं; उस हिन्दुस्तान जिंक का मैं जवाब देता हूं कि वह पहले जब सरकार के हाथ में थी तो वह लोस में चल रही थी और आज 1,000 करोड़ रुपये की रायल्टी उस हिन्दुस्तान जिंक से हर साल सरकार को प्राप्त हो रही है, माननीय खाचरियावास साहब और उस हिन्दुस्तान जिंक में आज भी अपार सम्भावनाएं हैं। अगर यह सही तरीके से सरकार उनका पैसा वसूल करे तो वह लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की रायल्टी उस हिन्दुस्तान जिंक से आयेगी।

जैसा हाल उस जिंदल शा लिमिटेड का है, अगर सरकार ने इसमें पूरी शर्तों को लागू किया होता तो अरावली क्षेत्र में जो खानें दी गई हैं, जो आबंटन अरावली क्षेत्र के नाम से रद्द किये गये, उसी जिंदल शा लिमिटेड को अरावली क्षेत्र में खानें दी गईं।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

कि चरागाह में कोई भी खान आबंटित नहीं होगी, 631/05 एम एल में 334.43 हैक्टेयर चरागाह का आबंटन किया गया और 627/05 में 213 हैक्टेयर चरागाह का आबंटन किया गया। सारे नियम और कानून ताक पर रखे गये।

उस जिंदल शा लिमिटेड द्वारा 20 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले सारे धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, मस्जिद को वहां शहीद किया गया है। 65 लाख रुपये देकर उस आदमी को खरीदा गया है। आज भी वहां मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे में दो आदमी अपराधी हैं, वे आज भी खुले घूम रहे हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि जिंदल शा लिमिटेड के बारे में हाई कोर्ट ने जो आपको नोटिस दिया है, उसके बारे में स्पष्ट जवाब दें कि सरकार की क्या मंशा है?

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति: मैं आपको अनुमति तब दूंगा, जब मैं... मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजें। मेरे पास में आपका यह है। इसीलिए मैंने अगला नाम पुकारा। मैं आपको बुला लूंगा। आप विश्वास रखो, मैं बुला लूंगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं गेट पर ही था, सभापति महोदय।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): सभापति महोदय, खनिज, आबकारी और उद्योग विभाग की आज अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उद्योग में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान की व्यवस्थाओं को देखते हुए फार्मास्यूटिकल जोन बनाया, उसमें उदयपुर में लगभग 64 एकड़ जमीन पर लगभग 700 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना के आने वाले दिनों में, जिन दवाइयों के सम्बन्ध में हमें दूसरे स्टेटों पर या बाहर निर्भर होना पड़ता

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

है, आज उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी योजना, 'नि:शुल्क दवा वितरण' की व्यवस्था राजस्थान की जनता को उपहार के रूप में दी है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जिस तरीके से कभी नरेगा का नाम लेते हैं, तब एक ऐतिहासिक योजना याद आती है और जब कभी 'नि:शुल्क दवा वितरण योजना' का नाम लेते हैं, तब वह नरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना के बराबर खड़ी हुई एक स्टेट की योजना नजर आती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसके लिए जोन बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर भी बनना चाहेंगे। इसी तरीके से जयपुर में आटोमोबाइल जोन के लिए लगभग 92 एकड़ जमीन के लिए 162 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस उद्योग विभाग में की है।

इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एटमोस्फीयर बनना चाहिए उद्योग के लिए, एटमोस्फीयर बनना चाहिए औद्योगिक वातावरण के लिए, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये बार-बार गुजरात को आगे रखते हैं, अगर गुजरात के इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के ऊपर नजर डाली जाये तो वहां सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को लाभ मिला है, जो बंगाल से चलकर आये गुजरात में। तो पूछा जाये कि गुजरात में ऐसी कौनसी चीज उनको नजर आई कि वे चलकर, बंगाल छोड़कर गुजरात आ गये और उन्होंने बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट वहां पर डम्प कर दिया अपना? यह लोग जो रियायतें दें, ये लोग उद्योग का वातावरण बनाने के लिए मंत्रिमण्डल के अन्दर जो नियम लागू करें और उनको आकर्षित करने के लिए बुलायें, ये लोग करें वह तो चमत्कार और हम लोग उसी व्यवस्था को बनाने की कोशिश करें तो वह अपराध! आप देखिये, किस तरीके की ये दोगली बातें करते हैं।

यहां उद्योग का अगर आम जन तक उसका लाभ पहुंचाना हो तो यह बात सोचनी पड़ेगी। बहुत पहले, आजादी के पहले अगर हम इतिहास को उठा कर देखें, छोटे-छोटे कुटीर उद्योग होते थे; छोटे-छोटे गांवों में लकड़ी का काम करने वाला, बरतन का काम करने वाला, मटके का काम करने वाला और यह व्यवस्था सब एक-दूसरे पर आधारित होती थी। कोई किसी को छोटा काम खेती का करके देता था, हल बनाकर देता था तो उसके बदले में अनाज दिया जाता था; कोई किसी को मटका बनाकर देता था, उसके बारे में दूसरी व्यवस्थाएं करके दी जाती थीं। कहने का मतलब, ग्रासरूट्स में इस तरह की व्यवस्था थी जिससे रोजगार अपने आप चल रहा था। तेजी से इण्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

और उसके तहत इस इण्डस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकीकरण में, जिस तरीके से एक परिवार शाम तक दस मटके या दस जोड़े जूते के बनाकर अपना पेट पालता था, हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में वह सामान बनने लगा। जब यह सामान बनने लगा तो यह गैप किस तरीके से पूरा हो?

आखिर मुख्य मंत्री महोदय की जो इच्छा है, जिस तरीके से एक इलेक्ट्रोनिक जोन बनाने की इन्होंने यहां नीमराना के पास में तैयारी की, उसके लिए दो हजार करोड़ रुपये का लोन लेकर एक अपने आप में अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का एहसास कराया कि राजस्थान उन विकसित स्टेटों में न केवल पहुंच चुका है, बल्कि आगे जाने की कोशिश कर रहा है। वहां दो हजार करोड़ रुपये का लोन लेकर रीको को दिया जायेगा और वहां पर इलेक्ट्रोनिक्स की एक महत्वपूर्ण जोन बनाई जायेगी।

यही नहीं, गांधीवादी विचारधारा के मुख्य मंत्री महोदय ने खादी बोर्ड को भी नहीं अछूता छोड़ा, हैण्डलूम को भी नहीं अछूता छोड़ा, अठारह करोड़ रुपये की व्यवस्था उसके लिए भी करके दी; खादी को भी एक प्रोत्साहित किया जाय, छब्बीस करोड़ रुपये की व्यवस्था उसके लिए भी करके दी।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह साल और यह सत्र एक तरीके से एक ऐतिहासिक रूप में याद किया जायेगा। अभी चालीस हजार पांच सौ करोड़ रुपये की जब योजना आहलूवालियाजी मंजूर कर रहे थे, तब उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे कि 'बीमारू' स्टेट नहीं रहा राजस्थान, राजस्थान अपने आप में एक एग्रेसिव स्टेट बन गया है, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में अपना नाम कमा रहा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पूरी सात करोड़ जनता राजस्थान की जीवन भर याद रखेगी। बाड़मेर की रिफाइनरी को लाने के लिए, किस तरीके से दिल्ली में चक्कर लगा रहे थे। चार तारीख को जब बजट लागू हुआ और घोषणा हुई सेंटर में, तब विपक्ष किस तरीके से ताना मार रहा था, क्या हुआ रिफाइनरी का, क्या हुआ रिफाइनरी का। इनकी बांछें खिल गईं कि नहीं मिली सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा बजट में रिफाइनरी। यह उस परिवार की सी बात कर रहे हैं जिसके निकम्मे बेटे यह कहते हैं परम पिता परमेश्वर से, हे भगवान, घर में आटा मत दे देना, नहीं तो मां लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजेगी और रोटी बनानी पड़ेगी। ये अपने आप में इस स्टेट का डवलपमेंट नहीं चाहते, ये अपने डवलपमेंट की बात कर रहे हैं।

हम जानते हैं, आपके डवलपमेंट के टाइम 'सेज' ही 'सेज' सुनते थे,

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

यह 'सेज' है, वह 'सेज'। वे सेजें सजी रह गयीं। हमने उस 'सेज' को काम करते हुए आज तक नहीं देखा। यह अपने आप में एक इतिहास है।

आज जिस तरीके से रिफाइनरी को लेकर आये, जिस तरीके से बाड़मेर की कायाकल्प की, मुख्य मंत्री महोदय जब दिल्ली में जाकर बार-बार मीटिंग करते थे, बार-बार हमारे नेताओं से मांग करते थे, तब हमें यह महसूस होता था कई बार कि हम अपनी छोटी-छोटी उप तहसील के लिए, छोटे-छोटे बस स्टैण्ड के लिए जिस तरीके से मुख्य मंत्री महोदय के पास आकर निवेदन करते हैं, उसी तरीके से मुख्य मंत्री महोदय दिल्ली में जाकर अपने जनता के लिए, राजस्थान की प्रोग्रेस के लिए बार-बार दिल्ली के चक्कर लगाते हैं और बार-बार अपनी मांग रखते हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक है।

सवाल इस बात का नहीं कि डिस्इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, सवाल इस बात का है, जब भी किसी घर का मुखिया अपने सोने या चांदी या जमीन को बेचता है तब यह पता लगता है कि घर के मुखिया का धंधा और काम करने का पराक्रम खतम हो गया है और बिलकुल जो है न, एक उस आलसी मुखिया के रूप में हो गया है जो अपने घर का सामान बेच रहा है। डिस्इन्वेस्टमेंट किसके टाइम में हुआ? यह आपके टाइम में हुआ और डिस्इन्वेस्टमेंट के तहत फाइव स्टार होटल कौड़ियों के भाव बिकें। हमारे यहां के कापर प्रोजेक्ट लगभग छह सौ करोड़ में देने की तैयारी हो गई थी, यह तो शीशराम ओलाजी ने और कांग्रेस वालों ने अपनी आवाज उठाई।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके मुख्य मंत्री महोदय की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के ऊपर देखें।

उद्योग के साथ-साथ माइनिंग के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, नई एक नीति लाये 2011 की, इसमें कोई दो राय नहीं, एक कीर्तिमान कायम हुआ, इससे उद्योग-धंधे विकसित हुए। लेकिन मैं, खान मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे नीमकाथाना में माइनिंग जोन होने की वजह से और इस तरीके से...(व्यवधान) वकील साहब, ऐसा लगता है जैसे +++ हरकत कर रहे हो। क्या हो गया? मेरे खयाल से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। +++ कम से कम सदन की गरिमा को तो बनाये रखो। +++ (व्यवधान) हमें भी बोलना आता है। हम बीच में बोलने लग जायेंगे तब? अपने आप को बहुत ही महाधिवक्ता के रूप में, सदन की गरिमा को रखो। जब हम नहीं बोलते, तो बैठे रहो चुपचाप। मैं यह कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, आप बोलने दो। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): +++ नहीं? (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): 'बैठ जाओ', यह कौन सा तरीका है? (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): यह तरीका क्या है आपका? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह तरीका क्या है? हम अपनी बात रख रहे हैं, आपका कुछ नहीं किया हमने। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके नेता प्रतिपक्ष की आप मानते नहीं, मुख्य सचेतक की आप मानते नहीं, बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): बगैर धणियों के बैठे हैं आप यहां पर। आप लोगों का क्या तरीका है यह? (व्यवधान) बैठ जाओ। अच्छी तरह जानते हैं, खूब, बहुत अच्छी तरह से। (व्यवधान) बैठिये। +++ लगा रखी है। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): बैठिये। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अपनी जगह पर रहिये...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): क्या +++ है तुम्हें? बताओ। (व्यवधान) क्या बात हुई?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आज इस महत्वपूर्ण डिमाण्ड पर सदन को, कार्यवाही को चलाने भी देना भी चाह रहे हैं? बार-बार बाधित करते रहोगे आप लोग? (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): किस बात को लेकर माफी चाह रहे हो आप? हम अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: तो आप बोलने दो न। (व्यवधान) माननीय सदस्य अपनी बात....(व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। आसन पांवों पर है, विराजिये। विराजिये। आप भी विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): आप एक बात बताइये...

श्री सभापति: खण्डेलवाल साहब, आप विराजिये एक मिनट, विराजिये। मेरा सबसे करबद्ध अनुरोध है कि प्रतिपक्ष के भी माननीय सदस्य बोलेंगे, सत्ता

(श्री सभापति)

पक्ष के भी माननीय सदस्य बोलेंगे, जिसको जो जवाब देना है, अपने वक्त पर, बोलने के वक्त पर दे दो। बीच-बीच में इंटरवेंशन करते रहोगे, यह सदन नहीं चल पायेगा और कुछ ही माननीय सदस्य बोल पायेंगे इसके अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ठीक है, ठीक है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति: अब आप विराजो। अब आप विराजो। विराज जाओ न अब। (व्यवधान) विराजो अब। अब फिर आप बोल रहे हो। आपकी पार्टी के सचेतक महोदय ने कह दिया कि बैठ जाओ, तीन बार इशारा कर चुका हूं, मैं आपको बार-बार निवेदन कर चुका हूं।

श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): धन्यवाद, सचेतक महोदय। इनको कंट्रोल में रखो, ये कंट्रोल में नहीं हैं।

श्री सभापति: अब आप बोलो ना। (व्यवधान) अब आप बोलो। (व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे खान मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आम तौर से विलेज रोड बनती है सभी क्षेत्रों में और उनकी स्ट्रेंथनिंग ज्यादा से ज्यादा पच्चीस और चालीस एम एम के लगभग होती है, उनके ऊपर अगर माइनिंग जोन के ट्रोले या माइनिंग जोन के ट्रक निकलेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं, वह दस और पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर खतम हो जाती है और दस-पन्द्रह दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद उनके अन्दर एक-एक, दो-दो फीट के खड्डे पड़ जाते हैं। मेरा निवेदन है आपसे, एक भी खान होल्डर या एक भी खान का मालिक या एक भी क्रेशर का मालिक या एक भी कांट्रेक्टर ऐसा नहीं जो लाखों-करोड़ों रुपये नहीं कमा रहा हो; आप मेहरबानी करके जिस-जिस क्षेत्र में हैवी माइनिंग होती है, हैवी ट्रक निकलते हैं, आप लगा दीजिये न इनके ऊपर उस रोड के नाम का स्पेशल टैक्स, जिससे कम से कम इन रोड्स को हाथों-हाथ वापस बनवाते रहें और हाथों-हाथ हमारी व्यवस्थाएं बनी रहें। इनकी वजह से, इनके हैवी आवागमन की वजह से आम जनता को तकलीफ होती है और आम जनता इसी तरीके से गांव की और साइडों से हो-होकर निकलती है कि हम ट्रकों के होते चल नहीं पायेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मंत्री कहां हैं? किसे सुनाया जा रहा है? मंत्री कहां हैं?

श्री सभापति: बैठे हुए हैं। (व्यवधान) ये बैठे हुए हैं।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मंत्रीजी सुन लेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): डिमांड चल रही है, वह मंत्रीजी तो होने चाहिए न।

श्री सभापति: कोई आवश्यक काम से भी जाना पड़ता है। आप समझा करो, आप बुजुर्ग हो। आप तो वरिष्ठ और पुराने...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह आवश्यक काम नहीं है? माननीय सभापति महोदय, यह आवश्यक काम नहीं है?

श्री सभापति: तो पांच मिनट के लिए भी नहीं जायें क्या मंत्री बाहर?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या बात करते हैं आप!

श्री सभापति: कोई आवश्यक काम के लिए नहीं जाना होता है क्या? आप भी पधारती हो, दूसरे भी माननीय सदस्य जाते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ऐसा क्या हो सकता है?

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हां, माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ माइनिंग जोन में जो हैवी डीप ब्लास्टिंग होती है, आम तौर से मेरे क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में भी भयंकर शिकायत इस बात को लेकर है। इन लोगों ने एक बहाना ले रखा है, ब्लास्टिंग वालों ने कि हैवी ब्लास्टिंग की एप्रूवल और मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के को-आर्डिनेशन के अभाव में यहां इन लोगों ने नाजायज फायदा

(16.00 बजे)

उठा रखा है? और उस नाजायज फायदे की वजह से एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर तक अगर कोई मकान बहुत पुराना है तो उसकी छत गिर जाती है, टूट जाती है और कोई न कोई जन हानि का हमेशा अंदेशा बना रहता है। इसलिए मेहरबानी करके माइनिंग जोन में डीप ब्लास्टिंग को कंट्रोल करें, डीप ब्लास्टिंग के ऊपर यह नियम लागू करें कि 300-300, 200-200 मीटर तक कोई भी मकान है, जिसका प्रावधान है भी लेकिन इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

क्रेशर जोन में क्रेशर लग गये। पता नहीं, पोल्यूशन बोर्ड को एकदम से क्या दिमाग में आई, पहले रोड से 300 मीटर की दूरी में क्रेशर लगने होते थे, इससे आम तौर पर धुआं कम आता था और उनकी धुंध भी कम आती थी, रिलेक्सेशन के बाद आवागमन इतना बाधित हो गया, स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे पर भी। आप मेहरबानी करके इनको कहें कि लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर डवलपमेंट, जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, कभी भी स्वीकार नहीं होगा और स्वीकार होना भी नहीं चाहिए, जैसी मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसके साथ पोल्यूशन विभाग का एक-एक, डिपार्टमेंट का एक-एक कर्मचारी जहां माइनिंग जोन बन गया, जहां क्रेशर जोन बन गया, जहां इण्डस्ट्री का जोन बन गया, वहां पोल्यूशन बोर्ड का कार्यालय होना भी अतिआवश्यक है। कम से कम हम उन अधिकारी को पकड़कर कोई जन-प्रतिनिधि ले जाकर दिखा तो दे कि देखिए, हाल क्या है?

इको-फ्रैंडली बहुत आसान शब्द सुनने में आ रहा है, इको-फ्रैंडली के नाम पर माइनिंग-आनर को पेड़ लगाने होते हैं एक बीघा के अन्दर और दो बीघा के अन्दर लेकिन यह पोल्यूशन विभाग इको-फ्रैंडली के नियमों को बिलकुल अवाइड करते हैं। इनके ऊपर एक पाबंदी होनी चाहिए। खान मंत्री महोदय, आप जहां बैठे हैं, इनके अधिकारी सुन लें कि एक खान चाहे एक हैक्टेयर की हो और उससे बड़ी हो, उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि एक हैक्टेयर वाले को 200 पेड़, 300 पेड़ दो बीघा या चार बीघा में लगाने होंगे। अगर पेड़ सरवाइव नहीं करते हैं तो इनको रवन्ना बुक नहीं दी जानी चाहिए। इनकी समय-समय पर काउंटिंग होनी चाहिए कि आपने पेड़ लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं। हम कहते हैं, हम जंगल को बढ़ाएंगे; जंगल अपने आप बढ़ जाएगा। खाने बहुत तेजी से विस्तार कर रही हैं; यह स्टेट खनिज पर आधारित होकर बहुत जबरदस्त रेवेन्यू भी पैदा कर रहा है और इसके साथ-साथ इको-फ्रैंडली जब दी जाए, यह फोर्मेलिटी बना दी इन लोगों ने, इससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है और भयंकर पोल्यूशन फैलता है। इसलिए मेहरबानी करके एक लिमिटेशन बनाई जाए कि अगला रवन्ना तब दिया जाएगा, जब चैकिंग करेंगे हम और चैकिंग करने के बाद हम पाएंगे कि आपके पेड़ जिंदा हैं। यह माइनिंग-आनर सिर के ऊपर मटका लेकर सारी-सारी रात घूमेगा उन पेड़ों में पानी डालने के लिए जो नियम के तहत लगाये गये हैं, वरना एक पेड़ भी जिंदा नहीं रहता है। मेरा आपसे यही निवेदन है।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

आज इस बजट पर और इस पर मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: बंशीधर खण्ड़ेला।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मुझे एक मिनट दे दो, साहब।

श्री सभापति: मैं आपको बुला दूंगा; माननीय सदस्य, आपको बुला दूंगा। यह थोड़े ही कि मैंने आपका जल्दी नाम पुकार दिया तो मैं आपको जल्दी बुला दूं यहां पर। मैं आपको बुला दूंगा, आपकी पर्ची है मेरे पास।

श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13, 42 और 43 पर बोलने के लिए मुझे अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आबकारी के लिए कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप जिस पर भी बोलें, संक्षिप्त में बोलना ताकि सभी सदस्य ज्यादा बोल पाएं। प्रतिपक्ष की सूची मेरे पास में काफी लम्बी है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैंने तो बोलना ही चालू नहीं किया है और उससे पहले ही आप...

श्री सभापति: आप बोलो, लेकिन आप थोड़ा सा...

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): कुछ महीनों पूर्व जोधपुर के अन्दर जहरीली शराब पीने से मौतें हुई थीं। उस टाइम वहां का आबकारी अधिकारी, जयनारायण था, उसको 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया गया और वहां से हटाया गया। बाद में सरकार ने उसे अण्डर-इन्क्वायरी मानकर के उसको पुरस्कार के रूप वहां से हटाने के बाद में उदयपुर में मुख्यालय पर उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल, राजस्थान के पद पर चार्ज दिया गया और उसको नियुक्ति दी गई। मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस अधिकारी को 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया जाता है, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है लेकिन नियमों का उल्लंघन करके इसको फील्ड पोस्टिंग दी गई। उसको निरस्त करके उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल हाइवे पर शहरों के अन्दर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसी कई दुकानें हैं जो नेशनल हाइवे पर हैं, उनको तुरन्त बंद कराया जाए।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

सीकर और झुन्झुनूं जिले हरियाणा के पास में हैं; उधर से आबकारी की देसी दारू और विदेशी दारू की बहुत बड़ी तस्करी होती है। उसके कारण वह गुजरात तक भी पहुंचती है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

हमारे यहां हथकड़ी शराब, हाथ से कढ़ी हुई जो अवैध शराब है, उससे कई लोग मर भी जाते हैं। उसको रोकने के लिए व हरियाणा से आई हुई शराब को बिकने से रोकने के लिए सख्त कार्यवाही की जाए। उसको रोकने के लिए पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रही है, बनिस्बत आबकारी विभाग के उड़न दस्ते के और आबकारी विभाग इस काम में नाकाम रहता है।

राजस्थान के अन्दर हम बात करें जयपुर की, जयपुर में इस साल 677 बार और बीयर बार के लाइसेंस दे रखे हैं, जबकि पिछली सरकार ने केवल 358 दे रखे थे। कहने का मतलब, शराब को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है जिससे कि सब शराबी हो जाएं। वर्तमान में राजस्थान के शहरों में 1,000 देशी और विदेशी मदिरा केन्द्र हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी और देशी के लिए 4,825 हैं; यह भी एक बहुत बड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, खान के बारे में मैं कहना चाहूंगा, नीमकाथाना तहसील के अन्दर रैला गांव है, वहां खसरा नम्बर 296/9 में पहले जिन्होंने आवेदन किया था, उनको यह कहकर कैंसिल कर दिया गया कि यह नदी और बहाव क्षेत्र के अन्दर, डूब के क्षेत्र में है, जबकि उन आवेदकों ने सिंचाई विभाग से एन.ओ.सी. ले रखी है। उस एन.ओ.सी. को अनदेखा करके उनके आवेदन को कैंसिल कर दिया गया। जो एन.ओ.सी. थी, उसी आधार पर जिन नये लोगों ने एप्लाई किया, उनको करीबन 22 खानों का अलाटमेंट कर दिया गया। वे सब नियम के विरुद्ध हैं। आज वे हाई कोर्ट में चले गये और मुकदमा दर्ज हो गया और सरकार की, खनिज विभाग की इस मामले में आंख नहीं खुली।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, चौकड़ी के अन्दर, मैंने कई दफा विधान सभा में भी बोला है कि चौकड़ी के अन्दर 50 मीटर के अन्दर-अन्दर बसावट है, पहले की बसी हुई, 100 मीटर के पास हैल्थ सेंटर है गवर्नमेंट का, लेकिन 4-4 इंच के ब्लास्ट करने के कारण वहां के लोगों के मकानों की छतें टूट गईं। यह देखते हुए खान विभाग ने जो एक्सप्लोजिव लाइसेंस दे रखा है,

(श्री बंशीधर खण्डेला)

जो केन्द्र सरकार के नीचे आता है, इसमें राजस्थान सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां एक्सप्लोजिव दिया है, वहां अपने हिसाब से चैक कराकर के उनको एक्सप्लोजिव कैंसिल करने चाहिए? क्योंकि एक्सप्लोजिव वाले घर बैठे दे देते हैं, कितनी दूर बस्ती है वे इसको देखते नहीं हैं और जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।

रायल्टी के बारे में बात करें, रायल्टी खूब वसूली जाती है। रायल्टी के जो ठेकेदार हैं, वे भू-माफिया की तरह रायल्टी माफिया भी बन गये हैं; जो रायल्टी के अन्दर रेट देते हैं उससे कई गुणा प्रति क्विंटल रेट वसूल करते हैं। इससे आम जनता को बहुत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर अंकुश लगायें।

जो बड़ी फैक्टरियां लाइमस्टोन के लिए अपना सर्वे करने के लिए किलोमीटरों के अन्दर एरिया ले लेती हैं, वे दस-दस साल, पन्द्रह-पन्द्रह साल तक उसका सर्वे नहीं करती हैं और वे पड़ी रहती हैं। इससे राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अन्दर टाइम बाउण्ड पीरियड होना चाहिए कि आप जो सर्वे के लिए इतना बड़ा एरिया लेते हो, उसके अन्दर साल, दो साल के अन्दर आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए, अन्यथा आपका कैंसिल कर दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विभागीय आयोजना मद के अन्दर संघन पूर्वेक्षण व खान सर्वेक्षण, इसके संशोधित बजट के अन्दर 255 लाख रुपये का प्रावधान था, उसके अन्दर केवल 49.72 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं; खान उपागमन सड़कों के निर्माण के लिए 295.18 लाख का बजट था, उसके अन्दर 78.33 ही खर्च हुए हैं; विभागीय भवनों एवं निर्माण के लिए 596.06 लाख का बजट था, 268.87 लाख ही खर्च हुए; बिल्डिंग के अन्दर 40.70 लाख था, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। यों मिलाकर लगभग 1,187 का बजट था उसके अन्दर मात्र 396.92 लाख रुपये ही खर्च हुए, जो कि विभाग के लिए एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें खर्चा, बजट में होने के बाद तो करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले।

मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यह सड़कों पर जो पैसा खर्च होता है, 2011-12 में केवल दो सड़कों पर, जिनकी लम्बाई 4.85 किलोमीटर है,

(श्री बंशीधर खण्डेला)

उन पर कार्य किया गया है। इस कार्य के लिए 1212.33 लाख रुपये की राशि का बजट प्रस्ताव था जिसमें से 86.27 लाख रुपये ही खर्च हुए। यह तो एक जो माइनिंग वाले हैं, वहां खड्डे में साधन जाते हैं, टूटते हैं। केवल सम्पर्क सड़क जोड़ने के लिए यह पैसा दिया गया था, इस पर माननीय मंत्री महोदय ने, विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। मतलब कहने का है कि विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज में रीको में भूमाफिया पनप रहे हैं। गत चार साल से सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज प्लाट अलाट हुए, उनमें तीन-तीन हजार के, चार-चार हजार वर्ग मीटर के प्लाट अलाट हुए हैं। उसमें गली निकालकर छोटे प्लाट बना लेते हैं छोटे प्लाट बना कर उनको बेचा जाता है। यह एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है। जिस टाइम प्लाट अलाट किया जाता है, उस टाइम उससे खरीदते टाइम प्रोजेक्ट प्लान लिया जाता है, कब चालू करोगे, कितना क्या करोगे; उसके अनुरूप कई साल बीत जाते हैं लेकिन जो उद्योगपति रीको के अन्दर बोली लगाकर या अलाटमेंट कराते हैं, वे पड़ा रखते हैं और बाद में उनको रिसेल करते हैं। कोई न कोई बहाना करके अपना समय बढ़ाते रहते हैं। इसके अन्दर ऐसा नहीं करके उस प्लाट को कैंसिल करके उसको खुली नीलामी में बेचना चाहिए जिससे कि सरकार को आय और रीको को भी आय हो।

प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आपने किया था, कितने उद्योगपति आये? आपके यहां राजस्थान में तो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ और फायदा गुजरात वाले ले गये।

इसी हिसाब से जमीन, रीको में आज भी फैक्टरी वाले घूमते रहते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया कम होने के कारण सरकार के पास कोई भूमि लेने की या कार्य करने की शक्ति नहीं है। आज ऐसे उद्योगपति हैं जिनको बहुत बड़ी जमीन चाहिए लेकिन उनके पास कोई जमीन है नहीं। हम बात करें ईस्ट-वैस्ट कारिडोर की, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र से भी निकलता है, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारिडोर में यह दिनांक 3.10.2012 को प्रकाशित किया हुआ आपका दस्तावेज है, इसमें जनवरी, 2013 के अंत तक अधिसूचना जारी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस कारिडोर में किसान, गांव वाले जिनके मकान और खेत आ गये उनको अभी तक भी पूरा मुआवजा नहीं दिया गया है और

(श्री बंशीधर खण्डेला)

वे केवल एस डी एम और कलक्टर के यहां चक्कर काटते रहते हैं। मनमर्जी से उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। इसमें काश्तकार का ध्यान रखते हुए या वहां के रहने वाले आदमियों का ध्यान रखते हुए इसमें ध्यान देकर उनको फायदा पहुंचाना चाहिए।

एस आई आर, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एक्ट, एस आई आर के अन्दर प्रोत्साहन योजना 2010 में चालू की गई है। इसमें कार्य प्रगति पर है लेकिन अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है। केवल कागजी काम करने से ही फैक्टरियां या उद्योगपति नहीं आ सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट और।

श्री सभापति: संक्षिप्त करो अब आप।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): यस, सर। यस, सर। दिल्ली व्यापार मेला लगा, उसमें राजस्थान ने भी भाग लिया था लेकिन उस मेले में सक्रिय रूप से भाग लेने के बाद में भी कोई इन्वेस्टर यहां नहीं आया। ऐसा लगता है कि केवल मेले में खानापूर्ति हुई थी और मेले में जाने के लिए कोई अधिकारी अपनी छुट्टी पर गये या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गये। तो ऐसे मेले लगने चाहिए, सरकार पर बोझ पड़ता है लेकिन उसमें कुछ आपको ऐसा वहां ध्यान रखना चाहिए, इस बात के लिए कि वहां कोई न कोई आपका इन्वेस्टर आये।

माननीय सभापति महोदय, मैं दुबारा आपसे निवेदन करना चाहूंगा खान के ऊपर कि जहां पर एक्सप्लोसिव वालों ने जो दिल्ली सरकार के अण्डर में आता है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अण्डर में आता है, उसको दुबारा देखा जाए; जहां ब्लास्टिंग की आपको दो या डेढ़ इंच की परमिशन दी जाती है, उसको चार-चार इंच ब्लास्टिंग करते हैं। तो यहां राजस्थान में भी इस बात को ध्यान में रख कर पुलिस और माइनिंग विभाग को मिलकर इसको रोकना चाहिए जिससे जनता का नुकसान नहीं हो।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 13-आबकारी, मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43-

(श्री भगवान सहाय सैनी)

खनिज पर चर्चा हो रही है, उसमें बोलने की आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, आबकारी की चर्चा करें तो 2004 से 2008 तक आबकारी विभाग में क्या स्थिति थी, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। शराब की दुकानें रात को 12-12 बजे तक खुली रहती थीं और राजस्थान में एक कहावत चल पड़ी थी +++ जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, इस कहावत को समाप्त करने की कोशिश की गई और यह कोशिश की, शराब की दुकानों का समय बंद होने का समय आठ बजे का निश्चय किया गया और जब आठ बजे दुकानें बंद हुईं तो यह कहावत समाप्त हुई और कितने ही परिवार जो बरबाद हो रहे थे, वे परिवार बरबाद होने से बचे। सभापति महोदय, रात को 11.00 बजे, 12.00 बजे शराब लेकर, शराब पीकर जब आदमी घर जाता है तो झगड़े करता है, और करता है तो उसका जीवन बिलकुल नरक होता है। आठ बजे दुकान बंद होने से, आठ बजे बाद शराब नहीं मिलने से काफी परिवार सुधरे हैं और इसके काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त को शराब की दुकानें बंद रहती हैं, राजस्थान में ड्राई-डे हैं और अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बारावफात के दिन ड्राई-डे किया, उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से और हमारे आबकारी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती आती है और महात्मा ज्योतिबा फूले सभी समाजों के महात्मा थे, किसी एक समाज के नेता नहीं थे और हमारे डा. भीमराव अम्बेडकर, संविधान रचयिता, जिनकी जयंती 14 अप्रैल को आती है, दोनों दिवसों को ड्राई-डे घोषित किया जाए जिससे काफी राहत मिले।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग की चर्चा करें; जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र प्रहलादपुरा में आटोमोबाइल सर्विस काम्प्लेक्स के लिए 92 एकड़ भूमि विकसित की जाएगी, जिसमें 160 करोड़ रुपये का निवेश एवं चार हजार लोगों को रोजगार मिलने का इस बजट में प्रावधान रखा है। 2013-14 में दस नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना भी प्रस्तावित है। रीको द्वारा आबंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाई को प्रोत्साहन के रूप में

(श्री भगवान सहाय सैनी)

लौटायी जाने वाली राशि को पच्चीस प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे काफी ऐसी यूनिटें जो समय पर काम नहीं करती थीं, काम करेंगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कालाडेरा में कोका कोला प्लांट लगा हुआ है, जहां जलदोहन हो रहा है। कालाडेरा के आस-पास का जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है। आने वाले समय में खेती करना तो बहुत दूर है, पीने के पानी की भी किल्लत आने वाली है। ऐसी स्थिति में कालाडेरा स्थित कोका कोला प्लांट बंद करके कहीं दूसरे स्टेट में, कहीं भी नदी के किनारे लगे, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र को जल संकट से राहत मिल सके।

दूसरा, कालाडेरा रीको क्षेत्र में कालाडेरा थाने के पीछे से जो मार्ग जाता है रीको रोड को जोड़ते हुए, यह जब से रीको बना है तब से रोड नहीं बनी है। इसलिए रीको रोड से मिलाने के लिए, लगभग चार-पांच किलोमीटर रोड है, रीको क्षेत्र में है, इस रोड का निर्माण करवाये जाने का मैं निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, खनिज सम्पदा की चर्चा करें, रिफाइनरी की स्थापना, जैसे ही यह सरकार बनी, तब से ही इस प्रक्रिया में गति ला रहे थे और इसकी जमीन अधिग्रहित की जा रही थी। पांच मार्च को एच पी सी एल बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव रखा, भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा और 14 मार्च को हमारे केन्द्रीय मंत्री जयपुर में आकर माननीय मुख्य मंत्रीजी और सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका एम ओ यू हुआ। निश्चित रूप से राजस्थान में चार वर्ष में रिफाइनरी चालू हो जाएगी, हजारों करोड़ों रुपया सालाना रेवेन्यू का मिलेगा जिससे राजस्थान के विकास में चार चांद लग जाएंगे, राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्र का 20 से 25 प्रतिशत तेल, डीजल, पैट्रो-केमिकल्स, इस रिफाइनरी से मिलेगा, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सभापति महोदय, इस सदन में जब रिफाइनरी की चर्चा हो रही थी तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता पहले तो कह रहे थे कि इसकी शुरुआत आते ही कर देनी चाहिए थी और जब यह हो गया तो कह रहे हैं कि यह तो पहले से ही चल रही थी। सामने वालों का तो कहना क्या है और करना क्या है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार जब सत्ता में आई, उससे पहले अपने घोषणा पत्र में उद्योगों के सम्बन्ध में जो प्रमुख बात रखी कि हम रुग्ण उद्योगों को, बंद उद्योगों को आते ही चालू करेंगे और उनके बारे में एक कार्ययोजना बनाएंगे, अब मैं इस सरकार के प्रतिनिधियों से पूछता हूं, माननीय उद्योग मंत्रीजी से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि क्या हुआ तेरा वादा, वह कसम वह इरादा; भूलेगी तुम्हें जनता, जब खतम होगा तुम्हारा सारा राज का इरादा। माननीय सभापति महोदय, जयपुर में कितने उद्योग बंद हैं, कमानी उद्योग, जयपुर स्पिनिंग उद्योग को तो हम भूल जाए लेकिन उसके बाद आज की स्थिति में विश्वकर्मा और झोटवाड़ा में 75 परसेंट रजिस्टर्ड उद्योग बंद हैं। ये पूरे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हैं। अलवर में माडर्न शूटिंग, माडर्न सिन्टेक्स; बहरोड में हाइवे पर एक्स-गवर्नर साहब, स्वर्गीय रघुकुल तिलकजी के दामाद की जयपुर सिन्टेक्स बंद है, राठी स्टील बंद है, पालीवाल स्टील बंद है; भरतपुर में सिमको, जी डब्ल्यू डालमिया डेयरी बंद है। इन सबके बारे में बड़े दावे किये गये थे, सारे दावे असत्य निकले क्योंकि असत्य बोलने की इनको आदत है। असत्य कहना, असत्य चलना, जैसे कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कहा जाता है कि जो कुछ बोलूंगा, सच बोलूंगा; वैसे ही यह कहते हैं कि जो कुछ बोलूंगा, असत्य बोलूंगा, असत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। सभापति महोदय, आज सैकड़ों उद्योग बंद पड़े हैं और उन सैकड़ों उद्योगों के श्रमिकों के हाल और भी खराब हैं। हमारे एक साथी ने पूर्व में जयपुर मेटल का हवाला दिया, जयपुर मेटल का 20 परसेंट मजदूर तड़प-तड़प कर मर चुका है। उनके वेतन की, किसी तरह की उनकी व्यवस्था का, उनकी सुविधा का, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अपने रीको के अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करके महामहिम स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के समय स्थापित भिवाड़ी, खुशखेड़ा, मटीला, टपूकड़ा, बहरोड़, नीमराना, शाहजहांपुर एरिये को पनपाया। देशी उद्योग वाले इन पर कोई भरोसा नहीं करते; ये बिड़ला, बांगड़, बग्गड़, रुइया, तापड़िया, कांकड़िया, प्रेमजी, टाटा, रिलाइंस, झुन्झुनवाला, मोदी, मुरारका, इनमें से इन पर कोई भरोसा नहीं करता। माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़ी-बड़ी राजस्थान फाउंडेशन की मीटिंग बुलाते हैं, राजस्थान का, हिन्दुस्तान का कोई देशी उद्योग इन पर भरोसा नहीं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

करता। अब दौड़े हैं जापान और कोरिया की तरफ । नरेन्द्र मोदीजी की नकल करना चाहते हो, नकल नहीं कर पाओगे। नकल के पीछे अक्ल चाहिए, नहीं तो शक्ल बदल जाती है, यह आप ध्यान रखिए। किसी प्रकार का देशी उद्योग, लोकल उद्योग आप पर भरोसा नहीं कर रहा।

आपने भिवाड़ी में सिवाय बरबादी के क्या दिया है? वहां के रोड खराब हैं, रोड पर पानी भरा हुआ है, वहां दिन-दहाड़े चोरी-डकैती होती हैं। 5 से 7 हजार डम्मर रोड़ी, गिट्टी और पत्थर के घूमते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का, खुशखेड़ा का, चौपानकी का विकास हो तो कैसे हो? रीको के अधिकारी चाहे जितनी मेहनत करते हों लेकिन सरकार की विल और सरकार का दिल, दोनों कमजोर हैं। इसलिए भिवाड़ी का वह पूरा बेल्ट बरबाद हो रहा है।

अब जापान वाले क्या ले लेंगे? सिंगल विंडो, भिण्डी और टिण्डो, बैंगन और लिल्लों; क्या ले लेंगे? सिवाय इसके कि भिण्डी और टिण्डो, सिंगल विंडो। पहले भी सिंगल विंडो घोषित किया, क्या कर पाए उद्योग नीति में आप? आप कुछ नहीं कर पाए। भिवाड़ी के पास अवैध खनन है, खुशखेड़ा के पास है, चौपानकी के पास है, केरानी के पास है। (व्यवधान) क्या भिण्डी और टिण्डो का कुछ उत्तर दे रहे हैं? बाद में दीजिए।

टपूकडा कहरानी के पास, सारे खुर्द के पास, मेरे पास कम से कम 50 पत्र पड़े हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा; मैंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा; माननीय गवर्नर साहब को लिखा; हमारे मुख्य मंत्रीजी, चीफ सेक्रेटरी, सबको लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, ढोंग रच रहे हैं। वहां डी एफ ओ बैठा हुआ, वहां पर माइन्स का एक्स ईएन बैठा हुआ, वहां पर पुलिस बैठी हुई, सैल्स टैक्स वाले बैठे हुए लेकिन अवैध खनन बराबर जारी है। अवैध खनन के बारे में, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पधारे तो वहां मंच पर किसी ने शिकायत की कि यहां अवैध खनन हो रहा है, उसको रुकवाइए। वहां खड़े हुए उस क्षेत्र के विधायक, माननीय मंत्री महोदय मंच पर, स्पीकर पर बोले कि साहब, इनको अवैध खनन करने दो, नहीं तो ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, सोने की ईंटें बेचेंगे, गौ-तस्करी करेंगे, नकली दूध बनायेंगे; इनको अवैध खनन करने दो। यह रिकार्ड में है; यह वहां पर जो सी डी बनी है उसके रिकार्ड में है। बहुत संवेदनशील सरकार है। लकवा मार गया है सरकार को।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, अलवर जिले से 150 किलोमीटर दिल्ली और 150 किलोमीटर जयपुर, दोनों के बीच में है, बिलकुल मिड-वे है। मिड-वे होने के बाद, पर्यटन उद्योग की दृष्टि से वहां 157 ऐसे स्थान हैं, मैं मुख्य रूप से गिनाता हूं, समय कम है, बड़ी लम्बी सूची है, तालवृक्ष है, गर्भाजी है, रइयन छिनछिन है, सूरज कुण्ड है, फतेह गुम्बद है, सिलीसेढ़ की झील है, जयसमंद है, सरिस्का का टाइगर डेन है ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कहां जा रहे हो आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उसी में पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग की लिस्ट दे रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पर्यटन अलग होता है, उद्योग अलग होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पर्यटन, उद्योग माना गया है, उसको उद्योग का ही लोन मिलता है। (व्यवधान) भर्तृहरि जी का स्थान है। यह रमणीकता के लिए, ऐतिहासिकता, पौराणिकता, धार्मिकता, मैं अलग नहीं जा रहा हूं, ये अलवर जिले में पर्यटन उद्योग को क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने गिनाना चाहता हूं कि किस प्रकार से उद्योगों की घोषणा करके इन्होंने राजस्थान को बरबाद किया है। देश के उद्योग आ नहीं रहे, विदेशियों को ला रहे हैं। टैक्सटाइल का हवाला इन्होंने दिया, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है लेकिन टैक्सटाइल बांसवाड़ा में भी है, डूंगरपुर में भी है, रींगस में भी, गंगानगर में भी, अलवर भी, ब्यावर भी। अलवर के सारे टैक्सटाइल उद्योग बंद हो गये; बांसवाड़ा में बुरी हालत है; रींगस की हालत खराब है। जेसीटी, जगतजीत काटन टैक्सटाइल जिनिंग और वीविंग, गंगानगर का बरबाद हुआ पड़ा है। ये पहले जब सरकार में आये, एक काम इन्होंने और किया; हनुमानगढ़ का सहकारी टैक्सटाइल स्पिनिंग मिल फायदे में चलता था, पहले श्रीगंगानगर के नाम से चलता था, बाद में हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल सहकारी क्षेत्र में अच्छा चलता था, लाभ में चलता था, उसके साथ काटन की सहकारी मिलें, गंगापुर और गुलाबपुरा को मिला दिया, अब पूरा स्पिनफेड घाटे में। पहले टैक्सटाइल मिलों का आर टी ए, राजस्थान टैक्सटाइल एसोसिएशन से सारे श्रमिकों का समझौता होता था, अब वे श्रमिक बरबाद हो गए।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

श्रमिकों की आज की पोजिशन के बारे में बताएं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनके पास श्रम विभाग है, मेरे से चर्चा करें; मैं 20 साल लेबर लीडर रहा हूं और उद्योगों को भी देखा है, श्रमिकों को भी देखा है। ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के तहत आप मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे; आप 1947 इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत उनके विवाद नहीं निपटा रहे; आप फैक्टरी एक्ट को लागू नहीं कर रहे; बोनस एक्ट को सही ढंग से लागू नहीं कर रहे; ई एस आई एक्ट को लागू नहीं कर रहे, वर्कमेन कम्पन्सेशन एक्ट को लागू नहीं कर रहे; आप किसी तरह के मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू नहीं कर रहे; आपने निर्माण श्रमिकों का एक्ट 1996 बनाया लेकिन निर्माण श्रमिकों को सही ढंग से राहत नहीं मिल रही; आप वर्क्स कमेटी नहीं बना रहे; पी एफ सी आई में मैं 8 साल डायरेक्टर रहा हूं, आप मजदूरों की भविष्य निधि स्कीम कटने नहीं दे रहे। पहले 90 परसेंट मजदूर परमानेंट था, 10 परसेंट रिलीव होकर आता था और टेम्परेरी था लेकिन आज 90 परसेंट नहीं, 100 परसेंट मजदूर ठेके पर काम कर रहा है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, परम्परागत उद्योग में रूढा की ओर से, मूढा की ओर से, कि भूड़ा की ओर से बना है, गिनती तो बड़ी-बड़ी कर दी, परम्परागत उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, हमारे यहां माटी का काम करने वाले, मेरे रामगढ़ क्षेत्र के ही, अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, बढ़िया साधन बनाते हैं; एक बड़ा हुक्का, पूरा छुटका और एक इंच का हुक्का बनाने वाला ओमप्रकाश प्रजापति, राष्ट्रपति अवार्ड मिला लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से वहां के प्रजापतियों को, वहां के कुमावतों को, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आज के नये आर्टिजन्स हैं उनको कोई राहत नहीं है; एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाते हैं, उनको कोई राहत नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग के बारे में, माइंस के बारे में बोल चुका हूं; दो मिनट, साहब, आबकारी के बारे में। माननीय सभापति महोदय, आबकारी के लिए अभी मेरे साथी, सदस्य, सदन में साथी मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आठ बजे बाद ठेके बंद हो जाते हैं; मेरे पास फोटो, मेरे पास इस बात के लिए फोटो हैं, रात को 11 बजे, बाकायदा फोटो लिए गए, वीडियो रील ली गई,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

11 बजे दुकानें खुली हुई हैं और गोदामों से शराब बिक रही है। 11-12 बजे तक गलियों में शराब बिक रही है। शराब का ठेका एक दुकानदार को, वह जगह-जगह बिक रही है, 15 दुकानें उसने खोल रखी हैं। ये आपके पास भी शिकायतें आई हैं। मेरे पास फोटो हैं, मैंने बाकायदा उसकी वीडियो रील बनवा रखी है। माननीय सभापति महोदय, गलियों में और मोहल्लों में दारू बिक रही है, हजारों दुकानें शराब की खुल गईं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। इसके साथ आपको बता दें, पहले आर टी डी सी होटल थे, मिडवे होटल, आर टी डी सी के होटल, उनके कमरों में अन्दर बैठकर पी जाती थी, अब वहां पूरा पट्ट लिख दिया, उसका फोटो मैंने लिया है, फोटो मेरे पास है, आप देखना चाहें तो सारे फोटो मेरे पास हैं और पूरी वीडियो रील है, वहां पर लिखा गया है, कहीं भी बैठकर पी सकते हैं। अब मिडवे की आर टी डी सी की होटल में, पार्क में बैठकर पी सकते हैं, बाहर बैठकर पी सकते हैं, उसकी दीवार, गली में बैठकर पी सकते हैं। क्या किया है आपने? आपने बरबादी के अलावा इस बात में क्या किया है, वह जरा सोचो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप इनकम के लिए कह रहे हैं, राजेन्द्रजी ने बताया, पांच साल में आपकी जो इन्कम बढ़ी है, हमारे शासन से ज्यादा बढ़ी; आपकी मादक पदार्थों के बारे में बिक्री हुई है वह ज्यादा हुई है और इसको ग्रेसफुल कह रहे हैं।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): + + +

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): गांधीवादियों, आप गांधी का नाम लेते हो, महात्मा गांधी का...

श्री सभापति: विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): गांधीवादी मुख्य मंत्री हैं...

श्री सभापति: आप विराजो। अब आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक एम एल ए वहां अनशन पर बैठ गया शराबबंदी के लिए, एक एम एल ए बैठ गया, पूर्व विधायक; उसके साथ साथी बैठ गए; हम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। आप कहते हो, शराब पर पाबंदी है...

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): लगाओ ना पाबंदी। हम तो उनमें से हैं, नो डार्लिंग नो डीयर; नो एग नो बीयर; नो स्मोक नो चीयर; पत्नी के अलावा प्रेमिका नहीं; चमचा और कुत्ता नहीं; अण्डा, मीट, मछली नहीं; पान, सुपारी, जर्दा नहीं; बीड़ी और सिगरेट नहीं; बीयर और शराब नहीं; चुर्री और गुटखा नहीं; काफी और चाय नहीं; खामख्वाह की हाय नहीं; ठण्डा और फण्डा नहीं; हम तो उनमें से हैं। इसलिए हम हैं वास्तव में गांधीवादी, हम नाम ले सकते हैं गांधी का। असत्य गांधी का नाम मत लो। आपको बंद करना है तो कम्प्लीट शराब को बंद करो; आपको बंद करना है तो कम्प्लीट मादक पदार्थों को बंद करो; आपको बंद करना है तो नशाबंदी को बंद करो; आपको बंद करना है, तो राजस्थान को सुधारने के लिए आप यह संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर आगे बढ़िए। तब होगा राजस्थान खुशहाल, तब होगी शराबबंदी, तब होगी शराब पर पाबंदी।

श्री सभापति: विराज जाइये अब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराज जाइये। श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप शराबबंदी के लिए करें, हमारा उसमें सहयोग रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे बोलने दिया, आपने मुझे अनुमति दी, बुलवाया, इसके लिए धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इस विधान सभा का विधायकों का एक क्लब बना हुआ है और हर साल बजट सत्र में हम,

(डा. रघु शर्मा)

कभी पत्रकारों के साथ, कभी अधिकारियों के साथ, मैचेज आयोजित करते हैं। हमारी महिला विधायकों की भी आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। जिसको नहीं जाना वह नहीं जाए, जिसको जाना है वह तो जाएगा। उसको कैसे रोकोगे? उनका भी अधिकार है। यह सदन सबको मिलकर बनता है।

मेरा यह निवेदन है कि साढ़े छह बजे मंत्रीजी का जवाब का समय निश्चित कर दिया जाए और सदन की जो कार्यसूची है, वह पूरी होने तक के लिए समय बढ़ा दिया जाए, यह मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, तीन-तीन विभागों की मांग है, कई माननीय सदस्यों को बोलना है, फोटोग्राफ्स के बाद अपन और लम्बा बैठ लेंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह तय हो रहा है, कल शायद, फिर दुबारा कब मिलना हो, इसलिए कृपया समय ऐसा नहीं करें; आप आठ बजे कराइये रिप्लाई। (व्यवधान) हमारी तरफ से भी जाएंगे मैच खेलने तो, मुझे मालूम है, पर 6 बजे तो बहुत जल्दी हो जाएगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन के माननीय सदस्य जो करीब 40-45 हैं, उनकी सबकी भावना के अनुसार मैंने यह प्रस्ताव रखा है। एक बार तो यह प्रस्ताव रखा है, इस पर विचार करें।

श्री सभापति: व्यवस्था दे दी तो, मुख्य सचेतक महोदय, फिर तो वह व्यवस्था रहेगी ही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चार माननीय सदस्य बोले हैं, 18 माननीय सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: पांच बोल लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 18 माननीय सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): फिर तो दो बजे तक पूरे नहीं होंगे, माननीय। (व्यवधान) आप तो जो मैंने व्यवस्था मांगी है, उस पर हां-ना करवा लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ऐसा नहीं, सभापति महोदय। विधान सभा कितनी ही तो चलती है। हमारे कई माननीय सदस्यों को बोलना है। ऐसा नहीं करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अभी तो बोलने दो, फिर देखना साढ़े छह बजे बाद में। साढ़े छह बजे बाद और देख लेना। उसमें क्या है?

श्री सभापति: सदन का समय 6.30 बजे तक बढ़ाया जाय; ठीक 6.30 बजे मंत्री महोदय, जो डिमांड है, उस पर अपना रिप्लाई देंगे और मांग पारित होने तक सदन का...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मुखबन्द का प्रयोग करके शेष मांगें और हैं।

श्री सभापति: और कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये, क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): फोटो सेशन है 6 बजे।

श्री सभापति: फोटो सेशन भी है, प्रतियोगिता भी है। आप सब सहयोग करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): राजस्थान की जनता कोई... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप नहीं जाएंगे, माननीय सदस्य, लेकिन कुछ और माननीय सदस्य तो जाएंगे ना, जो रुचि रखते हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): राजस्थान की जनता ने इसलिए... (व्यवधान)

श्री सभापति: जो रुचि रखते हैं वे तो जाएंगे ना। (व्यवधान) महिला विधायक, सदस्या भी जाएंगी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): साहब, बड़े बोलने वाले सदस्य हैं, इनको तो बुलवा लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): महिलाओं को पहले बुलवा लीजिए ताकि हम भी अपनी बात रख सकें। (व्यवधान) वरना रोज-रोज जाना पड़ता है। इतनी तैयारी करते हैं, रोज जाना पड़ता है हम लोगों को। (व्यवधान) यह मैच-वैच भी हमेशा होते रहेंगे लेकिन जनता की आवाज उठाने यहां बार-बार नहीं आएंगे हम लोग। इसलिए कम से कम हमें बोलने का मौका दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री महेन्द्र चौधरी।

मांग संख्या 13, 42 व 43 पर विचार

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, आज जिन विषय पर डिबेट हो रही है उनमें एक तो प्रिय विषय है पिछली भारतीय जनता पार्टी का और पिछले शासन का, मांग संख्या 13, उसमें तो मैं अभी थोड़ी देर बाद बोलूंगा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे अनुरोध है कि कई माननीय सदस्यों को बोलना है, इसलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हो, पूरा सदन जानता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो...

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): शोर्ट में कर देंगे।

श्री सभापति: आप ऐसा बोलना कि आपकी बात भी हो जाए, आपके सुझाव भी आ जाएं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपको जिस सब्जेक्ट पर थोड़ी चिंता जाहिर हो रही है, सदन को, आपको, उस पर मैं बाद में बोलूंगा, पहले उद्योग पर बोल लेता हूं। क्योंकि जहां से मैं चुनकर आता हूं, वह एक नमक का एरिया है और उद्योग की जहां भी बात आती है तो मेरा उस पर बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार पहले मैं उस पर बोलूंगा। खनिज तो, खैर, बाद की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस रिफाइनरी को वे इस सत्र, इस कार्यकाल के अन्दर लेकर आए हैं, उनकी ऐसी प्रशंसा हो रही है, न केवल प्रदेश बल्कि हिन्दुस्तान में; राजस्थान की सात करोड़ जनता, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल की हो लेकिन सभी जगह आज राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की इस रिफाइनरी के ऊपर बहुत-बहुत तारीफ हो रही है। यह रिफाइनरी पहले भी आ सकती थी

(16.39 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन पिछली सरकार की इसकी कोई मंशा नहीं थी कि राजस्थान में रिफाइनरी को लाया जाए। उन्होंने जब पहले 1998 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने यह स्टेटमेंट दिए कि यह बाड़मेर की रिफाइनरी है, इसे भटिण्डा स्थानान्तरित किया जा रहा है। इस प्रकार का एक दूसरे प्रकार का वक्तव्य देकर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने

(श्री महेन्द्र चौधरी)

का एक प्रयास किया गया। वह इसलिये किया गया कि उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि आंकड़ों के अन्दर यह सत्य है कि नवम्बर, 1998 में भटिण्डा में, जब एन.डी.ए. की सरकार थी, राजस्थान के 3-3 मंत्री थे, जसवंतसिंहजी थे, वसुंधरा राजेजी थीं, सुभाष महरियाजी थे, उस वक्त अटल बिहारीजी ने आलरैडी वहां का उद्‌घाटन कर दिया था। लेकिन लोगों को गुमराह करना, और इस प्रकार का प्रदेश के अन्दर प्रचार किया गया कि आपकी रिफाइनरी भटिण्डा जा रही है। जनता जान चुकी है और मुख्य मंत्रीजी ने अपने प्रयासों से आज यह रिफाइनरी प्रदेश को सौंपी है। उसके लिये प्रदेश की जनता उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट के अन्दर, इस उद्योग के अन्दर 10 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है, जयपुर में चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रहलादपुरा में आटो-मोबाइल सर्विस काम्प्लेक्स, इसमें 92 एकड़ भूमि विकसित की जाएगी, 160 करोड़ का निवेश होगा। युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिये 25 लाख से लेकर एक करोड़ तक का, अगर कोई भी व्यक्ति लाभ लेना चाहे तो न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे जो कार्य करते हैं, गरीब लोग, हस्तशिल्पियों, दस्तकारों, कतिनों, बुनकरों, बेरोजगार युवकों को, जो स्वयं का अपना छोटा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिये 10 हजार नये उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उसके अन्दर एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा, 36 हजार खादी कतिन एवं बुनकरों को 5-5 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी जिससे वे अपना रोजगार भी स्थापित कर पाएंगे। इसमें 18 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हैण्डलूम एवं खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। इसमें पहली बार सम्भागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। खनिज में भी लाइमस्टोन के पूर्वेक्षण हेतु नागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में तथा लिग्नाइट के पूर्वेक्षण हेतु बाड़मेर एवं बीकानेर जिलों में 12 हजार मीटर छिद्रण का कार्य किया जाएगा। उसमें चार करोड़ का व्यय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नावां नमक, पूरे देश के अन्दर गुजरात के बाद नावां का नाम नमक के अन्दर आता है। आज हमारी जो नावां नगरी है वह नमक का उत्पादन करती है, लाखों मजदूर लोग काम करते हैं। खाली राजस्थान के नहीं, बल्कि बिहार के, मध्य प्रदेश के और दूसरे स्टेट्स के लोग

(श्री महेन्द्र चौधरी)

भी वहां पर पिछले 10-10, 15-15 साल से अपना निवास कर अपना काम कर रहे हैं। नमक में काम करने वाला मजदूर किस हालत के अन्दर रहता है, यह आप सोच सकते हैं। वह पूरा समय नमक में अपने पैर गड़ाए रखता है। जब नमक का, आप देखते हैं, नमक वह चीज है कि अगर लोहे को भी नमक में डाल दें तो लोहा भी गल जाता है। इस सरकार ने नमक के श्रमिकों का दर्द समझा। उनको, जो नमक में काम करते थे, उनको गम-बूट्स दिये गये; बड़े-बड़े बूट पहनकर वे नमक के अन्दर काम करते हैं; उनकी आंख खराब नहीं हो, उसके लिये उनको गोगल्स दिये गये। इसके अलावा, उनको साइकिलें दी गईं ताकि वे जहां रहते हैं वहां से साइकिल से वहां आ सकें। इस प्रकार का भी सरकार ने प्रावधान रखा है। लवण-श्रमिकों की बीमा पालिसी भी तैयार की गई; उनके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा भी दी जा रही है; उनका जहां पर इलाज, चाहे कोई भी टैस्ट हो या कोई भी दवा हो, इस प्रकार से भी उन नमक श्रमिकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

इसलिये मैं आपको कहना चाहता हूं कि नावां को नमक-नगरी के रूप में, उद्योगों को विकसित करने के लिये नये लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए, यह मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आप खुद नावां और कुचामन में गये थे, वहां लोगों की मांग थी, नावां और कुचामन, दोनों जगह, उद्योग और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके वहां पर नये-नये उद्योग-धन्धे भी लगाये जाएं; औद्योगिक क्षेत्र भी उनको डिक्लेयर किया जाए; राज्य में हैंडीक्राफ्ट उद्योग को विकसित करने के लिये भी कार्य किया जाए।

दूसरा, नावां में जहां नमक का कार्य करते हैं, वहां सांभर साल्ट्स ने अपनी दादागीरी लगा रखी है। इसलिये उस पर लगाम लगाया जाना जरूरी है। नमक व्यवसाइयों का व्यवसाय उससे प्रभावित हो रहा है। गरीब लोग जो काम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर लगाम लगाना, मंत्री महोदय, बहुत आवश्यक है।

इसके अलावा, जहां मुख्य सड़क है, खाखड़की से नावां जो मुख्य सड़क है, वह बिलकुल क्षतिग्रस्त हो रखी है, उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए और एक सीमा से जोड़ने वाली दूसरी सीमा, नावां, खाखड़की, नावां विधान सभा क्षेत्र, नागौर जिले की, और आहू जो हमारे पुष्कर की माननीय मंत्री

(श्री महेन्द्र चौधरी)

महोदया का क्षेत्र है इन दोनों को कनेक्ट करके एक इस सड़क का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जब भी प्रदेश के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनी है, वस्त्र उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे टपूकड़ा (अलवर) में हो, चाहे खुशखेड़ा के अन्दर हो, चाहे वस्त्रों की प्रदर्शनी हों, जब भी सरकार बनी है वहां पर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। पिछली सरकार के अन्दर, बस शोर्ट करूंगा, अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, पिछली सरकार के अन्दर औद्योगिक विकास के नाम पर कोई उद्योग तो नहीं लग पाया लेकिन अवैध हथियारों के कारखाने बड़े पैमाने पर लगे हैं। ऐसे उस टाइम के आंकड़े बता रहे हैं।

खनिज के बारे में राज्य सरकार ने प्रयास किये हैं, अवैध खनन को रोकने के लिये चाहे बार्डर होम गार्डस लगाए जाएं, वे भी लगाकर सरकार ने प्रयास किये हैं। और भी सरकार द्वारा प्रावधान रखे गये हैं, चाहे खनिज रक्षा दल के नाम से हों या किसी अन्य प्रकार के नाम से हों, उसमें रखे गये हैं।

उद्योग के अन्दर, मुझे याद है, पिछले उद्योग मंत्रीजी का। हमारे उद्योग मंत्रीजी बहुत ही, किसान के रूप में, गांव के लोगों, किसानों के हित के अन्दर काम करते हैं। जब इनको उद्योग मंत्री का दर्जा मिला, एक साधारण जगह पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं लेकिन पिछली सरकार के उद्योग मंत्रीजी का रिकार्ड उठाकर देखिये, उनको जब उद्योग विभाग का दर्जा मिला तो सबसे पहले उन्होंने अपने चैम्बर को इस प्रकार सजाया, रिकार्ड के अन्दर आप निकालकर देखेंगे तो 50 लाख का चैम्बर लगाकर वे उसके अन्दर बैठते थे। लेकिन हमारे मंत्रीजी इस प्रकार के किसी शौक या इस प्रकार के किसी चैम्बर में बैठने के शौकीन नहीं हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह आंकड़े आप कहां से ले आये?

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ये आंकड़े मैं दे दूंगा। आपको चाहिए तो ले लेना मेरे से, अभी थोड़ी देर में।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मेरे को नहीं, आप तो सदन को ही दे दो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में डिस्टर्बेंस न करें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): वे उद्योग मंत्री आप नहीं थे। वे चिकित्सा मंत्रीजी हटाकर, दूसरे उद्योग मंत्री थे, वे थे। इसलिये आप मत करो। यह बात आपके ऊपर नहीं है।

दूसरा, शराब, जब शराब का नाम आता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी शराब का नाम आता है, तब पिछली सरकार का नाम आता है। जिस प्रकार मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, +++ यह हम राजस्थान के बीच के अन्दर बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक-दूसरे राजनीतिक दल की बात करते हैं, एक-दूसरे की काट करते हैं, चुनाव के हिसाब से करते हैं, राजनीतिक हिसाब से करते हैं लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर जाते हैं और वहां हमें यह नारा सुनने को मिलता है कि +++ तो हमारा सिर, नजर, हमें झुकाने पड़ते हैं कि हम उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां की सरकार के टाइम में इस प्रकार के नारे लगे थे।

उस टाइम क्या हुआ था शराब के अन्दर? किस प्रकार की शराब की नीति चली? अभी पूर्व वक्ता कोई बता रहे थे, शराब की दुकानें, क्या हुआ? ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के दिमाग के अन्दर एक सोच थी, हर सरकार को इन्कम देती हैं ये शराब की दुकानें लेकिन उन्होंने इनकम होना बड़ी बात नहीं समझा; उस व्यक्ति के बारे में समझा जो व्यक्ति रात को 11-11 बजे तक शराब पीकर सड़कों पर सोता रहता था, नाली में गिरा रहता था, अपने बीवी-बच्चों के पास में जा नहीं सकता था। उस व्यक्ति के बारे में, उसके दर्द को मुख्य मंत्रीजी ने समझा। उन्होंने समझा कि इन दुकानों का समय 10 बजे से घटाकर 8 बजे कर देंगे तो यह व्यक्ति, अगर इसके रात-दिन पीने की आदत भी है तो थोड़ी-बहुत पीकर अपने घर चला जाएगा, 11-11 बजे तक नहीं रहेगा। निश्चित रूप से जब से समय चेंज हुआ है, प्रदेश के अन्दर एक अलग प्रकार का वातावरण हुआ है, अलग प्रकार की शांति हुई है। 156 दुकानें बंद करना किसी भी सरकार द्वारा; सरकार बनते ही 156 शराब की दुकानें इस कांग्रेस के अशोकजी गहलोत के शासन के अन्दर बंद हुई हैं, जो एक इतिहास है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, इनके बाद में हर पार्टी, हर सरकार सोचती है कि कम से कम इन तीन चीजों से हटाकर शराब की दुकानों को रखें, आपका रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि आपकी जितनी भी शराब की दुकानें थीं, मंदिरों के पास, भले ही आप मंदिर के लिए कुछ भी

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कहते हों; आपकी जितनी दुकानें थीं, मस्जिदों के पास; आपकी जितनी दुकानें थीं, स्कूलों के पास में; वे आपने खोलीं। उनको इस सरकार ने आते ही, जब शिकायतें मिलीं तो उन शिकायतों के माध्यम से बंद किया।

शराब संस्कृति को आपकी सरकार के अन्दर बढ़ावा मिला, युवा शक्ति को आप लोगों ने कमजोर किया। बड़े नारे लगा दिए, गेट लगा दिए कि 'एक गिलास दूध पिलाओ बच्चे को', जब उसका बाप रात को शराब पीकर आएगा तो उसकी मां कहां से दूध पिलाएगी? इसके बारे में आपने नहीं सोचा। लेकिन बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर शराब संस्कृति को आपने प्रदेश के अन्दर बढ़ावा दिया। आज आप किसी भी प्रकार की बात कहें, शराब के अन्दर आज इस प्रदेश के अन्दर शांति है। किसी भी प्रकार की ऐसी घटना या इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई जिससे हम आज शर्म से यह कह सकें कि हमारा प्रदेश आज पीछे है। कितनी मौतें हुई कांग्रेस के अन्दर शराब में? आपके शासन में रिकार्ड है, 56-56 मौत होना रिकार्ड करता है, वे आपके शासनकाल के अन्दर हुईं।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कह कर, क्योंकि आप फिर अभी कहेंगे कि आपने, हम तो शराब के बारे में बोलते-बोलते बहुत ही थक चुके हैं लेकिन प्रदेश की जनता जानती है, जब भी, कभी भी कोई डिबेट होगी, जब भी शराब पर कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासन काल को उसके बारे में याद किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने शासन के अन्दर आबकारी नीति के अन्दर कुछ और सुधार करें और राज्य के शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए अच्छे से अच्छा काम करें ताकि हमारे प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हमारा भी है। उन्होंने तो टाइम दिया ही नहीं। आगे-आगे करके, फिर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या फरमा रहे हैं? नहीं, आपका तो दो दफे नाम पुकारा गया है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं, नहीं, नाम नहीं पुकारा।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, एक-दो मेम्बर्स के बाद आपका आ जाएगा, चिंता मत करो। मैं तब तक चेयर पर रहूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 13, 42 एवं 43 पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगी और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अजमेर जो कभी इस प्रदेश की राजधानी बनने की हैसियत रखता था, आज वह अजमेर औद्योगिक दृष्टि से इतना पिछड़ा है कि आजादी के बाद में सिर्फ एच.एम.टी. के अलावा वहां पर कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ आज तक और जो स्थापित हैं, वे या तो ब्रिटिश काल के हैं या उससे पहले के हैं। उद्योग-धंधे तो चूंकि हमारी नई-नई नीतियों के कारण से चौपट हो गए और जो सार्वजनिक उपक्रम आपके लगे हुए हैं, उनको और धीरे-धीरे आप कम करके और खतम करने की योजना बना रहे हैं। तो अजमेर भी तो राजस्थान के नक्शे पर है कि नहीं? कहीं न कहीं तो है ही वह। तो उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, लगभग 15-20 साल से हमारा सौभाग्य है, हमारे प्रदेश का कि हमारे यहां पर खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में है; हिन्दुस्तान जिंक ने लगभग 15 साल पहले, मैं जहां तक समझती हूं, अपनी खोज के द्वारा यह पाया कि अजमेर के काकड़दा-भूनाभाय और घूघरा में जिंक, लेड और दूसरे खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। इतने लम्बे समय तक प्रयास करने के बाद हमने यह सोचा था कि अजमेर में उसकी प्रोसेसिंग इकाई लगेगी और प्रोसेसिंग इकाई लगकर अजमेर के लोगों को रोजगार मिलेगा। 15-20 साल से अजमेर के लोग यह अपेक्षा कर रहे थे कि कैसे-तैसे करके यह जो डिस्प्यूट है यू.आई.टी. का, लैण्ड अवाप्ति का, हिन्दुस्तान जिंक उसको अवाप्त नहीं कर पा रहा है; यह पिछले पांच-दस सालों में हमने समाधान करने की कोशिश की और इसी आशा में कि अजमेर के लोगों को रोजगार मिले, यहां पर कुछ इकाइयां स्थापित हों लेकिन जब वह काम पूरा हुआ तो हमारे अजमेर के लोगों की आशाओं पर पूरा पानी फिर गया, क्योंकि हिन्दुस्तान जिंक के जो शेयर्स हैं, 94.92 प्रतिशत शेयर्स वेदांता को दे दिए और अब जो वेदांता है, वह

(श्रीमती अनिता भदेल)

इस सारी हमारी जो, वहां से जितना भी खनिज निकलता है, जितना भी यह हमारा जिंक निकलता है, उस जिंक को निकालकर वह अपने चंदेरिया ले जा रहा है, बेबारी स्मेल्टर में ले जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए लेकिन अजमेर में कोई इस प्रकार की इकाई स्थापित नहीं कर रहा है। तो मेरा, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह विनम्र निवेदन है, क्योंकि एक जगह पर तो हिन्दुस्तान जिंक और वेदांता के ग्रुप ने अपना उत्खनन प्रारम्भ कर दिया लेकिन दो जगह और यू.आई.टी. से उन्होंने जमीन मांगी है; दीपक नगर योजना जो प्रस्तावित थी वहां पर कई अवैध अतिक्रमण भी हो चुके हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस दीपक नगर योजना को समाप्त करके, जो अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाकर क्या आप इस एक साल के अन्दर-अन्दर उस जमीन को, हिन्दुस्तान जिंक या वेदांता जो मांग रहा है, 54 बीघा जमीन उसको आप देने का काम करेंगे? पहली बात तो यह। दूसरा विषय, जो लैंड है, वह उसकी कीमत पर देंगे या कोई व्यावसायिक शुल्क लेंगे या नि:शुल्क देंगे? कैसे करेंगे आप उसको?

तीसरा विषय, जिसके लिए मैं बार-बार बात कर रही हूं कि अजमेर के लोगों की बहुत पुरानी आस रही है, इस खोज के द्वारा कि हमें रोजगार मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से लोगों को सक्षम होने का अवसर मिलेगा लेकिन हमारी पूरी सम्भावनाओं पर पानी फिर गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस क्षेत्र में यदि हमें कच्चा माल मिल रहा है तो आप क्यों नहीं उसी क्षेत्र में उसकी प्रोसेसिंग इकाई को स्थापित कर देना चाहते हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी कोई योजना है तो आप, प्लीज, मुझे बताने की कृपा करें कि आप इसको कैसे करेंगे?

दूसरी मेरी बात है कि अजमेर में ही बहुत सारी आइरन की फाउंडरीज हैं, क्योंकि हमारे यहां पर लोहे का स्क्रैप और जो रेलवे से जितनी भी लोहे की स्क्रैप आती है, उनको कबाड़ी और एक पूरा एरिया नाका मदार के नाम से है, जहां पर पूरे कबाड़ी लोग इस लोहे के स्क्रैप का काम करते हैं और पांच-छह से भी ज्यादा वहां पर लोहे की फाउंडरीज हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर स्टील पार्क के नाते से कुछ आप सब्सिडी देकर, कुछ इस प्रकार की फाउंडरीज को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ सरकार की ओर से आप सहयोग देंगे तो यह निश्चित रूप से लोहे की जो फाउंडरीज हैं, उनमें श्रमिक भी अब कम हो रहे हैं, काम भी कम हो रहा है, तो वे कैसे अपने काम को बढ़ा सकें,

(श्रीमती अनिता भदेल)

कैसे अपने श्रमिकों को रख सकें, इन लोहे की फाउंडरीज को हम कैसे और मजबूत बना सकें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

तीसरा, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि अजमेर जिले में जो खनिज हमको सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, वे हैं क्वार्टज, फास्फेट, चायना क्ले, डोलामाइट और कैल्साइट। यह उत्पादन वहां पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी इनसे सम्बन्धित उद्योग स्थापित होने की सम्भावनाएं बनती हैं, उन उद्योगों के लिए मिनरल पार्क, अगर वहां पर यह स्थापित करेंगे तो ये खनिज वहीं की वहीं आपको मिल जाएंगे और आपकी उद्योग की इकाई भी स्थापित हो जाएगी। इसके साथ ही लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल जाएगा। क्योंकि अजमेर उद्योग की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला बन गया है। कोई उद्योग अजमेर में नहीं है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वे अब आई.टी., इंजीनियरिंग में और डाक्टर्स बनने के लिए बाहर जा रहे हैं। मां-बाप अकेले, क्योंकि आजकल एक या दो बच्चे होते हैं और वे भी छोड़-छोड़कर अपने रोजगार के लिए, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां पर जा रहा है, तो पूरे के पूरे परिवार अकेले हैं। रोजगार है नहीं तो बच्चों को रोजगार के लिए कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ भी करके, जो अजमेर की सम्भावनाएं हैं, उनको आप तलाश करके यह करने का काम करें। इसके लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

अब मैं आबकारी के बारे में आपको कहना चाहूंगी। ऐसा बहुत सुनने में आता है कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति और जन-जातियों के लिए बहुत फायदे का काम करती है और अधिकतर, जो बात आम तौर पर कही जाती है उसी को मैं यहां पर कह रही हूं, यदि वास्तव में आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भलाई चाहते हैं तो जितनी भी शराब की दुकानें हैं उन शराब की दुकानों को आप उन कालोनियों से हटा दीजिए। या उनको बिलकुल, आप अपनी शराब नीति में यह तय कर दीजिए कि कम से कम पांच किलोमीटर के दायरे में, जहां पर भी अनुसूचित जाति/जनजाति के घने आबादी क्षेत्र हैं, वहां आप शराब की दुकानें नहीं रहने देंगे।

माननीय मंत्री महोदय, ये महेन्द्र चौधरीजी बहुत सारी बातें कह रहे थे, पर हम दिल पर हाथ रखकर यह बात कहें, आप खुद अपने मुंह से स्वीकार

(श्रीमती अनिता भदेल)

करें कि क्या आठ बजे बाद वास्तव में शराब बंद हो गई है? दिल से कहना, आत्मा से कहना, प्लीज, आप झूठ मत बोलना।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): देखो, इसके बारे में मेरे को तो ज्यादा जानकारी नहीं है, एक मिनट सुनो, ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सही कहना।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मेरे को तो ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन ज्ञानदेवजी आहूजा ज्यादा बता सकते हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्योंकि, आपने यह बात कही है, इसलिए मैंने आपसे यह बात पूछी है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय, हमारी कच्ची बस्तियों में जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वह पूरे दिन कमाता है और शाम को पीकर आता है। शाम को पीकर आता है और फिर उस परिवार की जो महिला और बच्चे हैं, उनसे आप जाकर पूछो कि क्या स्थिति होती है! आटा नहीं है, तेल नहीं है। (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: उनसे बात नहीं करें। माननीय अनिताजी, आपका समय निकलता जा रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय की बात नहीं है यह। बहुत सारी चीजें आप कह दीजिये, समय खूब लगा दीजिये, पर यदि हम मेन मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो हम समाज का विकास नहीं कर सकते। आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियों में आप जाकर देख लीजिये, जो आपने कहा है कि रात को 11 बजे कोई शराब पीकर नाली में नहीं मिलेगा, मैं लेकर चलती हूं, आपको मैं दिखाती हूं, नाली में गिरे हुए रात के 11 बजे। ना तो शिक्षा की व्यवस्था है उनके बच्चों की, ना उनको ढंग से आप पोषण दे सकते हैं, क्योंकि पति तो पीकर आता है। तो बेचारी माता अकेली क्या करेगी? चूंकि वह विधवा भी नहीं है, डाइवोर्स भी नहीं ले रखा, इसलिये सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी उसको नहीं मिल सकता है। तो क्या करे वह? इसलिये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उधर मत देखिये, आसन की तरफ देखिये। आपके फिर विघ्न हो जाता है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): करने वाले तो वही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके हाथ जोड़ लेती हूं, आप यदि यह करवा देंगे तो मेरे लिये बहुत सुख और चैन की बात होगी।

मैं एक दूसरी बात और कहना चाहूंगी, आपने बुनकरों की सब्सिडी की बात कही है कि हम बुनकरों को सब्सिडी देंगे, उनको हेल्प करेंगे और वे अपने उद्योग-धन्धों में विस्तार करें, इस बात के लिये हम सब्सिडी देते हैं, लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि सब्सिडी तो हम देते हैं, सब्सिडी में भ्रष्टाचार कितना होता है, यह भी आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि हर पात्र व्यक्ति को सब्सिडी नहीं मिलती है, जो सुविधा शुल्क देता है उसी को सब्सिडी मिलती है। इसलिये मेरा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष: यह सुविधा शुल्क क्या होता है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अब वह जो भी हो, आप और हम सब समझते हैं इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है, माननीय सदस्या। पूरे सदन को ज्ञान होना चाहिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सबको ज्ञान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

अजमेर एक धार्मिक नगरी है। अजमेर और पुष्कर, दरगाह क्षेत्र में दर्शनों के लिये राष्ट्र से और अन्तरराष्ट्रीय स्तर से बहुत लोग आते हैं लेकिन पुष्कर और दरगाह एरिया मादक पदार्थों की तस्करी का एक बहुत बड़ा केन्द्र और बहुत सुरक्षित केन्द्र बन गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा खतरा अजमेर के लिये है, क्योंकि दरगाह की उन तंग गलियों में पुलिस भी नहीं जा सकती है, ना कोई और व्यक्ति जा सकता है। पुलिस को तो वहां पर जाते हुए ही डर लगता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो इतना बड़ा कारोबार मादक पदार्थों का, अफीम, स्मैक, वगैरह हैं, वे सब वहां खुलेआम बिकती हैं और आये दिन वे पकड़ में तो आते हैं लेकिन जो बेचने वाला है, वह पकड़ में आता है; मुख्य जो आरोपी है, जो लेकर के आया है या जिसको वहां बेचना था, खपाना था, वह कभी पकड़ में नहीं आया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अजमेर में यह जो व्यापार बढ़ रहा है, इसका कारोबार बढ़ रहा

(श्रीमती अनिता भदेल)

है, इसको आप किस तरह से रोकेंगे? क्योंकि पुष्कर और अजमेर, दोनों धार्मिक स्थल हैं और पुष्कर की तो यह हालत है कि नई पीढ़ी खतम हो जायेगी, यदि आप उसको नहीं रोकेंगे तो। 15-15, 16-16 साल के बच्चों को नशा खिला-खिलाकर वह पूरी नशे की पीढ़ी बन गयी है। यह तो नसीम अख्तर जी भी आपको बतायेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 और 17 साल के इतने बच्चे हैं जो नशे में लिप्त हैं और नशा उनको खिलाया जाता है, उनको नशा उनको कराया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है, हमारी पूरी पीढ़ी को बचाने के लिये बहुत आवश्यक है।

माननीय मंत्री महोदय, आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप यह बात कहते हैं कि यातायात पुलिस जब भी नशे में कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो हम उसका चालान करते हैं और उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की भी बात करते हैं लेकिन नेशनल हाइवे पर और जितनी भी हमारी मुख्य रोड हैं, इतनी शराब की दुकानें खुली हुई हैं; मतलब, हम पता नहीं, क्या करना चाहते हैं। एक तरफ तो हम नियम बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको सुविधा दे रहे हैं, वहां पर परोस रहे हैं कि आइये और पीजिये। जितने भी, आप देखिये, जयपुर से अजमेर का जो नेशनल हाइवे नम्बर-8 है, वह इतना उन्नत किस्म का बनाया है कि उस पर एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं है लेकिन फिर भी रोज कोई न कोई गाड़ी वहां पर भिड़ी हुई होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विघ्न पैदा नहीं करें। विघ्न पैदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उसका कारण यही है कि वहां पर हर एक किलोमीटर पर शराब की दुकान ही नहीं, एक दुकान बनी हो तो समझ में आता है, एक लोहे का डिब्बा रख लिया और उस पर लिख दिया, देशी शराब की दुकान। अब लोहे के डिब्बों में देशी शराब बिक रही है। आप देखिये, माननीय, बिलकुल, एकदम रोड के किनारे पर और जो फुटपाथ हैं, उसके किनारे पर लोहे के डिब्बों में शराब बेच रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की दुकानें तो आप हटवा दीजिये कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष: चिट गुम गया क्या? (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्या चक्कर है, ये एक दूसरे के पास आ बैठते हैं? वहां ऐसे करेंगे जैसे आज ही रात गर्दन कटनी है और हम भी गुमराह हो जाते हैं; पता नहीं, क्या होगा। अब देख तो ले ना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, कृपया चालू रखें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बिलकुल। आप बीच में बोल रहे थे, इसलिये मैंने रोक लिया।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, वह समय का ध्यान रखें। आप समाप्त करें, कोई दिक्कत नहीं। समाप्त कर दीजिये, कोई दिक्कत नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष, दो पाइंट और हैं, उसके बाद में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी।

आपने एक दुकान को एक लाइसेंस दिया है एक दुकान खोलने के लिये लेकिन उस एक लाइसेंस के आधार पर चार-चार, पांच-पांच, छह-छह दुकानें वह खोलकर बैठा है और देखने वाला कोई नहीं है। इसके अतिरिक्त, मेरे खुद के अजमेर शहर में न्यू मैजेस्टिक के यहां पर दो लोगों में इस बात के लिये बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ, दुकान के लिये, और एक दूसरे के मर्डर पर वे लोग आ चुके। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि एक लाइसेंस है तो हमारा विभाग क्या चैक कर रहा है? हमारी निश्चित दुकानों की संख्या है, हमने निश्चित जगह अलाट की है कि इस जगह ही आपको खोलनी है, फिर लड़ाई किस बात की है? इसलिये इस बात को भी यदि आबकारी विभाग ठीक ढंग से देखेगा तो निश्चित रूप से मैं समझूंगी कि वह ठीक प्रकार से काम कर रहा है।

एक आपने यह प्रावधान कर रखा है कि रात 8 बजे बाद यदि कोई दुकान खुली मिलेगी तो एक लाख रुपये तक की पेनल्टी आप उससे वसूलेंगे; अजमेर जिले में, मैं तो शहर की बात नहीं कर रही हूं, अजमेर जिले में कितनी, क्योंकि हर दूसरी दुकान रात 8 बजे बाद खुली होती है, एक लाख रुपये के हिसाब से कितनी पेनल्टी आपने अब तक वसूली है? क्योंकि यह, अब मैं वापस उसी शब्द को दोहराऊंगी तो आप कहेंगे कि स्पष्ट करें, सुविधा शुल्क ले-देकर सब काम चलता रहता है। आपने कहा कि शराब बंद की ओर अग्रसर हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। मंत्रीजी तो शराब संस्कृति के खिलाफ हैं, निश्चित तौर पर कार्यवाही की होगी। विराजें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, नहीं, तो आप बता दीजिये न, रात 8 बजे बाद खुलने वाली दुकानों पर कितनी पेनल्टी की? तो पता पड़ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मुश्किल से इक्का-दुक्का दुकानों पर पेनल्टी हुई है, जबकि हर दूसरी दुकान खुली होती है। मेरा निवेदन है कि उन दुकानों को बंद करवाने की बात कहें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये। धन्यवाद।

माननीय श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 43-खनिज, मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 13-आबकारी पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोतजी साहब का बहुत-बहुत आभारी हूं कि ये राजस्थान के अन्दर रिफाइनरी लेकर आये। उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और करोड़ों-अरबों रुपये की राजस्थान के अन्दर आय होगी। इससे पूरे राजस्थान का नक्शा चेंज हो जायेगा और बहुत ही विकास हमारे राजस्थान के अन्दर होगा। इसके लिये मैं राजस्थान की 7 करोड़ जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत साहब और हमारे उद्योग मंत्री, राजेन्द्र पारीक साहब का बहुत-बहुत, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मकराना विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और मेरे मकराना के अन्दर खनिज क्षेत्र का कार्य परम्परा के अनुसार बरसों से वहां चला आ रहा है। मकराना एक ऐसा शहर है जिसने देश के अन्दर ताजमहल, विक्टोरिया और देश-विदेश में अनेक खूबसूरत बिल्डिंगें बनाकर इतिहास रचा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने 28.2.2011 को नई खनिज नीति बनाई, उसमें उन आदमियों के सपने पूरे किये जिनको खानों का एक सपना था, जिस तरह से ओ बी सी, एस.सी., एस.टी. वाले सोचते थे कि हम कभी खान मालिक बनेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नई खनिज नीति के अन्दर 50 तो कोटा दिया नीलामी का, उसमें कोई भी आदमी ज्यादा से ज्यादा नीलामी देकर खान आबंटित करा सकता है और बाकी 50 प्रतिशत कोटे के अन्दर एस.सी., एस.टी., ओ बी सी, बी.पी.एल., स्वतन्त्रता सेनानी, राजकीय सेवा में नियुक्त भूतपूर्व सैनिक, बेरोजगार युवा, इस तरह के लोगों को खान देने का जो फैसला किया है, वह बहुत ही अद्भुत फैसला किया है। इन लोगों का एक सपना था कि हम कभी

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

खान मालिक बनेंगे, कि नहीं बनेंगे। पिछले टाइम में जो खानें आबंटित होती थीं, वह एक अलग पालिसी थी। उसमें जो पहले खानों के लिये अपनी अर्जी लगाता था, यह मिलीभगत से बड़े-बड़े उद्योगपति, पैसे वाले सेटिंग से दूसरे की खानों को अधिकार से आबंटित करा लेते थे। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक अच्छी सोच रखते हुए और हमारे खान मंत्रीजी ने सभी का सपना, जो खानों का था, वह पूरा किया। मैं बहुत-बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र मकराना के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और खान मंत्रीजी ने जो फैसले किये, हमारे हित में, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 17.04.2012 को हमारे मकराना के अन्दर हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके कारण पूरा मकराना धूज गया था और वह दिन मकराना के इतिहास में काले दिवस से कम नहीं था। उस टाइम पूरे मकराना में यह हालत हो गयी थी, क्योंकि मकराना के आसपास के सौ किलोमीटर तक के लोग मकराना की खानों पर निर्भर हैं, उस हाई कोर्ट के फैसले में कई तरह की सी बी आई जांच अधिकारियों के खिलाफ, खान धारकों के खिलाफ 50 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। अवैध खनन का अलग मामला था, सड़कों वाली खानें भी बन्द करवा दीं। हमने हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और उस फैसले के लिए हम माननीय मुख्य मंत्रीजी और खान मंत्रीजी के पास गये जिन्होंने हमारी सबकी फरियाद सुनी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एक अलग से एस एल पी पेश की। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा था, उस एस एल पी के अन्दर सारी की सारी बात सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई और आई ओ पेश हुआ। हमें सी बी आई की कार्यवाही के लिए स्टे मिला; सड़क वाली खानों के लिए भी स्टे मिला; हमारी 75 परसेंट खानें चालू हो गईं। वह इतना बड़ा इश्यू हो गया था कि पूरे गांव धूज रहे थे कि यहां रोटी-रोजी के लाले पड़ेंगे, हम यहां से पलायन कर के कहां जाएंगे, वर्षों से हम खनन कार्य करते आ रहे हैं। विपक्ष वाले भी लोगों को भड़काने के लिए वहां खूब आये। उन्होंने ट्रेन रोको, हड़तालें करो, भूख हड़ताल करो। सभी की नजरें हमारे मुख्य मंत्रीजी और खान मंत्रीजी की तरफ थीं और इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट के अन्दर हमारी बात रखी और कहा कि न्याय मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है।

चार सालों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो फैसले किये, 2010-11 के बजट भाषण के अन्दर हमारी रायल्टी जो 325 रुपये थी, उसको 300 रुपये

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

किया गया; 25 रुपये रायल्टी कम की गई क्योंकि हमारे साथ वर्षों से अन्याय हो रहा था। हम लोग तैयार माल पर रायल्टी देते हैं और अन्य जगहों पर रायल्टी नहीं ली जाती है। हम 300 रुपये रायल्टी अदा करते हैं। 25 रुपये का फायदा हमारे खान मंत्रीजी ने कराया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

उसी बजट के अन्दर पाण्डु स्लरी की रायल्टी भी मुफ्त की गई। 45 रुपये प्रति टन तो वेस्टेज के रूप में यह पाण्डु स्लरी निकलती है। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी हाल ही में 19 फरवरी को जो तीस मीटर चौड़ान बढ़ाने का फैसला आया है, हम खान मंत्रीजी के बहुत-बहुत आभारी हैं, यह हमारी वर्षों से मांग थी क्योंकि हमारी खानों का चौड़ान नहीं बढ़ाया जा सकता था। उसकी वजह से हमारी खानें असुरक्षित थीं। तीस मीटर चौड़ान का खानों का जो फैसला आया है, उससे हमारी खानों का माउथ सौ-सौ फीट खुल जाएगा, हमारी खानें सुरक्षित होंगी और खानें अच्छी तरह चल सकेंगी।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे रेलवे और चक डूंगरी के खानों के बीच एक विवाद 18 सालों से चल रहा था, पिछली बार बताया मैंने आपको, मामला कोर्ट में है, उसके लिए राज्य सरकार ने रेलवे को 10 करोड़ 29 लाख रुपये दे दिए ताकि मकराना-परबतसर लाइन चालू हो सके और चक डूंगरी की खानें सुरक्षित हो जाएं और चल सकें।

कालानाड़ा माइन्स जो हमारी हैं, उनमें हर वर्ष बरसात का पानी भरता था। उसके लिए एक नई स्कीम बनायी, खानों से पानी की निकासी के लिए। उसके लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपये उस स्कीम के लिए माननीय मंत्रीजी ने दिए, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक हमारी माइनिंग की सड़कों के लिए अमेंडमेंट करके 15 मीटर से 10 मीटर का किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 15 मीटर से खनन खेत्र असुरक्षित हो रहा था, उसको 10 मीटर करने का आदेश जारी किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी और खान मंत्रीजी ने यह अच्छा कार्य किया, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

खानों का किराया हर साल 33 परसेंट बढ़ता है, माननीय मंत्रीजी ने उसमें 18 परसेंट की कमी की है। क्योंकि हमारी खानें बहुत टाइम से बन्द थीं,

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

इसलिए मंत्रीजी ने यह फैसला लिया। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

यहां पर हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, मकराना की कुछ डिमाण्ड हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वे भी आप पूरी करेंगे। हाई कोर्ट के अन्दर जो एस एल पी 01.03.2013 को स्वीकृत हो चुकी है, उसके लिए आप राज्य सरकार की तरफ से अपील अविलम्ब प्रस्तुत करें ताकि चक डूंगरी की खानें चालू हो सकें। सुप्रीम कोर्ट से फैसला एक साल में नहीं आ सकता। यदि अपील करेंगे, जिस तरह से सी बी आई और सड़क वाले मामलों में स्टे मिला, इसी तरह इसमें भी फायदा मिलेगा। 25.07.2011 से ये खानें बन्द पड़ी हुई हैं, ये भी चालू हो जाएंगी। क्योंकि 27.02.1999 में राज्य सरकार और रेलवे के मध्य एक समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार सारा का सारा 10 करोड़ 29 लाख रुपये जमा हो गया और जमीन का था, वह भी हो गया। इसलिए मंत्रीजी से मैं अपील करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए, हमारे मनु सिंघवी साहब, वकील साहब को बोलें, इसके लिए वापस लगायें।

हमारी खानों के लिए मैं बार-बार डिमाण्ड कर रहा हूं कि 12 इंच से कम साइज का रायल्टी मुफ्त किया जाए क्योंकि 12 कम साइज का मार्बल है, यह 30 परसेंट वेस्टेज निकलता है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मैं पांच मिनट बोलूंगा। मकराना की खानों का बहुत बड़ा इश्यू है, आप प्लीज मुझे बोलने दें।

12 इंच का जो कम साइज है, उस पर रायल्टी मुफ्त की जाए।

मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जो दो सौ वर्षो से हमारे मकराना में बापी खानें चली आ रही थीं, उनका रेगुलराइजेशन किया गया। यह बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि बापी पट्टे जोधपुर दरबार के नाम से चल रहे थे, उनको रेगुलर कर दिया। इसमें मैं, सरलीकरण के लिए 60 दिन का जो टाइम दिया है, सेक्शन कवर होता नहीं है और ब्याज माफी के लिए इसमें जो शर्त रखी गई है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्याज माफ किया जाए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो हमेशा से रेगुलर इसकी डिमाण्ड करते आ रहे हैं।

तीसरी डिमाण्ड यह है कि बी-2 हाइवे जो है, जो 22 खानें हमारी बन्द पड़ी हुई हैं, उसमें एक-दो सड़क घोषित करें।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

बजट भाषण 2010-11 के अन्दर मकराना संगमरमर के वैज्ञानिक एवं दीर्घकालिक दोहन के लिये एक विशेष कार्य योजना तैयार की गयी थी, उसके अन्दर कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि मकराना की खानें ऐसा करने से विकसित हो जायेंगी।

हमारी रायल्टी का जो कांटा है, उस वज़न के कांटे को बड़ा किया जाये, क्योंकि ट्रक पूरा तुलता नहीं है।

मेरी कुछ और डिमाण्ड हैं...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, हो गया; हो गया आपका। आप तो कितना भी बोल सकते हो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रणवीरजी पहलवान।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि कहां पर टैक्स लगना चाहिये, कहां से टैक्स हटना चाहिये, कौनसी टूंटी टूट गयी, किस फैक्टरी का पानी बंद हो गया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आज नई भाषा में बोलिये, पहलवान की भाषा बंद कीजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हमारा देश पूरे विश्व में जनसंख्या में सबसे आगे चला गया है और हमारा राज्य भारत में सबसे बड़ा है। उद्योग लगाना आवश्यकता नहीं, मजबूरी है। इसमें इतने उद्योग लगने चाहिये थे। आज अपने ही जिले में 375 पटवारियों की भर्ती के लिये 59 हजार बच्चों ने फार्म भरे थे।

श्री उपाध्यक्ष: आज उद्योग, एक्साइज, खनिज; बनास में तो खनिज नहीं हो रहा है ना?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उनके लिये नौकरियां सरकार के पास नहीं हैं। सरकार चाहे यह आ जाये, चाहे यह आ जाये, उनकी नौकरी लगनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: वह बोल दिया आपने। यह रेवेन्यू नहीं है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): रेवेन्यू से मतलब नहीं है। किसी भी जगह नौकरी के लिये जितने भी राज्य में जवान हैं, उनको नौकरी कहां लगायेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका क्यों साथ दे रहे हो?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है, उस समय तो आप भी रहे हो। मैं शायद ढंग से समझा नहीं पा रहा हूं, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, आप उसको सरलता से समझ लें। जवानों की बेरोजगारी की बाढ़ आ गयी है, यदि हम उद्योग नहीं खोलेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी।

यदि हम अतीत में जाएं, उस उद्योग नीति पर जरा ध्यान डालें, जयपुर के उत्तर में विश्वकर्मा है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बाइस गोदाम है, इस जयपुर की 50 लाख जनता को हमने जीवित श्मशान घाट में बैठा दिया है। इसके चारों ओर उद्योग खोल कर 50 लाख लोगों को रोज जला रहे हैं। यह उद्योग नीति है? इस उद्योग नीति के दुष्परिणाम क्या हैं, यह तो देखिए आप। प्रदूषण तो अपार फैल ही रहा है, एक तरफ हम प्रदूषण की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो फैक्टरियां शहर के अन्दर लगवाई गई थीं, वे आज बिल्डर्स के हत्थे चढ़ गई हैं, वे उनको बंद कर रहे हैं। मजदूर रोज हड़तालें कर रहे हैं।

हमको इन नीतियों को बदलना पड़ेगा। जितने भी स्टेट हाइवे, नेशनल हाइवे राज्य के अन्दर से जा रहे हैं, उन सबको कामर्शियल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा बहुत से देशों में किया हुआ है जो विकसित हैं। मेरी प्रार्थना यहां पर यह है कि अगर हम ऐसे कर देते हैं, यहां की नीति में देख लो कि यह हलवाई की दुकान है, यह ज्वेलरी की दुकान है, यह पटाखा की दुकान है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति है? पटाखे में आगें लगती हैं, फिर आदमी मरते हैं। ये चीजें हमें सिटी से आउट करनी चाहिए। फैक्टरी का कोई भी वर्कर सिटी में नहीं होना चाहिए, उनका सिटी में कोई काम नहीं; फैक्टरी में काम करना और अपने घर जाना है। फैक्टरियां हमें सिटी से कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर ले जानी चाहिए। उनका शहर में कोई काम नहीं है। उनको फैक्टरी में प्रोडक्शन पैदा करना और काम चालू करना है।

इसके लिए वर्कर की बढ़िया नीति हो और एक अलग बोर्ड बने, वे राजनेताओं के चंगुल से बाहर निकल आयें। आज यह एक्साइज है, बढ़िया फैक्टरी कमाती है, तीसरे ही दिन गिरेबान पकड़ लेते हैं अधिकारी और नेता उसका। तो उसको कितने प्रकार से जूझना पड़ रहा है। चौथे ही दिन वर्कर्स यूनियन बना कर उस काम को रोक देते हैं। कोई नीति है ही नहीं।

रोड से आधा किलोमीटर दूर तक ग्रीन बेल्ट रख दो। उससे पांच-दस

(श्री रणवीर पहलवान)

किलोमीटर दूर तक पूरी जमीन एक्वायर कर ली जाए और उस पूरी जमीन में एक-दो किलोमीटर तक फैक्टरी, उसके पीछे वर्कर के मकान, उसके पीछे किचन गार्डन, वगैरह की जमीन उनको दे दो। (व्यवधान) मैं अगली सभा में आऊं कि नहीं, मेरे इस ब्रेन को काम में तो ले लूं; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा हक है। मैं कोई इस सरकार की, उस सरकार की गलती नहीं बता रहा हूं।

अगर दूरदर्शी सोच रखनी है तो यह करना होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। छोटी-छोटी यह बना दी; बाईस गोदाम की फैक्टरी, दम तोड़ दी; विश्वकर्मा की, एक सीतापुरा में खोल दी; एक और खोल दी; यह सारे ही शहर को मार देंगे। 50 लाख की आबादी को हमने चारों साइड से जीवित श्मशान घाट के रूप में बदल दिया। जीवित आदमी जल रहे हैं। यह कोई उद्योग नीति थी? और इसमें कहीं दूरदर्शिता थी? फिर वह फैक्टरी काट दी। 50 किलोमीटर तक लैदर की फैक्टरी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनिक्स की होनी चाहिए, कम्प्यूटर कार्यक्रम की होनी चाहिए। सर, पचास-पचास किलोमीटर में उसके ब्लाक होने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि यह कम्बल की फैक्टरी है, यह लोहे की है, यहां पर छड़ें बन रही हैं। यह कोई तरकीब नहीं है, कोई नीति नहीं है।

अभी हमने वहां जापान कारिडोर बनाये हैं, कोरियन कारिडोर, ये हमारे देश पर एहसान करने नहीं आये हैं, केवल मजदूर को यूज करने आये हैं। रा-मैटेरियल वहीं से मंगायेंगे, तैयार होने के बाद वापस ले जायेंगे। अगर हम उनसे खरीदेंगे भी, तो उस देश की कास्ट पर खरीदना पड़ेगा। कोई हमारा लेना-देना है नहीं।

इस जगह पर हमने इंजीनियरिंग कालेजेज खोल दिये हैं, बच्चे इंजीनियरिंग करे हुए हैं, उन दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह के ग्रुप बनाये जाएं और उनको लोन दिया जाए और उनसे फैक्टरियां खुलवाई जाएं। निस्संदेह ही वे इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करेंगे और उनको नौकरियां मिल जायेंगी। उन पर शर्तें लगा दी जाएं कि आपको इतने रुपये दिये जायेंगे, इतनी जमीन दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य, प्रेम पूर्वक।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आपके इतनी ही नजदीकता है तो आप बाद में बोल देना।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब, घबरा जाता हूं, बड़े मंत्री बोल रहे हैं तो थोड़ा-सा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी आपका सम्मान कर रहे हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं बोलता रहूंगा। (व्यवधान) मेरी तो यह नीति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई चीजें ज्यादा जानता हूं...

एक माननीय सदस्य: डिस्टर्ब मत करो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं, डिस्टर्ब कर लो, मेरा क्या बिगड़ेगा? सारे ही डिस्टर्ब हो जाओगे। (व्यवधान) तो मेरा कहने का मतलब था कि यहां पढ़े-लिखे अधिकारी भी बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समय का ध्यान रखें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): समय ही मेरे को देना चाहिए। मैं आपकी बुराई करूं और यह उनकी बुराई करें ...(व्यवधान) मैं तो दोनों की भलाई कर रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन समाप्त करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यहां कोई यह नहीं है कि मेरे क्षेत्र में एक फैक्टरी लगा दो तो मालपुरा का विकास हो जायेगा। मेरे रोड कामर्शियल होने चाहिए; उन पर फैक्टरियां लगनी चाहिए; फैक्टरियों की भी किस्म होनी चाहिए, पचास किलोमीटर तक इस चीज का ब्लाक होगा, यह पचास किलोमीटर इसका ब्लाक होगा। तो निस्संदेह ही हमारे जितने बेरोजगार नौजवान हैं, उनको काम मिलेगा और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश तरक्की करेगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जैसे अभी होटल खुलता है, एक आदमी दो लाख रुपये गज में जमीन खरीदता है और एक को दस हजार रुपये गज में दे दी जाती है; एक आदमी स्कूल बनाता है, वह पचास हजार, लाख रुपये गज में जमीन खरीदता है और एक को फ्री में ही दे दी जाती है। यह कौनसी है? इसको बिजनेस डवलपमेंट, क्या बोलते हैं? अगर इसके मार्फत जमीन दी जाती है तो इसका भी आक्शन होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को काल करना चाहिए जो इसमें लेने का इच्छुक है। चाहे मुख्य मंत्रीजी किसी पक्ष के हों, मेरे को बना दो, यह तो गड़बड़ ही होगी फिर। मैं कुछ बाहर से लेन-देन कर के और उस जमीन को छुड़वा लेता हूं, यहीं जमीन का भाव दो लाख रुपये गज

(श्री रणवीर पहलवान)

और एक व्यापारी को दस हजार रुपये गज में ही दे दी जाती है। यह गड़बड़ रोक देनी चाहिए।

अभी सुबह से ही यहां पर है कि दस बजे की बजाय आठ बजे शराब के ठेके कर दिये; साहब, कौनसा तीर मार दिया? शराब पीने वाला तो छोड़ेगा नहीं और नहीं पीने वाला दस बजे के बाद भी दुकान में नहीं जायेगा। पांच हजार करोड़ रुपये आप उनसे ले रहे हो और उनके गले घोंट रहे हो, उनकी सुविधा के लिए कुछ भी नहीं, जाये जब खरीद कर पी सकें। यह सारे दारू पीते हैं, कोई एक-आध नहीं पीता होगा। तो मैं कहां कह रहा हूं, ठेकों के अन्दर जाओ और आप दारू खरीद लो? पांच हजार करोड़ वसूल रहे हो उनसे और कह रहे हो, बेशर्मों की तरह, आठ बजे। साढ़े सात बजे दिन छिपता है, वह आठ बजे दारू खरीदेगा?

श्री उपाध्यक्ष: आगे बढ़ो थोड़ा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): शर्म नहीं आयेगी उसको, साहब? आठ बजे दारू। दारू पीकर घर वाली से लड़ेगा। अब सारे अपराध बी.जे.पी. के राज में हुआ करते थे और आजकल राम राज आ गया क्या? आज भी आत्म-हत्याएं हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): शुरू ही कहां करा, साहब? इसमें मैं सबकी भलाई की बात कर रहा हूं, दोनों पक्षों में पीने वाले हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा ज्ञान मत दीजिए न। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अभी फाइव स्टार होटल हैं, जितने भी चीजें हैं, उनमें बार क्यों लागू की, साहब? बंद करा दो।

श्री उपाध्यक्ष: खनिज पर बोलना है, कि नहीं बोलना है?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): खनिज में मेरी प्रार्थना यह है, साहब, राजस्थान में निस्संदेह ही जमीन के नीचे हीरे, मोती, सोना और बड़ी भारी मात्रा में खनिज पदार्थ हैं; जहां भी अच्छा निकलता है, पांचवें दिन कोई भी बाहर का आदमी जाता है कि यह फोरेस्ट में आ गयी। कोई प्रोटेक्टेड फोरेस्ट तो है नहीं, सामान्य फोरेस्ट में हमारे कोई बढ़िया खनिज पदार्थ निकलते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य, दस मिनट हो गये हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह सुनने की बात है, आप भी इसको नोट कर लो। उन खनिज पदार्थों को निकालकर अपन दूसरों को, हमारे इटली से पत्थर आ रहा है; हमारा ताजमहल बना था चार सौ वर्ष पहले, मार्बल यहीं का था। हमारा मार्बल बाहर जाना चाहिए, बाहर का यहां आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह सब को सूट करने वाली बात है, साहब, आप वैसे ही मेरे को रोक रहे हो। ये थोड़ी कह रहे हैं। मैं कोई इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं।

मेरी यहां पर प्रार्थना है कि जो खनिज पदार्थ अच्छे हैं, जिन खानों में से अच्छा मार्बल, ग्रेनाइट निकल रहा था और आपने जो फोरेस्ट में ला दी हैं, दस हजार बीघा जमीन फोरेस्ट में आ गयी तो दस हजार बीघा अदर लैण्ड खरीद कर फोरेस्ट बना दो। इसमें कौन मना कर रहा है? उस जमीन से राज्य को बहुत भारी मात्रा में रेवेन्यू आयेगा, राज्य का नाम होगा। विश्व में हमारा मार्बल सबसे बढ़िया है और वहां से मार्बल को चेप-चाप कर यहां भेजते हैं; इटली का मार्बल आ गया, अब दो हजार रुपये, चार हजार रुपये फीट बिक रहा है। जिस राष्ट्र के अन्दर मार्बल कोई धरती पर नहीं था, तब मार्बल निकलता था, ताजमहल उसकी गवाही दे रहा है, उस राष्ट्र के मार्बल का हमने वह हाल कर दिया कि बाहर चला नहीं जाए। राजस्थान में मार्बल बाहर से आ रहा है। विदेश में जहां भी जाएं, उसके होटलों में हमारा ग्रेनाइट, मार्बल लगा हुआ है और हम बाहर से मंगाने पर मजबूर हो रहे हैं। यह हमारी नीति के कारण हो रहे हैं।

काम हमें, फिर से पुन: इसको सुदृढ बनाने के लिए, हमारे पास यहां आंधी थी, इसमें सोने और हीरे से भी बढ़िया मार्बल निकलता था, उनको फोरेस्ट में लाकर बंद कर दिया। वहां फोरेस्ट में उतनी जमीन दूसरी कर दो और उनकी खानें चालू करवाओ। हमारा मार्बल भी तो विदेश जाता था। केसरिया ग्रीन मार्बल है या हमारा ग्रेनाइट है, दो-तीन जगह फोरेस्ट में आ गया। हमारे राज्य की नीति को बदलना होगा। फोरेस्ट में पांच हजार, दस हजार बीघा खनिज आया है तो फोरेस्ट के लिए अदर लैण्ड खरीद कर करें...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, पहलवानजी, प्लीज अब विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तो यह मान तो लोगे न, साहब?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। माननीय डा. रघु शर्माजी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 31)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई । समिति ने अपने 30वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 22 मार्च, 2013 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013	1- गैर-सरकारी कार्य दिवस (मध्याह्न 12.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे तक); 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण; 3- राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण (मध्यान्ह 2.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक) (उपरोक्त विधेयकों पर सायं 5.00 बजे प्रभारी मंत्री की ओर से उत्तर दिया जाएगा); 4. राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012; 5. राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013; 6. राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013; 7. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013; 8. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ;

(डा. रघु शर्मा)

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013	9. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013; 10. राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013; व 11. राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013; - पर विचार एवं पारण । 12. मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-16 वर्ष 2011) को राजस्थान में अंगीकार किये जाने के लिये शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल शून्य काल नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

मांग संख्या 13, 42 व 43 पर विचार

सम्माननीया कमसाजी मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): मैं तो एक बात कहना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल से देख रहे हैं, 'हां पक्ष जीता,' हर मांग पर 'हां पक्ष जीता;' आज देखना है कि यह जो आबकारी पर चर्चा हो रही है इस पर भी शाम को सभी विधायक दोनों हाथ खड़े करके प्रण लें कि हम शराब छोड़ रहे हैं और 'हां पक्ष' जीत कर दिखाए। यह संदेश राजस्थान की जनता को जाना चाहिए। अन्यथा हर कोई कहता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आज यह करके दिखाएं कि हम शराब नहीं पीते। आठ बजे बाद बंद करने की चर्चा नहीं, सब छोड़कर बताओ। ऐसा संदेश दें राजस्थान को कि आज 'हां पक्ष' जीता है। बड़ा दिल करके आज यह कर दो आप तो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के इस प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष तो एक है क्या? पहले यह बात तो आ जाए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर; या वो जगह बता दे जहां खुदा न हो। (व्यवधान) हम कहां पिएंगे फिर?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): भाटी साहब, यह सदन सुनना चाहता है, आप क्या कह रहे थे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): देखिए, यह बनाने वाले ने, ऊपर वाले ने बनाई, अपने तो हाथ में नहीं है। इन्होंने मंथन करके ऐसी सुंदर चीज निकाली है। एक व्यक्ति ने कहा कि आज इसको बनाने वाला मिल जाए तो सारी उम्र की मैं गुलामी उसके नाम लिख दूं। क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): शेर क्या था?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैंने तो यही कहा था, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो।

श्री उपाध्यक्ष: रामहेतजी, बोलिए। समय का ध्यान रखना।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग पर चर्चा हो रही है। उद्योग लगाने के पीछे सरकार की मंशा होती है कि वहां के बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो, संपन्नता आए और अमन-चैन कायम रहे। हमारे जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, खुशखेड़ा, चौपानकी, नीमराना, शाहजहांपुर, ये औद्योगिक क्षेत्र आपने बनाए। आज हम इसका आकलन करें, हिन्दुस्तान में 88 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो पोल्यूटेड हैं और जिन उद्योगों को बंद करना चाहिए, उनमें भिवाड़ी छठी रैंक पर है। सरकार ने पथरेड़ी में गारमेंट और आटो कम्पोनेंट्स, नीमराना में जापानी जोन फर्स्ट और सैकण्ड, खुशखेड़ा में एच सी एल और उसकी सहयोगी फैक्टरियों के लिए किसान की लगभग 3,500 एकड़ जमीन सस्ते भावों पर लेकर उद्योग स्थापित करने की मंशा रखी। वे उद्योग जिनके लिए किसान की जमीन दी थी, वे उस किसान के बेटे को जो इंजीनियर है, एम बी ए है, आई टी आई है, सेना से नौकरी पूरी करके गार्ड की नौकरी करना चाहता है, क्या उन औद्योगिक क्षेत्रों में वे इस कसौटी पर खरे उतरे हैं? हम देखेंगे, इंटरनल पालिसी उद्योग की हो

(श्री रामहेत सिंह)

जाती है, उद्योगपति तय कर लेता है और हमारे जिले में तो तय कर रखा है कि भिवाड़ी से साठ किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं देते। जो सेना में बोर्डर पर देश की रक्षा करता है, सारा देश अमन-चैन से सोता है और वह रिटायर होने के बाद उद्योग में भिवाड़ी में अगर गार्ड की नौकरी करना चाहता है तो उद्योगपति को उस देशभक्त सैनिक पर विश्वास नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं, ऐसी औद्योगिक नीति का हम क्या करें? ऐसा नहीं हो कि ये बेरोजगार हाथ में हथियार उठा लें और नक्सलवादी रूप धर लें। इसलिए सरकार को अपनी औद्योगिक नीति पर विचार करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि जिस गरीब किसान की जमीन कौड़ियों के भाव ली है, जो गांव में रहने वाला गंदा पानी पीता है, उसके खेत-खलिहान फैक्टरी से निकलने वाले गंदे पानी से खराब हो गये हैं, असाध्य रोगों का उसके बच्चों पर, पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि औद्योगिक क्षेत्र को ठीक रखें।

जहां तक मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, हर औद्योगिक क्षेत्र में यार्ड की सफाई के लिए, लोडिंग-अनलोडिंग के लिए या छोटे-मोटे काम के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए ठेकेदार की लेबर रखते थे, आज उद्योगों में 90 परसेंट ठेकेदार के माध्यम से रोजगार मिलता है। इलाके का बेरोजगार पता गलत बताकर के ठेकेदार के नौकरी कर सकता है। अगर उसने अपना असली नाम, असली गांव लिख दिया तो उसको ठेकेदार भी रोजगार नहीं देता है। आखिर हमारी यह पालिसी क्या है?

हमारे औद्योगिक क्षेत्र में चारों तरफ से हरियाणा में आपने सड़कें बना दीं और सारे पानी को हरियाणा ने चारों तरफ से रोक दिया, किसानों के खेत में पानी घुसा हुआ है, जिसको सेण्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड ने कह दिया कि इस्पात इण्डस्ट्रीज को बंद करिए। आज सरकार उन उद्योगों को, जिनके कारण वहां प्रदूषण फैलता है, उनको रोकते नहीं हैं।

मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि जब भी औद्योगिक विकास हो तो जिस गांव की भूमि जाए, उसका बेटा निश्चित रूप से योग्यता के अनुसार उस उद्योग में लगना ही चाहिए। उस गांव का सम्पूर्ण विकास हो। वहां भिवाड़ी में जितने भी गांव हैं, उनके सब रास्ते बंद कर दिये

(श्री रामहेत सिंह)

और हालात ये हैं, जो चार-चार, पांच-पांच पीढ़ी से, दो-दो सौ साल से परम्परागत हमारे श्मशान और कब्रिस्तान थे, जो इस राजस्व रिकार्ड में सरकार के नाम से बोलते थे, जिनकी फाइलें दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल अलाटमेंट के लिए कलेक्ट्रेट में पड़ी रहती हैं, उस भूमि को भी उद्योगपतियों को अलाट करा दिया गया। ऐसे हालात हैं। अलवर जिले की हालत तो और भी खराब है। वहां एम वाई जो जी जाति का, नाम का कोई आदमी अगर नौकरी करने जाता है तो लाल स्याही से उसकी एप्लिकेशन को स्वीकार नहीं करते हैं। यह एम वाई जो जी क्या चल रहा है वहां पर? वहां के मेवों को नौकरी नहीं देते; यादव को, जाट को, गुर्जर को नौकरी नहीं देते। अगर ऐसी पालिसी बनेगी तो इन कास्टों के पढ़ने वाले नौजवान क्या बंदूक नहीं उठा लेंगे? क्या नक्सली रूप नहीं ले लेंगे? इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा कि आपकी पालिसी क्या है। कौड़ियों के भाव जमीन लेते हो और पढ़े-लिखे, एम बी ए, कालेज टापर को आप नौकरी नहीं देते हो!

मैं सुझाव देना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र किशनगढ़ बास के चालीस गांवों में गंदा पानी बहेगा, आपने पाइप डाली है, जिसकी चर्चा पहले सदन में हो चुकी, मैं दुबारा दोहराना नहीं चाहता, अगर आपने उसकी व्यवस्था नहीं की, लोगों को रोजगार नहीं दिया और हरियाणा पैटर्न पर आपने किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो निश्चित रूप से वहां विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। मैं सुझाव देना चाहता हूं सरकार को, वैसे तो सरकार माने या नहीं माने, जिस भी गांव की जमीन जाये, गांव के रास्ते बन्द कर दिये गये हैं, उस गांव के चारों तरफ लाल डोरा तय करे सरकार पहले, पहले गांव के विकास की चिन्ता करे, दो सौ मीटर चौड़ी सड़क चारों तरफ बनाये और जिस किसान की 10 बीघा जाए...

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा संक्षेप करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): 9 बीघा का उसका मुआवजा दे और 1 बीघा कन्वर्टेड या डवलपमेंट चार्ज लेकर उस लाल डोरे में उसको दी जाए; किसी की 5 बीघा जाती है तो उसको आधा बीघा जमीन लाल डोरे में दें ताकि स्थानीय कुटीर उद्योग डवलप हो जाएं। कोई गरीब आदमी जो चारा पैदा कर सकता है, वह कुट्टी मशीन लगा देगा, कोई छोटा काम होगा वैसे कर लेगा, कोई किराये पर, मकान बना लेगा। जब तक स्थानीय लोगों के लिये कुटीर

(श्री रामहेत सिंह)

उद्योग, उद्योगों के साथ डवलप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से स्थिति विस्फोटक रहेगी।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरथल है जिसमें सरसों की राजस्थान में बहुत बड़ी मण्डी है, सरसों आधारित उद्योग लगे हुए हैं, पिछले 10 साल से एक भी इण्डस्ट्रियल एरिया में वहां प्लाट नहीं है। दूसरा, फेज टू वहां डवलप करने की आवश्यकता है। इसलिये मेरा सुझाव है, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब भी आपकी योजना बने, आप निश्चित रूप से खैरथल में फेज-टू बनायेंगे और प्रदूषण रहित उद्योग वहां लगें। जो उद्योग जहर उगलते हैं, वायु प्रदूषित करते हैं और जहरीला पानी छोड़ते हैं, उन सबको बन्द करें। पानी प्रदूषित है जिसके कारण अण्डरग्राउण्ड वाटर सारा खराब हो गया है। इस पर आप विचार करेंगे। यही मुझे कहना था।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री मदनजी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां से मैं आता हूं वह विश्व विख्यात है, चाहे कपड़ा उद्योग मामले में हो, चाहे अंग्रेजों के कालीन, पचपदरा का नमक उद्योग हो। आज हमें खुशी है कि जहां पूरे विश्व में चर्चा का विषय है, पूरे भारत और राजस्थान का विकास जिस रिफाइनरी से होगा वह भी हमारे जिले में लगने वाली है और इस रिफाइनरी के लिये सर्वप्रथम मैं लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग, खनिज और आबकारी के ऊपर चर्चा है, आज उद्योग किसी प्रदेश की प्रगति के लिये, विकास के लिये बहुत जरूरी हैं। आजादी के बाद राजस्थान में शुरू से ही प्रयास रहे कि यहां नये उद्योग आएं, प्रदेश प्रगति करे, प्रदेश आगे बढ़े लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां, पानी की कमी और बिजली की कमी के कारण जितने उद्योग आने चाहिये थे उतने नहीं आ सके। आज हमें यह कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयास और सरकार के सराहनीय कार्यों के कारण उनकी मेहनत रंग लायी। आज रिफाइनरी, चाहे दिल्ली-मुम्बई कारिडोर का मामला हो, ये प्रमुख उद्योग आने से राजस्थान विश्व के मानचित्र में विशेष एक अलग स्थान रखेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र का बजट आया, लोगों में एक ही चर्चा का

(श्री मदन प्रजापत)

विषय था, अखबारों में यह पढ़ने को मिला कि मुख्य मंत्रीजी को निराशा हाथ लगी, केन्द्र ने कोई नहीं सुनी और रिफाइनरी नहीं लगी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जिस मेहनत और लगन से राजस्थान के विकास में कार्य किये हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया, राजस्थान के विकास-पुरुष को न आज निराशा हाथ लगी, न आगे आने वाले समय में निराशा हाथ लगेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शूरवीरों की धरती, आज अनेकों प्रकार के खनिजों का भण्डार इस राजस्थान में है और इन खनिजों की वजह से देश ही नहीं, विश्व में राजस्थान की विशेष पहचान बनेगी। आज मुझे कहते हुए खुशी है, पिछड़ा जिला बाड़मेर जो कालापानी के नाम से पहचान कायम करता था, अधिकारी भी डरते थे, किसी को डराने के लिये बाड़मेर भेज दो, बाड़मेर भेज दूंगा और आज लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं कि मुझे भी बाड़मेर आने दो, मैं भी बाड़मेर आना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बाड़मेर आने वाले समय में...

श्री उपाध्यक्ष: मदनजी, एक मिनट विराजिये आप। आपको दुबारा मौका दे दिया जायेगा।

फोटो भी खींचना है। इसलिये मेरा अर्ज करना है कि यह 6 बजकर 45 मिनट के लिये विधान...(व्यवधान) एक घण्टे के लिये तो होगा ना?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आधे घण्टे के लिये बहुत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हो जायेगा, आधे घण्टे में तो।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा जहां तक ख्याल है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 6 बजे...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): 6.15 बजे तक...(व्यवधान) 6.30 बजे तक कर दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फोटो 6 बजे होगी, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि बाद में सनलाइट नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की जो राय हो, वह; आसन तो उसी को... (व्यवधान)

6.30 बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.46 बजे 18.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(18.30 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, मेरा अधूरा रहा हुआ है।

श्री सभापति: हो गया न, मदनजी, अब।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मेरा अधूरा रहा हुआ है, मुझे बैठाया गया है। मुझे कहा कि बाद में टाइम दिया जायेगा।

श्री सभापति: अधूरा क्या, आप पहले काफी बोल चुके हो, काफी विषयों पर।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): नहीं, नहीं, मैंने बोला ही नहीं, दो मिनट ही बोला। दो मिनट में ही बैठा दिया गया, फोटो सेशन के कारण।

श्री सभापति: चलिये, मंत्री महोदय, दो मिनट। चलिये, आप बोलिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मेरे को बैठाया इसी बात पर कि आपको वापस बुला देंगे।

श्री सभापति: चलिये, चलिये, बोलिये।

मांग संख्या 13, 42 व 43 पर विचार

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयासों से आने वाले समय में बाड़मेर की इतनी प्रगति होगी कि लोग दुबई को भूल जायेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री का कि लिग्नाइट हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, चाहे गैस हो, इन तमाम प्रकारों से जो बिजली का उत्पादन बाड़मेर और जैसलमेर में बढ़ा, इसकी वजह से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, आज बाड़मेर में चाहे कोयला हो, लाइमस्टोन हो, तेल हो, जिप्सम हो, ग्रेनाइट हो, गैस हो, तमाम जो आयें, यह बात सुनने को मिलती है कि रिफाइनरी तो बाड़मेर में लगनी ही थी, क्या बड़ी बात हो गयी? एक तरफ तो वह बात करते हैं; रिफाइनरी लगना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है, रिफाइनरी की वजह से पूरे राजस्थान के विकास की राह खुलेगी।

सभापति महोदय, बाड़मेर का कपड़ा उद्योग, 7 हजार करोड़ का

(श्री मदन प्रजापत)

टर्नओवर और लाखों मजदूर रोजगार पर लगे हुए हैं, लेकिन आज प्रदूषण की समस्या की वजह से हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके कारण से बालोतरा का कपड़ा उद्योग संकट में है। मेरा निवेदन है कि वही उद्योग जोधपुर में और पाली में है, हाई कोर्ट जो बालोतरा में कार्यवाही करे, जोधपुर और पाली समान हैं तो यह बालोतरा के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है?

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, यहां माननीय मंत्रीजी भी विराजमान हैं, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शहरों में स्थापित फैक्टरियां इंडस्ट्रियल एरिये में जायें और फोर्थ फेज के लिए 5-7 साल हो गये हैं, आबंटन की प्रक्रिया हो गयी, लेकिन वह आबंटन की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो रही है। यह किन कारणों से लेट हो रहा है? वहां तुरन्त फोर्थ फेज का आबंटन किया जाये ताकि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। जो भी इसके लिए दोषी अधिकारी हैं, जिनके कारण से यह लेट हो रहा है, इन पर कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानी और सड़क की व्यवस्था की जाये, उनके लिए लोन की भी व्यवस्था की जाये क्योंकि पचपदरा का पुराना नमक उद्योग बंद होने के कगार पर है। उसको भी बढ़ावा दिया जाये क्योंकि हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। यह भी उद्योग विभाग का ही उपक्रम है।

सभापति महोदय, बालोतरा में प्रदूषण की समस्या के निस्तारण के लिए मैं निवेदन करता हूं कि उनको 100 करोड़ का पैकेज दिया जाये ताकि बालोतरा उद्योग को राहत मिल सके और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बालोतरा में व्यापार के हितों को देखते हुए यह देंगे। अगर नहीं दिया जाता है, तो हाई कोर्ट के आदेश की तो हम पालना करते हैं लेकिन पाली और जोधपुर का पानी हमारे बालोतरा में आ रहा है और उससे कृषि की जमीन खराब हो रही है। बालोतरा के व्यापारियों ने कौनसा गुनाह कर दिया जो यह बालोतरा के लिए कार्यवाही हो रही है?

सभापति महोदय, ट्रीटमेंट प्लांट पहले सरकार के अधीन था, अब प्राइवेट सेक्टर में दिया है। उसको भी वापस सरकार के अधीन किया जाय। तब जिला कलक्टर, अध्यक्ष थे, उनके होने से प्रदूषण से राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि मिट्टी की कला एवं मिट्टी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए

(श्री मदन प्रजापत)

जैसलमेर जिले के पोकरण में मिट्टी कला से जुडे हुए कलाकारों के लिए कलस्टर स्थापित किया है। मैं मांग करता हूं कि मिट्टी कला से जुडी हुई कई कलाएं हैं, इसके लिए तुरन्त माटी कला बोर्ड का गठन किया जाये जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह सबसे पुरानी कला है, यह इससे जीवित रहेगी।

सभापति महोदय, अवैध खनन, चाहे जिप्सम हो, चाहे ग्रेनाइट हो, इनको रोकने के लिए पूरे प्रबंध किये जाना अत्यन्त जरूरी है। पहाड़ी क्षेत्र में मेसनरी स्टोन में चरागाह शब्द लिखा हुआ है, इसकी वजह से जो छोटे मेसनरी स्टोन हैं, जो उपयोग में आता है, उसमें से चरागाह शब्द हटाया जाये, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चरागाह नहीं हैं। वह पथरीली जमीन में भूल से जो दर्ज हो गया है, उसको हटाने से आम लोगों को रोजगार मिलेगा।

सभापति महोदय, रिफाइनरी को देखते हुए नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं। पचपदरा में नया रीको स्थापित करने का मामला प्रकाश में आया है। मेरा निवेदन है कि जहां आवास नहीं हैं, उस जमीन में अगर स्थापित किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हजारों बीघा जमीन है। मेरा आग्रह है कि उद्योग विभाग के नमक क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन सरकार के पास में है। वह कोई हजार, 2 हजार में नहीं, 40 हजार बीघा जमीन सरकार के पास में है। उसके पास में ही अगर काश्तकारों की जमीन ली जाती है, यह 50 हजार बीघा जमीन उद्योग विभाग की है तो उसमें कितने भी उद्योग लगें, किसी को कोई एतराज नहीं है। आने वाले समय में इन उद्योगों की वजह से जिले की प्रगति होगी।

सभापति महोदय, बुनकर और खादी उद्योग के लिए जो किया...

अंत में मैं एक बात कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। इतिहास गवाह है कि पहले दूध और घी की नदियां बहती थीं लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने काले अक्षरों में लिख दिया, दूध और घी की नदियां नहीं, शराब की नदियां बहायी गयीं। शराब की संस्कृति और शराब को बढ़ावा देकर राजस्थान की संस्कृति के साथ कुठाराघात किया गया। यह भी लिखा गया कि बेटे को एक गिलास दूध जरूर पिलाया जाये; जिनका बाप दारू पिये, उनका बेटा शायद एक गिलास क्या, आधा गिलास भी दूध नहीं पी सकता। इतने शो-रूम खोले गये, इनकी दुकानें खोली गयीं।

सभापति महोदय, एक बात आती है कि 8 बजे के बाद में दो नम्बर की दारू बिकती है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराजो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, एक बात, मैं पूरी करता हूं, सरकार के राजस्व को हानि हुई, हानि नहीं हुई, इसके आंकड़े गवाह हैं। यह कहा कि दो नम्बर की दारू 8 बजे के बाद बिकती है, आंकड़े गवाह हैं कि 8 बजे के बाद में, दुकानें कम करने के उपरांत भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी के सख्त रवैये के कारण और प्रशासन चलाने का जो तरीका है, उसके कारण जहां वर्ष 2003-04 में 1,163 करोड़ की आय और 1.82 प्रतिशत वृद्वि हुई थी, वहीं 2011-12 में 3,287 करोड़ की आय और 14.87 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। 2010-11 में 24 प्रतिशत बढ़ोतरी करके यह साबित कर दिया कि 8 बजे के बाद में दुकानें कम होने के बावजूद भी राजस्व आय में वृद्धि हुई। इन्होंने दो नम्बर का काम करके राजस्थान के राजस्व को घाटा पहुंचाया, चूना राजस्व को लगाया।

सभापति महोदय, मुकदमों के मामलों में 8,116 मुकदमे हुए 2007-08 में और 11,345 मुकदमे 2010-11 में दर्ज हुए।

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): गाड़ियों के मामले में 251 गाड़ियां 2007-08 में पकड़ी गयीं, 381 गाड़ियां; और दारू के मामले में 1 लाख 83 हजार 960 बोतलों की एवज में 2012-13 में 6 लाख 59 हजार पकड़ी गयीं।

श्री सभापति: अब आप विराजो। श्री गोपाल जोशी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मांग संख्या 13, 42 और 43 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। पहले मैं उद्योग के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अगर आपस में बातें करेंगे तो फिर इन माननीय सदस्य को सुनेगा कौन?

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): मेरे को कहा?

श्री सभापति: नहीं, आपके लिए ही कह रहा हूं। आपको कौन सुनेगा जब सब आपस में बातें करेंगे तो?

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): हां, मैंने देखा, क्या बात हो गयी।

पुरानी औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राहत में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि पुरानी जितनी भी रुग्ण या कमजोर आपकी इंडस्ट्रीज हैं, उनको निश्चित रूप से कोई न कोई राहत देनी चाहिए। जब तक राहत नहीं मिलेगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगी। दुनिया भर में आगे बढ़ गये हैं, दुनिया उन्नति कर गई है, बड़े-बड़े आविष्कार हो गए हैं, टेक्नोलाजी बदल गई है, इन सबको देखते हुए आपको कुछ पैसों की छूट देनी चाहिए, ब्याज में छूट देनी चाहिए और उत्पादन में जो नई तकनीक बनी है, वह तकनीक राजस्थान में लायी जानी चाहिए, इण्डिया में लायी जानी चाहिए। राजस्थान में, लोग इण्डिया में भी लायें तो भी अच्छा है लेकिन राजस्थान में अवश्य लायें। इस तरह से जब तक आप कोई राहत नहीं देंगे तब तक उद्योग-धन्धे कभी बढ़ नहीं सकते।

अगर यह सोचा जाये कि जितने कर लगाये जायें, उतने ही उद्योगों को हम और आगे बढ़ा देंगे, तो यह एक काउण्टर-प्रोडक्टिव होगा; कारण, ज्यादा कर लगाना काउण्टर-प्रोडक्टिव होता है। कभी-कभी आपको वापस कर हटाने पड़ते हैं। इससे अच्छा है, करों को बैलेंस करके फिर लगाने चाहिए।

सर्वांगीण विकास के लिए उद्यमिता विकास आवश्यक है। जब तक आप उद्योगों का विकास नहीं करेंगे, तब तक इस देश का और इस प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, उन सबका उत्पादन नहीं करेंगे, निश्चित रूप से इसका कोई न होगा।

एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि 15 अगस्त, 2008 को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह, जो बीकानेर में हुआ था, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी, श्रीमती वसुन्धरा राजे ने उद्योगों के विकास को गति देने के लिए पी पी पी मोड़ पर एक वूल डोमिनेटेड टैक्सटाइल पार्क की बीकानेर में स्थापना करने बाबत घोषणा की थी, लेकिन आज तक इसकी कोई क्रियान्विति नहीं हुई। इस बात का हमें बड़ा दु:ख है। यह वर्तमान सरकार जो पिछली सरकार ने अगर कोई काम शुरू कर दिया तो उसको ठप नहीं होने दे। यह तो सबका विकास है। अब भी जो भी कर रहे हैं, आप सबके विकास के लिए कर रहे हो; अपने लिए विकास करो तो आप जानो लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि आप अपने लिए कर रहे हैं। यह सबके लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने भी जो कुछ किया था, सबके लिए ही किया था, तो उसको भी आपको आगे बढ़ाना चाहिये।

(डा. गोपाल जोशी)

बीकानेर के अन्दर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मण्डी थी, वह आज रुग्ण अवस्था में है और समाप्त होने वाली है। इसके अन्दर, जो यहां से 75 प्रतिशत इण्डिया का बाहर जाता था, उसकी जगह पर न्यूजीलैण्ड और चाइना से अब आने लग गया है। बहुत हालत खराब हो गई है। लेकिन विगत चार वर्षों से लगातार मंदी एवं सरकारी तंत्र की बेरुखी के कारण ये उद्योग धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं।

बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें भूगर्भीय तेल निश्चित रूप से निकल रहा है लेकिन जितना ज्यादा और जल्दी से जल्दी निकालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, वरना आपकी कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जायेगी, आपको घाटा लगता जायेगा और जो मुनाफा अभी होने वाला है, वह बाद में नहीं होगा। ज्यों-ज्यों देर लगती जायेगी तो आपकी लेबर कास्ट ज्यादा बढ़ जायेगी और खोदने का खर्चा बढ़ जायेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका दोहन करना चाहिये।

एक बात मैं बीकानेर के बारे में और कहना चाहता हूं कि बीकानेर के अन्दर भुजिया, नमकीन, रसगुल्ले, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और बिकते भी खूब हैं। आपको यह अचम्भा होगा कि 'उल्टे बांस बरेली को', रसगुल्ले और भुजिया, रसगुल्ले खास तौर से बंगाल और आसाम को जाते हैं, जो बंगाल और आसाम रसगुल्लों का घर है, इसके बावजूद भी बीकानेर से जाते हैं क्योंकि वहां दूध ज्यादा होता है, गाय का दूध ज्यादा होता है। इसलिए पशु धन को भी सुरक्षित रखने और इस उद्योग, नमकीन उद्योग, रसगुल्ला उद्योग को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है ताकि वहां के लोगों को रोटी-रोजी मिल सके और भूख से तंग लोगों का किसी तरह भरण-पोषण आराम से किया जा सके।

गैस पाइपलाइन अगर डाल दी जाये बीकानेर सम्भाग में, जिप्सम, बाल क्ले, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, डोलामाइट, आदि खनिजों के वहां अटूट भण्डार होने के कारण वहां पर इन पर आधारित कई तरह की फैक्टरियां लग सकती हैं, उद्योग लग सकते हैं, लेकिन यदि वहां गैस पाइपलाइन मिल जाये तो उसमें और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है।

मैं एक बात और कहूंगा कि राजस्थान में वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में और कई दूसरे प्रांतों में भी इण्डस्ट्रियलिस्टों के लिए वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं, जो व्यापारियों के हितार्थ स्थापित किये गये हैं

(डा. गोपाल जोशी)

ताकि उनकी ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो। इस हेतु, व्यापारियों को जीवन सुरक्षा प्रदान करने हेतु वेलफेयर बोर्ड का गठन कई जगह पर है, यहां पर भी होना चाहिए।

बीकानेर के चारों और रिंग रोड बनाई जाये तो उद्योगों को इसका और फायदा हो सकता है। सीकर से बीकानेर तक फोर लेन रोड विथ डिवाइडर बिट्वीन रोड्स; दिल्ली और जयपुर, इन स्थानों को बीकानेर से जोड़ सकते हैं और इससे भी उद्योगों को फायदा हो सकता है।

एक बड़ी बात है, एक बड़ी खूबी यह है बीकानेर की कि बीकानेर जेल में दो लूम हैं, दरी, वगैरह बनाने के लिए, वहां पर पड़े हैं। बीकानेर की जेल में पड़े लूम कम से कम 54 फीट और 52 फीट के हैं। एक कहावत है कि एक दफा महाराजा गंगासिंह इंग्लैंड गये थे तो एक जगह वूल के कारपेट देखे और उन्होंने कारपेट देखने के बाद कहा कि यह बहुत अच्छा है, इसको हम ले चलते हैं। उसको यहां बीकानेर में लेकर आये और लोगों को दिखाया, दिखाकर कहा कि यह ऐसा अपने यहां क्यों नहीं बन सकता? लेकिन जब उसे पीछे उलट कर देखा तो उस पर जो लेबल लगा हुआ था, बीकानेर जेल का लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यह तो बीकानेर जेल के कारीगरों ने बनाया है, यह वहां इंग्लैंड का नहीं है। वे बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे यहां इस तरह के वूल कारपेट बन सकते हैं, तो फिर और चाहिये ही क्या!

वह लूम यहां से चला गया; आपके तत्कालीन डी जी 2008 के आदेश के द्वारा जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के अन्दर भेज दिया गया। इससे रोजगार में विराम आया हुआ है, बीकानेर की जेल में। वहां एक लूम और है लेकिन वह बेकार पड़ा है, खराब हो गया है। उसको ठीक नहीं करवा रहे हैं। उसको भी ठीक करायें और जो लूम चला गया है, उसको वापस लायें। अभी जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में प्रदर्शनी हेतु रखा हुआ है। गौरतलब है, अगर यह लूम बीकानेर लाया जाये तो इससे कैदियों के रोजगार एवं इसके रखरखाव का खर्चा एवं सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा और रा मैटेरियल वहां पर उपलब्ध है, इसलिए यह वहां पर भेज दिया जाये।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा पोलीसिलिकोन मैन्यूफेक्चरिंग इण्डस्ट्री के बारे में जो नागपुर चली गई थी, लेकिन वहां के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने इसको बढ़ावा नहीं दिया। इस कारण से बीकानेर के अन्दर प्रपोजल

(डा. गोपाल जोशी)

आया और बीकानेर के अन्दर जो तत्कालीन कलक्टर थीं, उन्होंने इस बात पर बिजली, पानी और ऐसी जगह जहां पर जमीन भी बहुत हो, वह उनको आफर की और बाद में इसको तय भी किया। इसके अन्दर एम ओ यू साइन भी हो गया, यहां के चीफ मिनिस्टर साहब के प्रपोजल के अन्दर साइन किए हुए हैं लेकिन अभी तक इसको कोई बढ़ावा नहीं मिला। अगर यह पोलीसिलिकोन मैन्यूफेक्चरिंग इण्डस्ट्री यहां लग जाती है तो कम से कम 70 से 80 हजार लोगों को इसमें रोजगार की मदद मिल सकती है।

इस तरह से, सभी लोगों पर ध्यान देकर, बिजली, पानी और जमीन राजस्थान के अन्दर बहुतायत से है और उस जगह पर ऐसे उद्योग जो दूसरी जगह पर नहीं लग सकते हैं, यहां लगाये जायें तो बहुत अच्छा रहेगा।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): दो मिनट हम लोगों को भी मिल जाते तो हम लोग भी अपने क्षेत्र की बात को यहां पर रख देते। क्या हो जाता?

श्री सभापति: अब माननीय सदस्य खूब बोल लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इतना सदन का समय वेस्ट होता है, अगर हम भी बोल लेते...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पांच मिनट बुलवा दो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अगर हम हमारे क्षेत्र की बात रख देते...

श्री सभापति: अब आप विराजें, माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पांच मिनट बुलवा दो, पांच मिनट।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पांच मिनट बोल लें, माननीय सभापति महोदय।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक मिनट बुलवा लीजिये आप, एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट में आप क्या बोलेंगी?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बुलवा लीजिये, कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैंने गत सत्र में मेरा संकल्प यहां पर रखा था, मुझे लगता है, अगर मेरा संकल्प यहां पारित किया जाता तो आज यह जो शराब के बारे में आबकारी विभाग को इतना सुनना पड़ रहा है, शायद उसके लिए धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं समझती हूं कि शराब पर रोक नहीं लग पायेगी लेकिन फिर भी मेरा आपसे, सरकार से निवेदन है कि कम से कम करवा चौथ, रक्षा बंधन, महिला दिवस, रामदेव जयन्ती, अम्बेडकर जयन्ती, ईद, बुध जयन्ती, दीपावली, भैया दूज पर ड्राई-डे तो घोषित कर दें। यह मेरा पर्सनल सरकार से निवेदन है। क्योंकि मुझे मालूम है कि सरकार की शराब पर, आबकारी विभाग की मंशा नहीं है कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, अगर आप, दस मिनट में मेरी बात रख दूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह बात इसलिए मैंने रखी कि दीपावली के समय...

श्री सभापति: आ गई आपकी मेन बात, आपने अच्छी बात बोल दी, जो आपको बोलना था न। बहुत बोल दिया अब। बात महिलाओं की नहीं, आपने बोल दी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी की इच्छा है कि मैं बोलूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्री तो चालीस, तीस हैं और उनकी इच्छा से सदन नहीं चलता है। क्या हैं, मंत्रीजी? तीस हैं। तीस हैं मंत्री यहां।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आपको प्राब्लम है तो मैं बैठ जाती हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये आसन की व्यवस्था है, जो चलती आई है। उसी प्रक्रिया से चलेगी। कोई मंत्री को अधिकार नहीं है कि किसी सदस्य को अलाउ कर दे वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपको भी अधिकार नहीं है। (व्यवधान) आपको भी अधिकार नहीं है, आसन को प्रताड़ित करने का। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मुख्य सचेतक महोदय, यह हमारा अधिकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन को प्रताड़ित कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हमारा अधिकार कोई नहीं ले सकता। यह हमारा अधिकार है, बोलना सदन में। हमारी आवाज को दबा सकते हो क्या? (व्यवधान) यह हमारा अधिकार है। क्या हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं आप? (व्यवधान) नहीं, मेरे बोलने से सदन को क्या प्राब्लम है?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मंत्री सदन चलाएंगे क्या? आप उसमें व्यवस्था करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नहीं, ऐसा मैं क्या बोल रही हूं कि सदन मेरी बात ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कौन होते हैं सदन चलाने वाले?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आपको हमें को-आपरेट करना चाहिए, महिलाओं को कि महिलाएं अपनी बात रख रही हैं।

श्री सभापति: आप विराजो। प्रोफेसर साहब, विराजो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): महिलाओं का सम्मान किया जाता है, महिलाओं का सम्मान होता है।

श्री सभापति: विराजो, विराजो। श्री राजेन्द्र पारीक, मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह सदन प्रक्रिया से चलता है।

श्री सभापति: तो दे रहे हैं जवाब। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये सरकारी सचेतक सही कह रहे हैं, सदन प्रक्रिया से चलता है; मंत्रियों से थोड़े ही चलेगा सदन।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन प्रक्रियाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा। (व्यवधान) सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, आप उनसे ज्यादा क्यों ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हम लोगों को भी पसंद नहीं है, हम भी अनुशासन में चलने वाले हैं।

श्री सभापति: आपकी बात मैंने रखवा दी। प्रोफेसर साहब, विराज जाओ।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं यह कह रहा हूं, अब आप भी विराजो, ये एम एल एज को सचेत करने के लिए हैं केवल।

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वे सचेतक हैं, वे सरकार हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ऐसे नहीं बोल सकता है कोई।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सत्ता, सम्मान सरकार के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ऐसा नहीं बोल सकता।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): चाहे जो बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ऐसे नहीं बोल सकता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: किस चीज का?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गोपालजी जोशी को आपने बुलवाया और उस कालीन का उन्होंने पता बता दिया कि बीकानेर से चला गया कालीन।

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब सुनने दो न मंत्रीजी को।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपने साढ़े 6 बजे तक की व्यवस्था दी थी, 10-5 मिनट ऊपर हुए और मुझे यूं लगा कि इसका मैं ही दोषी हूं। सभी माननीय सदस्य इस सदन में आते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। सदन मंत्रियों के इशारे पर या उनकी मर्जी से नहीं चलेगा। यह सदन प्रक्रिया से चलेगा और ये बार-बार जस्टिफाई कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते जस्टिफाई। मेरा नोट आफ डिस्सेंट है इस मामले में। गलत बात है यह।

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता पक्ष के सचेतक हैं ये, सारा सदन आपके साथ लेकर चलेंगे?

श्री सभापति: आप तो विराजो, आप विराजो। प्रोफेसर साहब, विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इनको क्या पावर हैं? चाहे जो ही बोल देते हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मंत्री को तो मत धमकाओ। मंत्री को तो मत धमकाओ। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सत्ता पावर यह बता दें हमें, अध्यक्ष के क्या पावर हैं?

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप सीधा-सीधा ही बोलो। (व्यवधान) मैंने दोनों की, सदन की पीड़ा को समझ कर ही मंत्रीजी को कहा है कि अब आप ... (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): तो पीड़ा को शांत तो करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मेरे खड़े होने पर ही कोई ग्रहण लगता है क्या? पिछली बार भी जब मैं खड़ा हुआ, तब यही विवाद खड़ा हुआ था; आज जब मैं फिर खड़ा हुआ हूं तो फिर वही विवाद हुआ है। मैं इसे उचित नहीं मानता, माननीय सभापति महोदय, और न मैं यहां पर कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो अपनी जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी है मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय मुख्य सचेतक महोदय, मुझे अपनी सीमाओं का ज्यादा ज्ञान मत दिलवाइए आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप अपनी सीमाओं में ही रहो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं तो सीमाओं में ही हूं और आपको भी आगाह करता हूं, मुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान मत दिलवाइए आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन चलाने की जिम्मेदारी आपको नहीं दी है मुख्य मंत्रीजी ने। ये हमेशा ठीक नहीं है। पिछली बार भी बायकाट हुआ था।

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप भी अपनी सीमाएं तय कर लें।

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप राजस्थान सरकार के मंत्री हो...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मुझे पता है इस बात का।

श्री सभापति: और आप पार्टी के मुख्य सचेतक हो, आप बीच-बीच में कैसे उलझ रहे हो?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मुझे इस बात का भी पता है कि आप सभापति हो।

श्री सभापति: आप बोलो न, आप बोलो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अकारण ही विवाद पैदा किया जा रहा है।

श्री सभापति: आप इस बात पर जाओ ही मत।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): टेबल कर दूं, बोलने में ज्यादा असुविधा हो रही है तो? झगड़ा खतम करता हूं। यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो बोलो न इसके ऊपर।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इनका यह दायित्व बनता है कि सबको लेकर चलें और...(व्यवधान) इस तरह की बात करते हैं। मंत्रियों का अपमान हो, चाहे एम एल ए का हो ...(व्यवधान) आपका भी दायित्व बनता है कि सबको लेकर चलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये अधिकार है उनका, ये अधिकार है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): जो माननीय होता है, उसका दायित्व बनता है...(व्यवधान) सभी जानते हैं कानून। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा अब। केवल मंत्रीजी के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: आप शांत तो रहो कम से कम। आप तो विराजो। (व्यवधान) आपकी कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है, माननीय सदस्य। आप हर चीज के ऊपर कितनी बार आप बोलते हो। आपको मैंने कितनी बार निवेदन किया, बार-बार मत उठा करो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: नहीं, पर वह तो एक-एक मिनट में खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) विराजो, माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाइए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: आप वरिष्ठ सदस्य हो...(व्यवधान) विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): विराजो, माननीय सदस्यों, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, अब आप बोलो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण मांगें, उद्योग, आबकारी, खनिज, तीनों की, ऐसे विषय हैं जिनमें राज्य सरकार की रेवेन्यू में भी इजाफा होता है और राज्य सरकार के विकास की जो परिकल्पना है वह भी प्रकट होती है। माननीय सभापति महोदय, सभी महानुभावों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये और खास तौर से उद्योग के सम्बन्ध में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित

(श्री राजेन्द्र पारीक)

करना, पर्यावरण के बारे में, आधारभूत संरचना का विकास करने के बारे में, निवेश के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। मैं उन सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

जिस तरह की अभिव्यक्तियां सभी सदस्य महानुभावों ने दीं, खास तौर से तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े उद्वेलित थे कि राजस्थान का विकास पूर्व के बजाय कहीं अवरुद्ध हुआ और यह भी दर्शाने की कोशिश की गई कि हमारे यहां की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और निवेशक यहां आने, करने में हिचकिचाता है; हमने जो योजनाएं लागू कीं, सिंगल विंडो के रूप में, उन योजनाओं का लाभ भी राज्य सरकार को, राजस्थान को नहीं मिला।

(19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, किसी भी स्टेट की एक जनरल इमेज जो होती है, उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। हम इधर बैठे हैं या वे उधर बैठे हैं, इन सब बातों से ऊपर उठकर के हमको समग्र रूप से इस अवधारणा को धारित करना होगा कि राजस्थान हमारा प्रदेश है, यहां विकास की प्रबल सम्भावनाएं हैं; यहां विकास किस काल-खंड में हुआ, यह विषय नहीं है, यहां विकास हो, हमारी प्राथमिकता यह है।

मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि हम सभी पक्ष-प्रतिपक्ष में बैठते हैं लेकिन हमें अपने आपको राजस्थान के विकास के लिए ब्रांड एम्बेसेडर मानना पड़ेगा। हमें आम आदमी के दिल में, चाहे हम असम जाकर बात करें, चाहे कोलकत्ता जाकर बात करें, चाहे तमिलनाडु जाकर बात करें, चाहे और कहीं जाकर बात करें, वहां जाकर हमको यह कहना होगा कि राजस्थान वह प्रदेश है जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ है, राजस्थान वह प्रदेश है जहां पावर जनरेशन में हम सरप्लस होने की ओर अग्रसर हैं; राजस्थान वह प्रदेश है जहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। यह अवधारणा, माननीय सभापति महोदय, एक दिन में नहीं बनती।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की पीड़ा थी कि हमारे जो पूर्वज थे, वे साधारण से परिवेश में तौलिया लेकर गये और वहां जाकर विकास किया। निश्चित रूप से वह समय वैसा ही था, लेकिन वहां जाकर उन्होंने अपनी एक्सीलेंस को प्रूव किया; वहां जाकर उन्होंने अपनी स्किल को प्रूव किया; वहां जाकर उन्होंने यह साबित किया कि हम में कार्य की दक्षता है; हम

(श्री राजेन्द्र पारीक)

विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपना व्यापार कर सकते हैं; हम नया सृजन कर सकते हैं। आज जब राजस्थान उनकी ओर अपेक्षित नजरों से देख रहा है तो वे यहां क्यों नहीं आयें?

इस बात के लिए, माननीय सभापति महोदय, मैं छोटी सी कल अख़बार की दो-तीन लाइनें पढ़ रहा था, माननीय वसुंधराजी का आसाम में दौरा था, वहां उन्होंने फरमाया कि परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो गईं, आम आदमी सुरक्षित नहीं हैं, किस तरह से निवेश होगा, यह मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। यह बात वहां कहने की नहीं है, हम यहां अपने इस घर में बैठकर चर्चा करें। बाहर जब कभी भी हम जाते हैं तो हम राजस्थान स्टेट के नागरिक बनकर जाते हैं, हम इंडिविजुअल किसी पार्टी के प्रतिनिधि बनकर नहीं जाते हैं। वहां जाकर आपको यह बात कहनी पड़ेगी कि राजस्थान पूरी सम्भावनाओं के साथ आपका इंतजार कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह काल खंड है; एक निश्चित समय होता है; सामाजिक ताना-बाना किस तरह से बुना जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां हमारी क्या कहती हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां, यहां सरफेस वाटर का अभाव, ये सारी चीजें हैं लेकिन इन बातों के बावजूद भी राजस्थान में जो भी सरकारें आईं, उन्होंने कमिटमेंट के साथ अपने आपको आगे बढ़ाया। वह आगे बढ़ने का ही एक मात्र कारण है कि राजस्थान आज के 40 वर्ष पहले जहां था, उस श्रेणी से निकलकर राजस्थान आज जिस जगह स्थापित हुआ है, उसका आप आकलन करिये, उसकी रेवेन्यू की ग्रोथ देखिये, उसके विकास की जो अवधारणाएं हमने स्थापित की हैं उनको आप देखिये। हम गुजरात से तुलना नहीं कर सकते, गुजरात पहले से ही विकसित प्रदेशों में है। गुजरात में सरफेस वाटर का प्रबल बाहुल्य है; वहां पर जिस तरह से पोर्ट की सुविधा है वह वहां पर है; उसके पास में एक बड़ा मार्केट उपलब्ध है; रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स उनके पास में है। इन सब के बावजूद, भले ही हमारे पास में तटीय ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी लेकिन इन सब के बावजूद भी, जिस तरह से भले धीमी गति से हुआ हो लेकिन राजस्थान का विकास, आज निश्चित रूप से उस सीमा से अपने आपको आगे लाने में कायम हुआ है।

यह केवल अकेला व्यक्ति नहीं कह रहा है, जो जो भी हमारे पास में रिपोर्टस आई हैं, वे कह रही हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां, फिक्की और ये सारी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

संस्थाएं हैं, समय-समय पर ये भी इस बात का सर्वे कराती हैं और सर्वे में भी, माननीय सभापति महोदय, यह सामने आया है कि एम्पावरिंग इंडिया, रिडिजाइनिंग आफ जी टू बी, यह फिक्की ने बैन एण्ड कम्पनी से एक सर्वे करवाया, उसमें उन्होंने राजस्थान को उत्तरी भारत का एक मात्र ऐसा राज्य बताया है जो उन 9 राज्यों, यानी गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के समूह में शामिल है जिनका भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं औद्योगिक उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान है। इन 9 राज्यों में राजस्थान को सिंगल विण्डो क्लीयरेंस मेकेनिज्म, आन-लाइन उद्योग सम्बन्धित सूचना, ऊर्जा की उपलब्धता एवं सरलीकृत वैट प्रणाली के आधार पर श्रेष्ठ राज्यों में आंका गया है। राजस्थान आन-लाइन प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन हेतु प्रक्रिया सुधारो, जैसे ई-स्टाम्पिंग, जिले में कहीं भी पंजीयन, आदि को लागू करने वाले प्रथम राज्यों में से एक है। इन 9 राज्यों में राजस्थान का पीक पावर डेफिसिट वर्ष 2009-10 शून्य रहा है। कुशमैन एवं वेबफील्ड इकोनोमिक टाइम्स द्वारा 19.10.2012 के अनुसार जयपुर की पहचान भविष्य के शीर्ष 10 व्यावसायिक गन्तव्य स्थानों में से है। 'एसोचेम' की जो रिपोर्ट आई, रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से जयपुर को टू-टीयर नगरों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है।

ये सारी रिपोर्ट, माननीय सभापति महोदय, किसी के कहने से नहीं आती। एक सर्वे होता है, एक आकलन होता है और आकलन का भी एक आधार होता है। खास तौर से रीको की भूमिका जिस तरह से रही, उसका परिणाम रहा कि हमने लगातार जो आयाम स्थापित किए; माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि रीको के प्रयत्नों से जिस तरह से जेसीबी इंडिया, सेंट गोबिन, कल्याणी, वेलस्पन, श्री सीमेंट, वंडर सीमेंट, मंगलम सीमेंट, हीरो मोटोकार्प, केडिला फार्मास्यूटिकल, सुजलान एनर्जी, चम्बल फर्टिलाइजर, पटोरीजन पावर, श्रीराम, पिट्सन एण्ड रिक्स, आइनेक्स, एयर प्रोडक्ट्स, लाफार्ज, बाश, रामको, आयशर, पालरिश, ये सारे वे समूह हैं जो अपने आप में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के मानकों पर हैं, अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियां हैं जिन्होंने राजस्थान में निवेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा सिंगल विण्डो क्लीयरेंस एक्ट जो बनाया है, सिंगल विण्डो एक अवधारणा है, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस अवधारणा को सब लोग जानते हैं कि सिंगल

(श्री राजेन्द्र पारीक)

विण्डो एक मेकेनिज्म है लेकिन अब तक यह मेकेनिज्म एक पेपर मात्र था, हमने इसको कानूनी जामा पहनाया, हमने इसमें कुछ ऐसी अर्हताएं पैदा कीं जिससे अधिकारी भी इस बात को महसूस करें कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसको पूरा करना है; टाइम बाउंड फ्रेम में इसको लागू किया। उसका परिणाम रहा, जिस तरह से स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से हमारे प्रोजेक्ट्स क्लीयर हुए, यह उसी का परिणाम है कि 52,918.50 करोड़ रुपये स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से प्रस्तावित हुए, जिनको कैबिनेट ने, 42,216.4 करोड़ रुपये को उन्होंने अनुमोदित कर दिया, जो बहुत जल्द ही निवेश के रूप में हमारे सामने होंगे।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य और कई अन्य माननीय सदस्यों की यह बड़ी पीड़ा थी, मेरे पीछे से माननीय सदस्यों ने भी कहा, उनको मैं देख नहीं पाया, उनकी भी यह बात थी कि रीको जो जमीन लेती है उन जमीनों में औने-पौने दामों में रीको जमीन ले लेती है, वहां के काश्तकार बेरोजगार हो जाते हैं, वहां पोल्यूशन पैदा होता है। माननीय सभापति महोदय, इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया गया। हम विकास चाहते हैं लेकिन विकास प्रदूषण की कास्ट पर नहीं चाहते, हमारा जो विकास हो, वह पर्यावरण प्रदूषित करके हम विकास नहीं चाहते, लेकिन जो मुआवजा दिया गया, खास तौर से इन पिछले 5-7 सालों का यदि आकलन करें तो आपको देखकर ताज्जुब होगा कि 2007 में जहां 15 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा था, वह बढ़कर 45 लाख रुपये हो गया। माननीय सभापति महोदय, रीको भी हमारी संस्था है; माननीय मुख्य मंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश थे कि हम विकास करेंगे लेकिन विकास करने के साथ-साथ हम वहां का जो किसान है उनकी सुविधाओं का भी हम ध्यान रखेंगे; वहां का जो आम नागरिक है उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें तुम्हारी अपनी भागीदारी है। हमने यह भी कोशिश की कि जो भी निवेशक वहां पर आयेगा, वह वहां पर आई.टी. के माध्यम से या और कोई ऐसा मेकेनिज्म पैदा करेगा कि वहां का जो भी, शिक्षित वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, वह वहीं पर ट्रेंड हो और उन्हीं फैक्टरियों में वह रोजगार प्राप्त करे।

माननीय सभापति महोदय, ये सारी अवधारणाएं एक पूरे विजन के

(श्री राजेन्द्र पारीक)

साथ बनती हैं, इस विजन के साथ बनती हैं कि जब तक राजस्थान में ये समग्र विकास की अवधारणाएं पैदा नहीं होंगी, जब तक हम पावर में सरप्लस नहीं होंगे, जब तक हम इस पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बाहर का निवेशक वहां पर नहीं आयेगा। निवेश कोई चैरिटी नहीं है कि हमने किसी को कहा और उसने निवेश कर दिया। निवेश सम्भावनाएं तलाशता है, निवेश अपना नफा-नुकसान देखता है और जब भी आता है, अपनी मेरिट्स पर आता है। जिस प्रकार से डी एम आई सी का प्रोजेक्ट 39 प्रतिशत राजस्थान से होकर गुजरेगा, उसका बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो 39 प्रतिशत एरिया हमारे यहां से होकर गुजरेगा, रेलवे फ्रैट कोरिडोर, उसके दोनों ओर 150-150 किलोमीटर में यह डी एम आई सी का प्रोजेक्ट लागू होगा। संयोग से भारत सरकार में जो उद्योग मंत्री बने हैं, आनन्द शर्माजी, उन्होंने पहली बार भारत में जो नेशनल मैन्युफेक्चरिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट जोन की घोषणा की, उसमें राजस्थान को शामिल किया और खुशखेड़ा-नीमराणा-भिवाड़ी और जोधपुर-पाली-मारवाड़, ये दो जोन उन्होंने स्थापित किये। हमने डी एम आई सी में जमीनें चिह्नित कर लीं और बहुत जल्द समय में इसमें निवेश की जिस तरह की सम्भावनाएं बनेंगी, वह हमारे सामने होगा।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि रीको भी एक कम्पनी है और कम्पनी की जिस तरह से सामाजिक सरोकारों की स्थिति बनती है, निश्चित रूप से रीको मैनेजमेंट ने यह महसूस किया कि हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे आम आदमी से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनको लाभ हो। मैं आप लोगों को बहुत खुशी से यह जानकारी देना चाहूंगा कि रीको के माध्यम से पांच करोड़ रुपया एस एम एस अस्पताल, जयपुर में वहां पर डवलपमेंट के लिए विभिन्न कार्यों में, जैसा भी वे मुनासिब समझेंगे, मैं वहां लगाने की घोषणा करता हूं; दो करोड़ रुपये सीकर, चूंकि वह एक ऐसी जगह स्थापित है जहां आये-दिन बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, वहां लगाने की मैं घोषणा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, खान विभाग, निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिस पर तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कुछ बातें कहीं, मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी को

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जब इस बात का पता लगा, खास तौर से यह बात जब उठी, बड़ा कोटेचा में 87 प्लाट थे और 87 आवेदक थे, 2009 में उन्होंने अपना आवेदन किया था, एक हैक्टेयर के उन्होंने आवेदन किये थे, उन्होंने इस बात की शिथिलता चाही और वह भी इसलिए कि मण्डोर स्टोन पार्क राजस्थान का एक मात्र स्टोन पार्क है जहां मूल्य संवर्द्धन की सम्भावनाएं बलवती हैं और किसी भी स्टोन पार्क का फोकस इसी बात पर होता है कि वहां जो प्रोडक्ट हमारे पास में है, उसका मूल्य संवर्द्धन वहीं पर हो। वहां जो प्लाट्स आबंटित करने की प्रक्रिया थी, उससे पहले इस बात को देखा गया कि वे कितने लोग हैं जो इस स्टोन पार्क का जो हमारा एरिया है, उसमें रजिस्टर्ड हैं या उनमें जिनकी यूनिट्स हैं। उनमें 37 लोग ऐसे पाये गये जिनके लिए आबंटन की प्रक्रिया की गई और उसमें कैबिनेट के माध्यम से शिथिलता दी गई। माननीय सभापति महोदय, एक हैक्टेयर मिनिमम और पांच हैक्टेयर मैक्सिमम। हमने पांच हैक्टेयर नहीं की। लाभ देने की मंशा नहीं थी; लाभ देने की मंशा होती तो कैबिनेट के अधिकार में यह था, 65 में, वह लाभ देने के लिए एक व्यक्ति को पांच हैक्टेयर की जमीन दे दें। हमने उन लोगों को भी उस लिस्ट से आउट किया, जिनके एक जगह दो फार्म थे या दो कम्पनियां एक ही नाम से थीं, हमने उनको भी आउट किया। इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब जोधपुर दौरे पर गये और वहां कुछ उन लोगों ने जब इस बात का विरोध प्रदर्शन किया कि हमारा भी उसमें फार्म भरा हुआ था, हमको उसमें शामिल नहीं किया गया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को उस वक्त जानकारी नहीं थी कि इनको क्यों नहीं शामिल किया गया। जब अधिकारियों से इस बात की जानकारी मांगी गई तो यह स्पष्ट हुआ कि इनकी यूनिट्स स्टोन पार्क में नहीं हैं। उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिसम्बर में ही ये निर्देश जारी कर दिये थे कि पूरी प्रक्रिया को जो कैबिनेट ने एप्रूव की है, इसको रोक दें। न सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो आपने रद्द कर दी?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): रोक दी; उस पर रोक लगी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, रद्द करने की घोषणा करो ना। राजस्थान में सारी बात स्पष्ट हो जायेगी। आपने जो बंदरबांट की, उसको रद्द करने की घोषणा कर दो। खतम हुई बात। ना कमेटी की जरूरत और ना किसी और चीज की जरूरत।

श्री सभापति: आप माननीय मंत्रीजी की बात तो सुन लो। (व्यवधान) आप सुन तो लो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैंने एक बात कही ना, न सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अभी प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आगे बढ़कर निर्देश जारी किये...

श्री सभापति: आप एक मिनट बात तो सुनने दो ना। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...कोई खानें नहीं हैं क्या? उनके नाम से पहले खानें अलाट हैं, फिर दूसरी खान देने की जरूरत क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप पूरी बात को तो आने दो। आप विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): खान और किसी के नाम पर दे दी। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उनके नाम से माइनिंग चल रही है, (व्यवधान) उनके नाम से पहले माइनिंग चल रही...

श्री सभापति: विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक यूनिट को दो बार आबंटन हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप तो खान को निरस्त की घोषणा कर दो। (व्यवधान) न कमेटी बनेगी और ना इन्क्वायरी होगी।

श्री सभापति: विराजो, विराजो। अब आप विराजो। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अब हो गया, काफी हो गया। विराजो आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ×××

श्री सभापति: डाक्टर साहब, विराजिये। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप सुनने तो दो ना पूरी बात को। बात पूरी नहीं, उससे पहले तो खड़े हो गये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री सभापति: आप पूरे वक्तव्य को नहीं सुनना चाहते? आप विराजो तो सही एक मिनट। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। इस आसन की गरिमा तो रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप अपने सदस्यों को बैठाइये। (व्यवधान) सचेतक महोदय, आप अपने सदस्यों को बैठाइये। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ×××

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी। मंत्रीजी। (व्यवधान) मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उद्योग विभाग की, खनिज विभाग की और आबकारी विभाग की मांगें पारित कराई जायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप यहां खड़े रहोगे, उससे नहीं चलेगा काम। आप विराजो वहां पर। (व्यवधान) तो बोलने तो दो उनको पहले आप। आप बोलने ही नहीं दे रहे उनको। (व्यवधान) मंत्रीजी। आप नहीं चाहते हो सुनना? आप नहीं सुनना चाहते? उनका वक्तव्य नहीं सुनना चाहते? वे जो बोल रहे हैं, आप नहीं सुनना चाहते? मंत्रीजी। (व्यवधान)

मांग संख्या 13 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,85,22,000/- (अठासी करोड़ पिच्यासी लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42–उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,38,96,88,000/- (एक अरब अड़तीस करोड़ छियानवे लाख अठासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43–खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री सभापति)

2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,05,63,89,000/- (एक अरब पांच करोड़ तिरेसठ लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुदान की शेष मांगें मुख बंद का प्रयोग की जाकर पारित की जायेंगी।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,67,71,000/- (छियालीस करोड़ सड़सठ लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2–मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2–मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,88,95,000/- (ग्यारह करोड़ अठासी लाख पचानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3–सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,46,10,59,000/- (दो अरब छियालीस करोड़ दस लाख उनसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 4–जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,60,14,21,000/- (तीन अरब साठ करोड़ चौदह लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,19,80,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ उन्नीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,57,46,09,000/- (चार अरब सत्तावन करोड़ छियालीस लाख नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7–निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,37,42,000/- (एक अरब सात करोड़ सैंतीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10–विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,51,41,89,000/- (दो अरब इक्यावन करोड़ इकतालीस लाख नवासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,57,32,000/- (इकहत्तर करोड़ सत्तावन लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12–अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12–अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,19,22,87,000/- (दो अरब उन्नीस करोड़ बाइस लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,73,23,05,000/- (दो अरब तिहत्तर करोड़ तेइस लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,50,15,37,000/- (अठहत्तर अरब पचास करोड़ पन्द्रह लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18–जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18–जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,86,70,000/- (बयालीस करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,90,93,57,000/- (ग्यारह अरब नब्बे करोड़ तिरानवे लाख सत्तावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20–आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20–आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,71,78,000/- (अठासी करोड़ इकहत्तर लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,01,24,54,000/- (बत्तीस अरब एक करोड़ चौइस लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22–क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,23,93,22,000/- (चार अरब तेइस करोड़ तिरानवे लाख बाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,31,13,11,000/- (तीन अरब इकतीस करोड़ तेरह लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25–कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,53,93,12,000/- (चार अरब तिरेपन करोड़ तिरानवे लाख बारह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,13,96,55,000/- (बयालीस अरब तेरह करोड़ छियानवे लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,20,86,24,000/- (पचास अरब बीस करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,54,74,81,000/- (चार अरब चौवन करोड़ चौहत्तर लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,79,28,37,000/- (उनतीस अरब उनयासी करोड़ अट्ठाइस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,03,25,85,000/- (चौदह अरब तीन करोड़ पच्चीस लाख पचासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,51,86,000/- (एक अरब बाइस करोड़ इक्यावन लाख छियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,20,87,24,000/- (तीन अरब बीस करोड़ सतासी लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,48,43,91,000/- (एक अरब अड़तालीस करोड़ तियालीस लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,16,000/- (एक करोड़ सत्ताइस लाख सोलह हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,95,90,05,000/- (इकतीस अरब पचानवे करोड़ नब्बे लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,35,33,000/- (अट्ठाइस करोड़ पैंतीस लाख तैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,06,43,000/- (चौवन करोड़ छह लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 124,99,23,60,000/- (एक सौ चौइस अरब निन्यानवे करोड़ तेइस लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,75,80,76,000/- (तीन अरब पचहत्तर करोड़ अस्सी लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले

(श्री सभापति)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,53,36,24,000/- (पैंतालीस अरब तिरेपन करोड़ छत्तीस लाख चौइस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आबकारी, खनिज और उद्योग विभाग मांग से सम्बन्धित दस्तावेज टेबल करता हूं।

श्री सभापति: अनुमति दी जाती है।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 । श्री शांतीकुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.37 बजे शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में प्रगति प्रसार अधिकारियों के रिक्त पद

397. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पे माइनस पेंशन के आधार पर लगाये गये थे, जिन्हें 31 मार्च, 2012 के पश्चात् हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पुन: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिक्त पदों पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की सभी पंचायत समितियों में प्रगति प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग से वर्ष 2010-11 में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में रिक्त पदों पर दिनांक 31.3.2011 तक सेवानिवृत हो रहे अधिकारियो/कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति हेतु सहमति प्राप्त हुई थी। वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिये जाने के कारण पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

(2) जी नहीं। वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिये जाने के कारण पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

(3) जी हां। वित्त विभाग से वर्ष 2010-11 में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में रिक्त पदों पर दिनांक 31.3.2011 तक सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को पुर्नियुक्ति हेतु सहमति प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन में प्रगति प्रसार अधिकारी के पद पर सेवानिवृत कार्मिक पुनर्नियुक्त है। वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिये जाने के कारण पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बामनवास के क्रमोन्नत स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

403. श्री नवल किशोर (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक कितने नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र किस-किस स्थान पर खोले गये? तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एवं कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया? स्थानवार एवं तहसीलवार उक्त विधान सभा क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2012 तक 5 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं तहसीलवार नामों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि में एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम सुकार तहसील बामनवास में स्वीकृत किया गया है।

बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(3) बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि में स्वीकृत किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जी हां। महिला स्वास्थ्य दर्शिका का पद पदोन्नति का है, जिसे भरने

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिनांक 01.03.2013 से आनलाइन आवेदन चाहे गये हैं।

वार्डबाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट–अ

बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2012 तक 5 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं तहसीलवार नामों का विवरण निम्न प्रकार है

तहसील का नाम	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वीकृति वर्ष
बामनवास	नानणवास	2012-13
बौंली	नानतोडी	2012-13
बौंली	मोरण	2012-13
बौंली	पुरापनेसिंह	2012-13
बौंली	जटावती	2012-13

परिशिष्ट-ब

बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि में स्वीकृत किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकार	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	1
		लैब टेक्नीशियन	1	1	-
		वार्डबाय	2	-	2
		सफाई कर्मचारी	1	--	1
2.	उप स्वास्थ्य केन्द्र नानणवास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	1
3.	उप स्वास्थ्य केन्द्र नानतोडी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	1
4.	उप स्वास्थ्य केन्द्र मोरण	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	1
5.	उप स्वास्थ्य केन्द्र पुरापनेसिंह	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	1
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र जटावती	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	1

रायपुर उपखण्ड मुख्यालय (भीलवाड़ा) पर महाविद्यालय की स्थापना

404. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नये महाविद्यालय खोले जाने के क्या-क्या मानदण्ड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में रायपुर उपखण्ड मुख्यालय की जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड निम्नानुसार है:-

1. महाविद्यालय के लिये आवश्यक भवन उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किमी की परिधि में कम से कम 4 सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित हों।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किमी की परिधि में अन्य कोई महाविद्यालय संचालित न हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिये उपयुक्त हो।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर उपखण्ड मुख्यालय पर जनसहभागिता योजनान्तर्गत महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

405. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पेयजल आपूर्ति हेतु गत पांच वर्ष में कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है? कितनी पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं से प्रदेश के कितने गांव लाभान्वित होने थे और कितने गांव लाभान्वित हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रदेश के समस्त 33 जिलों के पेयजल की कमी वाले (आंशिक लाभान्वित) 26996 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कुल 35028 संवर्धन/पुनर्गठन पेयजल योजनाओं/कार्यों की आवश्यकतानुसार स्वीकृति जारी की गई। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 30201 योजनाएं/कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार। शेष अपूर्ण 4827 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। जिलेवार संख्या विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उक्त 5 वर्षों की अवधि में स्वीकृत की गई पेयजल योजनाओं में उक्तानुसार प्रदेश के कुल सम्मिलित 26996 ग्रामों में से 24965 ग्रामों को अब तक पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। जिलेवार संख्या विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

परिशिष्ट-अ

विगत पांच वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत की गई संवर्धन/पुनर्गठन पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ग्राम एवं इन योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत जल योजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई जल योजनाओं की संख्या	प्रगतिरत जल योजनाओं की संख्या	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या	लाभान्वित हुए ग्रामों की संख्या
1	बीकानेर	734	675	59	546	488
2	चूरू	862	831	31	745	715
3	श्रीगंगानगर	270	263	7	508	505
4	हनुमानगढ़	158	149	9	283	267
5	बारां	102	47	55	1089	1027
6	बूंदी	104	101	3	263	262
7	झालावाड़	103	93	10	1477	1366
8	कोटा	122	89	33	478	346
9	अजमेर	1075	1014	61	1025	883
10	भीलवाड़ा	580	541	39	525	502
11	नागौर	2728	2714	14	1480	1473
12	टोंक	1126	1102	24	892	859
13	जयपुर	976	954	22	1602	1572
14	दौसा	226	146	80	1025	788
15	अलवर	8168	5285	2883	1947	1937
16	सीकर	185	140	45	985	985
17	झुन्झुनूं	179	132	47	774	774
18	भरतपुर	232	132	100	671	609
19	धौलपुर	29	21	8	34	22

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत जल योजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई जल योजनाओं की संख्या	प्रगतिरत जल योजनाओं की संख्या	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या	लाभान्वित हुए ग्रामों की संख्या
20	सवाईमाधोपुर	195	150	45	202	139
21	करौली	363	319	44	755	740
22	जोधपुर	3353	2971	382	1058	879
23	जैसलमेर	1154	990	164	600	332
24	पाली	1446	1300	146	936	650
25	जालौर	1141	1106	35	697	654
26	सिरोही	1042	1003	39	455	415
27	बाड़मेर	1490	1224	266	10	9
28	उदयपुर	385	353	32	947	924
29	डूंगरपुर	3821	3736	85	854	769
30	राजसमन्द	2457	2404	53	973	920
31	चित्तौड़गढ़	101	101	0	1226	1226
32	प्रतापगढ़	47	46	1	911	910
33	बांसवाड़ा	74	69	5	1023	1018
	कुल योग	**35028**	**30201**	**4827**	**26996**	**24965**

प्रदेश में महानरेगा योजना के अन्तर्गत आबंटित व व्यय राशि

406. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में महानरेगा योजना के अन्तर्गत कितना बजट आबंटित हुआ एवं कितनी राशि व्यय की गयी?

(2) महानरेगा में वर्ष 2007-08 से दिसम्बर 2013 तक कितने बीपीएल परिवारों को रोजगार दिया गया? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है एवं योजनान्तर्गत बजट का आबंटन रोजगार की मांग पर निर्भर करता है।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी केन्द्रीयांश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यांश तथा कुल व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 से दिसम्बर 2012 तक रोजगार उपलब्ध कराए बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

महानरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक वर्षवार केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि व राज्यांश सहित प्राप्त कुल राशि के विरुद्ध वर्षवार व्यय की स्थिति

(राशि रु. करोड़ों में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि (केन्द्रीयांश)	राज्य सरकार द्वारा जारी राशि (राज्यांश)	व्यय राशि
2008-09	6449.27	439.85	6175.55
2009-10	5942.64	402.04	5669.05
2010-11	2788.82	284.93	3300.33
2011-12	1619.76	200.00	3239.89
2012-13	2377.49	241.00	2794.31

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की सूचना मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार एवं 2011-12 की सूचना एमआईएस की स्थिति के अनुसार है। 2012-13 की सूचना दिनांक 14.03.2013 की स्थिति के अनुसार है।

परिशिष्ट-2

महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार उपलब्ध कराए बी.पी.एल. परिवारों की संख्या का विवरण

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बी.पी.एल. परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया।	767605	1461411	1931865	1369073	1322125	933683

कालीसिन्ध परियोजना के डूब क्षेत्र में आये कृषकों का पुनर्वास

407. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में कालीसिन्ध बांध परियोजना के अन्तर्गत किस-किस काश्तकार की कितनी-कितनी भूमि को अवाप्त किया गया तथा किस-किस काश्तकार की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त किया जाना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त किसानों को भूमि के बदले क्या-क्या मुआवजा व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना निर्धारित किया गया था तथा उनमें से किन-किन को क्या-क्या मुआवजा व सुविधायें प्रदान कर दी गई तथा किन-किन को किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार डूब क्षेत्र में आये उक्त किसानों को व्यवस्थित स्थापित कर उनकी भूमि को सिंचाई हेतु नहरी तंत्र से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? तत्सम्बन्धी कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बकानी क्षेत्र के किसानों को भी उक्त परियोजना की नहरीतंत्र से जोड़ लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बकानी क्षेत्र के किसानों को उक्त परियोजना अथवा अन्य परियोजना से सिंचाई हेतु शीघ्र नहरीतंत्र से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में प्रगतिरत कालीसिंध बांध परियोजना के अन्तर्गत तहसील झालरापाटन के 10 ग्राम, बकानी उप तहसील के 9 ग्राम तथा तहसील पिड़ावा के 6 ग्राम कुल 25 ग्रामों की कुल भूमि 6881.07 बीघा अवाप्त की गई है जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शेष अवाप्त की जाने वाली भूमि तहसील झालरापाटन के 13 ग्राम व तहसील पिड़ावा के 02 ग्रामों की कुल भूमि 261 बीघा 01 बिस्वा भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव (सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न) प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त भूमि के बदले में दिये गये मुआवजे का विवरण संलग्न

(जल संसाधन मंत्री)

अवार्ड खतोनी अनुसार कुल राशि रुपये 420798112/- का मुआवजा दिया गया है। बांध के अलाइनमेन्ट से प्रभावित एक मात्र ग्राम भंवरासी के 64 मकान स्वामियों को मकान का मुआवजा स्वीकृत तखमीनों के अनुसार कुल राशि रुपये 3078633/- का दिया गया है। इन 64 हितधारियों को शिफ्टिंग @ 10000/- से कुल राशि 640000/- दिया गया है। इन 64 हितधारियों को अस्थायी आवास किराया एवं अन्य @ 29000/- से कुल राशि रुपये 1856000/- दिया गया है। इनमें से 25 पशुधारियों को केटलशेड की राशि @ 20000/- से कुल राशि रुपये 500000/- का भुगतान किया गया है। उक्त किसानों को अवाप्तशुदा भूमि एवं परिसम्पत्तियों के मुआवजे तथा अनुतोष राशि का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, झालावाड़ द्वारा किया गया है। भंवरासी ग्राम के विस्थापित 64 परिवारों के 114 व्यस्कों को ग्राम चांदियाखेडी में 114 आवासीय भूखण्ड आबंटित कर पुनर्वासित किया गया। इसके साथ ही पुनर्वास स्थल पर प्राथमिक विद्यालय भवन, उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन, सामुदायिक केन्द्र भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, सार्वजनिक उपयोग हेतु खुली भूमि मय बाऊण्ड्री, दो स्थान पर कुल 12 सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नल-5, ग्रेवल रोड मय 1.1 कि.मी. नाली, हैण्डपम्प-4, स्ट्रीट लाइट आदि की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाई गई हैं। शेष मुआवजा भुगतान की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) बकानी क्षेत्र कालीसिंध बांध के डूब क्षेत्र से ऊंचाई पर स्थित है। अत: कालीसिंध बांध के नहरीतंत्र से जोड़ना सम्भव नहीं है।

(5) बकानी क्षेत्र कालीसिंध बांध के डूब क्षेत्र से ऊंचाई पर स्थित है। अत: कालीसिंध बांध के नहरीतंत्र से जोड़ना सम्भव नहीं है। पंचायत समिति बकानी में बोरबन्द लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है, जिससे बकानी क्षेत्र के तीन ग्रामों बोरबन्द, अरनावदा व देवलीबंद की 133 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करना प्रस्तावित है। उसका विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

दांतारामगढ़ की वृहत् जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण

408. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में एमडीआर सड़क रैवासा से जीणमाता होते हुये उदयपुरा मोड़ तक का रिनोवेशन एवं चौड़ाइकरण का प्रस्ताव सीआरएफ में प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क पर जीणमाता मेला व प्रसिद्ध शेखा स्मारक को देखते हुए उक्त सड़क के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र दातांरामगढ़ में एमडीआर सड़क रैवासा से जीणमाता होते हुये उदयपुरा मोड़ तक का रिनोवेशन एवं चौड़ाई का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियंता, जैसलमेर व बीकानेर का कार्य क्षेत्र

409. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मुख्य नहर की 161 आर डी से 1254 आर डी के मध्य जैसलमेर व बीकानेर जिले की कितनी रकबा भूमि तंत्र वितरिकाओं, शाखाओं या अन्य माइनर्स से सिंचित होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र मुख्य अभियंता, बीकानेर के अधिकार क्षेत्र में आता है? यदि हां, तो क्या इससे नहर तंत्र की कार्यप्रणाली पर विपरीत असर नहीं पड़ता है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को मुख्य अभियंता जैसलमेर के अधिकार क्षेत्र में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(4) मुख्य नहर की 0 से 961 आर डी व 961 से 1254 आर डी के मध्य कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी 161 आर.डी. से 1254 आर.डी. के मध्य बीकानेर जिले में 5,77,000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र व जैसलमेर जिले में 1,10,993 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जिला	
		बीकानेर	जैसलमेर
1.	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के अधीन		
(i)	प्रथम चरण (फ्लो)	1,44,405	-
2.	मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर के अधीन		
(i)	प्रथम चरण (लिफ्ट)	51,041	-
(ii)	द्वितीय चरण (फ्लो)	2,10,910	99,069
(iii)	द्वितीय चरण (लिफ्ट)	1,70,644	11,924
योग बीकानेर सम्भाग		4,32,595	1,10,993
महायोग (हनुमानगढ़+बीकानेर)		5,77,000	1,10,993

विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर तथा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के कार्य क्षेत्र में आता है। क्षेत्र के इस विभाजन से नहर तंत्र की कार्यप्रणाली पर विपरीत असर नहीं पड़ता है।

(3) चारणवाला वितरिका का उदगम बीकानेर जिले में होता है तथा इसका 52505 हैक्टेयर क्षेत्र भी बीकानेर जिले में है। अत: इस नहर प्रणाली को बीकानेर सम्भाग के नियंत्रण में ही रखना प्रशासनिक दृष्टि से उचित है। फलौदी एवं पोकरण जलोत्थान योजनाएं यद्यपि जैसलमेर जिले में उदगमित होती हैं, परन्तु इनके पम्पिंग स्टेशनों का संचालन एवं रख-रखाव यांत्रिक इकाई (जो द्वितीय चरण की अन्य चार जलोत्थान योजनाओं के पम्पिंग

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

स्टेशनों का भी संचालन करती है) द्वारा किया जाता है। चूंकि इस इकाई का प्रशासनिक नियन्त्रण मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के पास है एवं चूंकि इन खण्डों से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरण भी बीकानेर स्थित न्यायालयों में विचाराधीन है अतः इन दोनों जलोत्थान योजनाओं को भी बीकानेर सम्भाग के नियंत्रण में ही रखना प्रशासनिक दृष्टि से उचित पाया गया है।

(4) मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 961 के मध्य मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के अधीन 13 अधिकारी एवं 297 कर्मचारी कार्यरत हैं (प्रपत्र-ब)। मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर के अधीन वर्तमान में मुख्य नहर की आर.डी. 0 से 961 के मध्य 56 अधिकारी एवं 453 कर्मचारी कार्यरत हैं (प्रपत्र-स) एवं आर.डी. 961 से 1254 के मध्य 14 अधिकारी व 98 कर्मचारी कार्यरत हैं (प्रपत्र-द)। इसके अतिरिक्त कार्यालय मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर एवं कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता गुण नियन्त्रण एवं रेगुलेशन, इगानप, बीकानेर मे मुख्य नहर की 0 से 1254 आर.डी. के मध्य 35 अधिकारी एवं 168 कर्मचारी कार्यरत हैं (प्रपत्र-य)।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देशी नस्ल की गायों एवं सांडों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कार्य योजना

410. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में देशी सांडों के संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जिसके फलस्वरूप गायों को इन्जेक्शनों के जरिये गर्भधारण करवाया जा रहा है? जिसके फलस्वरूप 3-4 बार इन्जेक्शन लगाने के बाद गायों में बांझपन की स्थिति पैदा हो रही है? क्या सरकार इन्जेक्शन के जरिये गर्भधारण करवाने पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार देशी नस्ल के सांडों का संरक्षण कर प्राकृतिक रूप से गायों के गर्भधारण करवाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में उपलब्ध देशी नस्लों की गायों जैसे

(श्री राजकुमार रिणवां)

राठी, थारपारकर, गिर, नागौरी, कांकरेज, साहीवाल आदि की मूल नस्ल इन्जेक्शनों के जरिये गर्भधारण करवाने के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनको बचाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृत्रिम गर्भाधान से पशु बांझ नहीं होते हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्य संपादित किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जानी प्रस्तावित नहीं है।

(2) देशी नस्लों में प्राकृतिक गर्भाधान के लिए उन्नत सांड वितरण योजना पूर्व से ही लागू है।

(3) जी नहीं। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से राठी, थारपारकर, गीर एवं कांकरेज नस्ल के गौवंश के फार्म संचालित कर नस्ल सुधार हेतु सांड वितरण करवाया जा रहा है। साथ ही नारवा खिंचियान (जोधपुर) में देशी गौवंश के उन्नत सांड संधारित कर, जर्म प्लाज्म केन्द्र संचालित किया जा रहा है।

नाथद्वारा में चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत नवीन पद

411. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के लिये गत चार वर्षों में कब-कब, कहां-कहां पर डाक्टर्स व अन्य स्टाफ के नये पद स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत पदों पर नई नियुक्तियां प्रदान की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक एवं अराजपत्रित संवर्ग के गत चार वर्षों में स्वीकृत किये गये पदों का स्वीकृति दिनांक एवं उन पर कार्यरत/पदस्थापित चिकित्सक/अराजपत्रित कर्मचारियों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक एवं अराजपत्रित संवर्ग के गत चार वर्षों में स्वीकृत किये गये पदों का स्वीकृति दिनांक एवं उन पर कार्यरत/पदस्थापित चिकित्सक/अराजपत्रित कर्मचारियों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत किये गये पदों की संख्या	स्वीकृति दिनांक	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	विशेष विवरण
राजकीय चिकित्सालय नाथद्वारा	वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्ररोग)	1	3.6.2011	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग)	1	23.6.2011	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेसिंक मेडिसन)	1	23.6.2011	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्तरोग)	1	23.6.2011	1	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	4.6.2010	1	
	उप नियंत्रक	1	3.6.2011	-	
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	3.6.2011	-	
	चिकित्सा अधिकारी	11	4.6.2010 (5) 3.6.2011 (6)	4	
	नर्स श्रेणी प्रथम	7	3.6.2011	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	29	4.6.2010 (10) 3.6.2011 (19)	-	
	लेखाकार	1	3.6.2011	-	
	कनिष्ठ लेखाकार	1	3.6.2011	1	
	वरिष्ठ लिपिक	1	3.6.2011	1	
	फार्मासिस्ट	3	23.11.2011	3	

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत किये गये पदों की संख्या	स्वीकृति दिनांक	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	विशेष विवरण
राजकीय चिकित्सालय नाथद्वारा	नेत्र सहायक	2	15.3.2013	-	
	सहायक रेडियोग्राफर	1	3.6.2011	1	
	डेन्टल टेक्नीशियन	1	3.6.2011	-	
	वार्डबाय	10	3.6.2011	-	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेलमगरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	26.5.2011	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	26.5.2011	-	
	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)	1	4.10.210	-	
	चिकित्सा अधिकारी (दन्तरोग)	1	7.3.2013	-	
	फार्मासिस्ट	1	28.12.2011	1	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खमनोर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	26.5.2011	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	26.5.2011	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	26.5.2011	-	
	चिकित्सा अधिकारी (दन्तरोग)	1	7.3.2013	-	
	फार्मासिस्ट	1	28.12.2011	1	

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत किये गये पदों की संख्या	स्वीकृति दिनांक	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	विशेष विवरण
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देलवाडा	फार्मासिस्ट	1	28.12.2011	-	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दरीबा माइन्स	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	29.6.2011	-	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	29.6.2011	-	
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	29.6.2011	1	चिकित्सा अधिकारी पदविरुद्ध कार्यरत
	चिकित्सा अधिकारी	1	29.6.2011	1	
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	29.6.2011	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	4	29.6.2011	2	
	फार्मासिस्ट	1	29.6.2011	1	
	सहायक रेडियोग्राफर	1	29.6.2011	-	
	कनिष्ठ लिपिक	2	29.6.2011	1	
	वार्डबाय	2	29.6.2011	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलोदा	चिकित्सा अधिकारी	1	29.6.2011	1	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	29.6.2011	-	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	29.6.2011	1	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	29.6.2011	-	
	लैब टेक्नीशियन	1	29.6.2011	-	
	वार्डबाय	2	29.6.2011	-	
	सफाई कर्मचारी	1	29.6.2011	-	

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत किये गये पदों की संख्या	स्वीकृति दिनांक	कार्यरत/ पदस्थापित पदों की संख्या	विशेष विवरण
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनेरिया	चिकित्सा अधिकारी	1	29.6.2011	1	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	29.6.2011	1	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	29.6.2011	-	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	29.6.2011	1	
	लैब टेक्नीशियन	1	29.6.2011	-	
	वार्डबाय	2	29.6.2011	-	
	सफाई कर्मचारी	1	29.6.2011	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मचीन्द्र	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	27.4.2011	1	
उप स्वास्थ्य केन्द्र छोटा भाणुजा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	24.9.2012	-	

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में वृद्धि

412. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा और भर्ती शुल्क के नाम पर बेरोजगारों एवं छात्रों से अत्यधिक राशि वसूल की जा रही है? यदि नहीं, तो वर्ष 2011 एवं 2012 में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के नाम पर कुल कितनी राशि वसूल की गई एवं परीक्षा कार्यों पर कुल कितना व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार परीक्षा शुल्क में कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

1. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से चार्ज किया गया है। वर्ष 2011 में रु. 88.05 करोड़ परीक्षा शुल्क के रूप में चार्ज किये गए हैं। रु. 20.33 करोड़ परीक्षा कार्यों पर एवं रु. 97.53 करोड़ इनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों पर कुल रु. 117.86 करोड़ व्यय किये गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2012 में रु. 93.72 करोड़ परीक्षा शुल्क के रूप में चार्ज किये गए हैं। रु. 16.72 करोड़ परीक्षा कार्यों पर एवं रु. 100.32 करोड़ इनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों पर कुल रु. 117.04 करोड़ व्यय किये गए हैं।

2. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन फार्म आमंत्रित किये गये थे तथा आवेदन शुल्क 500 रुपये सामान्य व ओ.बी.सी. से तथा 250 रुपये एस.सी./एस.टी. से लिये गये थे। यह शुल्क 2007 से ही लिये जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.6.2011 व 6.2.2012 के द्वारा अधिकारी वर्ग के पदों को भरने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी कर निम्नानुसार आवेदन शुल्क मांगा गया था :-

सामान्य/ओ.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 500/- रुपये, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 250/- रुपये मांगे गये थे किन्तु उपरोक्त पदों हेतु साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। बेरोजगारों से निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। यह विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का विषय है।

जोधपुर शहर में विद्युत लाइनों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा

413. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में आबादी क्षेत्र में निर्मित मकानों के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में हाई टेंशन लाइनों से व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं? यदि हां, तो वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कितने व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त दुर्घटना में मृतक के परिजन/घायलों को सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी गई? यदि हां, तो किन-किन को, कितनी-कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जोधपुर शहर में आबादी क्षेत्र में निर्मित मकानों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन को हटाने अथवा भूमिगत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर शहर के आबादी क्षेत्र, जहां पूर्व में खींची गई हाई टेंशन विद्युत लाइनों के नीचे बाद में अवैध रूप से मकान निर्मित कर लिये गये हैं, उन लाइनों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वर्ष 2009 से दिनांक 31.03.2013 तक दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों का विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त दुर्घटनाओं में मृतक के परिजन/घायलों को दी गई मुआवजा राशि का विवरण प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(4) जोधपुर शहर के आबादी क्षेत्र, जहां पूर्व में खींची गई हाई टेंशन विद्युत लाइनों के नीचे बाद में अवैध रूप से मकान निर्मित कर लिये गये हैं एवं ऐसे मकान, जो लाइनों से खतरनाक अन्तर तक निर्मित कर लिये गये हैं तथा जिनसे किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना हो, उन हाई टेंशन लाइनों को हटाने अथवा भूमिगत करने के लिए किसी व्यक्ति/संस्था/नगर निकाय द्वारा इस हेतु प्रार्थना पत्र देने पर जोधपुर डिस्काम द्वारा तकमीना बनाकर, जारी मांग पत्र की 50 प्रतिशत राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर, शेष 50 प्रतिशत राशि विद्युत निगम द्वारा वहन कर लाइन हटाई जाती है। आवेदन करने पर राजकीय स्कूलों एवं विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को निगमों द्वारा अपने खर्चे पर हटाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज संस्थाओं में सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया

414. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला (**कोटा दक्षिण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद भरे जायेंगे? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों पर भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया, मानदण्ड और योग्यताएं निर्धारित हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चयन परीक्षा आयोजित करने अथवा किसी आधार पर स्क्रीनिंग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। कनिष्ठ लिपिक के भरे जाने वाले पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2649 दिनांक 17.12.2012, 107 दिनांक 29.01.2013 एवं क्रमांक 114 दिनांक 01.02.2013 में चयन का आधार निर्धारित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट ब, स तथा द पर संलग्न है।

(3) क.लि. पदों की भर्ती हेतु आवेदन आनलाइन लिये जा रहे हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 18.04.2013 है।

(4) कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु उक्त विभागीय अधिसूचनाओं में चयन का आधार निर्धारित किया गया है। उक्त प्रक्रिया पारदर्शी है। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर टेंटेटिव वरीयता निर्धारण की जाकर समुचित मात्रा में अभ्यर्थी दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाये जावेंगे। उक्त दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम वरीयता सूची विधिक प्रक्रिया के अनुसार जारी की जावेगी।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामगढ़ की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

415. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश चरागाह/सिवायचक भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है? यदि हां, तो कस्बा/पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे ग्रामों एवं गोविन्दगढ़, बड़ौदामेव, रामगढ़, नौगांवा में कुल कितनी-कितनी भूमि अतिक्रमणग्रस्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लम्बे समय से सरकार द्वारा रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अतिक्रमणग्रस्त भूमि को मुक्त करवाये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने एवं कौन-कौनसी जगह कच्चे एवं कौन-कौनसी जगह पक्के निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है? उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने के लिये सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कुछ चरागाह/सिवायचक भूमियों पर अतिक्रमण होने की सूचना सही है, किन्तु विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत तहसील रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की चरागाह, सिवायचक भूमियों पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उन्हें बेदखल किया जा चुका है। सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम गोविन्दगढ़ में 0.05 है. पर अतिक्रमण है तथा ग्राम बड़ौदामेव में 300 वर्गफीट पर अतिक्रमण है। तहसील रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम नौगांवा में 3.15 है. भूमि पर अतिक्रमण है तथा रामगढ़ में कोई अतिक्रमण नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत तहसील रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ में किये गये अतिक्रमण एवं की गयी कार्यवाही की सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) तहसीलदार रामगढ़ द्वारा 361 अतिक्रमियों को तथा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ एवं नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा 129 अतिक्रमियों में से 128 को बेदखल किया जा चुका है। एक प्रकरण में स्थगन होने के कारण बेदखल नहीं किया गया। राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रत्येक फसल पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

(4) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ में आने वाले ग्रामों में 30 अतिक्रमियों द्वारा कच्चे एवं पक्के निर्माण कर अतिक्रमण किये गये हैं। जिनमें कच्चे निर्माण 5 रकबा 0.06 है. पक्के निर्माण 25 रकबा 0.57 है. व 1318 वर्गफीट पर है। तहसील रामगढ के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों मे 3 अतिक्रमियों द्वारा कच्चे एवं पक्के निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। जिनमें 2 अतिक्रमियों द्वारा 0.51 है. पर पक्का निर्माण तथा 1 अतिक्रमी द्वारा 0.62 है. पर कच्चा निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। सूची परिशिष्ट 'स' एवं 'द' पर संलग्न है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने हेतु नियमों में पर्याप्त प्रावधान है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर जिले की मेगा हाइवे परियोजनाओं के मध्य की सड़कों का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन

416. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर से लोसल राणासर मेगा हाइवे प्रोजेक्ट स्वीकृत है तथा तरनाउ से नागौर जयपुर फलौदी मेगा हाइवे से जुड़ता हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित दोनों मेगा हाइवे के मध्य का सड़क मार्ग लोसल से डीडवाना, डीडवाना से जायल व जायल से तरनाउ तक का हिस्सा सिंगल रोड मात्र है? यदि हां, तो क्या सरकार तरनाउ जायल डीडवाना लोसल के सड़क मार्ग को उक्त दोनों मेगा हाइवे की भांति चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर से लोसल राणासर सड़क स्वीकृत मेगा हाइवे प्रोजेक्ट कोटपूतली-सीकर-कुचामन सड़क का हिस्सा है जो कि बी.ओ.टी. के अन्तर्गत 7 मीटर चौड़ाई में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट स्वीकृत है एवं यह सड़क (सीकर से लोसल-राणासर) किशनगढ़-रतनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे के कि.मी. 86 (राणासर फांटा) से जुड़ती है। तरनाउ से नागौर तक का सड़क भाग जयपुर-नागौर-फलौदी मेगा हाइवे का हिस्सा है एवं इनका निर्माण वर्तमान सड़क सीमा संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में जयपुर फलौदी व कोटपूतली-सीकर-कुचामन दोनों मेगा हाइवे के मध्य लोसल से दौलतपुरा तक (एमडीआर-24) 34 कि.मी. सड़क भाग 5.50 मीटर चौड़ाई में निर्मित है, दौलतपुरा से डीडवाना 10 कि.मी. सड़क (किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे का भाग) 10.50 मीटर चौड़ाई में निर्मित है व डीडवाना से जायल व जायल से तरनाउ तक (एस.एच.-60) सम्पूर्ण सड़क भाग 7 मीटर चौड़ाई में निर्मित है। इस प्रकार लोसल-डीडवाना-जायल-तरनाउ सड़क सिंगल रोड नहीं है ओर न ही जयपुर से फलौदी अथवा कोटपूतली से कुचामन मेगा हाइवे के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

राजसमन्द जिले में संचालित किसान सेवा केन्द्र

417. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों में कृषि विकास दर क्या थी?

(2) राजसमन्द जिले में उक्त अवधि में कृषि विकास दर क्या रही?

(3) उक्त जिले में विधान सभा क्षेत्रानुसार कितने किसान सेवा केन्द्र चल रहे हैं? क्या सेवा केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं?

(4) किसान सेवा केन्द्रों द्वारा वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों में क्या प्रमुख सेवायें दी गईं?

(5) सेवा केन्द्रों के कार्यों एवं उनके परिणामों की समीक्षा एवं अंकेक्षण की क्या व्यवस्था है? उक्त अवधि के समीक्षा एवं अंकेक्षण की मुख्य निष्पत्तियां क्या हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान में वर्ष 2011-12 (त्वरित) तक के सकल राज्य घरेलू

(कृषि मंत्री)

उत्पाद के अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक 5 वर्षों की कृषि विकास दर निम्नानुसार है:-

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)
2007-08	1.62
2008-09	4.19
2009-10	(-) 2.69
2010-11 (प्रावधानिक)	33.41
2011-12 (त्वरित)	0.54

(2) जिलेवार सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2009-10 तक तैयार किए गए हैं। राजसमन्द जिले की वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की कृषि विकास दर निम्नानुसार है :-

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)
2005-06	30.93
2006-07	41.53
2007-08	(-) 9.56
2008-09	(-) 11.17
2009-10	13.37

(3) राजसमन्द जिले में कुल 102 किसान सेवा केन्द्र चल रहे हैं, जिनका विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	किसान सेवा केन्द्रों की संख्या
1	नाथद्वारा	39
2	राजसमन्द	22
3	कुम्भलगढ़	24
4	भीम	17
	कुल	**102**

102 किसान सेवा केन्द्रों में से 55 किसान सेवा केन्द्र राजकीय भवन में व 47 किसान सेवा केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं।

(कृषि मंत्री)

(4) किसान सेवा केन्द्रों द्वारा वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती पांच वर्षों में निम्न प्रकार प्रमुख सेवाएं दी गईं :-

1. विभिन्न योजनान्तर्गत पाइपलाइन, उन्नत कृषि यंत्र, पौध संरक्षण यंत्र, भूमि सुधार एवं पौषक तत्व के रूप में जिप्सम प्रयोग, फार्म पौण्ड आदि की जानकारी तथा आवेदन पत्र तैयार किये जाते हैं।
2. मृदा पानी की जांच हेतु नमूनों का एकत्रिकरण किया जाता है।
3. विभिन्न प्रकार के कृषि साहित्य उपलब्ध कराकर कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी दी जाती है।
4. प्रत्येक किसान सेवा केन्द्र पर कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी द्वारा प्रत्येक गुरुवार को किसान सेवा केन्द्र पर आने वाले किसानों की विविध समस्याओं को रजिस्टर में संधारण कर उनका समय पर समाधान किया गया।
5. सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप संयंत्र तथा फव्वारा संयंत्र की अनुदान सम्बन्धी जानकारी देकर एवं उनकी पत्रावलियां किसान सेवा केन्द्र पर तैयार करवाना।
6. उद्यानिकी योजनाओं के तहत बगीचा लगाना, मसाला खेती आदि की जानकारी देना।
7. विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाले विभिन्न आदानों यथा मिनिकिट, प्रदर्शन किट इत्यादि के संग्रहण एवं वितरण की व्यवस्था किसान सेवा केन्द्र से ही की जाती है।

(5) किसान सेवा केन्द्रों के कार्यों एवं परिणामों की समीक्षा का कार्य समय-समय पर उच्च अधिकारियों सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक कृषि (वि.) तथा उप निदेशक कृषि (वि.) द्वारा रेण्डम तरीके से निरीक्षण किया जाता है। साथ ही प्रशासनिक निगरानी पंचायती राज विभाग द्वारा हर वर्ष ग्राम सभाओं में कार्यों की समीक्षा व अंकेक्षण कार्य किया जाता है।

बाड़मेर जिले में स्वीकृत नवीन स्वास्थ्य केन्द्र

418. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले में जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक कितने-

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये एवं कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटोदी एवं सवाउपदमसिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं नौसर एवं रतेउ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक 216 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं तथा 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है। विधान सभा क्षेत्रवार चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे।

आगामी वित्तीय वर्षो में संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर में लॉ कालेज भवन निर्माण हेतु स्वीकृति

419. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा धौलपुर में ला कालेज भवन निर्माण की स्वीकृति को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर में सरकारी ला कालेज के भवन निर्माण का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ला कालेज की भूमि पर चारदीवारी व गेट का निर्माण विधायक स्थानीय कोष से कराया जा चुका है?

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(4) क्या सरकार सुनिश्चित समय में उक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) सरकार भवन निर्माण का विचार रखती है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने अनुसार भवन निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा।

राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तावित 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन

420. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के बिजली के बढ़ते लोड के कारण रैणी (अलवर) एवं बारा ग्राम पंचायत छिलौड़ी, तहसील रैणी (अलवर) क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) क्षेत्र में बिजली के बढ़ते लोड के कारण रैणी तहसील के टहटडा गांव में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनवाने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के पास तकनीकी-आर्थिक परीक्षण हेतु विचाराधीन है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार प्रस्ताव का आंकलन किया जा रहा है। बारा ग्राम पंचायत छिलौड़ी तहसील रैणी हेतु प्राप्त प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण में असाध्य पाया गया है। अत: संशोधित प्रस्ताव मंगवाये गये हैं।

उक्त प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण के पश्चात साध्य पाये जाने पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा।

बाली में टाडा/माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

421. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(1) माडा चयनित गांव, ढाणियों, पंचायत, कस्बों में माडा योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के कराये जाने के मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली के माडा चयनित गांव, ढाणियों, पंचायतों, कस्बों, वार्डों आदि के लिये जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 तक विभिन्न कार्य पेटे कितना बजट आबंटित किया गया? वर्षवार आबंटित बजट, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की पूर्णता-अपूर्णता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाली क्षेत्र के माडा गांव, ढाणियों के लिये नाममात्र का बजट आबंटित किया गया, जिसके पेटे भी स्थानीय टाडा/माडा अधिकारियों ने सरकार को समय पर प्रस्ताव नहीं भिजवाये? यदि हां, तो क्यों? टाडा/माडा क्षेत्र के लिये स्थानीय अधिकारियों द्वारा सरकार को भिजवाये गये प्रस्तावों एवं उन पर जारी स्वीकृतियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बाली विधान सभा के माडा क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए अतिरिक्त बजट आबंटित करने, सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों से अधिकतम प्रस्ताव मंगवाकर उन पर स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माडा चयनित क्षेत्र में कराए जा सकने वाले कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को राशि की उपलब्धता एवं कार्यों की उपादेयता के आधार पर शासन द्वारा अनुमोदन पश्चात् स्वीकृति जारी की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली के लिए जनवरी 2009 से फरवरी 2013 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों के पेटे आबंटित बजट, स्वीकृत राशि, व्यय राशि तथा कार्य पूर्ण या अपूर्ण की पूर्ण सूचना परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(3) भारत सरकार/राज्य सरकार से आबंटित बजट का विधान सभा क्षेत्रवार आबंटन नहीं किया जाकर जिलेवार आबंटन किया जाता है।

बाली विधान सभा क्षेत्र से प्राप्त एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) जी नहीं। बजट का आबंटन निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जाता है।

(सूचना व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

ताकली बांध मध्य सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आये किसानों को मुआवजा

422. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ताकली बांध मध्य सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों के लोगों को सम्पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? वंचित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या ताकली बांध मध्य सिंचाई परियोजना के विस्थापित गांवों के लोगों को पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध हो गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां किन-किन लोगों को यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। डूब क्षेत्र भूमि मुआवजे के जारी अवार्ड के अनुसार पूर्ण राशि का भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी, रामगंजमण्डी को किया जा चुका है किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किसानों के आपसी विवाद एवं नामान्तरण परिवर्तन के अभाव में सम्पूर्ण भुगतान नहीं हो सका है। डूब क्षेत्र की निजी भूमि की कुल अवार्ड राशि रुपये 34,59,37,304.00 के विरुद्ध रुपये 31,96,31,593.00 का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त डूब क्षेत्र की शेष भूमि की धारा 6 की कार्यवाही प्रगति पर है। अवार्ड में सम्मिलित, शेष किसानों को भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है एवं आपसी विवाद एवं नामान्तरण परिवर्तन की कार्यवाही सम्पादित होने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। शेष भूमि के मुआवजे का भुगतान धारा 6 की कार्यवाही पूर्ण कर अवार्ड जारी किये जाने के पश्चात भुगतान किया जायेगा। ग्रामवार शेष मुआवजे की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले 7

(जल संसाधन मंत्री)

ग्रामों में से 5 ग्रामों की भूमि आबंटित हो चुकी है, 2 ग्रामों की भूमि आबंटन के प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र की ग्रामवार निजी भूमि के अवार्ड जारी मुआवजे के शेष भुगतान की सूची

क्र.सं.	तकली बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि की कुल अवार्ड राशि	गांव का नाम जिनका भुगतान बाकी है	शेष भुगतान की राशि	बकाया कृषकों की संख्या
1	345937304.00	ढाकिया	582195.00	6
2		तमोलिया	4306528.00	9
3		दुढकली	2431883.00	4
4		देवीपुरा	474063.00	1
5		सोहनपुरा	2718900.00	17
6		सारनखेड़ी	5185084.00	12
7		नूरपुरा	1843155.00	6
8		जोधपुरा	1370058.00	3
9		दड़िया	2942898.00	11
10		रघुनाथपुरा	2975947.00	22
11		भीमपुरा	1475000.00	5
योग	**345937304.00**		**26305711.00**	**96**

इसके अतिरिक्त डूब क्षेत्र में आने वाली शेष भूमि जिसकी धारा-6 की कार्यवाही प्रगति पर है का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आवाप्ति हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का क्षेत्रफल (है.)
1	ढाकिया	6.19
2	तमोलिया	8.33
3	दुढकली	2.23

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आवाप्ति हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का क्षेत्रफल (है.)
4	देवीपुरा	0.72
5	सोहनपुरा	5.95
6	सारनखेड़ी	15.07
7	नूरपुरा	1.30
8	रूपपुरा	18.87
9	दड़िया	7.42
10	रघुनाथपुरा	3.75
11	भीमपुरा	5.64
	कुल भूमि	**75.47**

परिशिष्ट–ब

तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आंशिक/पूर्ण रूप से प्रभावित होने वाले ग्रामों के पुर्नवास हेतु आबंटित/प्रस्तावित भूमि का विवरण

क्र. सं.	पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूब में आये ग्रामों के नाम	पुनर्वास हेतु आबंटित/प्रस्तावित स्थान का विवरण
1	टुडकली	ग्राम रीछड़िया का खसरा संख्या 137 (आबंटित)
2	सोहनपुरा	ग्राम सोहनपुरा खसरा संख्या 6 एवं 9 (आबंटित)
3	सारनखेड़ी	ग्राम चन्द्रपुरा के खसरा संख्या 248 एवं 554 (आबंटित)
4	रघुनाथपुरा	ग्राम नूरपुरा के खसरा 1 संख्या 14 एवं 39 (आबंटित)
5	तालियाबड़ी	ग्राम रीछड़िया के खसरा संख्या 394 (आबंटित)
6	दड़िया	ग्राम रीछड़िया खसरा संख्या 429 (प्रस्तावित)
7	तम्बोलिया	ग्राम रीछड़िया खसरा संख्या 431 एवं 433 (प्रस्तावित)

जयपुर जिले के सड़क मार्ग रहित ग्राम

423. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत तीन वर्ष में कितने किलोमीटर स्टेट हाइवे मेगा हाइवे एवं नेशनल हाइवे का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गांवों को सड़क से जोड़े जाने की कोई योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो जयपुर जिले के कितने गांव सड़क से नहीं जुडे हुए हैं तथा सरकार द्वारा सड़क से नहीं जुडे हुए गांवों को कब तक सड़क से जोड दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षो (वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) में स्टेट हाइवे के 1313.30 कि.मी. नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण, मेगा हाइवे में 313.00 कि.मी. सड़कों का विकास तथा नेशनल हाइवे पर 822.24 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जयपुर जिले में कुल 304 गांव ऐसे हैं, जिनको डामर सड़क से जोड़े जाना शेष है। इनमें से नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-18 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 में 87 गांवों, पीएमजीएसवाई क्लस्टरों में 23 गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। 34 गांवों को विश्व बैंक योजनान्तर्गत चरणवार जोड़ा जायेगा, इनमें से प्रथम चरण में 34 गांवों की निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। 1 गांव को विश्व बैंक योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में सड़क से जोड़ा जायेगा। 6 गांवों में भूमि विवाद के कारण डामर सड़क नहीं बनाई जा रही है। इस प्रकार 303 गांवों में से 144 गांवों को आगामी 6 माह में डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा। 6 गांवों में भूमि विवाद के निस्तारण के पश्चात् सड़क से जोड़ दिया जायेगा। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी. एफ.-18 में स्वीकृत गांव	पीएमजीएसवाई (क्लस्टर)	विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत फेज-1 के गांव जिनकी निविदा आमंत्रित कर ली गई है	कुल स्वीकृत कार्य	विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत फेज-2 के गांव जिनकी डीपीआर प्रगतिरत है
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	दूदू	11	4	1	16	0
2	झोटवाड़ा	5	0	0	5	1
3	बगरू	3	0	1	4	0

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
4	चाकसू	25	9	20	54	0
5	आमेर	14	0	0	14	0
6	बस्सी	14	2	2	18	0
7	जमवारामगढ़	7	6	4	17	0
8	चौमूं	3	0	0	3	0
9	फुलेरा	2	0	0	2	0
10	शाहपुरा	1	2	0	3	0
11	विराटनगर	2	0	2	4	0
12	कोटपूतली	0	0	4	4	0
	योग	**87**	**23**	**34**	**144**	**1**

परिशिष्ट-1

गत तीन वर्षों (वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) में घोषित/निर्मित स्टेट हाइवे, मेगा हाइवे तथा नेशनल हाइवे की सड़कों का विवरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	नई घोषित लम्बाई (कि.मी.)				नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण/उन्नयन (कि.मी.)			
		2009-10	2010-11	2011-12	योग	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1	स्टेट हाइवे	10.00	62.00	-844.00	-772.00	166.00	539.30	608.00	1313.30
2	मेगा हाइवे	1480.28	0.00	955.32	2435.60	26.00	123.00	164.00	313.00
3	नेशनल हाइवे	0.00	0.00	1609.00	1609.00	158.00	326.38	337.86	822.24
	योग	**1490.28**	**62.00**	**1720.32**	**3272.60**	**350.00**	**988.68**	**1109.86**	**2448.54**

बिलाड़ा में वितरित हाइब्रिड बीज

424. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में खरीफ की फसल हेतु राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में दलहन, तिलहन, बाजरा, ज्वार, गंवार, मूंगफली के प्रमाणित बीजों के मिनीकिट महिला किसानों (अनुसूचित जाति/जनजाति/बीपीएल वर्ग की महिला किसानों) को निःशुल्क वितरित किये गये? यदि हां, तो किन-किन गांवों में किस-किस किस्म के कितने-कितने मिनीकिट कब-कब उपलब्ध कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के सिंचित क्षेत्र के ग्रामों में हाइब्रिड बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनीकिट वितरित किये गये? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में किन-किन संस्थाओं के जरिये कब-कब, किस-किस किस्म के मिनीकिट उपलब्ध करवाये गये? विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जो बाजरा के प्रभावित बीज के मिनीकिट जैसलमेर बाड़मेर शुष्क क्षेत्र में उपलब्ध करवाने थे वो जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में महिला किसानों को जहां द्विफसली सिंचित क्षेत्र है वहां वितरित कर दिये गये जो कम उत्पादन वाले थे? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को कम उत्पादन एवं इसकी क्षतिपूर्ति की अदायगी राजस्थान राज्य बीज निगम से दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग द्वारा रा.रा. बीज निगम से क्रय कर जोधपुर जिले की महिला किसानों को विगत तीन वर्षों में खरीफ सीजन में निःशुल्क मिनीकिट वितरित किये गये जिनका ग्रामवार, फसलवार, किस्मवार विवरण परिशिष्ट 1 से 3 संलग्न हैः-

1- परिशिष्ट 1 खरीफ 2010 - पेज 1 से 8

2- परिशिष्ट 2 खरीफ 2011 - पेज 9 से 16

3- परिशिष्ट 3 खरीफ 2012 - पेज 17 से 24

(2) जी हां।

(कृषि मंत्री)

1. वर्ष 2010-11 में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में सिंचित क्षेत्र में लघु सीमान्त किसानों को बुवाई हेतु वितरित मिनीकिट की सूची परिशिष्ट 4 (पेज 25 व 26) पर संलग्न है।

2. वर्ष 2011-12 में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बाजरा मिनीकिट वितरित नहीं किये गये।

3. वर्ष 2012-13 में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में लघु सीमान्त किसानों को असिंचित क्षेत्र में बुवाई हेतु आईएनएसआईएमपी के तहत हाइब्रिड बाजरा किस्म एचएचबी 67 (इम्प्रूव्ड) के प्रमाणित बीज के मिनीकिट वितरित किये गये, जिसकी सूची परिशिष्ट 5 (पेज 27) पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जैसलमेर व बाड़मेर क्षैत्र के मिनीकिट जोधपुर जिले में वितरित नहीं किये गये हैं बल्कि जोधपुर जिले को आबंटित असिंचित क्षेत्र के लिए सिफारिश युक्त एवं देरी से वर्षा होने पर बुवाई हेतु उपयुक्त शीघ्र पकने वाली बाजरा किस्म एचएचबी 67 (इम्प्रूव्ड) के प्रमाणित बीज के मिनीकिट ही जिले के असिंचित क्षेत्र में बुवाई हेतु वितरित किये गये हैं। अत: किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रकरण नहीं बनता है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

भीम के आयुर्वेदिक व होम्योपेथिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

425. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने आयुर्वेदिक एवं होम्योपेथिक चिकित्सालय संचालित हैं व इनमें से कितने चिकित्सालय स्वयं के भवन में संचालित हैं एवं कितने किराये पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किराये के भवनों में चल रहे चिकित्सालयों को भवन बनाकर संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त चिकित्सालयों में सभी स्वीकृत पदों पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? क्या

(श्री हरिसिंह रावत)

सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल 16 आयुर्वेद एवं 1 होम्योपेथिक औषधालय संचालित है। इनमें से 15 आयुर्वेद औषधालय विभागीय भवन में तथा एक आयुर्वेद एवं एक होम्योपेथिक औषधालय समाज कल्याण विभाग के भवन में संचालित है। कोई भी औषधालय किराये के भवन में संचालित नहीं है। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कोई भी आयुर्वेद व होम्योपेथिक औषधालय किराये के भवन में संचालित नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्त औषधालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिकों का औषधालयवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। होम्योपेथिक औषधालय में कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट ख-। पर संलग्न है।

सरकार रिक्त पदों हेतु शीघ्र भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने जा रही है। भर्ती होने पर प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

परिशिष्ट-क

औषधालय भवनों की स्थिति

क्र.सं.	नाम औषधालय	भवन की स्थिति
1	आयुर्वेद, देवगढ़	विभागीय भवन।
2	आयुर्वेद, छापली	विभागीय भवन।
3	आयुर्वेद, कुंआथल	विभागीय भवन।
4	आयुर्वेद, दुधालिया	विभागीय भवन।
5	आयुर्वेद, कुंदवा	विभागीय भवन।
6	आयुर्वेद, समेलिया	विभागीय भवन।
7	आयुर्वेद, काछबली	विभागीय भवन।
8	आयुर्वेद, महासिंह का खेड़ा	विभागीय भवन।
9	आयुर्वेद, गोदजी का गांव	विभागीय भवन।
10	आयुर्वेद, कुकड़ा	विभागीय भवन।

क्र.सं.	नाम औषधालय	भवन की स्थिति
11	आयुर्वेद, मियाला	विभागीय भवन।
12	आयुर्वेद, लसानी	विभागीय भवन।
13	आयुर्वेद, दिवेर	विभागीय भवन।
14	आयुर्वेद, कुकरखेडा	विभागीय भवन।
15	आयुर्वेद, बाघाना	विभागीय भवन।
16	आयुर्वेद, भीम	समाज कल्याण विभाग के भवन में अस्थाई चल रहा है।

नोट : आयुर्वेद औषधालय भीम हेतु जमीन आबंटित हो चुकी है।

परिशिष्ट-ख

औषधालयों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम औषधालय	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी			नर्स/कम्पाउण्डर			परिचारक		
		स्वीकृत	कार्य.	रिक्त	स्वीकृत	कार्य.	रिक्त	स्वीकृत	कार्य.	रिक्त
1	आयुर्वेद, देवगढ़	1	1	-	3	3	-	1	1	-
2	आयुर्वेद, छापली	1	-	1	1	1	-	1	1	-
3	आयुर्वेद, कुंआथल	1	-	1	1	1	-	1	1	-
4	आयुर्वेद, दुधालिया	1	-	1	1	1	-	1	1	-
5	आयुर्वेद, कुंदवा	1	1	-	1	1	-	1	1	-
6	आयुर्वेद, समेलिया	1	1	-	1	-	1	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं
7	आयुर्वेद, काछबली	1	1	-	1	1	-	1	1	-
8	आयुर्वेद महासिंह का खेडा	1	-	1	1	-	1	1	1	-
9	आयुर्वेद गोदाजी का गांव	1	1	-	1	-	1	1	1	-
10	आयुर्वेद, कुकडा	1	-	1	1	1		1	1	-
11	आयुर्वेद, मियाला	1	1	-	1	-	1	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं
12	आयुर्वेद, लसानी	1	-	1	1	-	1	1	-	1

क्र. सं.	नाम औषधालय	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी			नर्स/कम्पाउण्डर			परिचारक		
		स्वीकृत	कार्य.	रिक्त	स्वीकृत	कार्य.	रिक्त	स्वीकृत	कार्य.	रिक्त
13	आयुर्वेद, दिवेर	1	1	-	1	-	1	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं
14	आयुर्वेद, कुकरखेडा	1	1	-	1	-	1	1	1	-
15	आयुर्वेद, बाघाना	1	1	-	1	-	1	1	1	-
16	आयुर्वेद, भीम	1	1	-	1	-	1	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं
	योग	**16**	**10**	**6**	**18**	**9**	**9**	**12**	**11**	**1**

परिशिष्ट-ख-1

होम्योपैथिक औषधालय में एक चिकित्सक एवं एक कम्पाउण्डर का पद सृजित है। वर्तमान में दोनों पद रिक्त हैं। श्री मदन लाल तिवाड़ी कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, काछबली-राजमसन्द को कार्य व्यवस्था की दृष्टि से लगा रखा है।

बालोतरा राजकीय महाविद्यालय में कराये गये विकास कार्य

426. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि महाविद्यालयों में महाविद्यालय विकास समिति द्वारा विकास के कार्य करवाए जाते हैं? यदि हां, तो राजकीय महाविद्यालय बालोतरा में गत चार वर्षों में विकास समिति की कितनी बैठकें हुईं व क्या-क्या प्रस्ताव पारित किए गए, कितनी राशि व्यय की गई और कौन-कौन से कार्यों में कौन-कौनसी कार्यकारी एजेन्सियां रहीं व किससे दर का अनुमोदन लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा में गत चार वर्षों में विकास समिति की तीन बैठकें हुईं। इन बैठकों में लिये गये प्रस्ताव तथा व्यय की गई राशि, कार्यकारी एजेन्सियों का विवरण एवं अनुमोदन करने वाले सक्षम अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चांदणोली ग्राम (सवाई माधोपुर) में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

494. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति बौंली के ग्राम चांदणोली में मीठा पानी उपलब्ध नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम चांदणोली के सभी तीन कुएं व 8 हैण्डपम्पों में खारा पानी है जो पीने लायक नहीं है?

(3) उक्त गांव से 2 किलोमीटर दूर मीठे पानी का कुवां है, जहां से जनता पानी भरकर लाती है?

(4) क्या सरकार उक्त कुएं से पाइप लाइन से टंकी निर्मित करवाकर 3 हजार आबादी वाले गांव को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति, बौंली के पम्प एवं टैंक जल योजना से लाभान्वित ग्राम चांदणोली (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या = 1618) में जनता जल योजना अन्तर्गत निर्मित नलकूप के सूख जाने के कारण, क्रियाशील 8 विभागीय हैण्डपम्पों से ग्राम में वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त 8 हैण्डपम्पों में से 6 हैण्डपम्पों की कराई गई रासायनिक जांच के अनुसार 5 हैण्डपम्पों का पानी हैण्डपम्पों हेतु निर्धारित पेयजल मानकों के अनुरूप है एवं एक हैण्डपम्प में टी.डी.एस. की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 3000 मिलीग्राम प्रति लीटर से मात्र 80 मिलीग्राम प्रति लीटर अधिक है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी हां।

(4) जी हां। उक्त ग्राम की जनता जल योजना अन्तर्गत निर्मित नलकूप सूख जाने के कारण विभागीय नीति अनुरूप (1500 से अधिक आबादी होने के कारण) उक्त ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर दूर निर्मित खुले कुएं से बनाई गई संवर्धन योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मार्च, 2011 में राशि रुपये 22.60 लाख की जारी हुई थी। इस स्वीकृत योजना में ग्राम के बाहर मेदपुरा रोड पर प्रस्तावित दो नलकूपों का निर्माण कार्य ग्रामवासियों के विरोध के कारण नहीं हो सका। ग्राम से 2 किलोमीटर दूर स्थानीय खुले कुएं में उपलब्ध मानक गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध होने के कारण इस कुएं से ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना की संशोधित तकनीकी स्वीकृति माह जनवरी, 2013 में राशि रुपये 21.48 लाख की जारी की गई। योजना में प्रावधित कार्यों (यथा तीन भू-तल जलाशयों का निर्माण, पाइप लाइन, पम्पिंग मशीनरी इत्यादि) का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक निविदा प्राप्त की जा चुकी है एवं अनुमोदन की प्रक्रिया में है। निविदा अनुमोदन उपरांत सफल संवेदक को कार्यादेश दिया जाकर योजना के कार्य कार्यादेश अनुरूप निर्धारित अवधि (तीन माह) में पूर्ण किये जायेंगे।

पाली जिले के खण्ड कार्यालयों में रिक्त पद

495. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के किस-किस खण्ड कार्यालय में कितने-कितने सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य जलदाय कर्मियों के पद स्वीकृत हैं?

(2) गत चार वर्षों में कौन-कौन से पद कितनी-कितनी अवधि तक रिक्त रहे?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तीन नियमित खण्डों (पाली, सोजत एवं फालना), ड्रिलिंग एवं हैण्डपम्प खण्ड, पाली तथा जवाई नहर परियोजना के दो खण्डों (सुमेरपुर एवं पाली) में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं अन्य कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण निम्नानुसार है:-

सहायक अभियन्ता के सीधी भर्ती के 159 पदों को भरने हेतु

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। चयन उपरान्त इन पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्यालय सहायक के रिक्त पदों को वर्ष 2013-14 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर भरा जा रहा है।

वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार द्वारा मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को पूर्व से ही अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। तकनीकी संवर्ग के अन्तर्गत वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। वर्तमान में संविदा श्रमिक एवं संधारण संविदा की सहायता से भी पेयजल योजनाओं का आवश्यकतानुसार संधारण कार्य करवाया जा रहा है ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारू रहे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर की पेयजल पाइप लाइन रहित आवासीय कालोनियां

496. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिले एवं क्षेत्र हैं जो अतिदोहन के कारण भूजल स्तर के डार्क जोन में आ गये हैं? उक्त जिलों में भूजल दोहन के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के किसी भी जिले में निजी बोरिंग या निजी हैण्डपम्प घरों या अन्य स्थानों पर लगवाये जाने हेतु सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अलवर शहर की अनेक कालोनियों में बसावट के 15 वर्ष बाद भी पाइप लाइनों एवं कनेक्शनों के द्वारा पेयजल

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सप्लाई नहीं की जा रही है? यदि हां, तो अलवर शहर की कितनी कालोनियों में पाइप लाइनें नहीं डाली गयी हैं एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भू-जल आंकलन रिपोर्ट दिनांक 31.03.2009 के अनुसार अतिदोहन के कारण अतिदोहित श्रेणी एवं संवेदनशील (क्रिटिकल) में आई पंचायत समितियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गये निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर नये नलकूप/बोरवैल/भू-जल दोहन के अन्य यूनिट का निर्माण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कराया जाये। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.07.2011 के द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को जिले के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करते हुए निर्देशित किया गया है कि निर्धारित मापदण्डों एवं भू-जल पर नये निर्माण से भू-जल के दोहन से क्षेत्र में उत्पन्न जल उपलब्धता स्थिति के आंकलन के आधार पर अनुमति प्रदान करेंगे।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी नहीं। विभागीय पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित अलवर शहर में नगर विकास न्यास, अलवर व नगर परिषद, अलवर द्वारा घोषित एवं विकसित समस्त क्षेत्रों/कालोनियों में विभाग द्वारा पेयजल वितरण पाइप लाइनों से जल सम्बन्ध द्वारा समुचित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

शहर की परिधि के बाहर कृषि भूमि पर विकसित गैर-अनुमोदित कालोनियों (जो नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद, अलवर द्वारा घोषित/विकसित नहीं की गई हैं) में विभागीय नीति अनुरूप पाइप लाइनों से जल सम्बन्ध द्वारा पेयजल आपूर्ति करने का प्रावधान नहीं है। इन कालोनियों में विभाग द्वारा हैण्डपम्प/नलकूप/सिंगल फेस नलकूपों से एवं निजी जल स्रोतों से पेयजल आपूर्ति हो रही है। ग्रीष्म ऋतु में ऐसे क्षेत्रों/कालोनियों में विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जल परिवहन भी किया जाकर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बीसलपुर-उनियारा-टोंक-निवाई पेयजल परियोजना की वर्तमान प्रगति

497. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू (टोंक) की तहसील निवाई की ग्रामीण जनता के लिए बीसलपुर बांध के शुद्ध पानी से पेयजल व्यवस्था हेतु बीसलपुर उनियारा टोंक निवाई पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो परियोजना के द्वारा निवाई के कितने ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सम्मिलित किया गया? ग्रामों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त परियोजना की प्रगति क्या है और कब तक इस योजना के अन्तर्गत निवाई तहसील के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत निवाई तहसील के कितने गांवों में पानी की टंकियां स्वीकृत करवाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र निवाई पीपलू (टोंक) की तहसील निवाई के 191 ग्रामों (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार) व तहसील टोंक के 8 ग्रामों सहित कुल 199 ग्रामों को बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय जल योजना, निवाई तथा टोंक तहसील (बीसलपुर-टोंक-उनियारा परियोजना से) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अगस्त, 2012 में राशि रुपये 112.88 करोड़ की जारी की जा चुकी है। उक्त परियोजना में निवाई तहसील के सम्मिलित 191 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना के कार्यों को एकल दायित्व के आधार पर करवाने हेतु आमंत्रित की गई निविदाएं माह फरवरी, 2013 में प्राप्त की जाकर वर्तमान में अनुमोदन प्रक्रिया में हैं। निविदा अनुमोदन उपरांत सफल संवेदक को कार्यादेश दिया जाकर योजना के कार्य कार्यादेश अनुरूप निर्धारित अवधि (30 माह) में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उक्त स्वीकृत परियोजना में तहसील निवाई के 36 ग्रामों में उच्च जलाशय का निर्माण कार्य प्रावधित है। वांछित सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील निवाई के 28 गांवों में एक उच्च जलाशय एवं 34 भू-तल जलाशय तथा 30 ढाणियों में 30 भू-तल जलाशय, इस प्रकार कुल एक उच्च जलाशय एवं 64 भू-तल जलाशयों के निर्माण कार्य की स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार जारी की गईं।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्रमश: 28 गांवों में 34 भू-तल जलाशयों का निर्माण कर 27 जलाशयों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ दिया गया है तथा एक उच्च जलाशय का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। 30 ढाणियों में से 28 ढाणियों में 28 भू-तल जलाशयों का निर्माण पूर्ण कर 27 जलाशयों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। शेष 2 ढाणियों हेतु स्वीकृत 2 भू-तल जलाशयों का निर्माण एक ढाणी की आबादी विस्थापित हो जाने एवं अन्य दूसरी ढाणी में स्थल विवाद होने से मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। पेयजल व्यवस्था से वर्तमान में जुड़ने से वंचित उक्तानुसार 8 भू-तल जलाशयों को माह अप्रैल, 2013 तक तथा उच्च जलाशय का निर्माण माह मई, 2013 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। वांछित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर जिले के कलक्टर एवं उपखण्ड कार्यालयों में रिक्त पद

498. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में कलक्टर कार्यालय एवं अन्य उपखण्ड कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में कलक्टर कार्यालय एवं अन्य उपखण्ड कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ लिपिक पद के सफल आशार्थियों की सूची राज्य स्तर पर प्राप्त हो चुकी है। इन आशार्थियों की सूची जिला कलक्टरों को नियुक्ति हेतु भिजवाई जा रही है।

परिशिष्ट–क

जिला सीकर में कलक्टर कार्यालय एवं अन्य उपखण्ड कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों/च.श्रे.क. के पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्यालय	क.लि.			च.श्रे.क.		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कलेक्ट्रेट, सीकर	20	12	08	17	17	0
2.	उपखण्ड कार्यालय सीकर	01	01	0	02	02	0
3.	उपखण्ड कार्यालय, दांतारामगढ़	01	01	0	02	02	0
4.	उपखण्ड कार्यालय, लक्ष्मणगढ़	01	0	01	02	02	0
5.	उपखण्ड कार्यालय, फतेहपुर	03	01	02	02	02	0
6.	उपखण्ड कार्यालय, श्रीमाधोपुर	01	01	0	02	02	0
7.	उपखण्ड कार्यालय, नीमकाथाना	03	03	0	02	01	01
	कुल योग	**30**	**19**	**11**	**29**	**28**	**1**

कृते जिला कलक्टर, सीकर

उलेड़ा ग्राम पंचायत (बूंदी) में खेल मैदान हेतु आबंटित भूमि की स्वीकृति

499. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बूंदी की ग्राम पंचायत उलेड़ा के ग्राम सीन्ता में उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त खेल मैदान हेतु ग्राम उलेड़ा में भूमि आबंटन की स्वीकृति जारी कर दी गई थी? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बूंदी की ग्राम पंचायत, उलेड़ा के ग्राम सीन्ता में उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान हेतु भूमि आबंटन विचारण में हैं। परन्तु भूमि आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की किस्म गै.मु. झाड़ झंखाड़ वाले वन (चरागाह हेतु) दर्ज होने के कारण इस सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के परिपेक्ष्य में वन विभाग से सुझाव अपेक्षित किये गये हैं। सुझाव प्राप्त होने के उपरान्त ही भूमि आबंटन किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बाड़मेर जिले के राजस्व कार्यालयों में रिक्त पद

500. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले में बायतू उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं उप तहसील गीडा में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं? पदवार एवं कार्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में बायतू उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं उप तहसील गीडा में रिक्त पदों का पदवार एवं कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ लिपिकों की सूची राज्य स्तर पर प्राप्त हो चुकी है। जिलेवार कनिष्ठ लिपिकों का पदस्थापन/आबंटन किया जा रहा है।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पटवार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो दिनांक 17.3.2013 को समाप्त हो रहा है। तत्पश्चात जिले में रिक्त पटवार मण्डलों में उक्त प्रशिक्षु पटवारियों को पदस्थापित किया जायेगा।

राजस्व मण्डल द्वारा 155 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पटवारियों की परीक्षा का आयोजन कर भू-अभिलेख निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष रिक्त पदों की भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।

परिशिष्ट-अ

पदों की संख्या व रिक्त होने की तिथि

क्र.सं.	पद नाम	उपखण्ड बायतू	तहसील बायतू	उपतहसील गिडा	वि. वि.
1	शीघ्र लिपिक	12-5-2008 एक	-	-	-
2	क. लिपिक (निर्वाचन)	18-7-2012 एक	-	-	-
3	चतुर्थ श्रे. कर्म. (संविदा पर)	12-5-2008 दो	-	-	-
4	ना. तहसीलदार	-	22-6-2012 एक	-	-
5	व. लिपिक	-	15-6-2012 एक	30-6-1996 एक	-
6	लिपिक	-	22-6-2012 पांच 4-10-2010 29-6-2010 3-1-2008 7-6-2012	5-8-2007 एक	-

उपखण्ड कार्यालय बायतू में एक पद वाहन चालक का रिक्त है एवं तहसील कार्यालय बायतू में वाहन चालक कार्यरत है तथा उप तहसील गिडा में वाहन चालक का पद स्वीकृत नहीं है।

भू-अभिलेख मद की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील बायतू में भू-अभिलेख मद के निम्न पद उनके सम्मुख अंकित तिथि से रिक्त है -	
1.	आफिस कानूनगों तहसील बायतू	12-12-2012
2.	पटवारियों के 16 पद रिक्त हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है	1-माण्डपुरा बरवाला 01-06-2012 2-पनावडा 01-06-2009 3-बायतू भीमजी 09-11-2011 4-नौसर 22-06-2012 5-कोसरिया 22-06-2012 6-बाटाडू 23-08-2012 7-खींपर 19-03-2012 8-चौखला 11-03-2012 9-गिडा 17-06-2009 10-शहर 28-03-2011 11-हीरा की ढाणी 06-12-2012 12-सोहडा 01-08-2008 13- कुम्पलिया 07-06-2011 14-लीव रिजर्व पटवारी 22-06-2012 15- कानोड 19-10-2011 16-खोखर 01-06-2012

जैसलमेर के राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

501. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में

(श्री छोटू सिंह भाटी)

राजस्व सम्बन्धी कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उनमें से अनेक प्रकरण 10 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार ऐसे प्रकरणों को त्वरित कार्यवाही से निस्तारित कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर उन्हें निस्तारित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राजस्व सम्बन्धी विचाराधीन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि जैसलमेर जिले के राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण में 10 वर्ष से भी अधिक अवधि के 10 प्रकरण विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरणों की मूल पत्रावलियां राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को प्रेषित की गई हैं। प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट–अ

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

जिला कलक्टर, जैसलमेर/अति. जिला कलक्टर, जैसलमेर/उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर/पोकरण/फतेहगढ़ के न्यायालयों में राजस्व अभियोगों के दायर/निस्तारण/शेष की स्थिति का मानचित्र माह-दिसम्बर, 2012

नाम न्यायालय	किस्म मुकदमा	बकाया	दायर	कुल योग	निस्तारण का विवरण				अवशेष	अवशेष का वर्गीकरण							
					एक पक्षीय	बहु पक्षीय	रथाना	कुल योग		6 माह से कम	6 माह से एक वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से	10 वर्ष से अधिक	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
जिला कलक्टर, जैसलमेर	अपील	09	01	10	00	01	00	01	09	05	01	00	00	03	00	00	00
	निगरानी	23	00	23	00	03	00	03	20	06	02	00	03	00	09	00	00
	विविध	04	00	04	00	01	00	01	03	03	00	00	00	00	00	00	00
	ईजराय	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	योग	36	01	37	00	05	00	05	32	14	03	00	03	03	09	00	00
अति. जिला कलक्टर, जैसलमेर	निगरानी	12	00	12	00	00	00	00	12	10	02	00	00	00	00	00	00
	अपील	17	02	19	00	00	00	00	19	17	02	00	00	00	00	00	00
	256.257 RLR Act	01	00	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	01	00
	विविध	13	00	19	00	00	00	00	13	07	00	00	00	00	00	00	00
	ईजराय	00	00	00	00	00	00	00	00	00	06	00	00	00	00	00	00
	योग	43	02	45	00	00	00	00	45	34	10	00	00	00	00	01	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
उपखण्ड, अधिकारी, जैसलमेर	राजस्व वाद	117	03	120	00	02	00	02	118	30	22	18	12	06	00	01	00
	अपील	19	01	20	00	00	00	00	20	09	07	02	02	00	00	00	00
	विविध	101	01	102	00	03	00	03	99	37	11	05	34	12	00	00	00
	ईजराय	02	00	02	00	00	00	00	02	00	01	00	00	01	00		00
	भूमि अवाप्ति	05	00	05	00	00	00	00	05	00	05	00	00	00	00	00	00
	योग	244	05	249	00	05	00	05	244	106	46	25	48	19	00	00	00
उपखण्ड अधिकारी, पोकरण	राजस्व वाद	233	05	238	00	00	00	00	238	98	36	27	40	20	00	00	00
	अपील	23	07	30	00	00	00	00	30	12	04	03	03	05	07	10	00
	विविध	106	04	110	00	00	00	00	110	55	10	13	20	09	03	00	00
	ईजराय	18	00	18	00	00	00	00	18	15	00	00	02	01	02	01	00
	योग	380	16	396	00	00	00	00	396	180	50	43	65	35	00	00	00
उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़	राजस्व वाद	157	01	158	00	00	00	00	158	110	17	12	06	13	12	11	00
	प्रा. पत्र	45	00	45	00	03	00	03	42	23	19	00	00	00	00	00	00
	अपील	11	00	11	00	00	00	00	11	06	05	00	00	00	00	00	00
	विविध	29	00	29	00	01	00	01	28	28	00	00	00	00	00	00	00
	ईजराय	02	00	02	00	00	00	00	02	02	00	00	00	00	00	00	00
	योग	244	01	245	00	04	00	04	241	169	41	12	06	13	00	00	00

नोट :- उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के कालम सं. 16 व 17 में अंकित मूल पत्रावली अपील/रिवीजन में राजस्व मण्डल में भिजवाई हुई है।

प्रदेश में बीज निगम द्वारा बीजों के प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित मानदण्ड

502. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में बीज निगम द्वारा किन-किन बीजों को कहां-कहां पर प्रमाणित किया जाता है तथा उन्हें प्रमाणित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित है? बीजों की सूची एवं मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में वर्ष 2009 से अब तक कितने नकली बीजों के प्रकरण प्रकाश में आये तथा उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीज निगम द्वारा बीज प्रमाणीकरण का कार्य नहीं किया जाता है। राज्य में बीज प्रमाणीकरण का कार्य राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाता है। प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा उत्पादित, उन सभी फसलों की भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों के बीजों का प्रमाणीकरण किया जाता है, जिसके लिये उत्पादक संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव दिये जाते हैं। बीज प्रमाणीकरण कार्य हेतु फसलवार न्यूनतम प्रमाणीकरण के मानकों का विवरण (क्षेत्र मानक एवं बीज मानक) परिशिष्ट-1 (पृष्ठ सं. 1 से 16) पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में वर्ष 2010-11 में नकली बीज का एक प्रकरण (मैसर्स मयंक एग्रीजिनेटिक्स, जोधपुर) प्रकाश में आया था, जिसके सम्बन्ध में फर्म के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया। जिले में अन्य कोई नकली बीज प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आरक्षित वर्ग के कृषकों को प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अनुदान/छूट

503. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा कृषकों एवं उद्यमियों को वर्ष 2012-13 में

(श्रीमती संजना आगरी)

उद्यानिकी उत्पादों/पारम्परिक फसलों/नकदी फसलों व मसालों की प्रसंस्करण इकाई स्थापना के लिए अनुदान दिया जाने का प्रावधान किया गया है?

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को कितना-कितना अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है? इसमें आवेदन की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य लघु कृषकों को कितनी प्रतिशत छूट दी जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में कृषक/कृषक उद्यमियों द्वारा उद्यानिकी उत्पादों/पारम्परिक फसलों/नकदी फसलों/मसालों की प्रसंस्करण इकाई स्थापना के लिए अनुदान योजना में अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) सभी श्रेणी के कृषकों, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक भी शामिल हैं, को प्रसंस्करण इकाई स्थापना पर पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये, जो भी कम हो अनुदान देय है। योजना के दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(3) सभी श्रेणी के कृषकों को समान रूप से उक्तानुसार अनुदान देय है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज/निस्तारित प्रकरण

504. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा फूड सेफ्टी एक्ट अधिनियम लागू किया गया है? यदि हां, तो कब से? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किये गये हैं? यदि हां, तो कितने एवं उनमें से कितने मामलों का निस्तारण किया गया तथा शेष कब से लम्बित हैं एवं अब कब तक उनका निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 05.08.2011 से राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रभावी रूप से लागू है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 5.8.2011 से 31.12.2012 तक 1936 सबस्टेण्डर्ड/मिसब्राण्ड/अनसेफ पाये गये जिनमें से 487 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 1449 प्रकरणों में से 739 प्रकरण विभागीय स्तर पर बकाया है, जो एक्ट में निर्धारित अवधि में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे 710 माननीय न्यायालय/न्यायनिर्णयन अधिकारी के यहां विचाराधीन है जिसका निर्णय सम्बन्धित माननीय न्यायालय/न्यायनिर्णयन अधिकारी के द्वारा किया जाना है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

धौलपुर जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य

505. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है प्रदेश में सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले के लिये जो परिवार कल्याण के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उसमें धौलपुर जिला पिछड़ गया है?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम में उदासीनता बरतने वाले उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी के लक्ष्यों को कम प्राप्त करने के कारण डा. श्रीमोहन मीणा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) धौलपुर, डा. चेतराम मीणा, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर, डा. केदार मीणा, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बसेड़ी, डा. महेश वर्मा, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजाखेड़ा, डा. बी.एल. साहू, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाडी को कारण बताओ नोटिस जारी किये थे

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर के द्वारा उपरोक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों के प्रस्तुत प्रति उत्तरों की समीक्षा उपरान्त सभी को भविष्य में कार्यक्रम में पूर्ण रूचि लेकर वर्ष 2012-13 के नसबंदी के लक्ष्यों की संतोषप्रद प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु लिखित में चेतावनी दी गई है।

तम्बाकू युक्त गुटखा विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

506. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में तम्बाकू युक्त गुटखा पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त तिथि के बाद से जनवरी, 2013 तक किस-किस जिले में कितने-कितने छापे पान मसाला फैक्ट्रियों/थोक विक्रेताओं पर डाले गये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में अवैध रूप से गुटखों का विक्रय निरन्तर जारी है? यदि हां, तो क्यों एवं इन पर रोक हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(4) प्रदेश में अब तक किन-किन फर्मों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है एवं किन-किन व्यक्तियों को मुल्जिम बनाया गया है एवं उक्त प्रकरणों में वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सादा पान मसाला एवं तम्बाकू युक्त उत्पादों पर पूर्ण रूप से रोक लगाकर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में तम्बाकू युक्त गुटखा पर दिनांक 18.07.2012 से रोक लगाई गई है।

(2) दिनांक 18.7.2012 से 31.01.2013 तक राज्य में 5101 पान मसाला फैक्ट्रियां/थोक विक्रताओं के यहां छापे मारे गये। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) राज्य में किसी भी फर्म के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई परन्तु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2011 के तहत अनसेफ/मिसब्राण्ड/सबस्टेण्डर्ड/धारा 58 के तहत दर्ज प्रकरणों में जिन व्यक्तियों को मुलजिम बनाया गया उनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) सादा पान मसाला एवं तम्बाकू युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गठित ग्राम स्वास्थ्य समितियां

507. डा. [श्रीमती] परम नवदीप सिंह (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कितने गांवों में ग्राम स्वास्थ्य समितियों का गठन किया गया? उक्त समितियों के प्रबन्धन व कार्य संचालन हेतु कितनी राशि प्रतिवर्ष इन समितियों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि को किस-किस मद में व्यय करने का प्रावधान है तथा समितियों द्वारा विगत पांच वर्षों में किस-किस मद में यह राशि व्यय की गयी है? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हाल ही में सरकार ने ग्राम स्वास्थ्य समितियों का ग्राम स्तर पर अलग से बैंक खाता खोलने का आदेश जारी किया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 43440 ग्राम स्वास्थ्य समितियों का गठन किया गया। जिलेवार गठित ग्राम स्वास्थ्य समितियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

समस्त जिलों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय स्वीकृति की वर्षवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) ग्राम स्वास्थ्य समितियों को उपलब्ध कराई गई राशि निम्नलिखित गतिविधियों में व्यय किये जाने का प्रावधान है:-

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सशक्तिकरण हेतु (बैठकों का आयोजन, प्रशिक्षण, स्वच्छता)

मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सुदृढ़ीकरण हेतु (प्रचार-प्रसार एवं उपकरणों की खरीद इत्यादि)

स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता हेतु

असाधारण एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु रोगियों के लिए वाहन व्यवस्था के लिए

शौचालय निर्माण

पशुओं हेतु खेली एवं हेचरी निर्माण।

गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था।

अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के इलाज।

प्रेरक अथवा प्रतिपूर्ति एवं पुरुस्कार राशि प्रदान करने हेतु।

प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां हेतु।

ग्राम स्वास्थ्य समितियों के व्यय के सम्बन्ध में गाइड लाइन परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उक्त गाइड लाइन के अनुसार ही ग्राम स्वास्थ्य समितियों के द्वारा जिलों में व्यय किया जा रहा है। जिलेवार एवं वर्षवार व्यय विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 21.12.2012 के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति के नाम से बैंक खाता खुलवाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये। तत्पश्चात आदेश दिनांक 11.03.2013 के द्वारा स्मरण पत्र समस्त जिलों को भेजा गया। आदेशो की प्रति परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(सूचियां, प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

खाजूवाला में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

508. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पूगल एवं छतरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न संख्या-509

(स्थगित)

जोधपुर मेडिकल कालेज में विभिन्न कार्यों हेतु जारी स्वीकृतियां

510. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेडिकल कालेज, जोधपुर एवं चिकित्सालय समूह में दिसम्बर, 2008 से 31 जनवरी, 2013 तक किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रकाशन एवं कार्यादेश कब-कब जारी किये गये? कार्यवार ए.एस.टी., एस.एफ.एस., एन.आई.टी. और कार्यादेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रशासनिक स्वीकृति से कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया में चरणवार कितने-कितने समय में प्रक्रिया पूर्ण होने के प्रावधान है और उक्त कार्यों में प्रावधान अवधि के विरुद्ध कितनी अवधि में प्रक्रिया के चरण सम्पादित किये गये हैं? इसके क्या कारण रहे और इस प्रक्रिया सम्पादन में विलम्ब के लिए किसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर क्या कार्यवाही की गई?

(3) उक्त समस्त कार्यों की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्या है?

(4) उक्त में से कितने कार्य तय अवधि में पूर्ण हो गये हैं और कितने तय अवधि से विलम्ब से चल रहे हैं? कार्य सम्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए किसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं?

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज, जोधपुर एवं चिकित्सा समूह में दिसम्बर, 2008 से 31 जनवरी, 2013 तक प्राप्त स्वीकृतियों का विवरण मय ए.एस., एफ.एस., टी.एस., एन.आई.टी. एव कार्यादेश की प्रतियों सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) प्रशासनिक स्वीकृति से कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया में चरणवार कोई निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं है। स्वीकृतियों का सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। परन्तु विभिन्न स्तरों पर निविदाओं के अन्तिम निस्तारण के लिये समय सीमा निर्धारित है जो परिशिष्ट-2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त समस्त कार्यों की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(4) तय अवधि में पूर्ण हुए कार्य तथा विलम्ब से चल रहे कार्यों एवं उनके कारण एवं उत्तरदायित्व का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के जन-प्रतिनिधियों को टोल नाकों पर टोल भार से छूट

511. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में निर्मित राष्ट्रीय उच्च मार्ग/राज्य सड़कें एवं एम डी आर आदि सड़कों पर लगे टोलभार से किन-किन संस्थाओं/व्यक्तियों को मुक्त रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला परिषद सदस्यों/पंचायत समिति सदस्यों/सरपंच/प्रधान/कृषि उपज मण्डी अध्यक्ष आदि जनप्रतिनिधियों को टोल टैक्स से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में निर्मित एन.एच. पर राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 संशोधन दिनांक 03.12.2010 में टोल भार से जिन-जिन संस्थाओं/व्यक्तियों को मुक्त रखा गया है, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

राज्य सड़कें, एम.डी.आर. आदि सड़कों पर राजस्थान सड़क विकास

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अधिनियम, 2002 के तहत टोल वसूली की जाती है तथा इन पर टोल भार से जिन संस्थाओं/व्यक्तियों को मुक्त रखा गया है उसका विवरण इस अधिनियम के तहत जारी फीस अधिसूचना में किया हुआ है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल पर भारत सरकार के नियम लागू हैं, जिसमें संशोधन/परिवर्तन करना भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

राज्य सरकार ने पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यानों को राज्य सड़कें एम.डी.आर. आदि सड़कों पर ऊपर वर्णित फीस अधिसूचना के तहत टोल फीस से मुक्त किया हुआ है। शेष के बारे में इस प्रकार टोल फीस से मुक्त करने बाबत् कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

सलूम्बर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

512. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर जिला उदयपुर में कितने किमी सड़कें किस-किस योजना के तहत निर्मित हैं एवं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है?

(2) क्या सरकार क्षतिग्रस्त डामर सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कौन-कौन सी सड़क तथा कितनी राशि से?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर जिला उदयपुर में विभिन्न योजनाओं में निर्मित सड़कों एवं उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में डामर सड़क की कुल लम्बाई 891.69 कि.मी. में से 124.40 कि.मी. क्षतिग्रस्त हैं। इनमें से 34.80 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत हैं, शेष 89.60 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीडवाना की सानिया से वगतपुरा सड़क निर्माण कार्य

513. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की सानिया से वगतपुरा सड़क लगभग 5 किलोमीटर डामर सड़क का निर्माण कार्य कब, कितनी लागत से, किस योजनान्तर्गत व किन संवेदक द्वारा करवाया गया? निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की तिथि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य में दोनों ओर की पटरियों, साइडों के कार्य पेटे भी राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य में दोनों ओर की साइडें, फुटपाथ पटरियों का निर्माण कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि निर्माण की अल्पावधि में ही उक्त सड़क जगह-जगह से उखड़ कर बिखर चुकी है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क पर पुन: डामरीकरण कराने, पटरियों, साइडों का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की सानिया से वगतपुरा तक 5.50 कि.मी. लम्बाई में सड़क का निर्माण 17.05.2012 तक रुपये 99.96 लाख की लागत से योजना मद में मैसर्स श्री नारायण कन्स्ट्रक्शन द्वारा किया गया। उक्त कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की तिथि क्रमश: 18.02.2012 व 17.05.2012 थी।

(2) जी हां। सड़क निर्माण कार्य में दोनों ओर पटरी निर्माण हेतु स्वीकृत तकमीनों में रुपये 6.31 लाख का प्रावधान था।

(3) जी नहीं। सड़क निर्माण के दोनों ओर कटाण रास्ते के उपलब्ध भू-भाग की चौड़ाई अनुसार पटरियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

(4) जी नहीं। सड़क की स्थिति संतोषप्रद है।

(5) जी नहीं। सड़क की स्थिति संतोषप्रद है।

जयपुर जिले के ग्राम दतुली से भोजपुरा सड़क का नवीनीकरण कार्य

514. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी जिला जयपुर में ग्राम दतुली से भोजपुरा तक सड़क का नवीनीकरण कराया गया है? यदि हां, तो कब और कितने किलोमीटर सड़क का? कार्य आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का एक किलोमीटर हिस्सा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त नवीनीकरण कार्य का संवेदक को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का एवं कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त शेष हिस्से का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार कार्य अधूरा छोड़ने वाले संवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील फागी जिला जयपुर में ग्राम दतूली से भोजपुरा सड़क पर माह जून, 2012 में स्वीकृत लम्बाई 3.750 कि.मी. में से 2.30 कि.मी. लम्बाई (कि.मी. 0/0 से 0/300 एवं 1/750 से 3/750 तक) में नवीनीकरण करवाया गया। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त सड़क के 1.45 कि.मी. (कि.मी. 0/300 से 1/750 तक) में बांध के पानी का सड़क में रिसाव के समाधान एवं सुदृढ़ीकरण का प्रावधान स्वीकृत राशि में न होने के कारण मात्र नवीनीकरण का स्वीकृत कार्य नहीं कराया गया।

(3) जी हां। उक्त नवीनीकरण से सम्बन्धित संवेदक को 2.30 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण हेतु राशि रुपये 21.80 लाख का भुगतान किया गया है।

(4) जी हां। पूर्व स्वीकृति में शेष रहे 1.45 कि.मी. लम्बाई में से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

0.750 कि.मी. लम्बाई (कि.मी. 1/0 से 1/750 तक) में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत एवं निविदा प्रक्रियाधीन है। 1.45 कि.मी. में से शेष रहे 0.700 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 13वें वित्त आयोग 2013-14 में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं। संवेदक द्वारा विभागीय निर्देशानुसार स्वीकृत राशि में कार्य किया गया है।

परिशिष्ट-1

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER : PWD : DISTRICT DIVISION I : JAIPUR

No.EE-I/ Dated :-

M/s Hardayal Construction Pvt. Ltd.,
"AA" Class PWD Contractor,
4, Geejgarh Vihar, Hawa Sarak,
Bais Godam, Jaipur

Sub :- Work order for "Rehabilitations & Upgradation of Damaged Rural Roads under RIDF-XVI (NABARD)-2010-2011
(Package No. RJ-16-01/RIDF-XVI/Reh./Plan./2010-11)

Ref :- Your tender dated 13.10.2010 in PWD Rural Circle Jaipur

Dear Sir,

Your lowest rate @ 21.52% Below (Twenty One point Five Two percent below) schedule 'G' based on BSR May 2009 aggregating to Rs. 1,08,68,395.00 (Rs. One Crore Eight Lac Sixty Eight Thousand Three Hundred Ninety Five Only) has been approved by the Superintending Engineer, PWD, Rural Circle, Jaipur vide his No. 6816 dated 20.10.2010 on behalf of the Governor of the State of Rajasthan, Jaipur, without any condition.

You are hereby directed to start the work at once under the instruction of the Assistant Engineer, PWD, District Sub-Dn. Dudu-I/Dudu-II/Phagi-II/ Renwal Manji and complete the same within Six months as mentioned in the NIT and tender papers. The date of commencement & stipulated date of completion of the work shall be as follows :-

1. Date of commencement :- 30.10.2010
2. Stipulated date of completion :- 29.04.2011

This letter of acceptance together with the tender Form No. PWD.MF.100 embodying all the conditions there in constitutes the contract agreement No. 111 of 2010-11, between you and the Governor of the State of Rajasthan for the aforesaid work.

You are requested to obtain STP from Mining Department before

commencement of work and submit the same to this office before payment of Ist Running Bill & attend this office for executing the contract agreement along with Non Judicial Stamp of Rs. 5000/- only within a period of seven days.

Yours faithfully,
Executive Engineer, PWD
District Division-I, Jaipur

मारवाड़ जंक्शन की मिसिंग लिंक सड़कें

515. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के बांता से पांचेलिया, पांचेलिया से वाडिया वाया गुडा हिन्दू, भिवालियां से बांता, चौधरियों की ढाणी से बांता, देवली से ईसाली, वाडिया से बांता, कराडी से सारियों की ढ़ाणी को डामर सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार 250 से ज्यादा आबादी वाले ग्राम गुडा हिन्दू एवं दोलजी के गुडा को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा मारवाड़ जंक्शन के बांता, पांचेटिया, वाडिया, गुडा हिन्दू, भिंवालिया, चौधरियों की ढाणी, देवली, ईसाली, कराड़ी, साठियों की ढाणी पूर्व में ही डामर सड़कों से जुड़े हुए हैं। इन डामर सड़कों से जुड़े गांवों को आपस में जोड़ना प्राथमिकता में नहीं है तथा 177 की आबादी का गांव गुडा हिन्दू को डामर सड़क से चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। जनगणना 2001 पर गांव गुडा हिन्दू की आबादी (177) को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाना प्रस्तावित है तथा दौलजी का गुडा की आबादी (85) है। राज्य सरकार द्वारा जनगणना 2001 पर 100 से 249 की आबादी के गांवों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

उदयपुर सम्भाग के निर्माणाधीन जल स्रोत/बांध

516. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर से बहने वाली प्रमुख नदियों पर जनवरी, 2013 तक कहां-कहां वर्षा जल को रोककर बांधों का निर्माण किया जा चुका है और किस-किस पर निर्माणाधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्मित बांधों एवं विचाराधीन कौन-कौन से ऐसे बांध हैं, जिनसे कितनी कृषि भूमि सिंचित होगी और कितनी जनसंख्या को पेयजल सुलभ कराया जावेगा? बांधों से सिंचित क्षमता की तुलना में कितनी भूमि सिंचित की जा रही है? उक्त बांधों की भराव क्षमता क्या है और क्षमतानुसार नहरों का निर्माण नहीं होने से कितने हैक्टर भूमि पर सिंचाई नहीं हो पा रही है एवं कितनी नहरें अधूरी हैं एवं कितनी कच्ची हैं एवं इस कारण से भी कितने हैक्टर भूमि पर भी सिंचाई नहीं हो रही है, इससे कितने कृषक प्रभावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जिले में निर्माणाधीन जलस्रोतों के काम अधूरे हैं? उक्त जलस्रोतों का निर्माण कब से प्रारम्भ किया और कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था? अभी तक पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं? प्रत्येक बांध की भराव क्षमता, कमाण्ड एरिया, डेड स्टोरेज आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दक्षिणी राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर से बहने वाली प्रमुख नदियों में साबरमती, माही शिवना, रेतम, बनास, माही, सोम, मोरन, भादर, माजम एवं जाखम आती हैं। जनवरी, 2013 तक विभिन्न नदियों पर जो बांध निर्मित/निमार्णाधीन हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जल संसाधन विभाग में निर्मित बांध, उनका सिंचित क्षेत्र, भराव क्षमता इत्यादि का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। उक्त बांधों से उदयपुर सम्भाग में कुल 9.15 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा निर्माणाधीन देवास द्वितीय, हजेरा बांध व माही बांध से 7.06 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाया जावेगा। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। परियोजनाओ में नहरों का निर्माण, बांधों की जल भराव क्षमता के अनुसार किया गया है/प्रगतिरत है। प्रतिवर्ष वर्षा से बांधों में उपलब्ध पानी से

(जल संसाधन मंत्री)

अधिक से अधिक कृषकों की भूमि को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाता है। कच्ची एवं पक्की नहरों का निर्माण कार्य भौगोलिक स्थिति एवं स्ट्रेटा के अनुसार निर्माण किया गया। समय-समय पर राज्य सरकार एवं बाहरी सहायता से प्राप्त राशि से नहरों की मरम्मत एवं पक्का करने का कार्य किया जाता है। परियोजना का कार्य अनुमोदित तखमीने के अनुसार पूर्ण किया गया है अत: कोई कृषक प्रभावित नहीं है।

(3) जी हां।

भंवर सेमला बांध :- भवर सेमला बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसे वर्ष 1999 में आरम्भ किया गया था जिसे वर्ष 2001 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था, किन्तु निर्माण सामग्री के उपलब्ध नहीं होने से एवं पर्याप्त बजट आबंटन के अभाव से परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। अत: इसे वर्ष 2013-14 तक पूर्ण किया जाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसमें 0.77 कि.मी. पक्की एवं 29.6 कि.मी. दो कच्ची नहरें निकालकर प्रतापगढ़ तहसील के 11 गांवों की 1295 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

हाण्डा खेडा पिक-अप-वियर :- प्रतापगढ़ क्षेत्र में हाण्डा खेडा पिक-अप-वियर का कार्य प्रगति पर है जिसका निर्माण कार्य माह 9/2012 में प्रारम्भ कर कार्य नियम समय अनुसार 9/2014 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त बांधों की भराव क्षमता, अनुपयोगी भराव क्षमता एवं कमाण्ड एरिया का विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के अविद्युतीकृत ग्राम/ढाणियां

517. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितने गांव/ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश के सभी गांव/ढाणियों का विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों व योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री अनिल जैन)

(3) क्या सरकार विद्युतीकरण से वंचित गांव/ढाणियों का शीघ्र विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल 41,353 गांव हैं जिनमें 39,753 आबाद व 1,600 गैर आबाद ग्राम हैं। कुल 39,753 आबाद ग्रामों में से 39,268 ग्राम माह जनवरी, 2013 के अन्त तक विद्युतीकृत हैं तथा शेष 485 आबाद ग्राम अविद्युतीकृत हैं। 1600 गैर आबाद ग्रामों में से 814 गैर आबाद ग्राम विद्युतीकृत हैं व शेष 786 ग्राम अविद्युतीकृत हैं। जिलेवार विद्युतीकृत ग्रामों का एवं राज्य की ढाणियों का संख्या विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) 154 आबाद अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना शेष है जो योजना कार्यकाल माह मार्च, 2013 तक किया जाना प्रस्तावित है। 110 आबाद अविद्युतीकृत ग्राम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विद्युतीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं। उनमें से 42 गांव सोलर घरेलू ऊर्जा संयंत्रों द्वारा विद्युतीकृत किये जा चुके हैं तथा शेष 68 गांव केन्द्र सरकार की रूरल एरिया एक्सेस प्रोग्राम-प्रथम के जारी होने पर विद्युतीकृत किये जा सकेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत 221 ग्राम वन क्षेत्र/डूब क्षेत्र/आबाद से गैर आबाद हुये ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 786 गैर आबाद अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है।

राज्य में ढाणियों का कोई अधिकृत समंक (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं है तथापि पेयजल विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार के अधीन) के राष्ट्रीय हैबीटेशन सर्वे, 2003 के अनुसार राज्य में कुल 1,10,633 ढाणियां चिन्हित की गई हैं। इनमें से 78,791 ढाणियां माह जनवरी, 2013 तक विद्युतीकृत हो चुकी हैं तथा शेष 31,842 ढाणियां अविद्युतीकृत हैं।

स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्यकाल मार्च, 2013 तक बढ़ाया गया है जिसकी प्रति प्रपत्र-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) 154 आबाद अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना शेष है जो योजना

(ऊर्जा मंत्री)

कार्यकाल माह मार्च, 2013 तक किया जाना प्रस्तावित है। 110 आबाद अविद्युतीकृत ग्राम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विद्युतीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं। उनमें से 42 गांव सोलर घरेलू ऊर्जा सयंत्रों द्वारा विद्युतीकृत किये जा चुके हैं तथा शेष 68 गांव केन्द्र सरकार की रूरल एरिया एक्सेस प्रोग्राम-प्रथम के जारी होने पर विद्युतीकृत किये जा सकेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत 221 ग्राम वन क्षेत्र/डूब क्षेत्र/आबाद से गैर आबाद हुये ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 786 गैर आबाद ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है।

पूर्व में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित होने से वंचित रह गई 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतीकृत ढाणियों को पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित की जा रही है। इस पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को वास्तविक सर्वे आधार पर बनाने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की सह कम्पनी आरईसी-पीडीसीएल को कार्यादेश जारी किये गये हैं। योजनाएं बनाने का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से इन योजनाओं की स्वीकृति के बाद ही इनमें सम्मिलित ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के लिए अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रपत्र 'अ'

राज्य में ढाणियों का कोई अधिकृत समंक (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं है तथापि पेयजल विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार के अधीन) के राष्ट्रीय हैबिटेशन सर्वे, 2003 के अनुसार राज्य में कुल 1,10,633 ढाणियां चिन्हित की गई हैं। इनमें से 78,791 ढाणियां माह जनवरी, 2013 तक विद्युतीकृत हो चुकी हैं तथा शेष 31,842 ढाणियां अविद्युतीकृत हैं।

प्रपत्र 'अ'

STATUS OF VILLAGE ELECTRIFICATION AS ON 31.01.2013

(As Per old Definition **Tentative**

S. No.	Name of Distt.	No. of village as per census 2001			Villages Electrified as on 31.01.13			Villages remaining un electrified due to					
		Pop.	Un pop	Total	pop.	Un pop	Total	Populated village				Un pop. Villages	Total
								Fall under forest/sub mergence/be un pop.	To be ele By RREC	balance to be electri-fied under RGGVY	Total		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Jaipur Discom												
1	Alwar	1954	40	1994	1942	18	1960	0	12	0	12	22	34
2	Baran	1089	118	1207	1055	45	1100	34	0	0	34	73	107
3	Bharatpur	1366	106	1472	1362	49	1411	4	0	0	4	57	61
4	Bundi**	839	10	849	822	6	828	9	8	0	17	4	21
5	Dausa	1025	33	1058	1025	26	1051	0	0	0	0	7	7
6	Dholpur	786	16	802	743	3	746	0	0	43	43	13	56
7	Jaipur	2077	54	2131	2077	44	2121	0	0	0	0	10	10
8	Jhalawar	1477	123	1600	1469	52	1521	8	0	0	8	71	79
9	Karauli	755	43	798	744	18	762	10	1	0	11	25	36
10	Kota**	812	80	892	799	44	843	6	7	0	13	36	49
11	S. Madhopur	719	75	794	711	32	743	6	2	0	8	43	51
12	Tonk	1032	61	1093	1029	29	1058	3	0	0	3	32	35
	Total (A)	13931	759	14690	13778	366	14144	80	30	43	153	393	546
	Ajmer Discom												
1	Udaipur	2339	12	2351	2260	12	2272	67	9	3	79	0	79
2	Chittorgarh	2201	194	2395	2185	109	2294	12	4	0	16	85	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Banswara	1476	28	1504	1353	9	1362	0	34	89	123	19	142
4	Ajmer	1025	13	1038	1025	13	1038	0	0	0	0	0	0
5	Sikar	986	6	992	986	6	992	0	0	0	0	0	0
6	Jhunjhunu	855	4	859	855	4	859	0	0	0	0	0	0
7	Rajsamand	973	14	987	973	14	987	0	0	0	0	0	0
8	Bhilwara	1693	52	1745	1693	52	1745	0	0	0	0	0	0
9	Nagaur	1383	19	1402	1382	19	1401	1	0	0	1	0	1
10	Doongarpur	854	4	858	854	4	858	0	0	0	0	0	0
	Total (B)	13785	346	14131	13566	242	13808	80	47	92	219	104	323
	Jodhpur Discom												
1	Barmer	1933	8	1941	1894	4	1898	21	0	18	39	4	43
2	Bikaner	707	71	778	677	5	682	25	5	0	30	66	96
3	Jaiselmer	600	37	637	572	3	575	5	23	0	28	34	62
4	Jalore	697	9	706	697	9	706	0	0	0	0	0	0
5	Ganganagar	2830	184	3014	2826	127	2953	0	3	1	4	57	61
6	Hanumangarh	1773	132	1905	1771	32	1803	0	2	0	2	100	102
7	Sirohi	455	7	462	455	7	462	0	0	0	0	0	0
8	Pali	936	13	949	931	13	944	5	0	0	5	0	5
9	Jodhpur	1058	5	1063	1058	4	1062	0	0	0	0	1	1
10	Churu	951	28	979	946	1	947	5	0	0	5	27	32
11	Nagaur (P.S. Ladnu)	97	1	98	97	1	98	0	0	0	0	0	0
	Total (C)	12037	495	12532	11924	206	12130	61	33	19	113	289	402
	Grand Total	39753	1600	41353	39268	814	40082	221	110	154	485	786	1271

Note : Village electrification as per RGGVY Scheme.

प्रपत्र-'ब'

RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Project Office : J-4-A, Jhalana Doongri Institutional Area, Jaipur – 302 004

Tele Fax : 2706986 Tel. : 2707840, 2700161 & 2700162

E-Mail : recpoipr@rediffmail.com

REC/POR/RGGVY/2012-2013/1577 Dated : 26.12.2012

The Secretary (Enegry)
Energy Deptt.,
Govt. of Rajasthan,
Sachivalaya, Jaipur

Sub : Extension of project execution period in respect of projects approved in 10th and 11th plan sanctioned under RGGVY.

Sir,

This has reference to this office letter no. 180 dated 03.05.2012 vide which project execution period has been considered to be extend up to 31st Dec., 2012 for release of funds under RGGVY in ongoing projects.

Considering the field constraints, as intimated by the implementing agencies to complete the ongoing projects sanctioned under RGGVY, competent authority has agreed to continue to release of eligible funds upto 31st March, 2013, or 24 months from the date of award, (whichever is later) for all Phase-I Projects of 10th & 11th plan, subject to the following :

A. There will be no additional financial implication including price variation and,

B. Other terms and condition of the programme shall remain unchanged.

It is requested that the concerned Discoms/Implementing Agencies may kindly be advised to make concerted efforts to complete the work well before 31.03.2013 & closure proposal be submitted.

Yours faithfully,
Sd/-
(Harsh Baweja)
Chief Project Manager

करौली के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य-योजना

518. श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कितने-

(श्रीमती रोहिणी कुमारी)

कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति करना निर्धारित किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या करौली जिला मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित घण्टों के अनुरूप ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो जिला मुख्यालय पर कितने घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए सरकार द्वारा घोषित 6 घण्टे की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से की जाती है? यदि हां, तो करौली विधान सभा क्षेत्र के गांवों में गत तीन माह में कहां-कहां, कितने-कितने घण्टे नियमित विद्युत आपूर्ति की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा वर्तमान में सभी जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में सामान्यत: 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेज विद्युत उपलब्धता के अनुसार 20 से 22 घंटे आपूर्ति की जा रही है एवं कृषि कार्य हेतु साप्ताहिक रोटेशन से दिन के ब्लाक में 6 घण्टे एवं रात्रि के ब्लाक में 7 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) करौली जिला मुख्यालय पर सामान्यत: 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की भांति विद्युत उपलब्धता अनुसार व तकनीकी व्यवधानों को छोड़कर 20 से 22 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं कृषि कार्य हेतु साप्ताहिक रोटेशन से दिन के ब्लाक में 6 घण्टे एवं रात्रि के ब्लाक में 7 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र करौली में भी कृषि कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रोटेशन से दिन के ब्लाक में 6 घण्टे एवं रात्रि के ब्लाक में 7 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

भीम में प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन

519. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में विद्युत आपूर्ति हेतु

(श्री हरिसिंह रावत)

सरकार द्वारा 132 केवी जी.एस.एस. के निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कहां पर और कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जी.एस.एस. का निर्माण प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार उक्त कार्य को अब कब तक पूरा कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भविष्य में बढ़ते हुये विद्युत भार के मद्देनजर अजमेर विद्युत वितरण निगम को 15 बीघा भूमि ग्राम नन्दवाट (भीम) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के लिए आबंटित हुई है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भीम में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तकनीकी रूप से साध्य नहीं होने के कारण विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भीम में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तकनीकी रूप से साध्य नहीं होने के कारण विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर डिस्काम में घटिया विद्युत उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

520. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर डिस्काम के क्षेत्राधिकार में गत चार वर्षों में खरीदे गए ट्रांसफार्मर, मीटर तथा अन्य विद्युत उपकरण गारंटी अवधि में ही खराब हो गए या उपयोग से पहले या तत्काल बाद घटिया पाए गए? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में जोधपुर डिस्काम ने ऐसे निम्न स्तरीय विद्युत उपकरण सप्लाई करने वाली फर्मों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही की? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर डिस्काम के क्षेत्राधिकार में गत चार वर्षों में खरीदे गए

(ऊर्जा मंत्री)

ट्रांसफार्मर, मीटर एवं अन्य विद्युत उपकरण, जो गारंटी पीरियड में ही खराब हो गए या उपभोग से पहले या तत्काल बाद घटिया पाए गए उनका विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) मीटर या ट्रांसफार्मर आपूर्तिकर्ता फर्म को अनुबंध की शर्तों के तहत निविदा में निर्धारित मूल्य पर क्रमश: मीटर या ट्रांसफार्मर आपूर्ति करने होते हैं। सामान्यत: इनकी गारंटी अवधि सप्लाई करने के बाद से मीटर की 5 वर्ष एवं ट्रांसफार्मर की 30 माह की होती है। इस अवधि के अन्दर यदि कोई मीटर या ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है या उसकी कार्यशैली त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उक्त आपूर्तिकर्ता फर्म को नियमानुसार उसे नि:शुल्क बदलकर देना होता है। इसके अलावा यदि फर्म अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो इसके खिलाफ नियमानुसार ब्लेक लिस्टिंग या बिजनेस रिलेशन सीवीयर करने का प्रावधान भी है। जोधपुर डिस्काम में अभी तक मीटर सप्लाई की किसी फर्म के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई जबकि त्रुटिपूर्ण ट्रांसफार्मर सप्लाई करने पर मैसर्स अरिहंत इलेक्ट्रिकल, जयपुर एवं मैसर्स अरिहंत ट्रांसफार्मर एवं इलेक्ट्रिकल, जयपुर को बिजनेस रिलेशन सीवीयर (व्यावसायिक सम्बन्ध विच्छेद) किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना उप खण्ड मुख्यालय के चारदीवारी-रहित पशु चिकित्सालय

521. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कितने पशु औषधालय चारदीवारी-रहित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय डेगाना में स्थित पशु चिकित्सालय की चारदीवारी निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में विधान सभा क्षेत्रवार चारदीवारी-रहित पशु औषधालय निम्नानुसार हैं :

(पशुपालन मंत्री)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	पशु औषधालय का नाम
1	नागौर	गागेलाव
2	मेड़ता	लिलियां
3	डेगाना	भादवासी
4	डेगाना	जाखेड़ा

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं में निर्माण कार्य बजट उपलब्धतानुसार करवाए जाते हैं।

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. एवं जिला दुग्ध संघों को केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता

522. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर तथा दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो गत 10 वर्ष से लेकर जनवरी, 2013 तक कितनी राशि दी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. एवं जिला संघों की स्थापना से अब तक कितनी-कितनी लाभ हानि हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्र सरकार से उक्त राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. व जिला संघों को स्थापना से अब तक किस-किस रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई?

(4) क्या जिला संघों एवं राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति आयु एवं पदोन्नति के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनके तहत अब तक कितने कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है?

(5) क्या सरकार डेयरी फेडरेशन के सभी स्तरों पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस रूप में व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आर.सी.डी.एफ.लि. जयपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी

(डेयरी मंत्री)

समितियों को वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 तक अनुदान उपलब्ध कराया गया है। विवरण प्रदर्श-"क" पर संलग्न है।

(2) आर.सी.डी.एफ. एवं जिला संघों की स्थापना से अब तक हुई लाभ -हानि का वर्षवार विवरण प्रदर्श-'ख' पर संलग्न है।

(3) केन्द्र सरकार से आर.सी.डी.एफ. एवं जिला संघों में प्राप्त राशि का विवरण प्रदर्श-"ग" पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. में कर्मचारियों हेतु निम्न नियम बने हुए हैं :-

1. राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन कर्मचारी (गैर कामगार) सेवा विनियम, 1980
2. राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन कर्मचारी (अधीनस्थ) विनियम, 1980
3. राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन कर्मचारी (सुपरवाइजरी) सेवा विनियम, 1980

जिला दुग्ध संघों द्वारा भी उक्त नियमों को अंगीकृत किया गया है।

जी हां। उक्त नियमों के तहत समस्त कार्यरत कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। आर.सी.डी.एफ. एवं दुग्ध संघों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्रदर्श-"घ" पर संलग्न है।

(5) जी हां। पदों की उपलब्धतानुसार समय-समय पर रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से पदोन्नति दी जाती है। वर्तमान में आरसीडीएफ की स्टाफ स्ट्रेन्थ एवं पदोन्नतियों के शिड्यूल में संशोधन प्रक्रियाधीन है तथा आर.सी.डी.एफ. संचालक मण्डल एवं राज्य सरकार के अनुमोदनोंपरान्त शेष पदों पर पदोन्नति की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मिड-डे मील कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त खाद्य सामग्री एवं राशि

523. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) मिड-डे मील कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों (शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र) में लाभान्वित बच्चों की जिलेवार संख्या का पृथक-पृथक सरकारी व सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अनुसार तथा शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मिड-डे मील कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई गेहूं व चावल की मात्रा का वर्ष 2005-06 (जून 2006 तक) से 15 जनवरी, 2013 तक का विवरण तथा जिलेवार जिलों को उपलब्ध करवायी गेहूं व चावल की मात्रा, जिलों द्वारा गेहूं के उठाव की मात्रा एवं जिलेवार गेहूं व चावल की वास्तविक वितरण मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मिड-डे मील कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई राशि व व्यय की गई राशि का वर्ष 2003-04 से 15 जनवरी, 2013 तक का जिलेवार व वर्षवार विवरण (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय की अलग-अलग) सदन की मेज पर रखें।

(4) जिलेवार मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाने के लिए विद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की कुक व सहायिकाओं की संख्या का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर दिया गया है।

(2) विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर दिया गया है।

(3) विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न कर दिया गया है।

(4) विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों हेतु निःशुल्क भूमि

524. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति (जी.एस.एस.) को भवन निर्माण हेतु आबादी भूमि में नि:शुल्क पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 159(2)(ii) में ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएसएस) को आबादी भूमि में से नि:शुल्क पट्टा देने का प्रावधान है। ग्राम सेवा सहकारी समिति को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में से नि:शुल्क आबंटन हेतु राज्य सरकार को नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि आबंटित कर दी जावेगी।

मूण्डोता ग्राम पंचायत (जयपुर) में पुश्तैनी मकानों के पट्टे

525. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में आबादी/आवासीय पट्टे जारी करने हेतु क्या मानदण्ड/नियम बनाये गए हैं? निर्धारित मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत मूण्डोता में प्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र श्री सेडू सिंह निवासी मूण्डोता द्वारा अपने पुश्तैनी आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त परिवार को आवासीय पट्टा जारी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त परिवार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में भी अपने पुश्तैनी आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में कलक्टर, जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा ग्राम पंचायत मूण्डोता के ग्राम सचिव को पट्टे जारी करने हेतु लिखित में नोटिस जारी किया है? यदि हां, तो उक्त नोटिस पर क्या कार्यवाही की गई एवं क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो, क्यों?

(5) सरकार द्वारा अब कब तक उक्त परिवार को आवासीय पट्टा जारी कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में आबादी/आवासीय पट्टे

(पंचायती राज मंत्री)

जारी करने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140-164 तक मापदण्ड/नियम बनाये गये हैं। नियम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-क)

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत मूण्डोता में प्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र श्री सेडू सिंह निवासी मूण्डोता द्वारा अपने पुश्तैनी आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके परिवार को अभी तक पट्टा जारी नहीं किया गया है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत भूमि के नक्शे व ग्राम पंचायत द्वारा गठित पंचों की कमेटी द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित नक्शे में अंतर होने के कारण पट्टा जारी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-ख)

(3) जी हां। उक्त परिवार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में भी अपने पुश्तैनी आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। जिसके लिये ग्राम पंचायत के तीन वार्ड पंचों श्री सत्यप्रकाश मिश्रा, रामगोपाल कुमावत एवं श्रीमती प्रेमदेवी को नियुक्त किया गया है। इनकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा ग्राम पंचायत मूण्डोता के ग्राम सचिव को पट्टे जारी करने हेतु लिखित में नोटिस जारी किया है। जिसकी पालना में कैम्प के दौरान 17 पट्टों का वितरण किया गया है। अत: उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव को निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं बनता है।

(5) वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त परिवार को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आसींद के कंटालिया बांध की नहरों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

526. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसींद में कंटालिया बांध की नहरें क्षतिग्रस्त होने से बांध में पानी होते हुये भी सिंचाई के लिये पानी छोड़ा नहीं जा सका?

(2) क्या सरकार इसके लिये नहरें पक्की करने के लिये अलग से राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति आसींद ने अपने पत्र क्रमांक 2568 दिनांक 12.3.2013 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कंटालिया बांध की दो नहरें हैं। उत्तरी नहर व दक्षिणी नहर। दक्षिण तरफ वाली नहर से सिंचाई हेतु पानी 2 बार छोड़ा गया एवं उत्तर की तरफ वाली नहर वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि होने से लगभग 250 फीट क्षतिग्रस्त हो गई जिससे उत्तर की तरफ वाली नहर में पानी नहीं छोड़ा गया।

(2) महानरेगा व राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से मरम्मत कार्य हेतु राशि स्वीकृत नहीं है। इस कार्य हेतु ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं/नरेगा योजना के दिशा-निर्देशानुसार राशि स्वीकृत कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा को निर्देशित किया गया है।

दांतारामगढ़ के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

527. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के कितने प्रकरण वर्ष 2011 से जनवरी, 2013 तक पंचायत समिति/जिला परिषद के स्तर पर विचाराधीन हैं एवं क्यों? अनुकम्पात्मक नियुक्ति के सरकार के मानदण्डों व शर्तों की प्रति एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला परिषद, जयपुर एवं जिला परिषद, सीकर में उक्तावधि के दौरान किस-किस श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई है? आवेदन की वरीयता सूची अनुसार नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(3) वर्ष 2011 से जनवरी, 2013 तक सीकर जिले की पंचायत समिति दांतारामगढ़ में मृतक आश्रितों के कितने-कितने आवेदन पत्र, कब-कब, किस-किस संवर्ग/श्रेणी हेतु प्राप्त हुए तथा उनमें से किन-किन को किस-किस पद पर नियुक्तियां दे दी गईं तथा कितने व कौन-कौन से मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति की कतार में किन कारणों से हैं?

(4) क्या यह सही है कि हाल ही में जिला परिषद, सीकर की बैठक में पंचायत समिति, दांतारामगढ़ के विचाराधीन प्रकरणों को नजरअंदाज कर अन्य विभागों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) सरकार अब कब तक पंचायत समिति, दांतारामगढ़ के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के रिक्त पद पर वर्ष 2011 से लम्बित अनुकम्पात्मक नियुक्ति कर देगी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने के वर्ष 2011 से जनवरी, 2013 तक पंचायत समिति/जिला परिषद के स्तर पर पंचायती राज सैटअप (प्रा.शि.) के मृतक अध्यापकों सहित 418 प्रकरण आवेदित पद रिक्त नहीं होने एवं नियमानुसार आवेदित पद की योग्यता पूर्ण नहीं होने/शिथिलन सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने/ प्रक्रियात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण विचाराधीन हैं। अनुकम्पात्मक नियुक्ति के सरकार के मानदण्डों व शर्तों की प्रति परिशिष्ट-'अ' एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला परिषद, जयपुर एवं सीकर में उक्तावधि के दौरान मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने की सूची आवेदन की वरियता सूची अनुसार व नामवार सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-'स')

(3) वर्ष 2011 से जनवरी, 2013 तक सीकर जिले की पंचायत समिति दांतारामगढ़ में मृतक आश्रितों के 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनमें से 2 को नियुक्ति दे दी गई है तथा 4 प्रकरण लम्बित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) पंचायत समति दांतारामगढ़ के लम्बित प्रकरणों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवेदित संवर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

(प्रति, सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण की कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमि

528. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण कौन-कौन से हैं? प्रथम चरण की भूमि कहां से कहां तक एवं कुल कितनी कमाण्ड/ अनकमाण्ड है एवं द्वितीय चरण में कुल कितनी भूमि कब कमाण्ड की गई है? जनवरी, 2013 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रथम एवं द्वितीय चरण में कितना-कितना क्यूसेक पानी रिजर्व किया हुआ था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कुल कितनी भूमि कमाण्ड है? पृथक-पृथक चरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परियोजना से निकलने वाली गडरा माइनर में कितने क्यूसेक पानी की आवश्यकता है एवं इसमें कितना पानी का लोसेज आ जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर को निर्माण की दृष्टि से दो चरणों में (प्रथम व द्वितीय) में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में हरेक हैड वर्क्स पर इन्दिरा गांधी नहर फीडर के उदगम से इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 620.0 तक एवं इससे निकलने वाली नहरें (चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट के अलावा) शामिल हैं जिनका कुल सी.सी.ए. 5.46 लाख हैक्टेयर है। द्वितीय चरण में इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 620 से अन्तिम छोर बुर्जी 1458.5 तक एवं इसके मध्य उद्गमित होने वाली नहरें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण नहर में मुख्य नहर की बुर्जी 108.160 से उद्गमित

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

होने वाली कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर भी शामिल है। वर्ष 2005 में पानी की उपलब्धता के मद्देनजर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कुल सीसीए को 19.63 लाख हैक्टैयर से कम कर 16.17 लाख हैक्टेयर सीमित करने के निर्णय से द्वितीय चरण का कुल सीसीए 14.10 लाख हैक्टेयर से कम कर 10.71 लाख हैक्टेयर हुआ। मार्च, 2012 तक द्वितीय चरण का 11.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिए खोला जा चुका था जिसमें से सेना की मैन्यूअर्स रेंज हेतु 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रथम एवं द्वितीय चरणों के लिये सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी का चरणवार आरक्षण नहीं किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरणों में गैर कृषि (पेयजल, सेना, उद्योग आदि) प्रयोजनार्थ कुल 1200 क्यूसेक पानी आरक्षित है।

(3) इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 16.17 लाख हैक्टेयर सीमित सिंचित क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित भूमि कमाण्ड है :-

प्रथम चरण-

फ्लो	4.46 लाख हैक्टेयर
लिफ्ट	0.62 लाख हैक्टेयर
योग	5.46 लाख हैक्टेयर

द्वितीय चरण-

फ्लो	7.25 लाख हैक्टेयर
लिफ्ट	3.46 लाख हैक्टेयर
योग	10.71 लाख हैक्टेयर
कुल योग	16.17 लाख हैक्टेयर

उक्त 16.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से अब तक 15.96 लाख हैक्टेयर क्षेत्र खोला जा चुका है।

(4) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में गडरा माइनर के नाम से कोई नहर नहीं है। वर्ष 2005 में राज्य को पानी की उपलब्धता के मध्यनजर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कुल सीसीए को 19.63 लाख हैक्टेयर से कम कर 16.17 लाख हैक्टेयर सीमित करने से पूर्व बाबा रामदेवजी उपशाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड वितरिका प्रस्तावित थी। परियोजना का कुल सीसीए

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री)

16.17 लाख हैक्टेयर सीमित करने के निर्णय के पश्चात प्रस्तावित गडरा रोड वितरिका सीमित क्षेत्र के बाहर होने के कारण इस पर निर्माण कार्य नहीं हुआ।

परिशिष्ट-अ

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में वर्षवार खोले गए क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	खोला गया क्षेत्र (हजार है. में)
1	1981-82	35
2	1982-83	4
3	1983-84	10
4	1984-85	10
5	1985-86	16
6	1986-87	20
7	1987-88	29
8	1988-89	21
9	1989-90	42
10	1990-91	43
11	1991-92	45
12	1992-93	44
13	1993-94	64
14	1994-95	61
15	1995-96	62
16	1996-97	52
17	1997-98	63
18	1998-99	73
19	1999-2000	39
20	2000-01	19
21	2001-02	26
22	2002-03	31
23	2003-04	54
24	2004-05	60
25	2005-06	114
26	2006-07	24
27	2007-08	4
28	2008-09	9
29	2009-10	18
30	2010-11	2
31	2011-12	3
		1100*

* जैसलमेर जिले के शाहागढ़ क्षेत्र में बाबा रामदेव उपशाखा के कमाण्ड में खोले गए 50 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र सहित जिसे सेना की मैन्यूअर्स रेंज हेतु आरक्षित किया गया है।

बाड़मेर जिले में शीतलहर/पाले से प्रभावित फसलों का मुआवजा

529. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में शीतलहर व पाला (ओस) के कारण अरण्डी, सरसों, जीरा सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इस नुकसान के आकलन हेतु सर्वे कार्य कर किसानों को तात्कालिक क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। बाड़मेर जिले में शीतलहर व पाला (ओस) के कारण अरण्डी, सरसों व जीरा सहित अन्य फसलों को नुकसान नहीं हुआ है।

सीकर जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा

530. श्री पेमाराम (धोद) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला सीकर में जुलाई-अगस्त 2012 में अतिवृष्टि से हुए नुकसान में क्या जिन लोगों के मकान गिर गये उन लोगों का मुआवजा दे दिया गया? यदि हां, तो कब-कब किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम के किस-किस व्यक्ति को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण रहे व इसके लिए कौन दोषी है?

उत्तर

(1) जी हां। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रभावित परिवारों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ नोर्म्स के तहत सहायता राशि स्वीकृत कर भुगतान हेतु सम्बन्धित तहसीलदारों को प्रेषित की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) तहसीलदारों के द्वारा राशि प्रभावितों के बैंक खातों एवं भूअभिलेख निरीक्षकों के माध्यम से भुगतान कराई गई है। मौके पर पीड़ित/प्रभावित

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री)

परिवार के मुखिया के न मिलने अथवा बैंक खाता नम्बर की सूचना परिवार द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण कुछ मामलों में भुगतान होना शेष है। इसके लिए कोई अधिकारी/कार्मिक दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन पर व्यय राशि

531. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कुल कितने विज्ञापन सरकार द्वारा किन-किन/विभिन्न एजेन्सियों के मार्फत समाचार पत्र-पत्रिकाओं व विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मीडिया को दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में हुए प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में मुख्य मंत्रीजी के फोटो के होर्डिंग्स शहर में लगाने के लिए किसी एजेन्सी को काम दिया गया था? यदि हां, तो एजेन्सी का नाम निविदाएं आमंत्रित करने की तिथि व कुल कितनी राशि व्यय की गई, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की एजेन्सी संवाद ने किन न्यूज एजेन्सियों को विज्ञापन देने के लिए अधिकृत किया हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से समाचार पत्र-पत्रिकाओं एवं विभिन्न इलैक्ट्रोनिक मीडिया/चैनल्स को दिये गये विज्ञापनों की सूची परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(2) राज्य में हुए प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से शहर में होर्डिंग्स नहीं लगवाये गये थे।

(3) राजस्थान संवाद ने किसी भी न्यूज एजेंसी को विज्ञापन देने के लिये अधिकृत नहीं किया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में जनजाति उपयोजना क्षेत्र पर व्यय राशि

532. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से कितना प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं उस पर राज्य के कुल खर्च की कितनी प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 से 2003-04, 2004-05 से 2008-09 तथा 2009 से जनवरी, 2013 तक कुल राज्य योजना की कितनी प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये व्यय की गई? वर्षवार व मदवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनजाति क्षेत्र के लिये आबंटित राशि का उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रही हैं? यदि पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तो, क्यों एवं आगे के लिये कौन से सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनसंख्या से सम्बन्धित जनगणना के आकड़े राज्य में जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किये जाते हैं।

जनगणना 2011 में भरी गई परिवार अनुसूचियों की प्रोसेसिंग/ स्क्रेनिंग का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही राज्य के ग्रामवार जनसंख्या व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उपलब्ध हो पायेगी। जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त होने पर ही 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी।

2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 12.56 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या राज्य के अनुसूचित क्षेत्र माडा कलस्टर क्षेत्र, सहरिया क्षेत्र एवं बिखरी आबादी क्षेत्र में निवास करती हैं।

राज्य के कुल राशि प्रावधान में से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खर्च के लिये वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है:-

वर्ष	राज्य प्रवाह	जनजाति उपयोजना प्रवाह	प्रतिशत
2011-12	27409.12	3499.79	12.77
2012-13	33128.00	4249.63	12.83

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) वर्ष 1998-99 से 2003-04, 2004-05 से 2008-09 तथा 2009 से आज तक कुल राज्य योजना में से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खर्च का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है :-

(राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का व्यय	जनजाति उपयोजना का व्यय	व्यय प्रतिशत
1998-99 से 2003-04	25897.73	1880.52	7.26
2004-05 से 2008-09	51987.29	4617.61	8.88
2009-10 से 1012-13 (माह जनवरी तक)	84465.68	9794.98	11.60

वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। सम्बन्धित विभागों द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग किया जा रहा है। वर्षवार आबंटित राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। राज्य योजना की राशि जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु विभिन्न विभागों को उनके बजट मद में ही प्राप्त होती है एवं विभागीय बजट को उनके द्वारा व्यय किया जाकर उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु व्यय भी उनके द्वारा किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है विभिन्न विभागों द्वारा जनजाति उपयोजना मद में गत पंचवर्षीय योजना में वर्षवार उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीबीरानी (अलवर) राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्थापना

533. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी तहसील कोटकासिम में विद्यार्थियों को कौन-कौन से विषयों का अध्ययन कराया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को विज्ञान संकाय की पढ़ाई हेतु उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त महाविद्यालय को अब तक राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि दी गई है? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी राशि किस कार्य के लिये दी गई है और क्या सभी कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सहायता नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी में निम्न विषय संचालित हैं:-

स्नातक स्तर

सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत तथा वाणिज्य संकाय में लेखा एवं सांख्यिकी, व्यावसायिक प्रशासन एवं ई.ए.एफ.एम. विषय संचालित हैं।

स्नातकोत्तर स्तर

भूगोल विषय संचालित है।

(2) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी में वर्तमान में राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान संकाय खोला जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी (तहसील कोटकासिम) में किसी कार्य हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। प्राचार्य द्वारा अगर किसी कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उन प्रस्तावों पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों हेतु कार्य योजना

534. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी एवं सरकारी

(श्री सुखराम)

विश्वविद्यालयों को सहायता प्राप्त करने के क्या नियम बनाये गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों में से किस-किस विश्वविद्यालय को किस-किस संकाय में शिक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा किन-किन निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये मान्यता प्रदान की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त कितने विश्वविद्यालय हैं एवं उनमें अध्ययनरत छात्रों के हित में सरकार की क्या कार्ययोजना है?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के अनुसार आयोग द्वारा उन्हीं विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो अधिनियम की धारा 12 (बी) में इस हेतु उपयुक्त समझी जाये। सम्बन्धित प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालय उनके अधिनियमों की अनुसूची-द्वितीय में वर्णित संकायों में शिक्षा देने हेतु अधिकृत हैं। प्रमुख संकायों का विश्वविद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को सरकारी नौकरी हेतु मान्यता बाबत अलग से कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(4) विभाग की जानकारी में प्रदेश में कोई गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संचालित नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में बी.एड. कालेजों में प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु लगाये गए शिक्षक/प्राचार्य

535. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 380 बी.एड. कालेजों के किन-किन प्राचायों को वर्ष 2012-13 में प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु लगाया? इनमें से 5 या 5 से अधिक कालेजों में प्रैक्टिकल लेने वाले शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या 4 या 4 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों को एक से अधिक कालेजों में प्रैक्टिकल हेतु भेजा गया है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बी.एड. प्रैक्टिकल परीक्षा में कुछ शिक्षकों को बिना लिखित सूचना के हटाकर उनके स्थान पर अन्य शिक्षकों को लगाया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि प्राचार्य या शिक्षक, जो 20 वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखते हैं, उन्हें दो जगह या दो से कम जगह प्रैक्टिकल परीक्षा लेने हेतु भेजा गया? यदि हां, तो उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) समान योग्यता या समान अनुभव के बावजूद शिक्षकों या प्राचार्यों में यह भेदभाव या अन्तर करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) बी.एड. वर्ष 2012-13 के प्रैक्टिकल होने अभी शेष हैं। जिसके लिये वर्तमान में प्रैक्टिकल हेतु भेजे जाने वाले प्राचार्यों एवं शिक्षकों की सूची तैयार नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या एक के अनुसार।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों या प्राचार्यो में किसी भी तरह का भेदभाव या अन्तर नहीं किया जाता है।

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज जयपुर के निश्चेतन विभाग में पदोन्नत चिकित्सक

536. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कालीचरण सराफ)

(1) जयपुर के एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में निश्चेतन विभाग में आचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य के कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निश्चेतन विभाग में वर्ष 2012 में रिक्त पदों पर पदोन्नति की गयी है? यदि हां, तो क्या यह पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी है अथवा तदर्थ आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पदोन्नति तदर्थ आधार पर किये जाने के कारण पदोन्नत चिकित्सक शिक्षकों को पातेय वेतन ही दिया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त पदोन्नतियों को कब तक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित कर देय लाभ प्रदान कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के निश्चेतन विभाग में आचार्य के 12, सह आचार्य के 22 एवं सहायक आचार्य के 14 पद सृजित हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

नरेगा योजनान्तर्गत आबंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र

537. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 25 अगस्त, 2005 से जनवरी, 2013 के मध्य नरेगा में राज्य सरकार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? वर्षवार, मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले से कितनी-कितनी राशि के? बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र कब तक प्राप्त कर लिए जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में गबन, राशि अनियमितता के कितने मामले किन-

(श्री अभिषेक मटोरिया)

किन जिला कलक्टर, सीईओ, विकास अधिकारी एवं जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज हुए? जिलेवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) समान प्रकृति के अपराधों में जन-प्रतिनिधियों से कुल कितनी राशि वसूली गई तथा कुल कितनी राशि जिला कलक्टर, सीईओ, विकास अधिकारी से? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि में किन-किन जिला कलक्टर, सीईओ, विकास अधिकारियों, कर्मचारियों को दर्ज हुए मुकदमों में सामान्य भूल बताकर छोड़ दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना 2 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ हुई थी। अगस्त, 2008 से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा राशि का आबंटन सीधे ही जिलों को किया जाता था। अगस्त, 2008 से केन्द सरकार द्वारा राशि का आबंटन राज्य सरकार को किया जाना प्रारम्भ किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग मद के अनुसार राशि का आबंटन नहीं किया जाकर केन्द्रीय अंश के रूप में राशि का आबंटन किया जाता है। अगस्त 2008 से जनवरी, 2013 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्राप्त राशि में से जिलों को जारी की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) आबंटित की गई राशि में से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है। योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जिलों को आगामी किस्त जारी की जाती है।

(3) उक्त अवधि में दर्ज हुए गबन, राशि की अनियमितता के प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) वसूली का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना पंचायत समिति में मनरेगा में निर्मित पक्के निर्माण

538. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति मकराना में महात्मा गांधी नरेगा योजना में पक्के निर्माण कार्य स्वीकृत हुये हैं? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि मनरेगा में पक्के निर्माण कार्यों में से कुछ कार्य प्रारम्भ नहीं हुए? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति मकराना में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पक्के कार्यों सहित कुल 2329 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कुल 413 कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं। प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

माहात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है एवं इसमें कार्य का प्रारम्भ होना रोजगार की मांग पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना की मार्गदर्शिका में किये गये संशोधन के अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर पर कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिये ग्राम पंचायत के स्तर पर मजदूरी एवं सामग्रियों पर व्यय का अनुपात 60:40 रखा जाना अनिवार्य है। तदनुसार ही पक्के निर्माण कार्य कराये जा सकते हैं।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-398 का विवरण)

परिशिष्ट–अ

बिन्दु संख्या-1 विभाग में विगत 2 वर्षों 2010-11 एवं 2011-12 में आबंटित बजट व व्यय का मदवार विवरण

(राशि रुपये लाखों में)

मद	2010-11			2011-12		
	आय व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	आय व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
आयोजना भिन्न	418.70	384.93	373.08	401.66	402.42	386.93
आयोजना	500.00	500.00	396.47	610.22	1915.64	1814.36
केन्द्र प्रवर्तित योजना	126.78	98.91	96.83	148.11	101.01	95.27

परिशिष्ट-ब

बिन्दु संख्या-2 वर्तमान में विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 144 पद हैं। स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पदों की संख्या	दिनांक जिससे पद रिक्त है
1	निदेशक	1	1	01.01.2006
2	विशेषाधिकारी	1	-	-
3	विशेषाधिकारी ।।	1	-	-
4	परियोजना निदेशक	3	3	02.06.2000 23.11.2000 01.04.2011
5	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	-	-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पदों की संख्या	दिनांक जिससे पद रिक्त है
6	उप निदेशक आयोजना	1	1	01.12.2012
7	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	2	-	-
8	परियोजना अधिकारी	7	5	12.07.2005 01.04.2004 01.12.2009 29.08.2011 30.09.2011
9	अनुसंधान अधिकारी	23	11	30.12.2009 01.07.2010 01.08.2010 04.09.2010 29.08.2011 29.08.2011 29.08.2011 29.12.2011 01.02.2012 01.05.2012 26.06.2012
10	सहा. मृदा सर्वे. अधिकारी	1	-	-
11	प्रोग्रामर	2	-	-
12	क्यूरेटर	2	2	20.03.2012 20.03.2012
13	सहा. कृषि अनु. अधि.	2	-	-
14	लेखाकार	1	-	-
15	निजी सहायक	6	-	-
16	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	11.10.2001
17	सहा. क्यूरेटर	3	1	20.03.2012
18	वरिष्ठ प्रारूपकार	2	-	-
19	सांख्यिकी सहायक	2	-	-
20	कनिष्ठ अभियंता	1	-	-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पदों की संख्या	दिनांक जिससे पद रिक्त है
21	शीघ्र लिपिक	2	2	23.10.2012 01.03.2013
22	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	2	-	-
23	कार्यालय सहायक	2	-	-
24	कनिष्ठ लेखाकार	4	1	14.03.2013
25	सहा. प्रोग्रामर	2	-	-
26	शिक्षा सहायक	1	1	20.03.2012
27	वरिष्ठ लिपिक	4	1	01.02.2013
28	कनिष्ठ प्रारूपकार	11	2	01.11.2012 01.11.2012
29	सर्वेयर	1	-	-
30	रिकार्ड कीपर	1	-	-
31	सुपरवाइजर	1	-	-
32	अनुरेखक	5	3	11.11.2009 31.10.2012 31.10.2012
33	टैक्नीशियन	5	4	20.03.2012 20.03.2012 20.03.2012 20.03.2012
34	कनिष्ठ लिपिक	14	-	-
35	वाहन चालक	7	1	01.06.2010
36	सिक्योरिटी गार्ड	1	-	-
37	फैरोमैन	2	-	-
38	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16	1	01.03.2012
	कुल योग	**144**	**41**	-

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 13-आबकारी पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-13 मुख्य शीर्षक आबकारी के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री पदमाराम (चौहटन) :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की आबादी से दूर शराब की दुकानों को खोले जाने की आवश्यकता की चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम पंचायत मदारिया में शराब की नाजायज दुकानों की प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

3. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में हरियाणा निर्मित शराब की लाइसेंसी दुकानों की आड़ में खुलेआम बेची जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

4. प्रदेश में अवैध रूप से निर्मित की जाने वाली हथकड़ व स्प्रीट से बनाई जा रही जहरीली शराब की रोकथाम कर शराब दुखन्तिकाओं पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. प्रदेश में शराब की दुकानें रात्रि 8 बजे के पश्चात नियम विरुद्ध खुली रहने व दुकान के पीछे से शराब बेचने की प्रवृत्ति पर रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस शुदा शराब की दुकानों द्वारा सब-बिक्री केन्द्र स्थापित कर अवैध शराब का कारोबार संचालन करने की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

7. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में प्रत्येक गांव में बिना लाइसेंस शराब के ठेके चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में धार्मिक स्थानों एवं अनुसूचित जाति/

अनूसूचित जनजाति कालोनियों के 200 मीटर दायरे में शराब के ठेके चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रात्रि के 8.00 बजे के बाद शराब के ठेके खुले रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में आबकारी विभाग का स्वयं का कार्यालय खोलने एवं रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पिछले 2 वर्षों के दौरान अवैध शराब के दर्ज मुकदमों के चालान पेश करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

12. राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

13. विधान सभा क्षेत्र नगर में हरियाणा से अवैध रूप से आ रही शराब से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

14. नगरपालिका क्षेत्र खेडली (अलवर) में दो शराब की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कई ग्रामों में बिना लाइसेंस की शराब की दुकानें संचालित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

16. एक वर्ष के लिए जारी आबकारी लाइसेंस की अवधि दो वर्ष बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. प्रदेश में हरियाणा राज्य की बनी शराब की तस्करी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश में अवैध शराब निर्माण वालों के पुनर्वास के लिए प्रभावी योजना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. प्रदेश के आबकारी थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. प्रदेश के आबकारी विभाग में शराब की बकाया राशि की वसूली न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

21. प्रदेश में शुष्क दिवस पर शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. प्रदेश में भारतीय संस्कृति से जुडे तीज त्यौहारों, दीपावली, रक्षा-बन्धन, ईद, कृष्ण जन्माष्टमी, महिला दिवस, बाल दिवस, करवा चौथ आदि पर शुष्क दिवस न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. अनुसूचित जाति के मौहल्लों में शराब की दुकानें संचालित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. प्रतिबन्धित समय से अधिक समय तक रात्रि में शराब की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेश में शराब में मिलावट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

26. अलवर जिले के गांवों में अवैध शराब की दुकानें संचालित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. प्रदेश में रात्रि 8 बजे के बाद भी शराब ठेकों पर बिक्री रोकने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश में अवैध शराब निर्माण करने वाले लोगों को नवजीवन योजना का लाभ देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. अलवर जिले में हरियाणा निर्मित शराब की बिक्री रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. बहरोड़ में शराब फैक्ट्रियों द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने की प्रवृत्ति रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

31. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र से शराब की दुकानें हटवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

32. राज्य में प्रतिबंधित स्थलों एवं उनके पास देशी/अंग्रेजी शराब बिक्री केन्द्र खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर सड़क सीमा के भीतर एवं सड़कों पर स्थित अवैध रूप से शराब बिक्री केन्द्र खोलने से वाहन चालकों एवं आमजन को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. जोधपुर जिले में नवजीवन योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों का पुन: उसी अवैध धन्धे में लिप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में आबकारी ही राज्य सरकार के लिए लाभकारी होने के कारण शराबबन्दी लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

36. प्रदेश में डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल व महात्मा ज्योतिबा फूले जयन्ती 11 अप्रैल को ड्राई-डे घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

37. राज्य में अवैध मदिरा उत्पादन एवं वितरण में राज्य सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. शहरी आबादी के अनुसार शराब की दुकानों की संख्या निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. धार्मिक स्थलों के पास से शराब की दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. शराब पीकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उत्पात करना व आने-जाने वाले राहगीरों को परेशान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा जिन शराब की दुकानों को लाइसेन्स दिये जाते हैं उसकी सूचना आनलाइन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

42. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में आबकारी पुलिस चौकियों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) :

43. गंगानगर शुगर मिल खेड़लीगंज की पुरानी बिल्डिंग को महाविद्यालय को हस्तानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

44. प्रदेश में नियमों के विरुद्ध नेशनल हाइवे पर (शहरों में) मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. राजस्थान में हरियाणा निर्मित शराब की तस्करी रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

46. सरकार की नवजीवन योजना के तहत अवैध शराब बिक्री का कार्य छोड़ चुके लोगों का सर्वे करवाकर लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में आबकारी नीति के तहत दुकान बन्द होने के निर्धारित समय रात्रि के 8.00 बजे की कड़ाई से पालना कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रतिबन्धित सार्वजनिक स्थानों की क्षेत्र परिधि में स्थापित शराब की दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

49. राज्य में नये आबकारी थाने खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. राज्य की आबकारी नीति की सफल क्रियान्विति पर अधिक बल देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. राज्य के शराब-माफियों पर अधिक अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

52. आबकारी विभाग से राजस्थान पुलिस का हस्तक्षेप समाप्त कर आबकारी विभाग की स्वायत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

53. प्रदेश में एक ही लाइसेंस से अनेक शराब दुकानों के संचालन को रोकने के ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश में अवैध शराब तस्करों के घातक मादक पदार्थों की तस्करी

से जुड़ने से फैल रहे नशे के अवैध व्यापार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में अवैध शराब निर्माण में संलग्न समूहों को प्रशिक्षण एवं सरकारी सहायता से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर समाज निर्माण कार्यों की ओर प्रवृत्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में आबकारी विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने एवं नव पद सृजित करने और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में मंदिरों, स्कूलों, सामुदायिक महत्व के स्थानों के निकट संचालित शराब दुकानों को अविलम्ब बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

58. राजस्थान में महान विभूतियों की जयन्ती के अवसर पर ड्राई-डे (सूखा दिवस) घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

59. प्रदेश में बढ़ते शराब पार्टियों के फैशन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश में शराब बिक्री की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. प्रदेश में रात्रि 8.00 बजे बाद शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में प्रतिबन्धित क्षेत्रों में शराब बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

63. प्रदेश में शराबबन्दी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

64. विधान सभा क्षेत्र मकराना में अवैध शराब की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

65. प्रदेश में हरियाणा सीमा पर हो रही अवैध शराब तस्करी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

66. प्रदेश में तय समय सीमा के बाद भी अवैध रूप से खुलने वाली शराब की दुकानों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

67. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आबकारी विभाग द्वारा गरीब आदिवासी को देशी शराब रखने के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान कर केस दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर) :

68. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय व मन्दिरों के पास से शराब की दुकानें हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

69. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में आबकारी कार्यालय एवं आबकारी थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

70. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में अवैध रूप से खुले में शराब ठेकों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

71. राज्य में ग्राम पंचायतों में स्थित मदिरा की दुकानों से प्राप्त होने वाले राजस्व का 5 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों के विकास हेतु आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

72. अलवर के कुशालगढ़ (ग्राम पंचायत माधोगढ़) में संचालित होटल कुशालगढ़ लाज में बिना लाइसेन्स प्राप्त किये शराब परोसे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

73. बालोतरा में आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से रात्रि आठ बजे बाद भी शराब की दुकानें खुली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

74. प्रदेश में डोडा पोस्त व्यसिनायों के परमिटों का नवीनीकरण एवं

व्यसिनायों का मेडिकल चैकअप तथा नशा छोड़ने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. नवजीवन योजना का लाभ का दायरा बढ़ाकर अवैध शराब के व्यवसाय से जुडे व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

76. प्रदेश में धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थाओं के पास शराब की दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

77. अतिरिक्त आयुक्त जयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं की विभागीय स्तर पर जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. जयपुर में आबकारी थाने से अवैध पकड़ी गयी शराब के गायब होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. जयपुर के आस-पास क्षेत्रों में अवैध (हथकड़) शराब की बढ़ रही गतिविधियों की जानकारी विभाग को होने के बावजूद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

80. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर में हो रही शराब तस्करी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

81. प्रदेश में अवैध एवं घातक मादक पदार्थों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में मद्य संयम कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में किसानों का डोडा पोस्त का न्यूनतम क्रय मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

84. जिला श्रीगंगानगर में अवैध रूप से शराब, अफीम एवं अन्य मादक पदार्थों की हो रही तस्करी की रोकथाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

85. प्रदेश में जहरीली शराब के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाये जाने एवं विस्तृत कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. प्रदेश में आबकारी पुलिस को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने एवं अवैध शराब के व्यापार पर नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. प्रदेश में अवैध शराब निर्माण इकाइयों पर लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने एवं ठेकेदारों पर करोड़ों रुपये की बकाया राशि को वसूलने की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की दुकानों पर कम्पोजिट स्कीम के द्वारा अंग्रेजी शराब भी बेचे जाने से गांवों में अंग्रेजी व देशी दोनों शराब की सहज सुलभता प्रदान करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में बढ़ते बीयर-बार, बार-रेस्टोरेन्ट एवं शराब संस्कृति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 42-उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

1. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में लाइम स्टोन बेल्ट गोटन, बोरून्दा, रणसीगांव, झाक, खारियामीठापुर, बरना, अटबड़ा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर ढांचागत विकास करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

2. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा में स्थित कोकाकोला प्लांट को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

3. प्रदेश में हस्त शिल्प लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीणों के लिये योजना प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के चिन्हित क्षेत्र में नमक उत्पादन कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

5. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रीको एरिया का विस्तार करने एवं जिला मुख्यालय पर स्थित रीको कार्यालय में अधिकारी की स्थाई नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

6. विधान सभा क्षेत्र भीम में प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट एवं फ्लेसफार मिनरल्स को ध्यान में रखते हुये रीको इण्डस्ट्रीज बगड़ ग्राम पंचायत में तत्काल प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सैण्ड स्टोन पार्क औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

8. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना, अनूपगढ़ में नये उद्योग खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बन्द पड़े उद्योगों को पुन: शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

10. जिला सीकर में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

11. धौलपुर में हैवी इण्डस्ट्रीज लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

12. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के ग्राम खेलना, चिमनपुरा, डेहरा, दोल्यापुर, छितोली में रीको केन्द्र न खुलने एवं छितोली को उद्योग का दर्जा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर के अन्तर्गत जयपुर, सीकर, अजमेर एवं नागौर को औद्योगिक केन्द्र घोषित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में ग्राम पंचायतों की एन.ओ.सी. नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. प्रदेश में स्वयं की खातेदारी भूमि पर उद्योग स्थापित करने पर रीको के समान सुविधा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

17. उद्योगों में स्थानीय नौजवानों को अधिक रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. प्रदेश में उद्योगपतियों द्वारा गांवों को गोद लेकर गांवों में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. बहरोड़ क्षेत्र के उद्योगों में लगे प्रदूषण संयंत्र चालू नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. बहरोड़ एवं अलवर जिले में उद्योगों से निकलने वाले दूषित पानी से जमीन को खराब होने से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) :

21. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में औद्योगिक क्षेत्र न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

22. राजस्थान वित्त निगम को सुदृढ़ करने हेतु कार्ययोजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

23. कोटा जिले के उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. कोटा में उद्योगों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. कोटा में उद्योगों से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

26. जोधपुर जिले में जोधपुर बासनी औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आबंटियों को अवैध रूप से कम कीमतों पर भूखण्ड बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में लाइम स्टोन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए जोधपुर के ग्राम बोरून्दा, बरना, रणसीगांव, हरियाढाणा, झाक, मुरकासनी आदि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

28. रीको द्वारा राजसमन्द जिले में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं करने एवं नये उद्योगों में युवाओं एवं महिलाओं को प्रोत्साहन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में मार्बल उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. राजसमन्द में एक विशिष्ठ वस्त्र उद्योग संकुलन की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

31. भरतपुर जिले में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को शीघ्र चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. भरतपुर जिले में औद्योगिक जोन स्थापित करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. भरतपुर जिले में बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने हेतु नये उद्योग खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

34. विधान सभा क्षेत्र वैर की वैर एवं भुसावर तहसील में नये उद्योग-धन्धे स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

35. उद्योग रहित तारानगर तहसील को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

36. भीलवाड़ा में स्थापित कपड़ा उद्योग के पलायन को रोकने हेतु एक नई एवं उद्योग को बढ़ावा देने वाली टैक्सटाइल नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग में प्रोसेस हाउसों द्वारा खुदाये गये गहरे कुओं में प्रदूषित पानी डालने से पूरे इलाके में भूमिगत जल में प्रदूषण फैलने से रोकने हेतु सभी प्रोसेस हाउसों का एक ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. भीलवाड़ा जिले में बहुतायत से पाये जाने वाले खनिज क्वार्टज, फेल्सपार एवं सोड़ा पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) :

39. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण बड़ी संख्या में औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. अलवर (बानसूर) में नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

41. औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित रसायनयुक्त पानी को लूनी नदी में प्रवाहित होने से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर) :

42. औद्योगिक क्षेत्र जालौर का दायरा बढ़ाकर चतुर्थ फेस करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

43. नावां नमक नगरी के उद्योगों को विकसित कर नये लघु उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. नागौर-नावां में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से नये उद्योग-धन्धे स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. नावां-कुचामन क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. राज्य में हैण्डीक्राफ्ट उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

47. जोधपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लम्बित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. जोधपुर में उद्योग जनित समस्त प्रकार के प्रदूषण रोकने के लिये प्रभावी कार्ययोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश में विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने और नव पद सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में परम्परागत ग्राम्य लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी सैण्ड स्टोन एवं संलग्न व्यवसायिक गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

52. रतनगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

53. कालाडेरा रीको क्षेत्र में थाने के पीछे, शुभ-लाभ डेयरी वाले रास्ते पर रीको रोड तक रीको द्वारा सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

54. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माण्डलगढ़ तथा बिजोलिया में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

55. जोधपुर में नये औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

56. रानी नगरपालिका में लगे उद्योगों को सरकारी सहायता एवं शहर के बाहर जमीन आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. मारवाड़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों पर पेवर (डामर) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

59. मकराना में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

60. गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में नए उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

61. उदयपुर रीको विभाग द्वारा उद्योगों हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

62. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रीको द्वारा उद्योग प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

63. अलवर जिले में स्थित बड़े एवं मध्यम उद्योगों में जिले के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र एवं पुराना औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

65. औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी व खुशखेड़ा में लगे उद्योगों से वायु व जल प्रदूषण का क्षेत्र में आमजन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण उपजे जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

66. प्रदेश में उद्योगों हेतु किसानों की अधिग्रहित भूमि का हरियाणा में लागू आवाप्ति नीति के अनुसार मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी व खुशखेड़ा से निकलने वाले प्रदूषित पानी को तहसील कोटकासिम के ग्राम आकोली, हाजनाका, बूढ़ी बावल, करीरीवास, लालपुर आदि दर्जनों गांवों में फैलने से उपजे जन आक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. अलवर जिले में लगे उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पदपदरा) :

69. बालोतरा के कपड़े उद्योग की प्रदूषण समस्या के समाधान हेतु 100 करोड़ का पैकेज देकर उद्योग को जिन्दा रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. बालोतरा में रीको के IV फेस का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र के IV फेस आबंटन में हुई देरी के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

72. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में बीमार चल रही लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. भरतपुर में नये उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में कुटीर एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

75. श्री विजयनगर में औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु रीको के माध्यम से औद्योगिक भूखण्डों का आबंटन कर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. रायसिंहनगर में उद्योग विभाग के कार्यालय की स्थापना कर योजनाओं का विस्तार करने एवं राजस्थान वित्त निगम के कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

77. प्रदेश की फैक्ट्रियों से निकले दूषित अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

78. जयपुर के आबादी क्षेत्र में आये हुए सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. जयपुर शहर की घनी आबादी में चल रहे मूर्ति उद्योग को अन्यत्र जमीन आबंटित कर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

80. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर के करणीनगर औद्योगिक क्षेत्र के III फेस का आबंटित नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर में सिलीकोन वैली प्रोजेक्ट के कार्य शुरू न करने वाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

82. विधान सभा क्षेत्र मकराना में नवीन औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाले क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. हस्तशिल्प उद्योग के लिये अलग से जमीन आबंटन कर हस्तशिल्प कला के विकास को गति प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

84. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

85. जिला श्रीगंगानगर में कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. रायसिंहनगर में ओद्योगिक प्रशिक्षण कैम्प लगाकर प्रचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

87. राज्य में उद्योगों के विकास के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों द्वारा सामाजिक सरोकारों के कार्यों में योगदान देने हेतु नीतियों का निर्धारण कर अनिवार्यता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. कोटा शहर में औद्योगिक विकास हेतु नये क्षेत्रों का चिन्हिकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों को एकल खिड़की की व्यवस्था लागू होने के बावजूद वास्तविक निवेश में न बदल पाने व औद्योगिक पलायन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु कृषि उत्पादों, खनिज उत्पादों को क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर चयन करके कच्चे माल की उपलब्धता अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. राज्य के औद्योगिक विकास में प्रदेश के कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों को सहभागी व प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं व छूट प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

92. बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र के नापासर में पिछली सरकार द्वारा टैक्सटाइल पार्क की घोषणा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 43-खनिज पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री पदमाराम (चौहटन) :

1. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में खनन रायल्टी को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन खनिज पट्टे आरक्षण के आधार पर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

3. बाड़मेर शहर से बिलकुल सटी हुई किसानों की भूमि को लिग्नाइट हेतु अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित कवास में लगे लघु जिप्सम उद्योगों को जिप्सम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

5. विधान सभा क्षेत्र भीम में खनिज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रीको हेतु बगड़ में आबंटित जमीन पर तत्काल रीको इण्डस्ट्रीज का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के खनिज क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सैण्ड स्टोन क्वारी लाइसेन्स बालेसर का बढ़ा हुआ किराया 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खान विभाग के सड़क निर्माण बजट से बालेसर क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र ठाडिया फांटा से गुमानपुरा सम्पर्क सड़क वाया खनन क्षेत्र में एप्रोच सड़क एवं अमृतनगर से भोमियाजी का थान क्वारी बाउण्ड्री में स्थित डेरडी तक लिंक सड़क का निर्माण कार्य कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम पंचायत बालेसर में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

10. जिला सीकर में नियम विरुद्ध एवं अनियमित तरीके से खनन आबंटन की स्वीकृति देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. राज्य में अवैध खनन को रोकने हेतु ठोस उपाय लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

12. विधान सभा क्षेत्र नगर में अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

13. खनिज रायल्टी का सरकारी निर्धारण के अनुरूप ग्राम पंचायतों को हिस्सा राशि न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. खनन आबंटन में विपरीत रिपोर्टों के आधार पर निरस्त आवेदनों को 15-20 वर्ष बाद भी पुन: जीवित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. कोटपूतली तहसील में खान आबंटन के आवेदनों का समय पर निपटारा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में खान आबंटन के आवेदनों का समय पर निपटारा न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

17. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जोजरी नदी के पेट से अवैध बजरी खनन नहीं रोकने एवं सरकारी गोचर भूमि ग्राम चौठा-बेनण नानण से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र के ग्राम लाम्बा एवं बला तथा झाक से कालाऊना बाणगंगा नदी के पेटे से बजरी खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. पाली जिले के राजस्व ग्राम अटबड़ा में वर्षा के पानी के प्राकृतिक

बहाव नाला, भाला, खाला खसरा नं. 1248 एवं गोचर भूमि ख.न. 301, 305, 314, 316, 318, 331 में अवैध खनन को नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. जोधपुर जिले के ओसियां तहसील में बड़ा कोटेचा माइन्स से प्रदेश के बड़े नेता के रिश्तेदारों को नियमों में परिवर्तन कर खानों के आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

21. अलवर जिले में तुरन्त प्रभाव से अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. राजस्थान में खनिज नीति में बदलाव कर स्थानीय लोगों को ही खान आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. किसान को अपने खेत में बिना किसी अनुमति के खनन कार्य करने की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. खनन कार्यों से जुडे हुए खनन मजदूरों के लिए सुरक्षा के उपाय लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. प्रदेश में क्रेसरों द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करने को रोकने के लिए ठोस उपाय लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

26. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खनिज रायल्टी से प्राप्त पूर्ण राशि को रामगंजमण्डी क्षेत्र के विकास हेतु खर्च नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. नेशनल टाइगर दरा अभयारणय के क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन को विभाग द्वारा नहीं रोक पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन के मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंगयार्ड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खनन कार्य से प्राप्त रायल्टी राशि में से विकास कार्य हेतु दी जाने वाली राशि को प्रति वर्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में अवैध खनन को रोकने व नई खनिज नीति के तहत खनन पट्टा समय पर नवीनीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

31. खनन की आय का 80 प्रतिशत राजसमन्द जिले से प्राप्त होने के पश्चात भी राजसमन्द जिले की माइनिंग सड़कों की जर्जर हालत की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. राजसमन्द को मार्बल मण्डी घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. खनिज पर पर्यावरण शुल्क रुपये 10/- प्रति टन लेने के प्रावधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये1

34. प्रदेश में खनिज रायल्टी का एक प्रतिशत पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों को पुन: देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

35. राज्य में अवैध खनन को बन्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

36. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में हो रहे अवैध जिप्सम खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पंचायत बल्लर व दन्तोर क्षेत्र से आर.एस.एम.एम. द्वारा जिप्सम खनन से प्राप्त रायल्टी में से क्षेत्र की बिगड़ती हुई स्थिति व पर्यावरण सुधार के लिए 10 प्रतिशत रायल्टी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

38. प्रदेश में छोटे-छोटे काश्तकारों की जिनकी जमीन 5 बीघा से कम है, उन जमीनों में निकलने वाले खनिजों को स्वयं काश्तकारों को ही खनन पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

39. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम चौकड़ी में 40-50 मीटर की दूरी पर हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. नीमकाथाना के रेला गांव में पानी का भराव क्षेत्र बताकर आवेदनों के

निरस्त करने के बाद दूसरों के आवेदनों को स्वीकार करके खान (चेजा पत्थर) आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) :

41. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के फूलन व देवड़ा गांव में खान मालिकों द्वारा खनन कार्य के बाद अवशेष मलबा नीति के अनुसार नहीं डालकर अव्यवस्थित तरीके से डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. प्रदेश में खनिज रायल्टी वसूली से प्राप्त राशि का अंशदान सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नदियों में बजरी खनन हेतु जे.सी.बी. मशीन के उपयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

44. प्रदेश में खनिज सम्पदा को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. प्रदेश में खनिज मात्रा को देखते हुए नयी खनिज नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. राज्य के विकास को अधिक गतिमान करने के लिए खनिज धन्धे को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

47. विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी सैण्ड स्टोन खनन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश में खनन क्षेत्र हेतु प्रशिक्षित कामगारों की उपलब्धता करवाने हेतु पोलिटेक्निक कालेज व आई.टी.आई. में खनन से सम्बन्धित विषयों के कोर्सेज आरम्भ कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश में खान श्रमिकों हेतु नि:शुल्क चिकित्सा के लिए हैल्थ कार्ड जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार यथा सड़क, पेयजल व चिकित्सा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में खनन क्षेत्र में खान नियमों के अनुरूप प्रशिक्षित खान संचालकों एवं खनन श्रमिकों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

52. जोधपुर के चारों तरफ आखलिया, भूरि बेरी, शेरगढ़, बालेसर, काली बेरी, मंडोर, बेरीगंगा एवं फिड़सर के समस्त खानों की जांच कर अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. जोधपुर जिले के बुझावड़ रोहिलाकलां, गंगाणा व मेसनदी स्टोन की खान आबंटन को रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश की समस्त खानों का सर्वेक्षण करवाकर अतिक्रमण हटाने तथा रायल्टी की कम वसूली को सख्ती से एकत्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में खान मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश के खान मजदूरों एवं पत्थर के कारीगरों के कल्याण हेतु आर्थिक अंशदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

57. माण्डलगढ़ में एक हैक्टेयर एरिया में सैण्ड स्टोन की माइनिंग की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

58. मारवाड़ जंक्शन के सालरिया ग्राम में पंचायत के बिना एन.ओ.सी. के आबंटित खानों को निरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. कृषि कार्य के लिए बजरी पर रायल्टी माफ होते हुए भी किसानों को परमिट नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

60. प्रदेश में खनन माफियों द्वारा अवैध रूप से खनन करने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

61. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खनिज उत्पादन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

62. अलवर जिले में चल रहे अवैध भट्टे बन्द करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अवैध खनन एवं अवैध क्रेशर बन्द करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. अलवर जिले में भारी मात्रा में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. अलवर जिले में गैर कानूनी तरीके से दिये गये खनन पट्टों की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. अलवर जिले सहित विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में अवैध खनन एवं क्रेशर रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

67. अलवर जिले में अवैध खनन कर्ताओं द्वारा वन क्षेत्र आरक्षित वन एवं अरावली क्षेत्र में माफिया गिरोह बनाकर लाखों टन पत्थर प्रतिदिन निकालकर अरावली पहाड़ियों, वन एवं आरक्षित वन क्षेत्र को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. खान विभाग द्वारा अलवर जिले में खान माफियाओं/पड़ौसी प्रदेश हरियाणा के निवासी एवं अन्य को बढ़ावा देने व मिलीभगत से अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

69. अलवर जिले में पहाड़ी कुमला ग्राम किरवारी तहसील कोटकासिम में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. प्रदेश में खनन आबंटन के लम्बित आवेदनों के निस्तारण में हो रही देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. अलवर जिले में स्वीकृत खनन पट्टाधारियों के खिलाफ बकाया राजस्व/शास्ती नहीं चुकाये जाने से राज्य सरकार के कोष में हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. अलवर जिले में हरियाणा के निवासियों एवं स्थानीय मेवात के निवासियों द्वारा अरावली एवं वन क्षेत्र में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

73. बापी खानों के सम्बन्ध में अधिसूचना फरवरी, 2013 का सरलीकरण प्रार्थना-पत्र पेश करने की समय अवधि बढ़ाने व ब्याज वसूली न करने की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. मकराना बोराबड़ 2बी-हाइवे को माइनिंग एप्रोच रोड घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. एम.एम.सी.आर. 1986 की धारा 29/9 में संशोधन अनुसार खनिज सड़कें घोषित कर 10 मीटर दूरी पर खनन कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. मकराना के लिए विशेष खनिज नीति एवं वैज्ञानिक व दीर्घकालीन दोहन के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार किये जाने की बजट वर्ष 2010-11 में की गई घोषणा को अबिलम्ब पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

77. पचपदरा में जिप्सम के अवैध खनन को रोकने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

78. ग्राम तालचिड़ा के राजस्व क्षेत्र में पहाड़ियों में सिंघल माइन्स एवं अन्य पट्टेदारों द्वारा अवैध खनन करने, खनन अपशिष्ट से नालों को रोकने तथा प्राकृतिक सम्पदा को नष्ट करने से रोक लगाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

79. प्रदेश में बढ़ते हुए अवैध खनन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

80. राज्य में अवैध खनन के कारण हो रहे करोड़ों के राजस्व नुकसान पर चर्चा के लिये।

81. जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र में चल रहे अवैध ईंट भट्टों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

82. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी व निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत बिलानाम (चरनोट) भूमि पर सरकार द्वारा खनन पट्टे जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

83. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर में हो रहे अवैध खनन एवं अवैध जिप्सम खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

84. प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. खनिज रायल्टी की राशि में पंचायतों का हिस्सा समय पर जिला परिषदों को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

86. रायसिंहनगर, श्री विजयनगर में जिप्सम आधारित उद्योगों का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. श्रीगंगानगर में पंजाब के जिप्सम माफिया द्वारा जिप्सम का अवैध कारोबार संचालन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

88. राज्य के विभिन्न खनिज रायल्टी ठेकेदारों पर बकाया करोडों रुपये की राशि को वसूलने हेतु उन पर कार्यवाही करने के लिए नियमों में प्रावधान कर समयबद्ध क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए सर्वाधिकार प्राप्त प्राधिकरण गठित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. राज्य में खनिज नीति की कड़ाई से अनुपालना किए जाने व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समयबद्ध योजना विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. खनिज विभाग द्वारा खनिज नीति के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के प्रकरणों, विवेकाधीन कोटे से खनिज पट्टे, अनुमतियां नहीं दिए जाने सम्बन्धी प्रावधान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।